Discussing Drama as Text and Performance

Dr. Siddharth Shrama [1]

Abstract

A drama is an art that helps performers to act accordingly in their specific roles. A dramatistdexterously pens the lines and the dramatic text is born. However, at times the text remains analogous with another medium of instructions and sometimes it takes its shape to altered horizons of reality. A text is performed in front of the audience to bring a new extension and growth. The difference between text and performance is typically visible to the naked eye. Whenever the play is read through the text, the readers find an immense pleasure on scanning each and every line of the speeches of the perspective characters and scenes. When performed on stage, the readers become spectators in the drama and reach in the state of sublimity. So the question arises whether drama should be read only as a text or only as performance? A text without performing art is quite impossible. Similarly, a performing art without text is next to impossible. The quintessential beauty or appeal cannot be fulfilled only through reading text. So, we can say one is complementary to the other.

Keywords: Audience, dramatist, text, performance, drama.

The word "drama" according to M.H. Abrams is "The form of composition designed for performance in the theater, in which actors take the roles of the characters, perform the indicated action, and utter the written dialogue." The term "drama" originated from the Greek term which meant "action". When we talk about drama, we come across two masks – the comedy masks and the tragedy mask. The comedy mask or the happy mask is named after Muse Thalia whose name meant by "flourishing". The tragedy mask is named after Muse Melpomene. She held a knife in a hand along with the tragic mask on the other hand.

1. Associate Professor of English, MGCGV, Chitrakoot, Satna (MP)

The enactment of drama is performed before the audience where characters of the drama, stage crafts, literary texts, costumes and lighting provides a major role. The "play within the play" episode in William Shakespeare's *A Midsummer Night's Dream* is enacted to provide an entertainment purpose and also described a light-hearted comedy for the wedding of the three couples. Similarly, plays can also help us untangle the mystery of the plot as for example "The Mousetrap" episode in William Shakespeare's *Hamlet*.

In England, drama developed during the Middle Age. The first stage in the development of drama was the mysteries and miracle plays. The second stage was those plays that emerged from the Church into the traditional market place. England was divided into four church cycles. These cycles are named as York Coventry Wakefield and Chester. Each cycle has the different number of plays. The York Cycle consists of 48 plays, Coventry as 42 plays, Wakefield as 30 plays and Chester as 25 plays. The third stage in the development of drama was the morality plays and Interlude. The mystery and miracle play gave rise to morality plays and interlude. The fourth stage in the development of drama was the first comedy and first tragedy namely Ralph Roister Doister by Nicholas Udall and The Tragedie of Gorboduc, also titled Ferrex and Porrex by Thomas Norton and Thomas Sackville.

In Elizabethan age, Globe theatre was built and William Shakespeare and his train of artists used to perform their dramas. William Shakespeare has approximately written 39 plays. In the Globe Theatre,

Theatres of the time were three story buildings with open roofs and un-curtained platform stages that thrust forward into the auditorium. Performances weregiven during daylight hours.At the back of the stage were doors from which the actors entered, and behind them the tiring house, or dressing room. There was an upper acting level that could represent a balcony or the walls of the city. *The Shakespeare Book* (15)

Theatres reemerged in England under William Shakespeare, Christopher Marlowe and Ben Jonson and the masses have immense interest in drama. The Restoration theatre was an upper-class theatre and the restoration dramatists satirized the upper-class aristocratic society. William Congreve's comedy of manners *The Way of the World* (1700) started during this age. It was about the elaborative style of high class people society. Regrettably, no moral messages have been shared during this time. It was only written for the sake of entertainment. The modern theatre talked about common man and that theme is portrayed in some of the works of T.S. Eliot, W.B. Yeats and J.M. Synge. In The Theatre of the Absurd, there is no meaning in human existence and the world is absurd and meaningless. Some

absurd dramatists are Samuel Beckett, Eugene Ionesco and Tom Stoppard and many other dramatists.

The stark difference between text and performance is visible tothe naked eye. Whenever the play is read through the text, the readers discover immense pleasure on reading each and every line of the speeches. When it is performed on stage, the readers become spectators in the drama and automatically reach the stage of sublimity. The mental faculty of the brain gets automatically coherent with the visible reality and thus the minds of the spectators work crystal clearly when the action is performed visually.

In a traditional classroom, a drama can be taught to the students by the teacher acting as a role model infront of the audience. The teacher can sometimes act in front of the audience and ask the students to respond accordingly. Occasionally the teacher may point out different roles of the characters to different students and ask them to rehearse the respective roles. He or she may provide a particular situation and also the acting situation of the perspective character and ask them to play accordingly. In a smart classroom, the teacher plays the audio-visual part of the drama and asks the students to watch them and also enact them before the other students. It is also a two-dimensional stage of acting. The students must sometimes use the LSRW technique and act accordingly. This helps the students to learn a new technique of communication with their peers.Oftentimes the other students may break the fourth wall in the case of Augusto Boal's Theatre of Oppressed and audience may become performers and act suitably.

The movies also provide asupplementary source of interest in projecting the realities to the people. It must be acknowledged that watching something live of a particular situation has a far greater appeal on the psyche of the people than at the time of reading. Sometimes people try to imitate them and unconsciously it provides a big influence on their life. Some of the few movies that led to a positive social environment are "TaareZaamen Par", "3 Idiots", "Mother India" and "Swadesh". Some of the elegant movies like "A Thousand Acres", "Fire", "Split Wide Open" and "A Monsoon Wedding" project the kinds of immoral and evil in the society.

It would be apt to discuss Mahesh Dattani as playwright. He is not only an Indian playwright but also a theatre practitioner like BadalSircar. His painstaking direction also adds wondersto his written texts as Mahesh Dattani believes that his work is complete only when it has been performed on stage. While writing plays, he explores both the masculine and the feminine self within him. This is why Dattani is placed as "a playwright of world stature."

The relation between text and performance is central to William Hazlitt's dramatic criticism. For the typical Regency theatergoer, the text was almost

negligible, merely a series of hooks for stage action and spectacle-a "vehicle," in Hazlitt's words, "for connecting scenery, pantomime, and song."

William Hazlitt on Dramatic Text and Performance by James Mulvihill (*Studies in English Literature, 1500-1900* Vol. 41, No. 4, The Nineteenth Century (Autumn, 2001), , pp. 695-709 (15 pages)

A text without performing art is almost impossible. Similarly; a performing art without text is not possible too. The quintessential beauty or appeal cannot be at all fulfilled only through reading text. In reality, the two are complementary to each other. There is nothing greater or weaker between text and performance. A drama is always a successful drama when it is penned by a successful dramatist and performed with dexterity on stage. That,s why, drama is known as an applied art in all frontiers of literature.

Works Cited

Abrams M.H. A Glossary of Literary Terms.Seventh Edition, U.S.A. Heinle & Heinle Publications 1999.

Miracle-play.Howstuffworks Contributors <https://history.howstuffworks.com/european-history/miracle-play.htm>

DK "The Shakespeare Book".Penguin Random House 2015.

Shakespeare, William. "Macbeth". The Arden Shakespeare Collection 2015.

Shakespeare, William. "Hamlet".The Arden Shakespeare Collection 2015.

Shakespeare, William. "A Midsummer Night's Dream".The Arden Shakespeare Collection 2015.

Drama. Wikipedia Contributors < https://en.wikipedia.org/wiki/Drama>

William Shakespeare. Wikipedia Contribuors<https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare>

History of British Drama- Major Plays & Dramatists (Part 1).ArpitaKarwa You Tube Contributors<https://www.youtube.com/watch?v=nwF6LQ2I7mc>

History of British Drama- Major Plays and Dramatist (Part 2).ArpitaKarwa YouTube Contributors
< https://www.youtube.com/watch?v=ezH2HqFofoU>

William Hazlitt on Dramatic Text and Performance by James Mulvihill.Jstor Contributors. *Studies in English Literature, 1500-1900*Vol. 41, No. 4, The Nineteenth Century (Autumn, 2001), pp. 695-709 (15 pages).

Role of Higher Education in Developing India

Dr. Manisha Upadhyay [1]

Abstract

Prosperity and development of any country depends upon its education system. Status of education indicates the status of the country. India was rich, prosperous, happy country in the past when centres of knowledge in the form of Asharmas were working properly. Sacrifice, devotion and humanity was at the top. Rishis devoted their life in search of knowledge, practice Yogas and Rituals. All the matters were balanced. Gradually carelessness and blind following of religion, invasion of foreign countries India became poor. India came at the stage of hunger. After a long gap by starting of three universities in 1781 development started at slower rate. After independence India gained speed. Real speed of development took place by end of twentieth century. Higher education took faster rate of development in twenty first century. Last fifteen years are marked as highest speed in development. This development changed the shape of the country and India can clearly, be seen as developing country. This all-round development is due to wide development in higher education.

Education is a powerful instrument of all-round development. A country is called as developed country when it is economically sound, scientifically advanced, contributing the world in the form of sound leadership and occupied important place in research and advancement of knowledge.

1. Assistant Professor, Deptt. of English, Khun Khun Ji Girls PG College, Lucknow.

Developing of higher education started from opening of Calcutta, Madras and Banaras Sanskrit College in 1781. After this step establishing of different types of colleges and universities started. After independence 1947, and recommendation of Radha Krishnan Commission and other commissions after wards India took speed. Emphasising the role of higher education in development of the country several steps were taken.

India as a developing country is proceeding towards higher literacy rates which mean spreading education to the doors of its citizens. If quality education is universally available to all citizens making them productive, social and creative, nation becomes strong by all means and country is called as developed country. India has seen many ups and downs. During ancient India when important known education centres were providing quality education, country was spiritually advanced. Research of higher quality in the field of medicine, science, astronomy, agriculture, law and Neeti shastra etc. country occupied highest place and worked as light house for the whole world, but gradually centres of highest quality were destroyed, people become weak and stereotyped, blind faith and invasion of foreign people made the country poor. There came a time when we could not produce even a needle sufficient food and cloth material to our people. After independence gradually the country started developing.

Table: 1

All-India Growth of Institutions, Enrolment and Teaching Faculty at Higher Education Level, 1950-51 to 2006-07

Year	Universities	Colleges	Enrolment (@'000)	Faculty (@'000)
1950-51	28	578	174	24
1960-61	45	1819	577	62
1970-71	93	3227	1956	190
1980-81	123	4738	2752	244
1990-91	184	5748	4925	271
2000-2001	266	11146	8399	395
2006-07	369	18064	11028	488

Now it is because of education the country is occupying original place and surpassing. Expansion of primary schools, school within one kilometre, development of secondary education opening of multipurpose schools, technical institution, IIT, IIM, and post graduate courses in medicine, agriculture,universities and research centres made the country self-dependent. The book of Dr. A. J. P. Kalam, former president of India, co-authored with Dr. Y. S. Rajan entitled "India 2020: A vision for the New Millennium" emphasised on five points,

1. Agriculture and Food processing.
2. Education and Health Care.
3. Information and Communication Technology.
4. Reliable and Quality Electric Power.
5. Surface Transport,

Air Transport and Infrastructure for all parts of the country and self-reliance in critical technologies, on all these points, higher education is developing fast,creation of universities in all divisions are taking place.

Post graduate education and research centre in medicine, establishing and increasing number of Indianinstitutes of technology and management institution etc are making India strong in all areas. Now it is because of higher education India is capable of giving leadership to rest countries of the world. At present we have more than one thousand universities and 50000 colleges. Credit goes to both government as well as private players in the field of higher education. Structural innovation in HEI is going on rapidly.

The country is moving from a human centred to our earth centred sense of reality and value. We are becoming global and from only economic emphasis (food, cloth, house) to humanity, universal brother hood. Limitations are still there but we are marching ahead with advancement in higher education. The people of the country have large expectation from higher education, higher education should include broadening of positive thinking and sense of humanity. Though higher education is training the people for economic dependence and start-ups but they still lack the sense of broad humanity.Without spread of sense of broad humanity we cannot bring happiness andsatisfaction to their mind. Need of the time is that the higher education in the country should be such which may bring a new type of humanity and society marked by integrated powers of physical, emotional, dynamic, intellectual, ethical, aesthetic and spiritual potentialities. From the time India entering in twenty first century has shown marked development all round. The country has under taken massive structural and systematic

changes that have started to yield encouraging results. During last fifteen years highly selective elite research universities has taken top place comprehensive universities and specialized institutions in the middle have started functioning. Highly accessible and high-quality colleges at the bottom are also contributing a lot. The selective elite universities are meant for furthering India's intellectual capital and other two are delivering economic and social value, making India prosperous and capable country.According to UGC report February 2020 there are 409 state university, 127 deemed university, 50 central university, 349 private universities. Total 953 universities are engaged in research (scientific, technological, industrial, agricultural) and training.

Table: 2

Enrolment in important programmes at PG Level in Regular mode:

Year	M.A. Master of Arts	M.Sc. Master of Science	M.Com. Master of Commerce	M.B.A. Masterof Business Administration	M.Tech. Master of Technology
2012-13	662839	414316	179813	392587	209720
2013-14	674447	431723	193373	392937	260370
2014-15	767027	481330	222709	409432	289311
2015-16	878677	519158	271266	416325	257361
2016-17	865410	562896	275695	416490	160888
2017-18	901448	605682	288206	421509	142081
2018-19	899653	623114	321458	462853	135500

Taking the population of the country it is still not stuffiest but country has shown tendency of rapid growth. For higher education to foster the knowledge economy and pushforwardgrowth in India, it needs to be more brave and ambitious, creating new knowledge that has value is about breaking through frontiers and entering zones that have not been explored before, we have to move to words digitalization andinternet connectivity, to make education more useful and effective. Indian graduates of the day should not only be an excellent human resource but also an admirable human being, tomaintain India's position of leadership in higher education. The next twenty years should be devoted to wards leadership vision and commitment. Development of higher education with regard to quality and quantity, will lead India in to a developed country.

During eleventh five-year plan (2007-2012) several legislative steps have been taken to strength in the education system of the country. Introduction of the higher education and research bill, the Educational

Tribunal bill and the foreign educational institutions bill are evidence which shown our interest to enhance transparency and quality.

Now the Twelfth plan is emphasising on building "excellence" in higher education of country. Moto is to expand the system to make it available to large section of population so that all those who aspire for higher education get chance. Equity, excellence, good governance, and sufficient funding is the target of the plan. Equal opportunity to all section will be our success. Implementation and monitoring by improving coordination across ministries and agencies should be our goal. Intensive use of technology will help in this direction. It is good that we have almost achieved universal education by increasing enrolment at elementary and secondary stage, youth literacy has gone up to more than 90%. Impact of higher education is vital in all direction of life. Country is moving rapidly towards self-dependency in every walk of life, may be food cloth, house, medicine, technology, science and social development. This all may be credited to higher education.

References

Agrawal, T. (2011). Returns to education in India: Some recent evidence. WP-2011-017. Mumbai: Indira Gandhi Institute of Development Research.

Altekar, A.S.1944. Education in Ancient India, 2nd ed., Nand Kishore & Bros, Varanasi.

Anandkrishnan, M. 2004. Higher Education in Regional Development: Some Key Pointers, Indo-UK Seminar on Regional Development, organized by UGC.

B. Komow, Raghav Khanna, R.K. Shrma (2012), Journey of higher education in India: An analysis of post-independence era. Asian journal of multidimensional research, vol.1, June 2012.

De Boer, H., Huisman, J. and C. Meister-Scheytt (2010), Supervision in modern university governance: Boards under scrutiny, Studies in Higher Education, Vol. 35/3, pp. 317–333.

Dongerkery, S.R. 1997. University Education in India. Manaktalas, Mumbai. Higher Education in India, 71.

Ghosh, S.C. 2000a. The History of Education in Modern India, Orient Longman Limited, New Delhi.

GoI. 1966. Education and National Development, report of the National Commission on Education (1964-66), New Delhi.

Gorge Thomas, Jyoti Jain (2016), Indian Higher Education System: Issues, Challenges and Initiatives: University News, 54(05), February 01-07, 2016. (p198).

Government of India (1950), Report of University Education Commission 1948-49, Delhi.

Prakash, Ved. 2007. Trends in Growth and Financing of Higher Education in India. In Economic and Political Weekly, Vol. XLII, No. 31, August 4-10. pp.3249-3258.

Rashmi Soni, M.S. Sodha: Education City and other Innovations in Higher Education for Transformation: University News, 54(05), February 01-07,2016. (p138).

Teacher Continuing Professional Development at University of Washington; faculty Washington edu. Retrived, 2018-06-30

UGC Annual Report 1996-97 and 2005-06 (New Delhi: University Grants Commission); and Selected Educational Statistics (New Delhi: Ministry of Human Resources Development).

UNESCO Institute for Statistics (2014), ISCED Fields of Education and Training 2013 (ISCED-F 2013): Manual to accompany the International Standard Classification of Education 2011, UNESCO Institute for Statistics, Montreal, Canada.

भारतीय समाज में बालिका भ्रूण हत्या और महिला सुरक्षा

डॉ० हरिओम बादल [1]

भारतीय सामाजिक व्यवस्था मे स्त्रियों को सुख, शान्ति, शक्ति, ज्ञान व सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है वैदिक युग मे उसका समाज में पूजनीय स्थान था, महिला-पुरूष समानता पर बल दिया जाता था। उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की उच्च सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, उन पर कठोर नियन्त्रण स्थापित किया जाने लगा। समाज में पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन बढ़ने लगा। धीरे- धीरे अन्य कालों में भी यह और इनके साथ-साथ बालिका वध जैसी समस्या ने पांव पसारे हैं। आज बालिका वध का नवीनतम तरीका भ्रूण में उसकी पहचान कर वध करने के रुप में दिखलाई देता है। इस शोध पत्र में द्वितीयक एवं अनुभवमूलक तथ्यों, विचार गोष्ठियों, सेमिनारों के विचारों को प्रयुक्त कर बालिका वध क्या है, इसके कारण, परिणाम, सुझाव एवं पुरातन किए गये अध्ययनों के सारांश के आधार पर अध्ययन किया गया है।

महिला मनुष्य जाति में आलौकिक शक्ति ईश्वर की अनमोल कृति है जिसका समाज निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, शान्ति, शक्ति, ज्ञान व सम्पत्ति का प्रतीक माना गया है जो मां दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी आदि के सन्दर्भ में दिखलाई देती है। प्रागेतिहासिक काल में वैदिक युग गृह का अस्तित्व महिला के अस्तित्व में निहित माना जाता था। महिला का समाज में पूजनीय स्थान था। इस युग में स्त्रियाँ अधिकार सम्पन्न थी, महिला-पुरूष समानता पर बल दिया जाता था, पुत्री को भी पुत्रवत समतामूलक प्रस्थिति, प्रेम, स्नेह एवं आदर प्राप्त था। इस युग में महिलाएं पर्दा-प्रथा के चंगुल से

1. सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, जे०एन०पी०जी०कॉलेज, बाँदा

मुक्त थी। महिलाएं पुरूषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चलती थी। अल्तेकर, ए.एस. के अनुसार ''नारी धर्म के मार्ग में बाधक नहीं थी। धार्मिक संस्कारों एवं उत्सवों में पत्नी की उपस्थिति एवं सहयोग वांछनीय माना जाता था।'' वैदिक युग पश्चात समाज उत्तर वैदिक काल में प्रवेश करता है। इस युग में वैदिक युग की अपेक्षा स्त्रियों की उच्च सामाजिक प्रस्थिति में परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। समाज उत्तर वैदिक काल से मध्यकाल की ओर अग्रसर होता है। मध्यकाल परिवर्तन का वह काल था जिसमें महिलाओं की प्रस्थि ति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए, उन पर कठोर नियन्त्रण स्थापित था | पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का समाज में प्रचलन बढ़ने लगा। समय में परिवर्तन के साथ- साथ धीरे- धीरे महिलाओं की स्वतन्त्रता और अधिकारों में भी परिवर्तन आया और वह अधिकारों से परिपूर्ण स्वतन्त्र स्त्री मात्र भोग की वस्तु बनकर रह गई। समाज में सामाजिक सत्ता का हस्तान्तरण पिता से पुत्र को होने लगा। समाज में परिवार पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय, पितृमार्गी और पितृवंशीय होने लगे एवं अनेक कुप्रथाओं जैसे सती-प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज आदि का अत्यधिक मात्रा में प्रचलन बढ़ने लगा। स्त्रियां समाज में बोझा समझी जाने लगी, इस कारण समाज में बालिका वध जैसी कुप्रथा का जन्म हुआ। कन्या को हीबर , बीसप, गड्डे में या दूध भरे बर्तन में डुबोकर मारना, पलंग के पाये के नीचे दबाना, अफीम या भांग खिलाना, गला दबाना आक का विषैला दूध पिलाना, सूखे कुओं में फेंक कर मारना, रेत के टीलों में दबाकर मारना, जैसी घृणित एवं विकृत परम्पराएं दिखाई देने लगी परन्तु आज के समय उनसे भी विकृत स्थिति बालिका भ्रूण हत्या के रूप में दिखाई देती हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों की प्रस्थिति को जानना? उनसे जुडी सामाजिक कुप्रथाओं पर चर्चा करना ? कन्या वध व कन्या भ्रूण हत्या के सन्दर्भ में समाज का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास रहेगा। साथ ही बालिका भ्रूण हत्या के आंकड़ों पर दृष्टि डालकर यह जानने का प्रयास किया जायेगा कि भारतीय समाज में इसके भयावह परिदृश्य का भूगोल कैसा है। बालिका भ्रूण हत्या के सम्भावित परिणामों जैसे असन्तुलित लिंगानुपात, महिलाओं के विरुद्ध अपराध आदि को समाज की नजर में लाना? शोध पत्र अंत में सुझावों के माध्यम से महिला प्रस्थिति में परिवर्तन लाने वाले कुछ निष्कर्षों की ओर संकेत करने का प्रयास करेगा।

भारत में कन्या भ्रूण हत्या संबंधी अध्ययनों में सिंह , वी.एन एवं सिंह, जनमेजय ने अपनी पुस्तक में परम्परागत सामाजिक समस्याओं एवं विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में लेखक ने कन्या वध एवं कन्या भ्रूण वध का समाजशास्त्रीय विश्लेषण तथा इससे उतपन्न समस्याओं को प्रस्तुत किया है। वर्मा, भावना एवं दीक्षित, ध्रुव कुमार, ने महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के परम्परागत काल से वर्तमान तक का विवेचन किया है। यह हिंसा कहीं न कहीं कन्या वध की आधारशि ला तैयार करती है। जैन, अरविन्द ने अनादिकाल से अपनी अस्मिता व अस्तित्व की खोज कर रही महिला के साहित्यिक व सामाजिक चित्रण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

आधुनिक काल में कन्या वध का विकृत स्वरूप बालिका भ्रूण वध ने ले लिया है। वर्तमान के इस वैज्ञानिक युग में बढ़ती शिक्षा एवं वैज्ञानिक प्रगति की पोषक नवीन तकनीकों अल्ट्रासोनोग्राफी , एम्नियोसेटंसिस आदि के विकास के कारण लड़कियों का जन्म के पूर्व गर्भ में परीक्षण कर हत्या की जाती है, जिसे बालिका भ्रूण कहा कहा जाता है। सामाजिक स्तर पर बहुत दुःख की बात है कि पूर्ववर्ती समाज में जहां बालिका वध कुछ वर्गों तक ही सीमित था, परन्तु आज के इस पढ़े लिखे समाज में बालिका वध के

साथ-साथ बालिका भ्रूण वध समाज के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलता है। जिसके कारण इसकी संख्या में वृद्धि हुई है।

भारत में 1994-2015 एवं 2001-2015 के आंकड़े इस सुनियोजित लिगं - भेद की भयावह कहानी बताते है। भारतीय साजिक व्यवस्था में हम चाहे कितनी ही बड़ी- बड़ी डींगें हाकते हो कि हम महिला स्वतन्त्रता एवं समानता के लिए प्रतिबद्ध एव कृत संकल्पित हैं , हम चाहे यह कहते रहें कि महिलाएं यहां कन्धे से कन्धा मिलाकर चलती हैं परन्तु फिर भी हम किसी न किसी हम महिला पुरुष में भेद करतें हैं तथा महिलाओं को दौयम दर्जे का मानते हुए बालिका वध या बालिका भ्रूण हत्या को भी अन्जाम देते हैं। बालिका वध के प्रमुख कारणों में भारतीय समाज की परम्पराएँ और मानसिकता है।

पितृसत्ता -इस पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में पुरूष सदैव महिला पर हावी रहता है , आज भी सामाजिक व्यवस्था में निर्णायक, निर्धारक के रूप में पितृसत्ता प्रभावी है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं में भी विद्यमान रहती हैं और शायद पुरूषों से अधिक भी हो क्योंकि उनमें भी पुत्र प्राप्ति की तीव्र लालसा होती है जो किसी न किसी रूप व्यक्ति को बालिका भ्रूण वध को प्रेरित करता है।

दहेज व कमजोर आर्थिक स्थिति- समाज में प्रत्येक माता- पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री को अच्छा नौकरी लगा हुआ या व्य वसाय करता हुआ धनाढ़य परिवार का वर मिले इसकी प्राप्ति हेतु वधु पक्ष द्वारा वर को दहेज में अच्छी बड़ी गाड़ी , मोटर, मकान, दुकान एवं मोटी रकम, आदि देने की व्यवस्था होती है। इस बेकारी व महगांई के जमाने में जहां रुपये का अवमूलन हुआ है एक निर्धन परिवार के लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है वहां यदि अपनी लड़की का विवाह दहेज देकर करना पड़े उसके लिए यह कांटों से युक्त राह होगी ऐसे मे एक परिवार चाहकर भी लड़की को प्यार तो दूर जन्म देकर पालन पोषण करना भी पसन्द नहीं करता है।

परम्परागत रीति-रिवाज एवं अंधविश्वास

भारतीय सामाजिक व्यवस्था प्रथा, परम्परा, रीति-रिवाजों एवं विश्वासों पर आधारित व्यवस्था है। इस सामाजिक व्यवस्था में इस प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं कि व्यक्ति चाहकर भी इस चंगुल से निजात नहीं पा सकता है इस प्रकार अनेक सामाजिक मान्यताएं हैं जो हमें बालिका भ्रूण हत्या के लिए प्रेरित करती हैं।

स्त्रियों को पराया धन मानना

माता-पिता एक लड़की का पालन-पोषण अपना सब कुछ दांव पर लगाकर कर भी देते हैं परन्तु एक बात सदैव उनके मन में रहती है कि आज हम जिस पेड़ को पाल- पोषकर बड़ा कर रहे हैं वह जब प्रतिफल देने वाली होगी एक दिन पितृवंशीय परिवार की भेटं चढ़ जायेगा तथा प्रतिफल इस जन्ममूलक परिवार की बजाय प्रजनन मूलक परिवार को प्राप्त होगा। एक पुत्री का पालन- पोषण ही इस मानसिकता के साथ किया जाता है कि यह पराया धन है अतः लड़की की अपेक्षा लड़के के पालन पोषण पर अधिक बल दिया जाता है।

लडकियों के सुरक्षा की आवश्यकता

समाज की मान्यता है कि लड़के की अपेक्षा लड़की को अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है , समाज में विपथगामी व्यवहार करने वाले लोगों की निगाहें उन्हें सदैव गिद्द की भांति नौचनें के लिए तत्पर रहती हैं

वर्तमान समय में होने वाले यौन अपराधों के भय से भी लड़कियों के जन्म के प्रति प्रतिकर्षण बढ़ा है। सत्ता , वंशनाम, सम्पत्ति का उत्तराधिकार-सामाजिक व्यवस्था के व्यावहारिक पक्ष के मध्य नजर पारिवारिक सत्ता , परिवार का वंशनाम , सम्पत्ति का उत्तराधिकार आदि मुख्यतः पिता से पुत्र को हस्तानान्तरित होते हैं । इस दृष्टिकोण से समाज महिलाओं के प्रति कम रुचि रखता है।

पितृस्थानीय परिवार

परम्परागत सामाजिक व्यवस्था में स्त्री विवाह के उपरान्त पितृ पक्ष अर्थात पुरुष के घर जाकर रहेगी पितृस्थानीय परिवार कहलाता है। इस व्यवस्था के कारण वर पक्ष द्वारा वधु व वधु पक्ष का सदैव शोषण किया जाता है जिसके कारण वधु और वधु पक्ष अपने आपको उनके नियन्त्रण में मानते हैं।

मोक्ष की प्राप्ति की लालसा

भारतीय समाज में लोग मोक्ष में विश्वास करते हैं जिसके लिए अनिवार्य है कि व्यक्ति विवाह नामक संस्था में बंध कर यौनपरक उत्पादकता के माध्यम से पुत्र की प्राप्ति करे, व्यक्ति की मृत्यु पर उसके पुत्र द्वारा पिण्डदान एवं तर्पण किया जाये तो व्यक्ति पितृ से उऋण होगा एवं मोक्ष की प्राप्ति करेगा।

चिकित्सकों का लालच

चिकित्सक मोटी रकम एंठने के चक्कर में बालिका भ्रूण की पहचान कर चिकित्सीय प्रविधि से हत्या को अन्जाम देते हैं। लचर प्रशासनिक व कानूनी व्यवस्था - प्रशासनिक व कानूनी व्यवस्था के ढीलेपन ने लोगों के मन से अपराध के भय को बाहर निकाल फैंका है। पहले तो इस प्रकार के कार्य इनकी नजर के सामने होते हैं परन्तु जब कभी बड़ा दबाब आता है तो इनके द्वारा कोई छोटी मोटी कार्यवाही की जाती है।

कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम

आज बालिका भ्रूण वध के तीव्र गति से बढ़ कर समाज अव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। समाज की अन्धविश्वासी परम्पराएँ व दकियानूसी मान्यताओं के आगे लोगों की सोचने समझने की क्षमताएं व मानवीय संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। इसी का परिणाम है कि बालिकाओं की भ्रूण हत्या कर कही थेली में लिपटा हुआ तो कहीं झाड़ियों, नालियों, सड़क किनारे कुत्तों द्वारा नौचा हुआ लोगों की मानक शून्यता की गाथा गाता है। मानवता को शर्मसार करता है। यह घटनाएं मानवीय संवेदनाओं की शून्यता की कहानी बयां करती हैं। मानव शायद बालिका भ्रूण वध के दूरगामी परिणामोंके बारे में नहीं जानता है। बालिका भ्रूण वध के कारण समाज में लिंगानुपात असन्तुलित होकर समाज के अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगा।

असन्तुलित लिंगानुपात

भारतीय जनगणना 1971 से 2011 तक भारत में 0-6 व 6 आयु वर्ग से उपर के लिंगानुपात में अत्यधिक असन्तुलन दिखाई देता है। इस असन्तुलित लिंगानुपात को निम्न तालिकाओं में देखा जा सकता है

तालिका-1

भारतीय जनगणना 1971 से 2011 तक भारत में -6 व 6 आयु वर्ग से ऊपर का लिंगानुपात

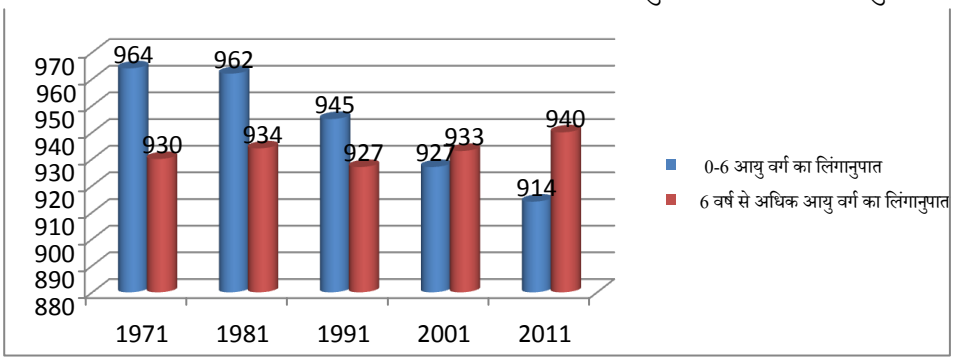

स्रोत- जनांकिकी डॉ० वी. सी. सिन्हा एस.बी.पी.डी. पब्लिकेशन, आगरा जनगणना 2011 के अनुसार

- 2001 से 2016 के मध्य राजस्थान में बाल लिंगानुपात- इस काल में एक बार तो लिंगानुपात बहुत नीचे चला गया था हालाकिं 2016 के आंकड़े कुछ सुखद अनुभव प्रदान करते हैं लेकिन अपर्याप्त है।
- अपराधों में वृद्धि - बालिका भ्रूण वध के दूरगामी परिणाम अत्यधिक भयानक है। समाज में असन्तुलित लिंगानुपात के साथ - साथ बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, हिंसा, यौन उत्पीड़न आदि में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं। जिसे निम्न तालिका के माध्यम से देखा जा सकता हैं -

तालिका-2

भारत में 2010 से 2014 तक बलात्कार, अपहरण, दहेज हत्या, हिंसा, यौन उत्पीड़न-

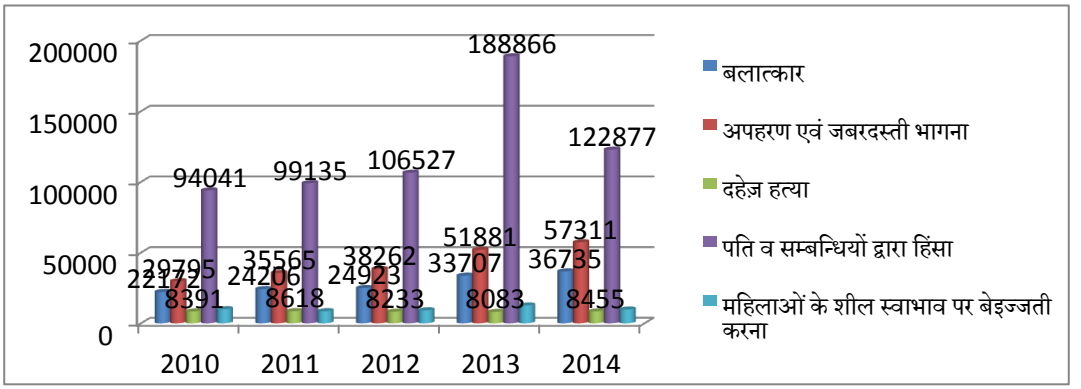

स्रोत: भारत में अपराध, 2014

उपर्युक्त के अतिरिक्त मानव की अनेक आवश्यकताएं यथा मानसिक व शारीरिक भी होती है असंतुलित लिंगानुपात के कारण व्यक्ति पहले संस्थागत साधनों से तत्पश्चात असंस्थागत साधनों के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करता हैं परिणति उपर्युक्त अपराधों के रूप में देखने को मिलती हैं। बालिका भ्रूण वध की दर इसी तरह बढती रही तो समाज में बहुपति विवाह प्रथा , विवाह केन्द्र, विवाह

डीलर तथा चुनावों में विवाह करवाने हेतु चुनाव घोषण पत्र में तुम हमें वोट दो हम तुम्हें पत्नी देंगे, हमारे देश में कोई भी व्यक्ति कुंवारा नहीं रहेगा जैसे तत्व जोड़े जाएंगे जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी। कन्या भ्रूण हत्या के कारण बाल शोषण , निकटाभिगम भी देखने को मिलेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बार- बार गर्भपात से दुष्प्रभाव पडेगा। यौन सम्बन्धों का अत्यधिक घृणित स्वरूप 'गे' और 'लिस्बेन' सामान्य रूप में देखने को मिलेगा। सरकारी स्तर पर संभवतः वेश्यावृत्ति को स्वीकृति देनी पड़ सकती है।

बालिका भ्रूण हत्या को रोकने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव

बालिका भ्रूण वध ने सम्पूर्ण समाज में अपराध एवं अव्यवस्थाओं में वृद्धि की हैं। इस समस्या ने समाज में दीमक का काम कर समाज को खोखला कर दिया है अतः इस समस्या से छुटकारा मिलना चाहिए इसके लिए समाज को चाहिए कि -

- पितृसत्ता रूपी मानसिकता में परिवर्तन।
- समाज में फैली कुरीतियों यथा दहेज, ऋण एवं मोक्ष प्राप्ति की सोच का अवमूलन।
- स्त्री-पुरुष के मध्य लिंगभेद से मुक्ति।
- स्त्री-पुरुष समानता, स्वतन्त्रता एवं सुविधाओं पर बल
- कठोर कानूनीव प्रशासनिक व्यवस्था।
- इलेक्ट्रोनिक एवं प्रिंट मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
- इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा गर्भपात की निर्दयतापूर्ण सम्पूर्ण प्रक्रिया को लोगों को दिखाया जाना चाहिए।
- स्कूलों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में कन्या भ्रूण वध के बिन्दु को सम्मिलित किया जाए।
- शिक्षकों द्वारा कन्या वध के सन्दर्भ में बच्चों को शिक्षा।
- मां को इस कार्य की भयावह स्थिति से अवगत कराया जाए।
- मनोवृति में परिवर्तन।
- महिलाविहीन परिवार और पुरूष का अस्तित्व।
- महिलाओं को आर्थिक संबलता।
- पुत्र ही क्यों पुत्री क्यों नहीं हो परिवार की उत्तराधिकारी।
- स्त्री की तुलना पुरूष की बजाय मानवता से हो।
- महिलाओं को वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करना।
- कुप्रथाओं के विरोध में विशाल जनजागरण अभियान।

इस प्रकार एक माँ जो स्वयं स्त्री होती है वह कैसे स्वयं अपने शरीर के अंश को खत्म करने में सहयोग कर सकती है। परन्तु है सास द्वारा बहु पर अत्याचार और माँ द्वारा बेटी की हत्या आदि , जो कि स्त्री विरोधी

नजरिया है जो एक औरत को औरत का दुशमन बना देता है। 21 वी सदी में भी कन्या भ्रूण हत्या जैसा गंभीर सवाल महिला सुरक्षा की बहस को ही कटघरे में खडा करता है। कन्या भ्रूण हत्या की पस्थितियां केवल निर्धन परिवार तक ही सीमित नहीं है वरन अमीर शिक्षित परिवारों में भी इसको बराबर देखा जा सकता है। उपर्युक्त सुझावों को ध्यान में रखा जाए तो बालिका भ्रूण हत्या को बहुत हद तक कम किया जा सकता है जिससे समाज का अस्तित्व तो बना रहे और हम अपने आपको 21 वीं सदी में इंसान महसूस कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अल्तेकर, ए.एस.: हिस्ट्री ऑफ़ कास्ट इन इण्डिया',एम.बी.डी.,बनारस, पृ. 15

हीबर, बीसप, नैरेटिव ऑफ़ ए जर्नी थ्रू द अपर प्रोविंस ऑफ़ इण्डिया, खण्ड द्वितीय,पृ. 88,

सिंह, वी.एन एवं सिंह,जनमेजय: 2010, आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण,रावत पब्लिकेशन,जयपुर।

वर्मा, भावना एवं दीक्षित, ध्रुव कुमार: 2010, घरेलू हिंसा-समस्या एवं समाधन,अमन प्रकाश, सागर म.प्र.।

जैन, अरविन्द: 2000, औरत अस्तित्व और अस्मिता,सारांश प्रकाशन, दिल्ली।

शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश: 2011, भारतीय समाज, पंचशील प्रकाशन,जयपुर पृ. 189

शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश: 2011, भारतीय समाज, पंचशील प्रकाशन,जयपुर पृ. 188

दबाब में आकर महिला ने अपनी पुत्री की हत्या की, न्यूज हेड लाइन्स, न्यूज-18, 27, अक्टूबर , 2017

नवजात बालिका कचरा पात्र में मिली,एन.डी.टी.वी., 28 मार्च, 2012

दो नवजात बालिकाएं मिली जिनमें से एक रेलवे ट्रेक पर दोनों की मृत्यु हुई , इण्डिया न्यूज डॉट कॉम, 14, जुलाई, 2012

Idiosyncratic Strategies for Improving Student Success in Online Education

Radha Kaushik [1]

Abstract

Teachers engaged into both offline and online courses have unique comprehensions as to how each of these methodologies can prove to be effective for improving the students' learning process. It has been widely observed that students are more likely to struggle in online classes as compared to offline modes. A survey was conducted among 1000 faculties that teach both onsite and online to gather ideas on why online courses often have lower success than onsite courses. This research work leverages their responses, where the faculty provided details on their specific strategies to help their online students viz-a-viz offline study modes. These strategies touched on nearly every aspect of online instruction, including course design, resources for students, student characteristics etc. By sharing these strategies, other faculty can consider what might be impactful for their online classes and students, study the impact and continue to improve online education worldwide.

Keywords: Online learning; Student success; Teaching strategies; Online course design; Assessment.

Introduction

With the development of technology, India has witnessed an enhanced acceptance of online education over a period of few years. Many students and working professionals have joined different e-learning platforms in the past few years in order to enhance their skills. And, looking at trends, the number of people adopting online education platforms is expected to increase significantly in the near future.As per a report released by KPMG India and Google, Online Education in India: 2021, the market for online education in

1. Scholar, Sant Ramkrishna Kanya Mahavidyalaya, Balkeshwar, Agra

India is expected to witness a magnificent growth of eight times in three years, i.e., from USD 247 million in 2016 to USD 1.96 billion in 2021. Such high growth in online education market is projected to be the outcome of increased number of paid online education users from 1.57 million in 2016 to 9.5 million in 2021.

Survey feedback and interviews using a set of questions pivoting on "Shortcomings in Online Study Courses and Why Do Online Students Fail and How to Narrow their Success Gap" were conducted with a total of 1000 faculty members from school as well as University level institutions who had taught onsite and online courses. Several questions of the survey were open ended, allowing responding faculty to elaborate on their insights on why online student might struggle and how online education could be improved. Based on these open-ended responses, a variety of suggestions have been gathered on how online education could be improved. These ideas are presented below, organized by course design, resources for students, student characteristics, professor scheduling and teaching strategies, student engagement strategies, and assessments and plagiarism. Some suggestions were found to be applicable to faculty while others are more appropriate at the university level. The authors believe that the synthesis of these strategies could raise the bar of online education and help those students learn and succeed in their educational endeavours.

Course Design

(a) Interaction and Flexibility

Course design is an essential component for success in online learning environment. It is a key to eliminate adjournment and other related issues. There should be a strong look at how online courses are designed including daily, weekly or monthly structured assignments, and course management. Online courses with a dull routine - log in, post, do an assignment, post again, repeat each week, have limited the real potential of the online modality in helping faculty to teach effectively and students succeed academically. Among many others, the element of surprise, the unexpected, or thinking out of the norm, need to be part of a structure of online courses and the instructional pedagogy. Second, courses should be designed with a more interactive and flexible structure. The interaction should encourage students and faculty to interact on different aspects of the course material. Flexibility should be encouraged within assignments as well as within the formation of groups.

(b) Effective Online Course Design to Assist Students' Success

More than 2/3 of the participants a in recent study (Cherif et al., 2017; Cherif et al., 2019) perceived course design as one of the cornerstones in improving online education. While many of them did not provide clear ideas on how, and what, they assert that the existing forms of online course designs are not helping, and new alternatives must be found. Some other ideas for good practice in effective online course design to assist students' success in undergraduate education may include course designs that, (1) encourage contact between students and faculty, (2) develop reciprocity and cooperation among students, (3) encourage active learning, (4) emphasize time on task, (5) communicate high expectations, and (6) respect diverse talents and ways of learning.

(c) A Peer-Pop-up Window within Course Design

Several faculties in the survey noted their experience with a peer-pop-up window design in their online course design. This means that when a given student accesses the online course, a window pop-up allows them to interact with all the other classmates who are in the course at that time. This gives student the opportunity to communicate with others while they are all within the course and can discuss any aspect of the course on which they are working. Although, few faculties felt that some of their students found this annoying, but the others thought it was extremely useful and motivated them to often work longer then they originally planned on the course.

(d) "What", "Where", and "When" Vs. "Why" and "How"

Course designs could be structured such that it gives students basic information, such as —"What", "Where", and "When" then assignments and discussions could build on that information, focusing on the relationship between the "Why" and "How". This structure allows students the opportunity to transform knowledge into judgement and action. This could even include assignments or discussions requiring calculations or quantitative analysis to solving problems, requiring students to make and defend necessary assumptions.

Resources for Students

(a) Informing Students of the Credited Status of an Online Course

Since some programs will not accept online courses as requisites or prerequisites (especially for pre-medical or pre-engineering programs), students should be informed in advance whether the course they are taking will be accepted as credit in what they are planning to study, if taken online. For example, research indicates that —competitive law and medical schools

may be more hesitant to accept online courses than other disciplines (Friedman, 2016a), at least so far.

(b) Training on Online Learning Environment

Some faculty recommended having a free course on how to navigate and succeed in the school's online learning environment for students to take as part of the admission process and student recruitment strategies. A course like this could even help reduce students' anxieties, especially for those taking online classes for the first time. Some faculty even suggested that a course or set of courses such as this should be offered for high school senior students free of charge even before graduating from high school. It has been found that preparing and conducting free workshops on taking and succeeding in the online learning environment that can be offered one or two weeks before registration in each session does greatly assist in the easing the transition of students from onsite to online learning delivery. This is simply because they help students gain the study skills and confidence required for success not only in the online learning environment, but in higher education in all disciplines.

(c) Discipline-Dependent Digital Training

This would be a short course or training workshop that should be available for both teachers and students in online learning environments highlighting online resources and pitfalls. It should be free of charge, and discipline dependent. This means students need to take it every time they are scheduled to take a course in a different academic discipline. With such tools available for students, they will not only feel confident in learning, but also feel that a new world of opportunities has opened for them for ensuring success and increasing productivity.

(d) Time Allocation for Each Learning Task

It is a fact that today's learners (especially those online) connect to fast learning, and it is constrained by a lack of time which could easily lead to procrastination among those who lack self-discipline and time management. Identifying the average needed time to complete each given learning task and providing this information to students in advance, has been found greatly beneficial for students in planning their workload. Those faculty who used this Time Allocation approach in their online and onsite courses, stated that the strategy was very helped for their students in general, and especially those online. Faculty detected significant behaviour change in their students including an increase in on-time submission of assignments and weekly postings, and better grades in course assignments and quizzes.

(e) Pedagogical Course Conceptual Map

Literature has indicated that students who have a pedagogical course conceptual map in hand before starting a given course have a better chance in successfully completing and passing that course. The pedagogical course conceptual map shows students the conceptual terms (terms they will study), the procedures (how they are going to study them), the relationships between concepts and procedures, as well as how the relationship between the concepts and the procedures will be used to help them engage in learning, apply what they learn, and comprehend what they learn (McManamon et al., 2013). It also helps students to study and prepare for quizzes and exams.

Student Characteristics

(a) Helping Students to Become Self-Intentional Learners

Online students need to become ―self-intentional learners; goal-oriented, thinking constructively, beating back self-doubt, mastering the management of time and energy, and facing the challenges of today and tomorrow with great confidence. A course and/or a set of workshops can be designed and developed with these goals in mind and made available for online students free of charge. A version for faculty, counsellors, college and academic advisers should also be developed and implemented with recognition of mastery through a certificate of completion.

(b) Evidence of Past Course Success

When deciding whether given students are ready to take online classes or enroll in an online program, we should really look at their grades in completed courses rather than their IQ or standardized test scores. A study led by University of Chicago Nobel Prize-winning economist James Heckman, indicated that "colleges and employers interested in predicting the success of applicants would do better to look at a student's grades, which measure personality traits, like perseverance and attention to detail, more effectively than IQ and SAT tests. The research shows that personality and grades correlate more strongly with later measures of success and happiness than IQ."

(c) Have Necessary Digital Skills

Universities need to identify those digital skills that are needed for success in their online learning communities, including the overall online platform and any software or hardware required by courses in different programs. Students need to have both the hardware necessary, a computer with enough speed and storage, reliable internet access, and now how to use them mechanically, cognitively, and pedagogically. If students are required to use

cloud technology to store and retrieve their work and information, they need to know not only how to use the selected cloud but also how to trouble-shoot any difficulties they might encounter during the academic semester.

Professors: Scheduling, Training, Teaching Strategies

(a) Teaching the Same Course Onsite and Online at the Same Semester

When possible, require faculty who teach onsite also teach the same course(s) online in the same semester. This approach has been found to be very productive and successful for both students online and onsite. But most of all it has been found to be extremely useful for faculty to use what they encounter and learn in their onsite classes to enhance their online classes and vice versa.

(b) Using Research-Based Findings in Online Learning

Online faculty should be encouraged to actively seek research-based findings to improve online teaching and learning in general and in their own discipline. These findings can also be used by universities to transform those research-based principles into actionable learning goals and apply them in program and course design and development, as well as in implementing and evaluating those programs and courses.

(c) Blending Academic Expertise and IT Experience

Faculty in general and online instructors need to be experts both in their academic specialty, and in the use of instructional technology. It is not enough to know how to use technology to facilitate weekly discussions, respond to students' academic questions, or edit the weekly lecture. Today's online faculty need to be confident about their mastery of instructional technology and their ability to overcome setbacks that they and their students might encounter in dealing with technology. In this way, faculty can effectively and efficiently help their students to learn through technology.

Conclusion

Online programs and courses have many similarities and challenges. Mitigating those challenges for online students is the goals of many universities and faculty. The ideas presented in this paper can start the conversation among faculty at many universities as they consider which of these or which combination of these will be most effective for their group of students in their disciplines. As universities have already experienced, there is no one strategies that makes online courses successful in all disciplines and programs. By starting and continuing this conversation with these ideas, the

entire field can move forward for students. These ideas can be tried, tweaked, and tested in the future. New horizons may develop and continuing to develop lists of ideas and strategies can help all faculty and universities stay focused on striving to provide their students the best combination of strategies. In this way, online courses and programs will continue their growth, allowing quality educational opportunities for more and more individuals worldwide. Educators, faculty, and instructors need to remember the power of simplifying things by focusing on what is important for students to learn and communicate it in a way student can understand. Education is the greatest and most effective equalizer in a given society; regardless of geographical location, economic and social status, race, culture, and/or gender, it is here in education that one can see a chance for a better order of things. It is the key to accessing opportunity and getting ahead by giving young people a leg up on life (Prensky, 2010). Online education when it is done right, has made opportunities such as these more universally accessible. Creating more effective online teaching strategies for all instructors improves the educational opportunities for student around the world.

Reference

Cherif, Movahedzadeh, F., Adams, M., M., Harris, J. and Gialamas, S. (2019). Faculty perspectives on narrowing the success gap between online and onsite learning. Research Journal of Education, 5(8): 128-42.

Cherif, Martyn, M., Adams, G. and Movahedzadeh, F., 2017. "Raising the bar to narrow the success gap between online and onsite learning." In Conference Presentation at 2017 HLC Annual Conference – March 31-April 4, 2017 – Chicago, Illinois, U.S.A.

Prensky, M. (2010). Teaching digital natives: Partnering for real learning. Corwin: Thousand Oaks, California.

McManamon, J., Nottingham, D., Murphy, M., Cherif, A. and Aron, R., 2013. "Integrated mathematics course design, learning strategies and assessment model." In Presentation at the 2013 CITE Annual Conference, Center for Innovative Technology in Education. JW Marriott Chicago, Chicago Illinois, April 2 – 4, 2013.

Friedman, J. (2016a). What grad schools think of your online bachelor's degree. US. News. Available: http://www.usnews.com/education/online-education/articles/2016-08-01/what-grad-school-admissionsofficers-think-of-online-bachelors-degrees

Effectiveness of Modified Dual Axis Knee Brace in case of Genu Recurvatum - A Case Report

Minakshi Behera [1], *Mohit Gupta* [2] & *Feeba Jacob* [3]

Abstract

Genu Recurvatum is a deformity of knee joint that tends to push it backwards by excessive extension in tibiofemoral joints. This poses a significant challenge because of technical difficulties and a high incidence of recurrence. Knee braces are used to improve genu recurvatum, but evidence is limited concerning their effectiveness. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of changing the Hyperextension angleand pain of Modified Dual Axis Knee Brace on genu recurvatum patient. A 19-years-old boy diagnosed with right side genu Recurvatumwas fitted with a modified dual axis knee brace to reduce the knee hyperextension angle and to reduce the knee pain. The medio-lateral radiographs were analysed for measuring the knee hyperextension angle. After the fitment of orthosis for 2 months the subject was assessed and the knee hyperextension angle was check with the help of goniometer and the pain with the help of numeric rating scale. After the fitment of Modified Dual Axis Knee Brace for person with knee hyperextension may help in reducing the hyperextension angle of knee and pain, whereas increasing the walking ability. Modified Dual Axis Knee Brace is an effective knee brace for treatment of Genu Recurvatum. However, a further analysis including a greater number of patients and revision follow- up is necessary for generalizing this study.

1. Assistant Professor (P&O), NIEPMD, Chennai.
2. Demonstrator (P&O), AIIPMR, Mumbai.
3. Scholar, BPO, ISHWAR Institute of Prosthetics and Orthotics, Chennai.

Key Words: Genu recurvatum, modified dual axis knee brace, NRS-11, pain.

Introduction

Genu recurvatum is a deformity in the knee joint, so that the knee bends backwards. In this deformity, excessive extension occurs in the tibiofemoral joint. Genu recurvatum is also called knee hyperextension and back knee. This deformity is more common in women and people with familial ligamentous laxity[1]. Hyperextension of the knee may be mild, moderate or severe. Genu Recurvatum can be caused by several causes. These include muscle weakness, especially of the muscles in the top of the thigh (quadriceps), it can be due to injury, or it can occur due to the shape of one's bones at their knee. Genu recurvatum is hyperextension of the knee of more than 5°, in which the ground reaction force line is anterior to the knee axis[2].

Depending on the aetiology of Genu recurvatum, treatments include physical therapy, functional methods of electrical stimulation or electro goniometric feedback[3, 4], botulinum toxin A injection in cases in which Genu recurvatum is due to spasticity[5,6], orthoses, such as ankle foot orthoses (AFOs)[7,8], knee-ankle-foot orthoses (KAFOs)[2], knee orthoses (Swedish knee cages)[9] or hinged soft knee orthoses[10], orthopaedic surgery[11], or selective tibial neurotomy[12] .Making clinical decisions in Genu recurvatum is difficult because of the wide range of aetiologies. Step-by-step analysis can be useful to define the main cause of Genu recurvatumand choose the best treatment[13]. Studies on orthotic devices for Genu recurvatum have been conducted on AFO and KAFO users[2], the use of knee orthoses (Swedish knee cages) has been assessed[14], and the effectiveness of AFOs vs KAFOs has been compared[15,16]. To assess the effectiveness of KAFO treatment, some authors have analysed the improvement in gait parameters[15–19], while others have studied energy savings[7, 20–23].
A modified dual axis knee brace is a new idea with dual axis knee mechanism. The orthosis fits to the contour of the thigh and leg this dual axis joint allow each other from extension to flexion There is no chance of slippage. This also protect knee from varus and valgus force. It is light in weight and comfortable to be because its flexibility the design is simple and cost effective.

The Aim of the study was to design and fabricate the new design modified dual axis knee brace for the correction of genu recurvatum. Objective was to

know the effectiveness of modified dual axis knee bracein case of Genu recurvatum in terms of reduction of knee hyper extension angle, and Pain.

Material and Method

A sample convenience of one patient (age 19 years) with right side genu recurvatum took part in thisstudy. The patient was recruited from Chennai, India. The age, gender and otheranthropometric data were collected from thepatient. A detailed explanation of the studywas given to patient, after he signed on aninformed consent form.The aetiology of knee hyperextension was congenital. The patient bears pain before the study. The patient was instructed to wear the orthosis as much as possible at the time of walking or about 12 hours/day. The knee brace was taken off every 1 to 2 hours for strengthening exercises of lower extremities. The subject was assessed and the following parameters were taken for knowing the effectiveness of the knee brace: Knee hyperextension angle and pain. After using the knee brace for 2 months we had done the data analysis.

Fabrication procedure of the Modified dual axis knee brace

Casting and rectification of thepositive mold was done as per the principleof fabrication of knee braces.Components of the knee brace (Figure 1) werealigned with concept of 3 point force system. Two posteriorly directed forces through anterior thigh and leg shell. One anteriorly directed forces through posterior flexible band.This design prevents hyperextension of knee. Various straps & Drings were attached for snug fitment of the knee brace.

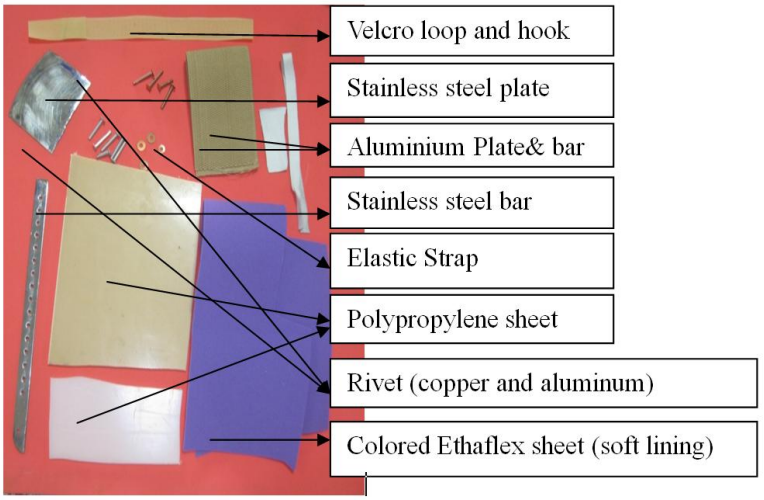

FIGURE 1: Components of the Modified dual axis knee brace

FIGURE 2: Modified dual Patient with right knee Hyperextension degrees Axis knee brace before (A) and after (B) fitment of brace

Assessment

To calculate the Knee hyperextension angle using Goniometer, we measured the angle formed by lines drawn to bisect the greater trochanter to lateral epicondyle and from epicondyle to lateral malleolus. Knee hyperextension angle was obtained through radiographic measurements before and after the use of modified dual axis knee brace.

Pain:
The pain felt during walking was recorded by an 11-point numeric rating scale (NRS-11). [24] It consists of pain intensities, which range from 0 to 10, reflecting an increase in pain.

RESULT

Knee hyperextension measurements were made with traditional goniometers. The knee Hyperextension before orthosis was 30 degrees whereas the post orthosis knee hyperextension was 5 degrees. Pain assessments were measured with 11-point numeric rating scale (NRS - 11). Pain score 8 was found in pre-test which decreases to 4 after intervention of the knee brace.

Table 1: Summary of clinical data

Subject	Age/ Sex	Side	Hyperextension Angle of knee		Pain Assessment		Duration of Orthosis
			HAKB	HAKA	PAB	PAA	
1	19/M	Rt. Side	30	5	8	4	2 Months

Abbreviations:

HAK: Hyperextension Angle of Knee, HAKB: Hyperextension Angle of Knee Before intervention, HAKA: HyperextensionAngle of Knee After intervention, PA: Pain Assessment,PAB: Pain Assessment Before intervention,PAA: Pain Assessment After intervention.

Disussion

This study was set out to evaluate the effect of modified dual axis knee brace on Hyperextension angle and Pain in subjects suffering from Genu Recurvatum. It was hypothesized that there may be a significant effect of Modified Dual Axis Knee Brace on Hyperextension Angle and Pain in case in Genu Recurvatum.

A significant decrease in knee hyperextension (the primary outcome measure) during the stance phase of gait confirms that the modified dual axis knee brace was indeed effective in controlling excessive genu recurvatum.

The 3-point force system of the orthosis controls hyperextension of knee and maintained the knee in pre flexed position by the anteriorly directed force of posterior cuff shell / flexible band and posteriorly directed by the anterior thigh shell and leg shell.

The Present design is more physiological as it provides opportunity for free swing in gait cycle and also subjects have demonstrated success in using Dual Axis Orthotic knee and also subjects being stable, secure and comfortable.

This knee brace is weight less (670 gm) as compare to the conventional knee brace (1050 gm). From the result it observed that there was significantly more pain reduced and walking ability improved by using Dual Axis Knee Brace and patient walk in Natural Gait.

Subjective evaluation demonstrated that the orthosis was comfortable, cosmetically highly acceptable, allowing natural swing. The only disadvantage being donning and doffing at first time use, but we found it is comfortable after repeated use within a week.

Conclusion

The Modified Dual Axis Knee Brace is an effective, light weight and low-cost method for treatment of genu recurvatum. Result of the study suggested that there are statistically significant a change is found in Hyperextension Angle and Painwhile using Modified Dual Axis Knee Brace. Hence it can be concluded that Modified Dual Axis Knee Brace can be used as an effective knee brace for treatment of Genu Recurvatum. However, a further analysis including a greater number of patients and revision follow- up is necessary for generalizing this study.

References

Benson, Michael; Fixsen, John; Macnicol, Malcolm (1 August 2009). Children's Orthopaedics and Fractures. Springer. pp. 495–. ISBN 978-1-84882-610-6. Retrieved 29 July 2011.

Appasamy M, De Witt ME, Patel N, Yeh N, Bloom O, Oreste A. Treatment strategies for genu recurvatum in adult patients with hemiparesis: a case series. PM&R 2015; 7: 105–112.

Hogue R, McCandless S. Genu recurvatum: auditory biofeedback treatment for adult patients with stroke or head injuries. Arch Phys Med Rehabil 1983; 64: 368–370.

Stanic U, Acimović-Janezic R, Gros N, Trnkoczy A, Bajd T, Kljajić M. Multichannel electrical stimulation for correction of hemiplegic gait. Methodology and preliminary results. Scand J Rehabil Med 1978; 10: 75.

Novak AC, Olney SJ, Bagg S, Brouwer B. Gait changes following botulinum toxin A treatment in stroke. Top Stroke Rehabil 2009; 16: 367–376.

Pradon D, Hutin E, Khadir S, Taiar R, Genet F, Roche N. A pilot study to investigate the combined use of Botulinum toxin type-a and ankle foot orthosis for the treatment of spastic foot in chronic hemiplegic patients. ClinBiomech 2011; 26: 867–872.

Fatone S, Gard SA, Malas BS. Effect of ankle-foot orthosis alignment and foot-plate length on the gait of adults with poststroke hemiplegia. Arch Phys Med Rehabil 2009; 90: 810–818.

Esquenazi A, Ofluoglu D, Hirai B, Kim S. The effect of an ankle-foot orthosis on temporal spatial parameters and asymmetry of gait in hemiparetic patients. PM&R 2009; 1: 1014–1018.

Farncombe P. The Swedish knee cages. Management of the hyperextended hemiplegic knee. Physiotherapy 1980; 66: 33.

Portnoy S, Frechtel A, Raveh E, Schwartz I. Prevention of genu recurvatum in poststroke patients using a hinged soft knee orthosis. PM&R 2015; 7: 1042–1051.

Pinzur M, Sherman R, DiMonte-Levine P, Kett N, Trimble J. Adult-onset hemiplegia: changes in gait after musclebalancing procedures to correct the equinus deformity. J Bone Joint Surg Am 1986; 68: 1249–1257.

Caillet F, Mertens P, Rabaseda S, Boisson D. The development of gait in the hemiplegic patient after selective tibial neurotomy. Neurochirurgie 1998; 44: 183–191.

Bleyenheuft C, Bleyenheuft Y, Hanson P, Deltombe T. Treatment of genu recurvatum in hemiparetic adult patients: a systematic literature review. Ann Phys Rehabil Med 2010; 53: 189–199.

Bettoni E, Ferriero G, Bakhsh H, Bravini E, Massazza G, Franchignoni F. A systematic review of questionnaires to assess patient satisfaction with limb orthoses. ProsthetOrthotInt 2016; 40: 158–169.

Morinaka Y, Matsuo Y, Nojima M, Morinaka S. Clinical evaluation of a knee-ankle-foot-orthosis for hemiplegic patients. ProsthetOrthotInt 1982; 6: 111–115.

Morinaka Y, Matsuo Y, Nojima M, Inami Y, Nojima K. Biomechanical study of a knee-ankle-foot-orthosis for hemiplegic patients. ProsthetOrthotInt 1984; 8: 97–99.

Boudarham J, Zory R, Genet F, Vigné G, Bensmail D, Roche N, et al. Effects of a knee–ankle–foot orthosis on gait biomechanical characteristics of paretic and non-paretic limbs in hemiplegic patients with genu recurvatum. ClinBiomech 2013; 28: 73–78.

Kerrigan DC, Deming LC, Holden MK. Knee recurvatum in gait: a study of associated knee biomechanics. Arch PhysMedRehabil 1996; 77: 645–650.

Simon S, Deutsch S, Nuzzo R, Mansour M, Jackson J, Koskinen M, et al. Genu recurvatum in spastic cerebral palsy. Report on findings by gait analysis J Bone Joint Surg Am 1978; 60: 882–894.

Olney SJ, Monga TN, Costigan PA. Mechanical energy of walking of stroke patients. Arch Phys Med Rehabil 1986; 67: 92–98.

Zissimopoulos A, Fatone S, Gard SA. Biomechanical and energetic effects of a stance-control orthotic knee joint. J Rehabil Res Dev 2007; 44: 503.

Merkel K, Miller N, Westbrook P, Merritt J. Energy expenditure of paraplegic patients standing and walking with two knee-ankle-foot orthoses. Arch Phys Med Rehabil 1984; 65: 121–124.

Hachisuka K, Makino K, Wada F, Saeki S, Yoshimoto N. Oxygen consumption, oxygen cost and physiological cost index in polio survivors: a comparison of walking without orthosis, with an ordinary or a carbon-fibre reinforced plastic knee-ankle-foot orthosis. J Rehabil Med 2007; 39: 646–650.

Breivik EK, Bjornsson G, Skovlund E. A comparison of pain rating scales by sampling from clinical trial data. Clin J Pain 2000;16(1):22-8.

उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की प्रभाविकता

डॉ० सत्यवह द्विवेदी [1]

सार

शिक्षा एक जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है मनुष्य अपनी निरक्षरता को जीवन के किसी भी पड़ाव पर साक्षरता में अपने प्रयत्नों से बदल सकते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश में साक्षरता की स्थिति के सन्दर्भ में एक तुलनात्मक अध्ययन है।

साक्षरता का अर्थ है- पढ़ने लिखने की योग्यता जबकि अक्षरों का ज्ञान न होना निरक्षरता कहलाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं निरक्षरता एक अभिशाप है। यह गरीबी , बीमारी, बदहाली का एक बड़ा कारण है। इसके कारण समाज में अंधविश्वास, पिछड़ापन आदि को बढ़ावा मिलता है। हमारे समाज में कई तरह की रूढ़ियों, असमानताओं, कुप्रथाओं, लिंग-भेद, ठगी तथा शिक्षा के प्रति उदासीनता के कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग विकास के लाभ से वंचित रह जाता है , जिससे हमारा समाज सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन और बदहाली से निकल नहीं पाता। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक एवं आर्थिक विकास की कुंजी होती है। निरक्षरता उन्मूलन के प्रयासों के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों से देश में कुछ उपलब्धियां अवश्य परिलक्षित हुई है, इसके बावजूद आज भी निरक्षरता राष्ट्रीय परिदृष्य में सोचनीय बिन्दु के रूप में दिखायी दे रही हैं।

महात्मा गांधी ने कहा कि ''शिक्षा एक ऐसा साधन है जो राष्ट्र की सामाजिक- आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में जीवन्त भूमिका निभा सकती है। यह नागरिकों की विश्लेषण क्षमता के साथ-साथ उनका सशक्तीकरण करता है, उनके आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि करता है और उन्हे शक्ति से परिपूर्ण करता है एवं दक्षता बढ़ाने के लक्ष्य तय करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अध्ययन के अनुसार , दुनियांभर में करीब चार अरब लोग साक्षर है तो वहीं दूसरी तरफ अब भी 775 करोड़ लोग साक्षर नहीं है। इनमे से दो तिहाई महिलाएं हैं। लगभग तीन चौथाई निरक्षर आबादी दुनियां के सिर्फ दस देशों में रहती है। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो यह

1. एम0ए0, एम0एड0,पी0एच0डी0

भारत में वर्ष 2011 में बढ़कर 74.47 प्रतिशत तक पहुँच गई। इसमें से पुरूषों की साक्षरता दर 82.16 प्रतिशत रही है। वहीं महिलाओं के परिपेक्ष्य में साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत ही दर्ज की गयी हैं। लेकिन अब भी विश्व की औसत साक्षरता दर 84 प्रतिशत से काफी कम है।

भारत में साक्षरता अभियान का इतिहास अत्यन्त प्राचीन रहा है। भारत वर्ष में यह कार्यक्रम उन अनेक रूपों में आजादी से पूर्व व बाद में भी संचालित होता रहा जिससे हमारे देश में आजादी पाने के बाद से बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक प्रगति हुई है लेकिन साक्षरता की बात करें तो हम आज भी कई देशों से पीछे हैं। यह ठीक है कि आजादी के समय से ही दे श की साक्षरता बढ़ाने के लिए कई कार्य किये गये और बहुतायत कार्यक्रम बनाये गए पर आशातीत सफलता नहीं मिली।

सारणी संख्या: 1

स्वतंत्रता पश्चात भारत तथा उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर (प्रतिशत में)

जनगणना वर्ष	जनसँख्या का आयु वर्ष	साक्षरता का प्रतिशत (भारत)			साक्षरता का प्रतिशत (उत्तर प्रदेश)		
		कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
1951	5 वर्ष और उससे ऊपर	18.33	27.16	8.86	12.02	19.2	4.1
1961	5 वर्ष और उससे ऊपर	28.30	40.40	15.35	20.87	32.1	8.4
1971	7 वर्ष और उससे ऊपर	34.45	45.96	21.97	23.99	35	11.2
1981	7 वर्ष और उससे ऊपर	43.57	56.38	29.76	32.65	46.7	16.7
1991	7 वर्ष और उससे ऊपर	52.21	64.14	39.29	47.7	54.8	24.4
2001	7 वर्ष और उससे ऊपर	68.43	75.26	53.67	56.27	67.30	43.00
2011	7 वर्ष और उससे ऊपर	73	80.9	64.6	67.68	77.28	51.35

उपरोक्त सारणी संख्या 1 से स्पष्ट है कि 1951 में जहां सम्पूर्ण राष्ट्र की साक्षरता दर 18.33 प्रतिशत थी वहीं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 12.02 प्रतिशत थी जो कि काफी कम थी। इस प्रकार से यदि हम पिछले तीन दशकों में देखे तो वर्ष 1991 में जहां भारत की साक्षरता दर 52.21 प्रतिशत, वर्ष 2001 में 64.83 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 73 प्रतिशत थी। इससे स्पष्ट है कि साक्षरता की स्थिति में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि उस प्रगति को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारे समक्ष ऐसे भी प्रदेश है जिन्होंने ढाई दशक की अवधि में राष्ट्रीय साक्षरता दर से भी अधिक साक्षरता लक्ष्य हासिल किया है। इसी साक्षरता के कारण अन्य क्षेत्रों में प्रगति करके देश को शक्तिशाली बना रहे हैं।

बढ़ती हुई जनसंख्या दर के बाद भी साक्षरता दर में वृद्धि यह प्रदर्शित करती है कि यह प्रगति साक्षरता के सतत प्रयासों के फलीभूत ही आयी है तथा निश्चित ही इसने देश और प्रदेशों में विविध प्रकार के बहुआयामी बदलावों को गति प्रदान की है।

उत्तर प्रदेश में साक्षरता कार्यक्रम-ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत साक्षरता मिशन के अन्तर्गत चलाई गयी परियोजनाएं इस प्रकार हैं:-

1. सम्पूर्ण साक्षरता अभियान (1996-1998)

यह अभियान समयबद्ध था और निर्धारित क्षेत्र में स्वैच्छिक सहयोग के आधार पर चलाया गया। इसमें साक्षरता व अंक ज्ञान के आधार पर आधारित पाठ्यक्रम में कार्यात्मक साक्षरता तय करने पर बल दिया जाता था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 से 35 आयु वर्ग के प्रौढ़ निरक्षरों के अभियान पद्धति से प्रेरित कराकर साक्षर बनाने का कार्य स्वयं सेवी कार्यकर्ताओं के सहयोग से संचालित किया गया। उन आन्दोलन के रूप में परिलक्षित होने वाले इस कार्यक्रम के संचालन के अन्तर्गत वातावरण निर्माण , निरक्षरों की पहचान, स्वयं सेवी समूहों , संदर्भदाताओं, प्रशिक्षकों के चयन , प्रशिक्षण-निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन आदि का कार्य किया गया। तीन प्रवेशिकाओं-जन साक्षरता प्रवेशिका I, II, III के लिए 60 घण्टे की अध्ययन अवधि के बाद निरक्षरों का आन्तरिक एवं वाह्य मूल्यांकन किया गया , जिसके लिए निर्धारित 18 माह बाद उत्तीर्ण होने वाले को नव साक्षर माना गया।

2. उत्तर साक्षरता कार्यक्रम (1996-2002)

नव साक्षरों द्वारा संपूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अंक ज्ञान व अक्षर ज्ञान को स्थाई बनाए रखने के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम की अवधि 1 वर्ष रखी गई। इसका उद्देश्य नव साक्षर द्वारा सीखे गये ज्ञान को बनाए रखना , उसमे सुधार लाना और अध्ययन की प्रवृत्ति को लगातार विकसित करने हेतु जीवनपयोगी बातें जैसे स्वास्थ्य , पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण व आर्थिक विकास जैसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना था। उत्तर साक्षरता कार्य क्रम के अन्तर्गत नव साक्षर को उत्तर साक्षर प्रवेशिका का अध्यापन 40 से 60 घण्टे तक कराने का प्रावधान था। नव साक्षरों को आत्मनिर्भर बनाने एवं साक्षरता के उपादानों को उनके जीवन का अंग बनाने हेतु कौशल विकास के अनेकानेक कार्यक्रमों से जोड़ा गया ताकि वास्तविक रूप में साक्षरता उनके जीवन के दैनिक कार्यक्रम का अंग बन सके।

3. सतत शिक्षा कार्यक्रम (2002-2009)

उत्तर प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम अभियान एवं उत्तर साक्षरता अभियान की संपूर्णता एवं संप्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए सतत शिक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर चुके साक्षरों के सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर वाचनालय संचालित किये गये , जिसमें उनका अर्जित ज्ञान और उनकी कुशलताओं में अपेक्षित संप्राप्ति हो सके। सतत शिक्षा केन्द्रों पर मुख्य रूप से दो प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती थी। प्रथम सतत शिक्षा केन्द्रों पर लक्ष्य आधारित कार्यक्रम के अन्तर्गत बुनियादी शिक्षा प्राप्त कर चुके साक्षरों हेतु सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कर वाचनालय चलाए गये जिससे उनके अर्जित ज्ञान और कुशलताओं में वृद्धि हो सके। सतत् शिक्षा के न्द्रों पर मुख्य रूप से दो

प्रकार की गतिविधियां आयोजित की गई- प्रथम सतत शिक्षा केन्द्रों पर सामान्य गतिविधियां और चुने हुए सतत शिक्षा केन्द्रों पर लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियाँ।

4. साक्षर भारत अभियान (2009-31 दिसम्बर 2017)

अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितम्बर 2009 को साक्षर-भारत अभियान कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। मिशन 3 आर अर्थात पढ़ना, लिखना और गणना पर आधारित था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जीवन पर्यन्त शिक्षा कार्यक्रम अपने आप में विशिष्ट कार्यक्रम था। इस कार्यक्र म की प्रभाविकता को इस प्रकार व्यक्त किया गया है कि सीखना एक ऐसी व्यवस्थित एवं सुविचारित प्रणाली है जिससे नव साक्षर न सिर्फ अपने साक्षरता के स्तर को बनाए रख सकता है बल्कि साक्षरता से प्राप्त कौशल का उपयोग अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को निपटाने में भी समर्थ हो सकता है। इसके द्वारा नव साक्षर मार्ग निर्देशित शिक्षण से शिक्षक की ओर बढ़ता है। साक्षर भारत कार्यक्रम को पंचायत स्तर पर संचालित करने के लिए लोक शिक्षा केन्द्रों की भूमिका मुख्य है। यह साक्षर भारत कार्यक्रम के ढांचे की सबसे छोटी एवं महत्वपूर्ण इकाई है।

स्पष्ट है कि निरक्षरता के अन्धेरे को दूर करने के लिए तथा करोड़ों लोगो के हृदय में आशावाद का दीप जलाने के लिए साक्षर भारत अभियान सम्पूर्ण भारत के पटल पर एक साथ प्रारम्भ किया गया और इसके सार्थक परिणाम भी प्राप्त हुये।

साक्षरता अभियान का उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर पर प्रभाव

साक्षरता अभियान के अन्तर्गत चलाये गये कार्यक्रमों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर में तेजी से बदलाव आये। साक्षर भारत अभियान से साक्षरों को अपने कौशल के विकास में सफलता मिली जिसका परिणाम है सकारात्मक सोच एवं साक्षरता के प्रति उनके दृष्टिकोण में अपेक्षित बदलाव, जिसने कि साक्षरता दर में शनैः शनैः वृद्धि को आत्मसात किया।

सारिणी 2

राष्ट्रीय साक्षरता दर की तुलना में उत्तर प्रदेश की स्थिति (2011 के अनुसार)

क्रम सं०	साक्षरता	भारत के परिपेक्ष्य में	उत्तर प्रदेश के परिपेक्ष्य में
1	कुल	73.00:%:	67.68:%:
2	पुरुष	80.90:%:	77.28:%:
3	महिला	64.60:%:	51.56:%:

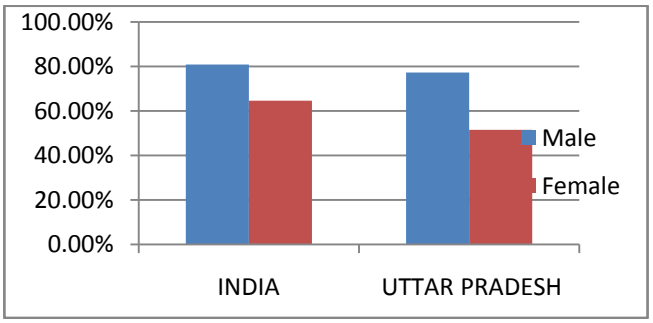

सारिणी 2 से ज्ञात होता है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 प्रतिशत है जो देश की साक्षरता दर 73 प्रतिशत से 5.32 प्रतिशत कम है। लेकिन साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के उन रा ज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों में शामिल है, जिनकी साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से कम है। उत्तर प्रदेश में पुरूष साक्षरता दर देश की औसत से लगभग 2 प्रतिशत कम है, जबकि महिला साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश देश की औसत महिला साक्षरता दर से लगभग 13 प्रतिशत कम है जो कि यह प्रदर्शित करता है कि उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता अभी भी राष्ट्रीय औसत महिला साक्षरता से काफी कम है। इस हेतु विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। साक्षर भारत अभियान विशेष रूप से महिला साक्षरता दर में राष्ट्रीय औसत महिला साक्षरता दर के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अभी भी आवश्यक है।

सारणी क्रमांक 3

तीन दशकों में उत्तर प्रदेश की तुलनात्मक स्थिति

क्रम सं०	वर्ष	प्रति व्यक्ति औसत	पुरुष	महिला
1	1991	47.70%	54.80%	24.40%
2	2001	56.27%	67.30%	43.00%
3	2011	67.68%	77.28%	51.26%

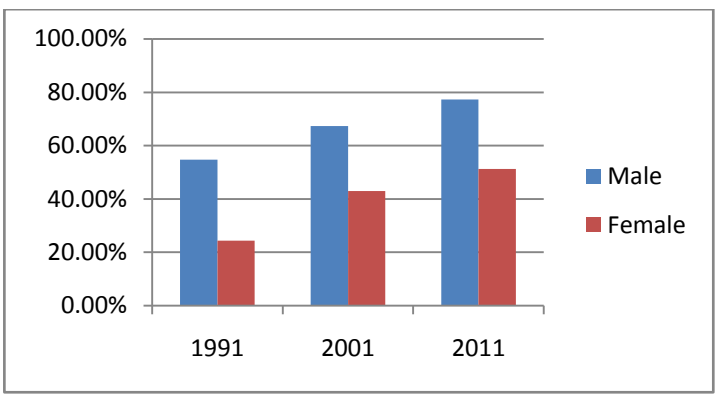

सारणी संख्या 3 से स्पष्ट है कि पिछले तीन दशकों 1991, 2001 व 2011 में साक्षरता दर क्रमशः 47.7 प्रतिशत, 56.27 प्रतिशत तथा 67.68 प्रतिशत रही है। प्रत्येक दशक में करीब 10 प्रतिशत साक्षरता दर में वृद्धि होती आयी है जो कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए चलाये गये कार्य क्रमों का प्रतिफल है। किन्तु सारणी संख्या 3 से यह भी दृष्टिगत होता है कि तीन दशकों में महिला साक्षरता दर की स्थिति पुरूषों की तुलना में काफी कम रही है। यदि हम महिला साक्षरता दर 1971 में देखें तो 24.47 प्रतिशत थी। 2001 में जहां महिला साक्षरता दर 43 प्रतिशत थी, वह 2011 में बढ़कर 51.24 प्रतिशत हो गई जो कि करीब 8.24 प्रतिशत अधिक है। निःसंदेह यह महिलाओं में शिक्षा के प्रति आई जागरूकता का परिणाम है। अभी महिला साक्षरता के क्षेत्र में काफी प्रयास किया जाना बाकी है, परन्तु यदि हम समग्र रूप में देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि साक्षरता के लिए चलाये गये अभी तक के सभी अभियान इस क्षेत्र में काफी

लाभकारी सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों में शिक्षा का प्रसार पर्याप्त मात्रा में हुआ है। यहां के लोगों में जागरूकता, आधुनिक सोच, सामाजिक आर्थिक विकास का उच्च स्तर, रोजगार के बढ़ते अवसर साक्षरता में वृद्धि के लिये उत्तरदायी है।

सन्दर्भ सूची

Agarwal, M.K. (2013). Uttar Pradesh Ka Arthik Vikas, New Royal Book, Company, ISBN 978818926787

Arnove, R.F., Graff, H.I. (2011). National Literacy Campaign N.D. Historical and comparative perspective,' springer science Business Media, L.L.C.

Dr. Pramod Kumar Tripathi (2013). A study of classroom verbal Behaviour Pattern of secondary school social science teacher (Thesis)

Dr. Satyavah Dwivedi (2007). A Comparative study of Attitude of working and non working educated rural and urban women towards total literacy compaigon (Thesis).

Kumar, Ajay. (2002). Total Literacy Campaign, A Failed Development, Discourse. Mainstreme.

Sandeep Kumar Baliyo, S.K. (2016). Status & Trend of Literacy in India: Demographic change and Growth of Population in U.P. International Journal of Sociology Science and Management Vol. 3 Issue-4

Singh, Madan. (2008). Bharat mein Siksha Ke Badhte Kadam Granth Academy, New Delhi, Nurul Printers, Delhi.

Vanlalecha wna (2006). Higher education in North East India: Unit cost analysis, Mittal Publication, ISBN 81-8324-0569.

Role of Venture Capital funded Start-ups in Entrepreneurial Development in India

Dr. Sanjeev Gupta [1]

Abstract

In our country where technically or managerially qualified young persons are seekers of jobs in government or corporate sectors and are in state of oversupply, culture of Startups needs to be promoted at vast level. While the government both at the centre and in the states are initiating efforts for startup culture to grow, involvement private sector venture funds is also essential for this. Banks and traditionally financial institutions are not willing to provide credit for innovative but risky ideas. They provide credit for traditional businesses but VCs funds are tuned for extending risk capital to young, new, inexperienced but enterprising young man with innovative ideas which may be converted into viable business plan. Thus Venture capital is an important source of equity for start-up firms/companies.

Key Words: Venture Capital, Equity

Introduction

A startup company (startup or start-up) is an entrepreneurial venture which is typically a newly emerged, rapidly-growing business that aims to meet a market need by developing or offering an innovative and extraordinary product, process or service. A startup is usually a company such as a small business, a partnership or an organization deliberately designed to rapidly develop a commercially viable business model. More often than not, startup companies deploy technologies, such as Internet, e-commerce, computers, telecommunications, or robotics to make a niche for them in the market.

1. Associate Professor, Dept. of Commerce, DSMNR University, Lucknow.

These companies are generally involved in the design and implementation of the innovative and out of the box processes of the development, validation and research for target markets. While start-ups do not only operate in technology realms, the term became internationally widespread during the dot-com bubble in the late 1990s, when a great number of Internet-based companies mushroomed.

Definition of Start-up

The May, 2013 issue of Havard Business Review puts a definition for start-up "Start-up is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model". Paul Graham, Founder of Yahoo! Believe that, "a start-up is a company designed to grow fast. Being newly founded does not in itself make a company a start-up. Nor is it necessary for a start-up to work on technology, or take venture funding, or have some sort of "exit". The only essential thing is growth. Everything else we associate with start-ups follow form growth"

Steve Blandk and Eric Ries explaines start-ups as –"Start-up is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model"

Statutory Definition in India

Startup Definition (As defined by DIPP) Startup means an entity, incorporated or registered in India**:**

1. Not prior to seven years, however for Biotechnology Startups not prior to ten years
2. With annual turnover not exceeding INR 25 crore in any preceding financial year
3. Working towards innovation, development or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation.

Provided that such entity is not formed by splitting up or reconstruction, of a business already in existence. Provided also that an entity shall cease to be a Startup if its turnover for the previous financial years has exceeded INR 25 crore or it has completed 7 years and for biotechnology startups 10 years from the date of incorporation/ registration. Provided further that a Startup shall be eligible for tax benefits only after it has obtained certification from the Inter-Ministerial Board, setup for such purpose.

Stages of the startup lifecycle

Pre Start-up

Discovery- Identify a potential scalable product/service idea for a big enough target market.

Validation- The service or product discovered hits the market, looking for the first clients ready to pay for it.

Start-up

Efficiency -The entrepreneur begins to define his/her business model and looks for ways to increase customer base constantly.

Scale- Pushing the growth of the business aggressively while increasing its capacity to grow in every possible sustainable manner.

Growth

Maintenance- Maximizing benefits and facing problems derived from the global dimension in terms of competition that the business has achieved Sale or Renewal - The decision to sell the startup to a giant or acquire huge resources that the brand will need to continue growing as a venture.

Startup financing lifecycle

Figure 1 Start-up Funding process

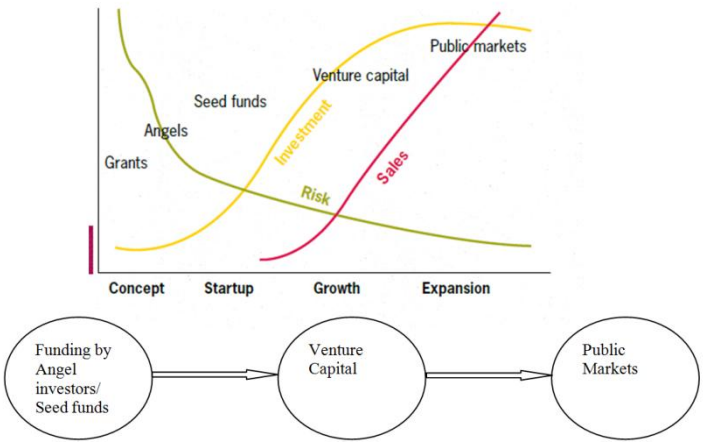

Recent Government Measures for Promoting Start-ups in India

1. **Compliance Regime Based on Self-Certification**
   a. Startups falling under the list of 36 "white" category industries will not require
   b. Environment clearance under 3 Environment related Acts

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) has issued advisory to allow startups to self-certify compliance for a period of 1 year with the

a. Apprenticeship Rules, 1992 of Apprenticeship Act 1961
b. As per the advisory issued by Ministry of Labour & Employment (MoLE) on 12.01.2016, Startups may self-certify compliance under 6 Labour Laws.

2. Start-up India Hub

a. Startup India hub was operationalized on 1st April, 2016 to resolve queries and provide handholding support to Startups.
b. To seek clarifications pertaining to Certificate of Recognition as a "Startup", Certificate of Eligibility to avail tax benefits, seeking information on incubators or funding, one can get in touch with the Hub on Toll- Free number: 1800115565 or Email ID: dipp-startups@nic.in.

3. Patent Benefits

A Panel of 423 facilitators for patent and design applications and 596 facilitators for Trademarks applications has been constituted for assistance in filing Intellectual Property (IP) applications and to fast track the process of patent filing and acquisition. DIPP bears the facilitation cost on behalf of Startups and also provides rebate in the statutory fee for filing application.

4. Relaxed Norms of Procurement

To create a conducive ecosystem for growth of Startups and provide an equal platform to Startups vis-à-vis the experienced entrepreneurs/companies in public procurement, relaxed norms of public procurement for micro and small enterprises have been provisioned in the Procurement Policy of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME).

5. Tax Benefits

a. Tax Exemption

The Finance Act, 2016 had made provision for Startups to get income tax exemption for 3 years in a block of 5 years, if they are incorporated between 1st April 2016 and 31st March 2019. In the Union Budget 2017-18, the Government has increased this period of profit-linked deductions available to the eligible startups to 7 years.

b. Tax Exemption on Capital Gains

Section 54 EE has been introduced under the Finance Act, 2016 which provides for exemption of capital gain up to INR 50 lakhs arising out of transfer of long term capital asset invested in a fund notified by Central Government.

c. Removal of Angel Tax

Tax exemptions on investments above Fair Market Value have been introduced on 14 June 2016 for investments made in Startups.

6. Fund of Funds For Start-up (FFS)

A 'fund of funds' of INR 10,000 crores to support innovation driven Startups has been established which is being managed by SIDBI. The corpus shall be released over two Finance Commission cycles, by 2025. FFS invests in SEBI registered Alternative Investment Funds (AIFs) which, in turn, will invest in Startups.

7. Learning & Development Module

Startup India has launched an interactive online learning and development module to educate Startups and aspiring entrepreneurs, through various stages of their entrepreneurial journey.

8. Atal Innovation Mission

The guidelines for harnessing private sector expertise to set up incubators, organizing annual grand challenge for innovative solutions to problems faced by industry and those posed by Ministries

a. Establishment of Tinkering Labs

As per the Startup India Action Plan, 500 Tinkering Labs are to be established. NITI Aayog has selected 941 schools for establishing Tinkering Labs. Of the 457 selected in FY2016- 17, 374 Tinkering Labs have received a Grant-in-Aid of INR 12 Lakh each.

b. Establishment of Incubators

New incubation centers will be established under Atal Innovation Mission across India through financial support. The incubators would provide necessary infrastructure and assistance to Startups in their early stages of growth.

A grant-in-aid of INR 10 Crore is provided to each Established Incubator Centre (EIC) for a maximum of 5 years to cover the capital and operational costs in running a centre. Established incubators have received the scale-up grant of INR 2.5 Crore as first installment. The second round of screening and selection of

Atal Incubation Centres (AICs) and Established Incubation Centres (EICs)

c. **Research Parks**
The objective of setting up Research Parks is to propel successful innovation through incubation and joint Research and Development (R&D) efforts between academia and industry.

d. **Technology Business Incubators (TBIs) and Start-up Centres**
The objective is to propel successful innovation through augmentation of incubation and
R& D efforts. 15 TBIs and 15 Startup centers are being set up.

e. **Ucchatar Aavishkar Yojana**
The objective of UAY is to promote industry and outcome-oriented research projects by students. INR 475 crore for 2016-18 has been earmarked under UAY

9. **Nidhi (National Initiative for Development & Harnessing Innovations)**
The 8 components under NIDHI would provide a range of funding support to Startups from idea to market.

10. **Faster Exit for Start-up**
The Insolvency and Bankruptcy Board of India has been constituted and the provisions regarding corporate insolvency resolution have been implemented on 1st December, 2016.

11. **States With Start-up Policies**
Eighteen States viz. Gujarat, Madhya Pradesh, Karnataka, Telengana, Jharkhand, Uttar Pradesh,Odisha, Chhattisgarh, Bihar, West Bengal, Uttarakhand, Andhra Pradesh, Rajasthan, Kerala, Goa, Haryana, Assam and Punjab have formulated Startup Policies since October 2014.

Present position and prospects of Start-ups in India

At present, India has about 30000 start-up employing about 3.5- 4 lakhs people and every year 5to 6 thousands such ventures are spurting. Start-ups in India are mainly concentrated in Mumbai, Hydrabad, Bangluru, Delhi NCR, Channai & Pune. Start-ups have been established in India in diverse field such as E-commerce, consumers services, health –Tech, edu-Tech and analytics. There are nearly 200 hundred active Venture capitalists/private equity investors, more than 300 angel investors and 125 incubators catering to start-ups in India. During year 2017, about 13.65 billion US dollar funds were received by Start-Ups. It is expected that by 2025 there shall be more than 1 active lakhs start-ups in India employing about 32 lakhs people. Centre's start-up India policy coupled with policies of various states, IT

initiatives, success of well known start-ups etc have enthused more people going for start-ups.

Problems and challenges of Start-up

1. The major problem of start-ups is that their mortality rate is very high. About 60% of them fail. Most of the new start-ups do not scale up or get a market as they are started by first time entrepreneurs but the failure of first time entrepreneurs teaches them great lessons and they become mature while going for further start-ups.
2. **The Imperfect Education System and Conservative Lifestyle**
   The education system is one of hindrance for startups. In college, students are usually trained with advanced techniques but lack of marketing, sales and operational ability and leadership skills needed to advance their own enterprises. In addition, conservative lifestyle also contributes as one of obstacles. As a culture of family remains, family remains skeptical to change and prefer options that are able to provide a steady income rather than engaging risk. This places pressure on the budding entrepreneur who fall victim to the dichotomy of providing for the family instead of following some "whimsical" dream (Au & Kwan, 2009).
3. **Financial Issues**
   - Most startups are self/family funded with limited workforce which makes it difficult to maintain records both financial and operational
   - Flawed business models and lack of innovative revenue strategies have led to the failure of many startups and they are forced to shut down operations
   - Government and private sector investors have set aside funds through investment channels but they are not available for all forms of business. The biggest problem for such organizations has been to attract investors and gain their trust with regard to their mode of operations.

Good news is that as per latest GEM (Global Entrepreneurship Monitor) report, perception about entrepreneurship is on rise in India. As per GEM survey during 2016-17, there has been an increase in rate of entrepreneurial intention to 14.9% compared to 9% in 2015-16, while the fear of failure has decreased to 37.5% from 54% in 2015-16.

There are clear indications that India is on the verge of becoming next big startup destination. Nevertheless, the culture of entrepreneurship has to be spread across all the states and cities. Every medium and large city of India must be thriving as a startup scene as do some of our leading

metros. In order to achieve real success, startups in all areas of business, not just in technology must be encouraged. Only demographic dividend of India will be put to use.

Reference:

M Haritha, Ravi V & Maruthi Reddy (2012), *"Role of Venture Capital in Indian Economy"*, IOSR Journal of Business and Management (IOSRJBM), ISSN: 2278-487X Volume 4, Issue 2, PP 46-70.

http://www.grantthornton.in

http://www.sidbi.in

http://www.1000ventures.com/venture_financing/venture_funding_stages.html

आचार्य रामानुज के काल में भारत की धार्मिक स्थिति

डॉ० विमलेश कुमार मिश्र [1]

भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ पर अनेकों प्रकार के धर्म पल्लवित और पुष्पित हुए हैं। प्राचीन काल के धर्मों में वैदिक धर्म, शैव धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म तथा जैन धर्म के प्रमुख स्थान रहा है। रामानुज का काल सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अस्त-व्यस्त रहा है।

प्राचीन भारतीयों को धर्म के विषय में सर्वप्रथम ज्ञान वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है , जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक तथा उपनिषद् की गणना की जाती है। वैदिक ऋषियों ने देवताओं की कल्पना मनुष्यों के रूप में की। देवताओं और मनुष्यों में अन्तर केवल यह था कि देवता अमर तथा सर्वव्यापी थे। उनमें मानवोचित दुर्बलताएँ नहीं थी। इसके विपरीत मनुष्य मरणशील थे। उनका उत्थान देवताओं की कृपा से ही संभव था। देवताओं के रूष्ट होने पर उनका सर्वनाश हो जाता था। वैदिक धर्म की यह विशिष्टता थी कि इसमें जिस देवता की स्तुति की जाती थी उसी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इस कारण कभी इन्द्र को तो कभी वरुण को सर्वोपरि माना गया है तथा अन्य देवताओं की उत्पत्ति उसी से मानी गयी है। देवताओं की बहुलता को देखकर ऋषियों ने सर्वोच्च देवता की खोज करना प्रारम्भ किया। चिन्तन के अन्तिम चरण में यह खोज निकाला गया कि सत् एक ही है जिन्हें ज्ञानी लोग विभिन्न नामों से जानते हैं। ''एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति''।

वैदिक धर्म और बौद्ध धर्म

वैदिक धर्म का बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ सदैव संघर्ष होता रहा है। काल गणना के अनुसार जैन धर्म का उदय बौद्ध धर्म से पूर्व हुआ, परन्तु व्यापकता में वह बौद्ध धर्म से कम ही रहा। इस प्रकार वैदिक

1. पूर्व शोध छात्र दर्शनशास्त्र विभाग, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ज्ञानपुर, भदोही

धर्म का संघर्ष मुख्यतः बौद्ध धर्म से ही रहा। आरम्भ में यह संघर्ष साधारण कोटि का था। गौतम बुद्ध स्वयं वैदिक धर्म के अनुयायी थे। उनके धर्म का मूल उपनिषद् ही है। कर्मकाण्ड की अनुपादेयता, प्रपंच का कारण अविद्या, बंधन से मुक्ति तथा कर्मवाद का सिद्धान्त दोनों धर्मों में एक ही है। परन्तु गौतम बुद्ध ने तत्कालीन समाज को ध्यान में रखकर अपने धर्म में कुछ नयी बातें बतायी हैं , जिनका आधार वेद नहीं है। श्रुति को अप्रमाणिक मानकर उन्होंने आत्मवाद का खण्डन किया तथा यज्ञ का घोर विरोध किया। मौर्यों के समय बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्राप्त हो गया जिससे बौद्ध धर्म की जबरदस्त प्रगति हुयी। सम्राट अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। इस प्रकार बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म भारत के समस्त क्षेत्र में फैल गया। यद्यपि अशोक की दृष्टि समन्वयात्मक थी , परन्तु उसके अनुयायियों द्वारा वैदिक धर्म को कुचला गया जिसके कारण एक धार्मिक युद्ध प्रारम्भ हो गया था। क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुयी, ब्राह्मण वंशी पुण्यमित्र शुंग द्वारा मौर्य वंश का पतन हो गया और शुंग वंश की स्थापना हुयी। वैदिक धर्म का पुनः गौरव स्थापित हुआ।

वैदिक धर्म और जैन धर्म

जैन धर्मावलम्बियों द्वारा भी वैदिक धर्म का घोर विरोध किया गया। उसके मतावलम्बी अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन तथा दूसरे धर्म के मतों का खण्डन करने में विशेष रूचि रखते थे। जैन लोग वैदिक धर्म के अनेक अंशों की ऋणी होने के बावजूद भी श्रुति की प्रमाणिकता नहीं मानते थे। ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं थे। कर्म तथा आवागमन के सिद्धान्त में वे विश्वास करते थे किन्तु संसार के प्रति उनका दृष्टिकोण निराशावादी था। वैदिक कर्मकाण्ड के वे घोर विरोधी थे। उज्जैन तथा मथुरा , जैन धर्म के प्रमुख केन्द्र थे। कलिंग का चेदि शासक खारवेल भी जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए पर्याप्त दान दिया था तथा निवास के लिए गुहा विहार बनवाये थे। राष्ट्रकुल राजाओं के शासन काल में जैन धर्म का पर्याप्त प्रचार-प्रसार दक्षिण भारत में हुआ।

इस प्रकार वैदिक धर्म पर आक्रमण होता रहा। उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक था कि श्रुति के सिद्धान्तों की यर्थाथता जनता को विधिवत् समझाया जाय , कर्मकाण्ड में जो विरोध था उसका परिहार किया जाय तथा यज्ञ की उपयोगिता को प्रदर्शित किया जाय। इस कार्य का निष्पादन दो ब्राह्मण आचार्यों- आचार्य शंकर तथा आचार्य कुमारिल ने किया। कुमारिल ने कर्मकाण्ड को विशुद्ध बनाया तथा शंकराचार्य ने ज्ञानकाण्ड को। शंकराचार्य ने अवैदिक दर्शन तथा द्वैतवा दियों के मतों का खण्डन तथा उपनिषदों के अद्वैततत्व का प्रतिपादन सबल युक्तियों के सहारे किया।

रामानुज ने वैदिक धर्म को और अधिक सबल बनाया। उनके समय श्री रंगम पर चोल शासक अधि राजेन्द्र का अधिकार था जो कि एक कट्टर शैव थे। चोल सम्राट के उत्पीड़न से रामानुज होय सल वंश

के जैन धर्मावलम्बी शासक बिट्टिंग के राज्य मैसूर चले गये और शालग्राम नामक स्थान में रहने लगे। वहाँ उन्होंने बिट्टिंग को वैष्णम धर्मावलम्बी बना लिया। बिट्टिंग को वैष्णव धर्मावलम्बी बना लिया। बिट्टिंग ने अपना नाम बदलकर विष्णुवर्धन रख लिया। उसने वेल्लर तथा हलेविड में भव्य मन्दिर का निर्माण कराकर विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठित की।1 रामानुज ने 12 वर्ष तक मैसूर राज्य में रहकर वैष्णव धर्म की सेवा की। चोल राजा के देहावसान के बाद वे पुनः श्रीरंगम वापस आये और वहाँ मन्दिर का निर्माण कराया।

शंकराचार्य का जन्म दक्षि ण के केरल प्रान्त में कालडी नामक ग्राम में ब्राह्मण कुल में हुआ था किन्तु उन्होंने उस दर्शन परम्परा को अपनाया जो उत्तर भारत में सुप्रतिष्ठित थी। दक्षिण भारत के लोग उनके अद्वैतवाद से संतुष्ट नहीं थे। उसका कारण यह था कि शंकराचार्य ने जीव और ब्रह्म की एकता स्था पित कर ईश्वर की भक्ति और अवतार को समाप्त कर दिया। उस समय का नर- नारी ऐसी ईश्वर की खोज में था जो उन पर दया कर सके और विपत्ति में उनकी रक्षा कर सके। रामानुज ने शंकर के अद्वैतवाद और प्राचीन भागवत धर्म को संयुक्त करके विशिष्टाद्वैत नामक दार्शनिक विचारधारा का जन्म दिया। जिसके अनुसार जीवात्मा और जगत् ब्रह्म के अंश है। ब्रह्म जीव और जगत् से विशिष्ट है। कर्म की सहायता से ज्ञानरूपी भक्ति के माध्यम से ही जीवात्मा ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है।

वैष्णव धर्म में मन्दिरों में पूजा, अर्चना और अवतारवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। रामानुज ने दक्षिण में विष्णु के कई मन्दिरों का निर्माण कराया जहाँ भक्तगण जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। मूर्ति को ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है।

वैष्णव धर्म में अवतारवाद का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। समय- समय पर ईश्वर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते रहते हैं। गीतों में श्रीकृष्ण कहते हैं कि जब- जब धर्म की हानि होती है तथा अधर्म की वृद्धि होती है तब-तब मैं अवतरित होता रहता हूँ। साधुओं की रक्षा दुर्जनों के विनाश एवं धर्म की स्थापना के लिए मैं युग-युग में उत्पन्न होता हूँ।

यदा यदा हि धर्मस्य गलानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दृष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।2

तन्त्र युग

रामानुज के काल में तांत्रिक पूजा भी पराकाष्ठा पर थी। इसकी मान्य ता थी कि कलियुग में वैदिक मंत्र, जप, यज्ञ आदि का कोई फल नहीं होगा , सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तन्त्रशास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों से ही सहायता मिल सकती हे। इस शास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रखे जाते थे। तंत्र शास्त्र की वास्तविकता से अप रिचित होने के कारण पाँच मकार वाले पदार्थों मद्य , माँस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन को समझने में उपासकों ने अनर्थ कर दिया। कुछ उपासकों का कथन है कि स्थूल और लौकिक मद्य माँस का ही

प्रयोग न्याय संगत है। इसलिए अपनी पूजा पद्धति में वे इसका प्रयोग करते थे। वेदान्ति यों ने इस तामस पूजा पद्धति का विरोध किया। तामसिक तंत्रिकों का , युक्ति तथा शास्त्र से खण्डन किया। वस्तुतः पाँच मकार का आध्यात्मिक अर्थ है इसका संबंध आन्तरिक है, वाह्य नहीं पंच मकार इस शरीर के भीतर विद्यमान तत्वों का साक्षात् प्रतीक है। इन्हीं का अभ्यास तांत्रि क पूजा का मुख्य उद्देश्य है। रामानुज के पूर्व भारत में शैव , शक्त, वैष्णव तथा गाणपत्य तांत्रिकों का प्रभुत्व था।

वैष्णव तंत्र

वैष्णव आगमों को पांचरात्र कहा जाता है। ''पांचरात्र'' शब्द के अनेक अर्थ है। महाभारत के अनुसार चारों वेदों तथा सांख्य , योग के स माविष्ट होने के कारण इस मत को पांचरात्र कहा जाता है। ईश्वर संहिता के अनुसार शाण्डिल्य, औपगायन, मौंजायन, कौशिक तथा भारद्वाज ऋषि को मिलाकर पाँच रातों में उपदेश दिया गया था। नारद पांचरात्र के अनुसार ''रात्र'' शब्द का अर्थ ज्ञान होता है पाँच विषयों यथा परमतत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा संसार'' का निरूपणकरने के कारण इसको पांचरात्र कहा जाता है।3 पांचरात्र वेद का ही एक अंश है। इसका संबंध वेद की ''एकायन शाखा '' से है। उत्पल ने अपने ''स्पन्दकारिका'' में पांचरात्र श्रुति तथा पांचरात्र उपनिषद् से अनेक उद्धरण दिये हैं। उत्पलकृत निर्देशों से पता चलता है कि दशम शताब्दी तक इस तन्त्र के तीन भाग थे- पांचरात्र श्रुति, पांचरात्र उपनिषद् तथा पांचरात्र संहिता। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि उपनिषद् काल में यह तन्त्र विद्यमान था पांचरात्र का दूसरा नाम ''भागवत'' या ''सात्वत'' है। भगवान ही उपेय (प्राप्य) है तथा वे ही उपाय (प्राप्ति साधन) है। बिना भगवान के अनुग्रह के जीव भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान की शरणागति ही भगवत्प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। पांचरात्र मत जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है। परन्तु वह विवर्तवाद को नहीं मानता। वे परिणामवाद को ही सत्य मानते हैं। रामानुज का विशिष्टाद्वैत भी इसी आगम पर अवलम्बित है। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि पांचरात्र सिद्धान्त ऋग्वेद के पुरूष सूक्त से निकला हुआ है। जब परम पुरुष नारायण ने समस्त नरों से परे बनने एवं सबसे एक होने की इच्छा प्रकट की तब उनको पांचरात्र यज्ञ का दर्शन हुआ जिसको करके वे अपना लक्ष्य पा सके थे। 4 यामुनाचार्य ने अपने आगम प्रमाण्य में यह सिद्ध किया है कि पांचरात्र वेद की तरह प्रमाण है क्योंकि उनका मूल उद्गम स्थान एक ही देवी पुरुष नारायण है5 भगवान का उभय भाव सगुण और निर्गुण पांचरात्र मत स्वीकार करता है। नारायण निर्गुण होकर भी सगुण है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य तथा तेज उसके छः गुण हैं। भगवान की शक्ति का सामान्य नाम ''लक्ष्मी'' है। भगवान शक्तिमान तथा लक्ष्मी उनकी शक्ति है। जगत् के परममंगल के लिए भगवान अपनी स्वा तन्त्र्य शक्ति से चार रूपों की सृष्टि करते हैं- (1) व्यूह (2) विभव (3) अर्चावतार (4) अन्तर्यामी। जीव स्वभावतः सर्वशक्तिशाली, व्यापक तथा सर्वज्ञ है परन्तु सृष्टिकाल में भगवान की तिरोधान शक्ति (माया या अविद्या) जीव के सच्चे रूप को छिपा देती है जिससे जीव क्र मशः अणु, किंचितकर तथा अल्पज्ञ बन जाता है। इन्हीं

अणुत्वादिकों को ''मल'' कहते हैं। इन्हीं से जीव बंधन ग्रस्त हो जाता है। भगवान की कृपा से ही जीव का उद्धार होता है तथा उस कृपा की प्राप्ति का उपाय शरणागति है।

पाशुपत मत

वामन पुराण के अनुसार शैवों के चार सम्प्र दाय प्रमुख थे- शैव, पाशुपत, कालामुख तथा कापालिका अथर्वशिर उपनिषद् में पाशुपतों के विशिष्ट ''व्रत'' पशु-पाश-पति आदि पारिभाषिक शब्दों से साफ पता चलता है कि उस समय इस तान्त्रिक सम्प्रदाय का जन्म हो चुका था। महाभारत , शिवपुराण तथा वायुपुराण में पाशुपतों के विशिष्ट सिद्धान्तों का उल्लेख है। महाभारत के कथानुसार भगवान पशुपति ने मानव कल्याण हेतु इस मत का प्रतिपादन किया था। उस समय उपमान्यु पाशुपत सम्प्रदाय के विख्यात आचार्य थे जिनके श्रीकृष्ण स्वयं शिष्य थे।

पाशुपत मत के ऐतिहासिक संस्थापक का नाम नकुलीश या लकुली श है। इनका जन्म भड़ोंच (गुजरात) के कारवण ग्राम में हुआ था। यह आज भी बड़ौदा के भड़ौच के पास स्थित है। गुजरात , दक्षिण भारत में नकुलीश की मूर्तियाँ प्रचुरता से मिलती है। इन मूर्तियों का मस्तक केशो से ढका रहता है। दाहिने हाथ में बीजपुर के फल और बायें हाथ में लगुड़ या दण्ड रहता है। लगुड़ धारण करने के कारण ही इन्हें लगुड़ेश, लकुलीश, नकुलीश कहा जाता है। शिव के 18 विभिन्न अवतारों में लकुलीश को प्रथम अवतार माना जाता है। ये ही पाशुपत सूत्रों के निर्माता थे। गुप्त नरेश चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल का एक शिलालेख6 मथुरा से प्राप्त हुआ है। जिसमें उदिताचार्य नामक पाशुपताचार्य के द्वारा एक शैव मन्दिर की प्रतिष्ठा तथा उसमें अपने गुरूओं की मूर्तियों के प्रतीक रूप उपमितेश्वर तथा कपिलेश्वर नाम शिवलिंगों की स्थापना का वर्णन मिलता है। उदिताचार्य ने अपने को भगवान कुशिक से दशम बत लाया है। कुशिक लकुलीश के साक्षात् शिष्य थे। इस प्रकार उदिताचार्य और लकुलीश में ग्यारह पीढ़ियों का अन्तर है।

इस प्रकार यदि एक पीढ़ी के लिए औसत 30 वर्ष का समय माना जाय तो लकुलीश का समय द्वितीय शताब्दी का अन्तिम भाग ठहरता है। यह वही समय है जब कुषाण नरेश हुविष्क के सिक्कों पर लगुड़धारी शिव की मूर्तियाँ मिलती है। गुजरात से चला लकुलीश का यह सम्प्रदाय धीरे- धीरे पूरे भारत में फैल गया। न्याय-वैशेषिक दर्शन का भी पाशुपत मत से बड़ा घनिष्ठ संबंध था। नैयायिक शिव के उपासक थे। वैशेषिक के अनुयायी पशुपति के उपासक थे।

पाशुपत शब्द पशुपति (शिव) से बना है। पशु सभी प्राणियों को कहते हैं। जिस प्रकार हमारे लिए गाय भैंस आदि पशु हैं उसी प्रकार महेश्वर के लिए सारे प्राणी पशु हैं। सभी में ज्ञान का अभाव है। इन पशुओं के पति महादेव हैं। इसलिए वे पशुपति कहलाते हैं।

'पशु' शब्द 'पाश' से संबंधित है जिसका अर्थ है 'कारण तथा कार्य' समस्त पशु कारण एवं कार्य अर्थात् ऐन्द्रिय पदार्थ एवं उनके विषय से बँधे हैं तथा उसी में अनुरक्त है। यद्यपि समस्त पशु शुद्ध चेतन

स्वरूप तथा सर्वव्यापी है यथापि वे केवल अपने शरीर का ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं| उन्हें कारण तथा कार्य के स्वरूप का बोध नहीं होता। पशुपति का अर्थ यह है कि वह सब जीवों की रक्षा करता है। टीकाकार कौडिण्य कहते हैं कि दुखों से मुक्ति ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य एवं त्याग से नहीं अपितु प्रसाद से ही प्राप्त हो सकती है। आध्यात्मिक दृष्टकोण से पाशुपत मत द्वैतवादी है। जीव वस्तुतः शिवरूप है परन्तु वह नाना प्रकार के मोहों में फँसा रहता है। वह उसी प्रकार से पराधीन है जिस प्रकार लौहो के सीकड़ों से बँधा हुआ पशु। शिवरूप होने पर भी जीव माया के कारण इतना संसारी हो जाता है कि वह अपने को शिव को पृथक समझने लगता है। योग तथा प्रभु द्वारा निर्धारित आचारों के अनुष्ठान से वह शिव रूपता को प्राप्त कर सकता है , पर शिव के साथ तादात्म्य नहीं स्थापित कर सकता मुक्तावस्था की पराकाष्ठा में भी जीव तथा शिव में थोड़ा सा भेद बना रहता है।

पाशुपत के अनुसार पदार्थ पाँच प्रकार के होते हैं- (1) कार्य (2) कारण (3) योग (4) विधि (5) दुःखान्त। कारण के द्वारा निर्मित पदार्थ कार्य कहलाता है। कार्य की सत्ता सदैव कारण पर आश्रित होती है। इसलिए यह सदैव परतन्त्र रहता है। जगत् की उत्पत्ति , स्थिति तथा विनाश करने वाले महेश्वर को 'कारण' कहते हैं। वह प्रभुशक्ति और ज्ञानशक्ति का आश्रय है। इसीलिए उसे 'पति' की संज्ञा से परिभाषित किया जाता है। वह सृष्टि का केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। चित्त के द्वारा आत्मा और ईश्वर के संबंध को 'योग' कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है- क्रियात्मक तथा क्रियोपरम। जप , ध्यान, धारण आदि क्रियात्मक योग है। क्रिया की निवृत्ति अर्थात् भगवान में ऐकान्तिक भक्ति ज्ञान तथा शरणागति क्रियोपरम योग है। महेश्वर को प्राप्ति कराने वाला व्यापार 'विधि' कहलाता है। यह बाह्य आचार है। दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति मोक्ष है। प्रत्येक जीव पाँच प्रका र के दोषों से बन्धन ग्रस्त है , इन्हें मल कहा जाता है। ये दोष मिथ्या ज्ञान , अधर्म, शक्ति हेतु, च्युति तथा पशुत्व है। इनकी जब निवृत्ति हो जाती है तो दुःख का अन्त हो जाता है। इस स्थिति को दखान्त या मोक्ष कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है- अनात्मक तथा सात्म क। केवल दुखों की आत्यन्तिक निवृत्ति अनात्मक दुःखान्त है। सात्मक दुःखान्त में दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति अनात्मक दुःखान्त है। सात्मक दुःखान्त में दुःखों की निवृत्ति के साथ परमेश्वर्य का लाभ होता है। ज्ञान शक्ति का उदय होता है।

ज्ञान शक्ति पाँच प्रकार की होती है- (1) दर्शन-इसमें मुक्तात्मा सूक्ष्म, व्यवहित तथा विकृष्ट पदार्थो का ज्ञान प्राप्त करता है। (2) श्रवण-वह अशेष शब्दों को सुन सकता है। (3) मनन-समस्त चिन्तित विषयों का सिद्धि लाभ करता है। (4) विज्ञान- उसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। (5) सर्वज्ञत्व- सर्वज्ञता से स्वतः सिद्धि होती है। क्रिया शक्ति तीन प्रकार की होती है- (1) मनोजवित्व-पुरुष किसी भी कार्य को तीव्रता से करने में समर्थ हो जाता है। (2) कामरूपित्व- बिना कर्म किए विलक्षण कार्यों का संपादन करना। (3) विकरणधर्मित्व- बिना इन्द्रिय के समस्त पदार्थे को जानना और करना। यह निरतिशय ऐवर्य लाभ है।

इस प्रकार अन्य दर्शनों में जहाँ मोक्ष अत्यान्तिक दुःख निवृत्ति रूप है वही पाशुपत में मोक्ष परमेश्वर प्राप्ति रूप है।

शाक्त मत

भारतवर्ष में शक्ति की उपासना वैदिक काल से चली आ रही है। वेद में शक्ति के यथार्थ स्वरूप का वर्णन मिलता है। कुछ समय बाद शक्ति की उपासना पूरे देश में फैल गयी। समस्त शाक्त शक्ति के एक ही रूप की उपासना नहीं करते। कोई काली , कोई तारा, कोई सिंहवाहिनी को अपना उपास्य और आराध्य मानता है। समस्त शाक्त दस महाविद्याओं की उपासना करते हैं। ये हैं- (1) महाकाली (2) उग्रतारा (3) षोडशी (4) भुवनेश्वरी (5) छिन्नभस्ना (6) भैरवी (7) धूमावती (8) बगुलामुखी (9) मातंगी (10) कमला।

एक ऋचा में शक्ति को शरीर धारिणी और क्षमतावान बताया गया है जो पृथ्वी को धारण करने वाली और स्वर्ग निवासिनी है। यह भक्तों की पूज्य माता है। महाभारत में यह कृष्ण की भगिनी के रूप में जानी जाती है। इस प्रकार वैष्णव मत के साथ इसका संबंध है। पुराणों में यह चण्डी के रूप में प्रकट होती है।

शाक्त धर्म का ध्येय जीवात्मा के साथ परमात्मा की अभेद सिद्धि है। तांत्रिक उपासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक अपने उपस्यदेव के साथ तादात्म्य स्थापित करे। शाक्त धर्म अद्वैतवाद का साधन मार्ग है। इसमें अद्वैत की धारणा अनुस्यूत है-

अहं देवी न चान्योऽस्मि ब्रह्मैवाहं न शोकभाक्।
सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्य मुक्त स्वभाववान्

अर्थात् मैं ही देवी हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मुझमें शोक नहीं है, मैं सच्चिदानन्द रूप हूँ, मैं स्वभाव से ही मुक्त हूँ। इस मत के ग्रंथ आगम या तन्त्र कहलाते हैं। सात्विक आगमों को ''तन्त्र'' राजस का 'यामल' तथा तामस को 'डामर' कहते ''आम्नाय'' होते हैं - (1) पूर्व आम्नाय (2) दक्षिण आम्नाय (3) पश्चिम आम्नाय (4) उत्तर आम्नाय (5) उध्र्व आम्नाय। गुप्त मुख तथा निम्नतर से उत्पन्न अधःआम्नाय को छठा आम्नाय माना जाता है। प्रान्तों की विभिन्नताओं के कारण इन आम्नायों की पूजन पद्धति में भेद है। प्राचीन भारत में तांत्रिक पूजा के तीन प्रधान केन्द्र थे जिनमें शक्ति की पूजा पंच मकारों के द्वारा किया जाता था। उनके नाम हैं- केरल, कश्मीर तथा कामाख्या। पंचमकार (मद्य, माँस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन) तंत्रशास्त्र के प्राण हैं। काश्मीर में इन तत्वों की मात्र भावना की जाती है। केरल में इनके स्थान पर दूध आदि का प्रयोग किया जाता है। केवल गौड़ प्रदेश में इन तत्वों का प्रत्यक्ष प्रयोग होता है। आरम्भ में शक्ति पूजा सात्विक रूप में होती थी। परन्तु कालान्तर में लालची उपासकों ने उसे नितान्त तामसिक बना दिया।

शाक्त मत में तीन भाव- पशुभाव, वीर भाव और दिव्यभाव है तथा सात आचार बतलाये गये हैं ये है- (1) वेदाचार (2) वैष्णवचार (3) शैवाचार (4) दक्षिणाचार (5) वामाचार (6) सिद्धान्ताचार और (7) कौलाचार। एक अन्य मत के अनुसार इनके अतिरिक्त कुछ लोग अघोराचार और योगाचार को भी इसमें सम्मिलित

करते हैं। ये सातों आचार पूर्वोक्त तीनों भावों से संबद्ध है। भाव मान सिक अवस्था है और आचार बाह्य आचरण। जिन जीवों मे अविद्या के कारण अद्वैतज्ञान लेशमात्र भी नहीं होता उसे पशुभाव कहते हैं। ये पशु के समान अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो साधक अद्वैतज्ञान को कणमात्र भी ग्रहण कर चुके हैं तथा अज्ञान रूपी रज्जू को काटने में कुछ मात्रा में भी कृतकार्य हो चुके हैं वे वीरभाव कहलाते हैं। अद्वैतानन्द का आस्वादन करने वालों को दिव्यभाव हो जाता है। आचारों में प्रथम चार-वेद, वैष्णव, शैव तथा दक्षिण, पशुभाव के साधक के लिए है। वाम तथा सिद्धान्त केवल वीरभाव के साधक के लिए है। वेदाचार में सभी साधकों को वैदिक नित्यकर्त करने पड़ते हैं। यह आचार कर्मकाण्ड प्रधान है। शैवाचार मं साधक धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश का भाव प्राप्त करता हैं। यह ज्ञान प्रधान है। दक्षिणाचार में ब्रह्म की क्रिया, शक्ति और इच्छा का ध्यान किया जाता है। ऊपर के ये सभी प्रवृत्ति मार्ग को स्पष्ट करते हैं। वामाचार में साधक को निवृत्ति मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। इसमें साधक अपनी सभी इच्छाओं का दमन करता है। कौलाचार सर्वश्रेष्ठ आचार है। यह अद्वैत भावना से पूर्ण साधक के लिए है। शिव और शक्ति का सामरस्यरूप संयोग ही इसका अभिधेय है। रामानुज तंत्र के समर्थक थे।

गाणपत्य मत

गणपति के उपासक को गाणपत्य कहा जाता है। गणपति शब्द का अर्थ है गणों का पति। इसी अर्थ में गणों का ईश होने के कारण इन्हें गणेश भी कहते हैं। गणपति की उपासना वैदिक कालीन है। पेशवा लोग गणपति के उपासक थे। इसी कारण आज भी महाराष्ट्र में गणप ति की प्रचुर उपासना की जाती है। ''गाणपत्य'' सम्प्रदाय तान्त्रिक था, जिसमें भिन्न-भिन्न गणपति की उपासना, फल की भिन्नता के कारण भिन्न-भिन्न रूप में की जाती थी।

गाणपत्यों के छः भिन्न सम्प्रदाय थे। जो निम्न हैं-

1. महागणपति - इनके दस भुजाएँ हैं, अंग लाल है।
2. उध्व गणपति - इनकी भुजाएँ छः हैं तथा अंग पीला है।
3. पिङ्गल गणपति - इनकी भुजाएँ छः हैं तथा अंग पीला है।
4. लक्ष्मी गणपति - इनकी भुजाएँ चार अंग श्वेत है।
5. हरिद्रा गणपति - इनकी भुजाएँ चार नेत्र तीन तथा अंग पीला है।
6. उच्छिष्ट गणपति - इनकी भुजाएँ चार तथा अंग लाल है।

गाणत्यों का पूजा प्रकार रहस्यमयी था। उसमें तांत्रिक उपासना की प्रधानता थी। गणपति की पूजा पूरे भारत में होती है। श्रीरंग में पहाड़ के ऊपर जिसको गोल्डेन राक(स्वर्ण शिला) कहते हैं सबसे बड़ा मन्दिर है। तांत्रिक दर्शन अद्वैतोन्मुखी है। पांचरा त्र विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादक है। पाशुपत तथा रसेश्वर द्वैतवादी है। वीरशैव द्वैताद्वैती है। शाक्त मत अद्वैतवादी है। तांत्रिक ईश्वर का अस्तित्व शरीर से अलग नहीं मानते।

इस प्रकार हम देखते हैं कि रामानुज के समय भारतवर्ष में नाना मतों सम्प्रदायों तथा पन्थों का आविर्भाव हो चुका था। दशम शतक में वैष्णव धर्म की विशेष उन्नति हुयी थी। परन्तु कालान्तर में वैदिक धर्म में खीचतान शुरू हो गयी। कोई उसे शून्यवाद की ओर ले जा रहा है तो कोई अनेकान्तवाद की ओर। कोई उसे मद्य माँस युक्त तांत्रिक उपासना की ओर ले जा रहा है। ऐसे समय रामानुज ने विशिष्टद्वैत की स्थापना कर धर्म को स्थायित्व प्रदान किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

भारतीय इतिहास कोश-सच्चिदानन्द भट्टाचार्य, पृ0 407

भगवद्गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक 7, 8

रात्रं च ज्ञान वचनं ज्ञानं प´ चविध स्मृतम्-नारद पा´चरात्र 1/44

शतपथ ब्राह्मण 13, 6, 1

आगम प्रमाण्य

एपिग्राफिका इंडिका-डॉ० भण्डार का लेख 1931

पाशुपतसूत्र टीकाकार कौडिण्य पृ0 6

परशुरामकल्प सूत्र 1/2

भारतीय धर्म और दर्शन-बलदेव उपाध्याय पृ0 68

ग्रामीण युवा एवं खेल-कूद

रमेश कुमार सिंह [1]

स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास कर ता है। स्वस्थ रहने के लिए खेलकूद एवं व्यायाम जितना आवश्यक है। उससे अधिक चिकित्सक व वैद्य को दूर रखने के लिए व अपराध हीन समाज बनाने व एकता लिए अन्य कोई विधा नहीं है। खेलकूद के द्वारा मनुष्य अपने शरीर में चिरयौवन का भी लाभ पा सकता है। उतिष्ठत् जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत् (कठोपनिषद्) (उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरूषो के सम्पर्क में रह कर आत्मज्ञान प्राप्त करो)। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस ''हॉकी का जादूगर'' कहे जाने वाले ध्यानचन्द्र जी के जन्म दिवस 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, की स्मृति में रखा गया है।

हमारा भारत देश गांवों का देश एवं कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ की लगभग 75 प्रतिशत आबादी गांवों से है। कभी यह गाँव खुशहाल हुआ करते थे। वहाँ पर चिकित्सक की आवश्यकता नहीं रहती थी , क्योंकि शाम-सुबह गाँव के युवा अपने गाँव के बुजुर्ग दक्ष खिलाड़ियों की देखरेख में दौड़-कूद, बाधा दौड़, कबड्डी-खो-खो, कुश्ती, मुगदर भांजना (शारीरिक सौष्ठव) तथा भारोत्तोलन, मलखम्भ, अरचरी (धनुर्विद्या) तथा अन्य खेलों में जोर अजमाइश कर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे , और स्वस्थ मन से रहते थे। जिससे कभी भी भाई चारे में कमी नहीं थी। अपराधों में कमी थी और गाँव के ही लोग इन खिलाड़ियों के तैयार करने में दूध, घी की व्यवस्था करते थे। उस समय गाँव में कहरवा , राई नृत्य, बिरहा, अहीर नृत्य, चनैनी आदि लोक गीतों के माध्यम से भी खेलकूद व मनोरंजन करते थे।

1. शोध छात्र (समाजशास्त्र), महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय वि0वि0, चित्रकूट, सतना, म0प्र0

आज गाँवों में होने वाले परम्परागत खेलकूद बन्द हो गए , गाँवों में पिछड़ापन, अभाव ग्रस्त एवं कठिनाई का जीवन कष्टमय हो गया। शहरों के चकाचौंध व आधुनिक खेलों के सामने गाँव के युवाओं में खेलों की प्रति कुण्ठा व्याप्त हो गयी है। इन समस्याओं का कारण व निदान इस शोध के द्वारा किया जाना प्रासंगिक है।

1. ग्रामीण युवाओं में खेलकूद के कुण्ठा के कारण :- शोधकर्ता द्वारा चित्रकूट जिले के कर्वी ब्लाक के ग्रामीण दूर अंचल जाकर जैसेः- कांड़ीखेरा, भीठाखेरा, लोढ़वारा, बरवारा, कसहाई, अहिरनपुरवा, बनकट, मुलायम नगर, सपहा, रगौली, शिवरामपुर, भैसौंधा, रानीपुर भट्ट, चितरा गोकुलपुर, मनोहरगंज, कोलांहा, रसिन, घुरेटनपुर, बघेलाबारी, कल्यानपुर, रौलीगोंडा, कपसेठी, खुटहा, तरौंहा, पुरवा तरौंहा, गढ़िवा, सुरजकुण्ड आदि गांवों का अध्ययन किया गया , जिसमें युवाओं से सम्पर्क करते हुए बुजुर्ग खिलाड़ियों से सम्पर्क किया गया तो यह पाया गया कि , ग्रामीण युवाओं में खेलकूद के प्रति महत्वपूर्ण कारण निम्न हैं-

i. गाँव में खेलकूद के लिए पुराने समय से नियत स्थानों पर अतिक्रमण हो चुका है या तो आबाद्दी के पट्टे कर दिये गये है या उन्हें जोत करके कृषि का कार्य हो रहा है। कोई खेलकूद का स्थान नहीं रहा।
ii. गाँवों से दूध , घी व पौष्टिक फल आदि शहर के डेयरी व मण्डी में विकवाली होने से युवा खिलाड़ियों व पहलवानों को गाँव के लोगों के द्वारा दिये जाने वाला आहार की व्य वस्था बन्द हो गयी।
iii. गाँव में खिलाड़ियो के लिए यंत्र आदि रखने व उन्हें तैयार करने में गाँवो के कारीगरों में बढ़ती मंहगाई के कारण अपना सहयोग देना बन्द कर दिया।
iv. मनोरंजन के आकर्षक कार्यक्रम टी0वी0 चैनल, मोबाइल, वीडियो, टेपरिकार्डर आदि ने खेल के मैदान में एकत्र होने में बाधा उत्पन्न की।
v. बुजुर्ग खिलाड़ियों व अनुभवी लोगों का सम्मान न होने से उनकी रूचि युवाओं को प्रशिक्षण देने में नही रही।

खेलकूद के प्रति कुण्ठा से बचाव के उपाय

1. देश का सर्वांगीण विकास गाँव के विकास के बिना सम्भव नहीं है। स्वतंत्रता के 68 सालों ने गाँवों को अभावग्रस्त किया गया। आपराधिक प्रवृत्तियाँ पनप गयी , अशिक्षा, बन्धुवा मजदूरी, शोषण, बाल एवं महिला मजदूरी व उनकी अस्मिता से खिलवाड़, ठेकेदारों एवं धन तथा जन-बल से मजबूत लोगों द्वारा उत्पीड़न गाँव के युवाओं के अपने भविष्य के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। इससे युवाओं को सुरक्षा, शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति सरकार को अपनी योजनाएं संचालित करना होगा जिससे पलायन व उत्पीड़न बन्द हो सकें।

2. खेलकूद में ग्रामीण युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जागरूक करना होगा कि , ग्रामीण युवाओं की युवा शक्ति सृजन के लिए खेलकूद आवश्यक है जिससे युवा शक्ति सृजनात्मक कार्य में उपयोग करके जीविकोपार्जन कर सकें।

3. युवाओं-युवतियों में अनुशासन की स्थापना हेतु भी खेलकूद के लिये प्रेरित करना होगा।

4. खेलकूद व व्यायाम साहसिक कार्य करने की शक्ति व शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा करने में सहायक है लोगो को समझना होगा।

5. युवाओं को समझाना होगा कि , खेलकूद द्वारा आपसी सद्भाव , भाईचारा, स्थापित कराया जा सकता है जो देश व समाज के हित में है।

6. सामूहिक कार्यक्रम, खेलकूद के द्वारा उनमें नेतृत्व की भावना एवं युवा शक्ति को एहसास कराना होगा। ग्रामीण युवाओं में टीम भावना तथा सृजनात्मक एवं कल्याणकारी कार्य के लिए प्रेरित करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के खेलकूद की स्थिति

शासन द्वारा ग्रामीण युवाओं में खेलकूद के प्रति चलाये गये कार्यक्रम अत्यन्त अपर्याप्त है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार गाँवों में शासन में अब तक केवल निम्न महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है:-

युवा कल्याण:- इस विभाग की दोनों इकाईयों ''वर्दीधारी दल के सदस्य'' तथा ''महिला एवं पुरूष युवा वर्ग के सदस्यों'' का पुनीत उद्देश्य प्रदेश के गांवों तथा ग्राम्य जीवन का समग्र विकास है। इस हेतु स्व स्थ युवा शक्ति का सृजन, अनुशासन, खेलकूद, साहसिक कार्यक्रमों के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने तथा उसी के साथ मानसिक सोच, संस्कृति की बेहतरी, सदभाव, सृजन और भाईचारगी के लिये युवा केन्द्रों की स्थापना , गोष्ठियों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन आदि निर्धारित किये गये हैं। साथ ही विविध विकास योजनाओं तथा समाज सेवा कार्यों से भी युवा शक्ति सम्बद्ध है , ताकि ग्रामीण जीवन स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अनुशासित रहे तथा ''टीम स्प्रिट'' से निजी और सामूहिक विकास कार्यक्रमों में सृजनात्मक तथा कल्याणकारी योगदान दे सके।

महत्वपूर्ण योजनाओं

1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

गाँव में निवास करने वाले युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता लाने तथा प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष निम्नलिखित प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है:-

न्याय पंचायत स्तर-(1) 9 से 12 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की खेल प्रतिभा खोज। (2) 13 से 16 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता।

विकास खण्ड स्तर :-(1) 9 से 12 वर्ष, (2) 13 से 16 वर्ष, (3) महिलाओं की खुली प्रतियोगिता। (4) पुरूषों की खुली प्रतियोगिता।

जनपद स्तर:- (1) 13 से 16 वर्ष तक के बा लक-बालिकाओं की खेलकूद प्रतियोगिता। (2) पुरूषों की खुली खेलकूद एवं व्यायामशाला प्रतियोगिता।

मण्डल स्तर :- मण्डल स्तर पर कबड्डी एवं बालीबाल की पुरूषों की खुली खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

राज्य स्तर:- (1) 13 से 16 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं की खेलकूद चयन प्रतियोगिता। (2) पुरूषों की खुली खेलकूद एवं व्यायामशाला प्रतियोगिता।

राष्ट्रीय स्तर:- चयनित टीमों को अन्य प्रदेशों में प्रतिभाग लेने हेतु भेजा जाता है।

2. **ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना**:- ग्रामीण युवाओं को शहरों की भांति खेलकूद की सुविधायें उपलब्ध कराने तथा खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्टेडियम सम्प्रति निम्नलिखित स्थानों पर है।

i. किरावली जनपद आगरा।
ii. आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर (भूमि आजमगढ़ में है)
iii. ग्राम बनपुरवा विकास खण्ड-जलालपुर, जनपद-जौनपुर।
iv. ग्राम उसिया, विकास खण्ड-भदौरा, जनपद-गाजीपुर।
v. ग्राम बघावं, विकास खण्ड- सादात, जनपद-गाजीपुर।
vi. ग्राम गहमर, जनपद गाजीपुर में निर्माणाधीन है।

3. **ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना** :- भारतीय व्यायाम के वैज्ञानिक स्वरूप व जिमनास्टिक से युवाओं को परिचित कराने के उद्देश्य से शारीरिक सौष्ठव की ओर ग्रामीण युवाओं का ध्यान आकर्षित करने इन व्यायाम शालाओं की अहम् भूमिका है। (1) अब तक स्थापित 183 (2) वर्ष 1997-98 में 34 व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में 304.42 लाख रूपये की धनराशि व्यय करके 45 व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। वर्ष 1997-98 में रू0 77.52 लाख की धनराशि से 34 व्यायामशालाओं का निर्माण कराया जा चुका हैं। वर्ष 1998-99 में 62.96 लाख रू0 की धनराशि से व्यायाम शालाओं का निर्माण कराने का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है।

4. **प्रतिभाशाली पहलवानों का प्रशिक्ष ण एवं अखाड़ों की स्थापना** :- प्रतिभाशाली पहलवानों के प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के 22 जनपदों में ग्राम सभा स्तर पर 1608 तथा विकास खण्ड़ स्तर पर 319 अखाड़ों की स्थापना की जा चुकी है।

5. **विवेकानन्द यूथ एवार्ड (प्रदेश स्तर)**:- विभाग द्वारा वर्ष 1985 में स्थायी विवेकानन्द जी की जन्म शताब्दी को युवा दिवस के रूप में मनाया गया था , तब से प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ युवा मंगल दल तथा महिला मंगल दलों को 1- प्रथम पुरस्कार रू0 01 लाख, 2-द्वितीय पुरस्कार रू0 50,000.00 एवं तृतीय पुरस्कार रू0 25.000.00 दिया जाता है।

6. **युवा केन्द्रो की स्थापना**:- युवा शक्ति की रचनात्मक कार्यो में लगाने, युवा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा युवा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाने के अतिरिक्त सामाजिक विकास कार्यो में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 1-गाजियाबाद, 2-मुरादाबाद, 3-भदोही, 4- अलीगढ़, 5-फिरोजाबाद, 6-इटावा, 7-कानपुर, 8- लखनऊ, 9-फैजाबाद, 10-गोरखपुर, 11-वाराणसी, 12-इलाहाबाद, 13-महोबा में युवा केन्द्रों का निर्माण किया जा चुका है।

7. **युवक/महिला मंगल दलों की प्रोत्साहन** :- वर्ष 1997-98 में रू0 134.00 लाख की धनराशि से 8,800 दलों को प्रोत्साहित किया गया।

8. **सेमिनार/संगोष्ठी**:- युवाओं के बौद्धिक संवर्धन हेतु प्रत्येक विकास खण्ड स्तर , प्रत्येक जनपद पर सेमिनार/संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 1997-98 में रू0 18.53 लाख की धनराशि से विकास खण्ड, जनपद स्तर पर सेमिनार/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

9. **राष्ट्रीय युवा उत्सव**:- भारत सरकार द्वारा बेन्नई में आयोजित राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश की टीम से भाग लिया।

परन्तु गाँव में भ्रमण करने से यह तथ्य सामने आया कि, संचालित योजनाएं कम तो हैं ही जो हैं भी वह प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही है । लोगों को इन योजनाओं के विषय में जानकारी भी नहीं है। जानकारी के आभाव में इसका कोई लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। मेरी राय में आज के इस युग में जहाँ खेलकूद के मैदान व्यायाम शालाएं गाँव से टूट चुकी हैं ,उन्हें पुर्नजीवित करने के लिए आवश्यक है कि , हर ग्राम पंचायत में शासकीय विद्यालयों में व्यायामशालाएं स्थापित की जाये।

(क) ग्रामीण खेलकूद के प्रोत्साहन हेतु सुझाव:

शिक्षण समय के अलावा उस स्थान को खेलकूद व व्यायामशाला के रूप में प्रयोग करने की अनुमति शासन स्तर से होनी चाहिए और अनुभवी तथा बुजुर्ग क्षेत्र के खिला ड़ियों को ग्रामीण युवाओं को खेल का प्रशिक्षण देने के लिए मानदेय के आधार पर प्रशिक्षक नियुक्ति करना चाहिए, और प्रत्येक विद्यालय में आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए। प्रत्येक वर्ष प्रतियोगिता के द्वारा अच्छे खिलाड़ियों का चयन करके प्रोत्साहन व उनके भविष्य में जीविकोपार्जन का माध्यम उत्पन्न करना चाहिए।

इस समय शोधकर्ता मन में आये उद्गार निम्न हैं:

गाँवों में व्यायामशाला का कोई अभियान नहीं था। तो हर गाँवों में व्यायामशालाएं थी।। यह मैं नहीं कहूँगा कि, गाँव में शासकीय व्यायामशालाएं और उसे व्यायाम शाला के अभियान की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता से ही अभियान ने जन्म लिया लेकिन अभियान ने परिणाम बेहतर नहीं दिये जैसे और जितने चाहिए वैसे और उतने व्यायामशाला नहीं दिये।।

(ख) **खेलकूद ग्रामीण युवाओं में खेलकूद के प्रति जागरूकता/ रूचि पैदा करने के लिए सुझाव:**

गाँव के भ्रमण के दौरान युवा वर्ग 15 से 35 वर्ष की आयु के लोग ज्यादातर बेरोजगार व दिनभर व्यर्थ के कामों में व्यस्त पाए गये। इस युवा शक्ति को खेलकूद की ओर मोड़ना व खेलकूद के द्वारा रोजगार से जोड़ना देश व राष्ट्र के विकास के लिए अति आवश्यक है युवाओं को खेलकूद में रूचि पैदाकर उन के कोमल मन को दुब्र्यसनों से दूर करके अपराध से दूर करने के उपाय करना आवश्यक है।

(ग) ग्रामीण युवाओं में खेलकूद से भविष्य की उपलब्धियां:- ग्रामीण युवाओं में खेलकूद के प्रोत्साहन एवं जागरूकता द्वारा प्रत्येक गाँव के युवकों की खेलकूद में पारंगत लोगों की टीम तैयार होगी जो खेलकूद के क्षेत्र में आगे रोजगार पाने में सक्षम होंगे तथा अपने गावं का नाम रोशन कर अपने गाँव के विकास में सहायक होंगे| गाँवो के विकास से पूरे देश का विकास सम्भव होगा स्वस्थ व अपराधहीन समाज की स्थापना होगी।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह सुस्थापित होता है। ‘‘ ग्रामीण युवको में खेलकूद का भविष्य ’’ उज्जवल है। ग्रामीण युवक खेलकूद में पारंगत होकर रोजगार पा सकते हैं , खिलाड़ियों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण भी मिला है। इन्हें प्रशिक्षक व व्यायाम शिक्षक की नौकरि यां भी उपलब्ध हैं। उत्कृष्ट प्रदर्श न द्वारा जिला, मण्डल, देश स्तर पर नाम रोशन कर अच्छे- अच्छे ईनाम/ पारितोषिक द्वारा उच्च कमाई करके अपना स्तर बढ़ा सकते हैं। फिर एशिया स्तर पर व विश्व स्तर पर भी अपना नाम व देश का नाम रोशन कर सकते हैं। साथ ही भारी पारितोषिक प्राप्त कर सकते हैं। क्रिकेट , बैडमिन्टन, हॉकी व फुटबाल जैसे खेलों पर दुनियां दीवानी है व इनमें इतनी कमाई हो जाती है जो किसी नौकरी या व्यवसाय से बेहतर है। अतः आरक्षण द्वारा सरकारी नौकरी, प्रशिक्षक की नौकरी, व्यायाम शिक्षक की नौकरी के अलावा ग्रामीण युवकों की प्रगति हेतु खेलकूद के क्षेत्र में खुला आसमान उड़ने के लिए उपलब्ध है। तथा भविष्य उज्जवल करने का पर्याप्त अवसर है। यदि इस क्षेत्र में प्रयास किये जायें तो बहुत उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए शासन को भी आगे आकर अपना और अधिक सहयोग करने व खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

कमलेश, एम०एल० (1996) मैथोडोलाजी आफ रिसर्च इन फिजिकल एजूकेशन एण्ड स्पोटर्स-नई दिल्ली: मैटोपोलियन बुक कम्पनी प्रा0लि0 नेताजी सुभाष पार्क।

कोठारी, सी०आर (1990) रिसर्च मैथोडोला जी मैथड्स एण्ड टेक्निक्स , लखनऊ: अंग्रेजी न्यू एज इन्टरनेशनल प्रा०लि० पब्लिसेस।

तिवारी, सन्दीप, भूसान, एकता तथा पाठक, श्रीकृष्ण (2010), नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल , निर्मल प्रकाशन, रामबाग रेलवे स्टेशन (मेन गेट के सामने) इलाहाबाद।

दुरेहा, दिलीप, मिश्रा, पूजा, पाठक, श्रीकृष्ण ने संशोधित संस्करण सन् (2011), नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, निर्मल प्रकाशन, रामबाग रेलवे स्टेशन (मेन गेट के सामने) इलाहाबाद।

भार्गव, आर०के० एवं पाठक, श्रीकृष्ण, (जे०डी०) (1988), महत्वपूर्ण शासनादेश संकलन युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास- दल विभाग चित्रकूट (उ०प्र०), कृषि उत्पादन आयुक्त, संयुक्त शिक्षा निदेशक (मा० शिक्षा चित्रकूटधाम/झाँसी)।

उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश ,99 (1997-98 के तथ्यों पर आधारित) प्रकाशक-(संजय भूस रेड्डी) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग , उ0प्र0 लखनऊ, सम्पादन: भगवान स्वरूप कटियार (मुद्रक: दीपक प्रिन्टिंग सेण्टर, 115/85 अग्रवाल भवन, नयागाँव पूर्व, लखनऊ)।

हिन्दी दैनिक जागरण,कानपुर प्रकाशन, कानपुर।

हिन्दी दैनिक अमर उजाला, कानपुर प्रकाशन, कानपुर।

वेद एवं वेदाङ्ग साहित्य का संक्षिप्त परिचय

डॉ0 श्रुति श्रीवास्तव [1]

भारतीय संस्कृति के इतिहास में वेदों का स्थान नितान्त गौरव पूर्ण है। हिन्दुओं के आचार–विचार, रहन–सहन तथा धर्म–कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान आवश्यक है। वेद का वेदत्व इसी में है कि वह प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा दुर्बोध तथा अज्ञेय उपाय का ज्ञान स्वयं कराता है। वेद के गूढ़ रहस्यों के समाकलन एवं सिद्धान्तों को निश्चित करते समय परम्परा की अबाधिता को ध्यान में रखकर इतिहास, पुराण व वेदाङ्गों की सहायता से वेदों का स्पष्टीकरण करना चाहिए। वेदों के रहस्य को समझने का प्रयत्न करते समय प्राचीन वेदार्थकारों द्वारा दी गयी एक विशेष सूचना को ध्यान में रखना आवश्यक है।

इतिहास व पुराणों की सहायता से वेदों के अर्थ को समझना चाहिए। वेद मूर्खों से सदा इस कारण डरता है कि कहीं वे उस पर प्रहार न कर बैठें।

'वेद' शब्द 'विद्' ज्ञाने धातु से 'घण' (अ) प्रत्यय करने से बनता है, इसको अर्थ है– 'ज्ञान'। परन्तु यह ज्ञान मानवीय अथवा मानव से उत्पन्न नहीं। यह पूर्णरूपेण ईश्वरीय है, अतएव अपौरूषेय है। ज्ञानार्थक 'विद' धातु के अतिरिक्त अन्य अर्थों वाली तीन अन्य धातुओं से भी 'वेद' शब्द की निष्पत्ति सम्भव है। ये हैं– 'विद्' सत्तायाम 'विदलृ' लाभे, 'विद्' विचारणे। कहने का तात्पर्य यह है कि 'होना', 'लाभ' और 'विचार' अर्थ वाली इन धातुओं से भी 'वेद' शब्द निष्पन्न होता है।

1. **प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, मातारानी रूमाली देवी महिला महाविद्यालय, नदुआ बाजार, महराजगंज।**

वेदों को 'श्रुति' नाम से पुकारा जाता है। गुरूमुख द्वारा शिष्यगण वेदों का अनुश्रवण कर स्मरण किया करते थे। श्रवण किये जाने के कारण इनका नाम 'श्रुति' पड़ गया। श्रुतियों की सहायता से ही भारतीय दर्शनों के विविध विकास को हम भली भांति समझ सकते हैं। भारतीयों के लिए वेद की उपयोगिता बनी हुई है वेद से भारतीयों का जीवन ओत–प्रोत है। हमारी उपासना के भाजन देवगण हमारे संस्कारों की दशा बताने वाली पद्धतियाँ, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करने वाली विचारधाराएं इन सबा उद्भव स्थान वेद ही है।

वेद के अनुसार वाणी परमेश्वर का अविनाशी रूप, यज्ञ का प्रथम निर्माण करने वाली वेदों की माता तथा अमृत का नाभि (खजाना) है। अधिकांशतः विद्वान् वेद को अपौरूषेय ही मानते हैं। पौरूषेय मतानुयायी नैयायिक भी उसे सर्वज्ञ परमेश्वर की ही रचना मानता है। वेदों में ऐसा रहस्य भरा हुआ है कि शंकराचार्य जैसा तार्किक–शिरोमणि भी वेद विरोध के सामने नत् मस्तक हो जाता है।

वेद तो वस्तुतः एक ही प्रकार का है, परन्तु स्वरूप भेद के कारण तीन प्रकार का बतलाया जाता है– ऋक्, यजुः और साम।

जिन मन्त्रों में अर्थवशात् पादों कीव्यवस्था है, उन छन्दो–बद्ध मंत्रो का नाम है–ऋंचा या ऋक्।

जिन मंत्रो की विभिन्न स्वर लहरियों के माध्यम से गाया जाता है, उन गेय मंत्रो को 'साम' कहते हैं।

जो मंत्र ऋचाओं तथा सामों से व्यतिरिक्त हैं, उन्हें यजुष के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार मंत्रो के त्रिविध होने के कारण वेदों को 'त्रयी' के नाम से अभिहित करते हैं।

वेदाङ्ग साहित्य –

वेदाङ्ग का अर्थ हैं– ''वेदस्य अङ्गानि'' अर्थात् वेद के अङ्ग। अङ्ग शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है– ''उपकारक''–

''अग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीभिरिति अङ्गानि''

अर्थात् जिनके द्वारा किसी वस्तु को जानने में सहायता मिलती है उन्हें अङ्ग कहा जाता है। वेदों का अर्थ जानने में उसके कर्मकाण्ड के प्रतिपादन आदि में जो उपयोगी शास्त्र हैं, उन्हें वेदाङ्ग नाम से पुकारा जाता है। इनके द्वारा मंत्रों का अर्थ उनकी व्याख्या एवं यज्ञ में उनके विनियोग आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदाङ्गों के नाम तथा क्रम का वर्णन मुण्डकोपनिषद् में हमें सबसे पहले मिलता है। अपरा विद्या के अन्तर्गत वेद चतुष्ट्य के अनन्तर वेद के षड्अङ्गों के नामों का उल्लेख किया गया है। वेदाङ्गों की संख्या छः है जो इस प्रकार है–

1. शिक्षा	2. कल्प	3. व्याकरण
4. निरूक्त	5. छन्द	6. ज्योतिष।

वेद के मंत्रों का ठीक–ठीक उच्चारण प्रथमतः आवश्यक है। शब्दमय मंत्रों के यथार्थ उच्चारण को सर्वप्रथम महत्व दिया गया है। इस उच्चारण के निमित्त प्रवर्तमान वेदाङ्ग शिक्षा कहलाता है। वेद का मुख्य प्रयोजन वैदिक कर्म–काण्ड, यज्ञ–याग का यथार्थ विवेचन है। इसके लिए प्रवृत्त होने वाला 'अङ्ग' 'कल्प' कहलाता है। 'कल्प' का व्युत्पत्ति–लभ्य अर्थ है– यज्ञ के प्रयोगों का समर्थक शास्त्र। व्याकरण शास्त्र पदों की प्रकृति तथा प्रत्यय का उपदेश देकर पद के स्वरूप तथा उसके अर्थ का निश्चय कराता है। फलतः पदस्वरूप और पदार्थ निश्चय के निमित्त व्याकरण का उपयोग होने से वह भी वेदाङ्ग है। निरूक्त का काम है पदों की निरूक्ति बताना, पदों की व्युत्पत्ति सिखाना। निरूक्त की भिन्नता से अर्थ की भिन्नता होती है। इसलिए वेद के अर्थ निर्णय के लिए निरूक्त की वेदाङ्गता सम्पन्न होती है। वैदिक छन्दों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु 'छन्द' तथा अनुष्ठानों आदि के लिए अपेक्षित उचित समय के निर्णय हेतु ज्योतिष का उपयोग है। इन्हीं उपयोगिताओं की दृष्टि से इन छः अंगो को वेदाङ्ग नाम से कहा गया है। अतः वेद के स्वरूप तथा अर्थ के संरक्षण के निमित्त वेदाङ्ग साहित्य का आविर्भाव हुआ। इस वेदाङ्ग साहित्य का आरम्भ उपनिषद् काल ही में हो चुका था। मुण्डकोपनिषद् में वेदाङ्ग का नाम तथा विधिवत विवेचन मिलता है। इस प्रकार वेदों के अध्ययन को सरल एवं सुगम बनाने के लिए ही इन छः वेदाङ्गों का प्रणयन हुआ है।

पाणिनीय शिक्षा में भी 'वेद पुरूष' के छः अंगो के रूप में उपर्युक्त छः वेदाङ्गों का वर्णन मिलता है। जैसे– ''छन्द वेद के पैर हैं, कल्प वेद के हाथ हैं, ज्योतिषशास्त्र नेत्र के समान है, निरूक्त श्रुति अर्थात् कर्ण के समान है, शिक्षा घ्राणेन्द्रिय के समान और व्याकरण वेद का मुख है। अतः इन अंगो सहित वेद को पढ़कर ही ब्रह्मलोक में महत्त्व की प्राप्ति होती है।'' वेद का अक्षर–अक्षर पवित्र माना जाने लगा तथा उसका परिवर्तन एवं स्वरूपतः च्युति महान अनर्थ का कारण समझी जाती थी। वेद के स्वरूप तथा अर्थ के संरक्षण के निमित्त ही वेदाङ्ग साहित्य का उदय हुआ है।

इन वेदाङ्गों की रचना सामान्यतया सूत्र–शैली में हुई है। वैदिक कर्मकाण्ड विनियोग एवं यज्ञीय–विधि आदि के नियम बहुत विस्तृत तथा व्यापक थे। वेदाङ्ग

साहित्य के काल को सूत्र काल तथा इस साहित्य को 'सूत्र–साहित्य' के नाम से अभिहित किया गया है।

1. **शिक्षा**

वेदाङ्गों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें स्वर वर्ण, आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहते हैं।

यह वेदरूपी पुरूष का घ्राण कही गयी है। जिस प्रकार सब अङ्गों के परिपुष्ट तथा सुन्दर होने पर भी घ्राण के बिना पुरूष शरीर अशोभन प्रतीत होता है उसी प्रकार शिक्षा नामक वेदाङ्ग से विरहित होने पर वेदपुरूष का स्वरूप नितान्त असुन्दर दिखाई पड़ता है। शिक्षा सम्बन्धी ग्रन्थों का वैदिक संहिताओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनमें शुद्ध उच्चारण एवं स्वर–संचार के नियम दिये गये हैं। इस विषय का विशेष वर्णन प्रातिशाख्य नामक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है। वेदों की प्रत्येक शाखा से सम्बद्ध होने के कारण इन्हें 'प्रातिशाख्य' कहा जाता है।

तैत्तिरीय उपनिषद् की 'शिक्षावल्ली' में शिक्षा सम्बन्धी छः अंगो का स्पष्ट वर्णन मिलता है– वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम सन्तान।

2. **कल्प**

वेदाङ्ग साहित्य में 'कल्प' का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कल्प का अर्थ है–

''कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोऽत्र इति।
कल्पोवेद विहितानां कर्मणामानुपूर्व्येणकल्पनाशास्त्रम्।।''

अर्थात् जिसमें यज्ञीय विधियों का समर्थन और प्रतिपादन किया गया हो कल्प कहलाता है। फलतः जिन यज्ञ–यागादि तथा विवाहोपनयनादि कर्मों का विशिष्ट प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में किया गया है, उन्हीं का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र–ग्रन्थों का सामान्य अभिधान 'कल्प' है। ब्राह्मण युग के प्रभावानुसार यज्ञ ही वैदिक आर्यों का प्रधान धार्मिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से यागविद्यान के नियमों को संक्षेप तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्विजों के व्यावहारिक उपयोग के लिए प्रतिपादक ग्रन्थों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इसकी पूर्ति के लिए 'कल्पसूत्रों का निर्माण प्रत्येक शाखा में सम्पन्न हुआ। कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के हैं– श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र।

3. **व्याकरण**

व्याकरण को ही पद–पदार्थ वाक्य–वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति का तथा पद प्रकृति के विश्लेषण का प्रमुख साधन माना गया है। व्याकरण का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है– पदों की मीमांसा करने वाला शास्त्र।

'व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाअनेनेति व्याकरणम्।'

अर्थात् जिसके द्वारा प्रकृति–प्रत्यय का विवेचन किया जाता है उसी का नाम व्याकरण है। व्याकरण 'वेदपुरूष का मुख' माना जाता है।

मुख्य होने से ही वेदाङ्गों में व्याकरण की प्रमुखता है। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने व्याकरण की महत्ता का प्रतिपादन बड़े ही गम्भीर शब्दों में किया है। व्याकरण–शास्त्र की महत्ता का परिचायक यह कथन बड़ा ही रूचिकर है– इसके चार सींगे हैं– नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। वर्तमान, भूत, भविष्य तीन पाद हैं। सुप् और तिङ् इसके दो सिर हैं। सात विभक्तियाँ इसके सात हाथ हैं। यह उर, कण्ठ और सिर इन तीनों से बाँधा गया है। यह महान देव है जो मनुष्यों में प्रवेश किये हुए है।

4. **निरूक्त**

अर्थज्ञान के लिए पदों का समूह जहाँ निरपेक्ष भाव से वर्णित हो उसे निरूक्त कहते हैं। आजकल उपलब्ध निघण्टु एक ही है और इसी के ऊपर महर्षि यास्करचित 'निरूक्त' है। कतिपय विद्वान यास्क को ही निघण्टु का भी रचयिता मानते हैं। आचार्य सायण ने कहा है कि अर्थ की जानकारी के लिए स्वतंत्र पदों का संग्रह निरूक्त कहलाता है। निरूक्त स्वयं भाष्यरूप है। फिर भी वह अर्थ की दृष्टि से स्थान–स्थान पर इतना दुरूह है कि विद्वानों को भी उसके अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। दुर्गाचार्य का कहना है कि अर्थ का परिज्ञान कराने के कारण यह अंग वेदाङ्गों तथा शास्त्रों में प्रधान है। निरूक्त में वैदिक शब्दों की निरूक्ति दी गयी है। 'निरूक्ति' शब्द का अर्थ है–व्युत्पत्ति। निरूक्त का यह सर्वमान्य मत है कि प्रत्येक शब्द किसी न किसी धातु के साथ अवश्य सम्बन्ध रखता है।

5. **छन्द**

छन्द वेद का पांचवा अंग है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के निमित्त छन्द का सही ज्ञान अपेक्षित है। छन्दों का बिना ज्ञान हुए मंत्रों का उच्चारण ठीक ढंग से नहीं हो सकता। प्रत्येक सूक्त में देवता, ऋषि तथा छन्द का ज्ञान आवश्यक माना जाता है।

'छन्द को वेदपुरूष का पाद माना गया है।'

जिस प्रकार बिना पैरों के सहारे न तो मनुष्य खड़ा हो सकता है, उसी प्राकर छन्द के बिना वेद चलने में असमर्थ रहता है। 'छन्द' को छन्द कहे जाने का रहस्य यही है कि वेदों के आवरण है अर्थात् ढकने वाले साधन हैं। लौकिक संस्कृति की दृष्टि से वैदिक संस्कृत के शब्दरूपों तथा छन्दों में नियम का सामान्य अभाव है। वैदिक छन्दों में अक्षर–गणना का नियम है, अर्थात् उनमें अक्षरों के गुरू लघु के क्रम का कोई विशेष नियम नहीं है। कात्यायन में 'सर्वानुक्रमणी' में छन्द का लक्षण इस प्रकार किया है–

संख्या विशेष में वर्णों की सत्ता छन्द है। वैदिक छन्दों से ही लौकिक छन्दों का आविर्भाव हुआ है। लौकिक छन्दों में प्रायः चार ही चरण होते हैं। परन्तु वैदिक छन्दों में यह नियम नहीं है।

6. **ज्योतिष**

यज्ञ का नक्षत्र, तिथि, पक्ष, मास, ऋतु तथा संवत्सर आदि काल के विभागों के साथ बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनसे सम्बन्धित नियमों के यथार्थ निर्वाह के लिए ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। वेदाङ्गों में ज्योतिष अन्तिम वेदाङ्ग है।

'वेदाङ्ग ज्योतिष' का तो यह आग्रह है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को भली–भांति जानता है, वही यज्ञ का यथार्थ ज्ञाता है।

यज्ञ की सफलता केवल उचित विधान मे ही नहीं है, अपितु उचित नक्षत्र तथा उचित समय मे ही करने से होती है। वेदाङ्ग ज्योतिष की सम्मति में ज्योतिष समस्त वेदाङ्गों में उर्ध्वस्थानीय है। जिस प्रकार मयूर की शिखा उसके सिर पर ही रहती है, सर्पों की मणि उनके मस्तक पर निवास करती है, उसी प्रकार षड्ङ्गों में ज्योतिष को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है।

सन्दर्भ सूची

1. प्रत्येक्षाणानुमित्या वा यस्तूपायोन बुध्यते।
   एवं विदन्तिवेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता।। मनुस्मृति 2/168
2. इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंह्येत्।
   विभेत्यल्प श्रुताद्वेदो मामयं प्रहरेदिति।। म0भा0 1.1.267
3. वैदिक साहित्य का इतिहास, पृ0 11
4. वागक्षरं प्रथमजा ऋतस्य। वेदानां माताऽमृतस्य नाभिः।। तैत्तिरीय ब्राह्मण, 2.8
5. तेषामृऽायत्रार्थवशेन पादव्यवस्था। जै0सू0, 2.1.35
6. गीतिस सामाख्या– जै0सू0, 2.1.36

7. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरूक्तं छन्दो ज्योतिषमिति।। मुण्डकोपनिषद, 7.1.4–5
8. वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृ0 282
9. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषमायनं चक्षु र्निरूक्तं श्रोतमुच्यते।।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात्साङ्मधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।। पाणिनीय शिक्षा, 41–42
10. स्वरवर्णाधुच्चारण प्रकारो यत्र विक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा।
सायण ऋ0भा0भू0, पृ0 124
11. वर्णः स्वरः मात्रा बलम् सामसन्तानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः।। तै0उ0 1/1
12. ऋ0प्रा0 की वर्गद्वयवृत्ति, विष्णुमित्र, पृ0 13
13. ऋ0प्रा0
14. मुखं व्याकरणं स्मृतम। पा0शि0 42
15. चत्वारि श्रृंगात्रयो अस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोअस्य।
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महो देवो मर्त्यो आविवेश।। ऋ0वे0, 4.58.6
16. अर्थाऽवबोधे निरपेक्षतया पदजातं यत्रोक्तं तन्निरूक्तम्।
सायण–ऋ0भू0, पृ0 142
17. छन्दः पादौ तु वेदस्य– पा0शि0, 41–42
18. ''यदक्षरं परिमाणं तच्छन्दः।'' सर्वानुक्रमणी, पृ0 2
19. वेदा हि यथार्थभिप्रवृत्ताः कालाभिपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः।
तस्मादिदं कालाविधानशास्त्रं यो, ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञम्।।
वेदाङ्ग ज्योतिष, श्लोक 3

विलुप्त होती हुई जजमानी व्यवस्था

डॉ0 राजेश कुमार पाल[1]

समुदाय को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है–ग्रामीण समुदाय तथा नगरीय समुदाय। प्रत्येक मनुष्य इन दोनों में से किसी एक प्रकार के समुदाय में निवास करता है। ग्राम तथा नगर मानवीय जीवन के दो पहलू हैं। गाँवों का प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट सम्पर्क पाया जाता है जबकि नगरों में कृत्रिमता की प्रधानता होती है।

सोरोकिन और जिमरमैन ने ''ग्रामीण व नगरीय जीवन की तुलना करते हुए लिखा है कि ग्रामीण जीवन एक घड़े में शान्त जल के समान है जबकि नगरीय जीवन एक केतली में उबलते हुए पानी के समान।'' वास्तव में आज से कुछ समय पूर्व की बात करें तो ग्रामीण जीवन में बहुत स्थायित्व था और यह स्थायीत्वपन ग्रामीण जीवन के अन्दर विद्यमान ग्रामीणों के द्वारा निर्मित कुछ आधारभूत संस्थाओं के कारण था। ये संस्थाएं देखा जाए तो एक तरह से स्वचालित थीं और इनमें व्यक्तिवादिता की नहीं वरन् समूहवादिता की भावना विद्यमान थी। अनौपचारिक ग्राम पंचायतें, जाति पंचायतें, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, जजमानी व्यवस्था आदि कुछ ऐसी ही संस्थाएँ थीं और कुछ सीमा तक आज भी हैं। इन संस्थाओं की अपनी–अपनी विशिष्टताएँ थीं और एक–दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति इनके संगठन को मजबूती प्रदान किए हुए थी।

---

1. **असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, गो0 तु0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कर्वी, चित्रकूट (उ0प्र0)**

भारतीय ग्रामीण समाज में जजमानी व्यवस्था एक आधारभूत संस्था रही है। यद्यपि यह संस्था वर्तमान में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। जजमानी व्यवस्था के घटते अस्तित्व के कारण विभिन्न जातियों के बीच संबंधों में क्षीणता, निम्न जातियों का गाँव से पलायन व अन्य कई अन्य समस्यायें उभरकर सामने आई हैं। जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम अमेरिकन समाजशास्त्री डब्लू0एच0वाइजर ने अपनी पुस्तक ''दी हिन्दू जजमानी सिस्टम'' में किया। उनका यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के एक गाँव करीमपुर पर आधारित था। डब्लू0एच0वाइजर ने लिखा है कि जजमान शब्द का प्रयोग उन सभी व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो नियुक्तकर्ता का संबंध रखते हैं।

अध्ययन क्षेत्र व प्रविधि

जजमानी व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच सेवाओं की अन्तरसम्बद्धता पर आधारित एक व्यवस्था है। यदि हम जातीय अंतरसम्बद्धता को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक छोटे से क्षेत्र विशेष या एक गाँव विशेष पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होता है, तभी हम विभिन्न जातियों के बीच व्याप्त सम्बन्धों को देख सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बाँदा जिले के बड़ोखर विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाले एक गाँव कमनौड़ी पर आधारित है। इस गाँव में लगभग 100 परिवार विभिन्न जातियों के निवासरत हैं। अध्ययन में विशेष रूप से सहभागी अवलोकन व अनौपचारिक साक्षात्कार प्रविधि का सहारा लिया गया है। यह गाँव विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसमें जजमानी व्यवस्था की काफी विशेषताएँ मौजूद हैं। कुछ सेवा लेने वाली जातियाँ आस–पास के गाँवों की हैं जो समय–समय पर आकर इस गाँव की कृषक जातियों को अपनी सेवाएँ प्रदान करती हैं। इस गाँव में गड़ेरिया, अहीर, आखर, काछी, चमार, डोम या डोमार आदि जातियाँ निवास करती हैं। डोम को छोड़कर अन्य सभी जातियाँ इस गाँव की कृषक जातियाँ हैं। इसी प्रकार पथरहा बाबा नामक एक साधू भी इस गाँव को अपनी आलौकिक सेवा प्रदान करता है। सेवा प्रदान करने वाली जातियाँ अपने जजमानों को कौन–कौन सी सेवायें प्रदान करती हैं और बदले में अपना पारितोषिक किस रूप में व कितना और कब प्राप्त करती हैं, इसका विवरण निम्नवत् है–

लोहार

लोहार पास के गाँव की एक जाति है जो इस गाँव की जातियों को अपनी सेवा प्रदान करती है। कुछ लोहार परिवार इस गाँव को अपनी सुविधा के अनुसार या कृषक जातियाँ अपनी सुविधानुसार लोहारों का विभाजन कर लेती हैं कि कौन

लोहार किन जातियों का या किन थोकों का काम करेगा। इस प्रकार एक लोहार परिवार कई जातियों के घरों को अपना जजमान बनाता है और साल भर अनवरत अपनी सेवायें अपने जजमानों को देता है। लोहार अपने जजमानों से ''गोई'' के हिसाब से अन्न लेता है। गोई ही लोहार का आर्थिक मापदण्ड तय करती है। गोई का तात्पर्य एक कृषक परिवार के खेत में चलने वाले हल–बैल की जोड़ी से है। एक जोड़ी हल–बैल वाले कृषक या किसान परिवार से लोहार दस पसेरी (1पसेरी=5 किलोग्राम) अर्थात् 50 किलोग्राम अन्न लेता है। अन्न लेने की मात्रा लोहार अपने जजमानों से पहले ही तय कर लेता है ताकि बाद में सम्बन्धों में कड़वाहट न पैदा हो। पहले से तय, बँधा–बँधाया अन्न या अनाज जो कृषक जातियों द्वारा लोहार को दिया जाता है, इसे स्थानीय भाषा में ''जऊरा'' कहते हैं। इस पचास किलोग्राम अन्न या जऊरा के बदले लोहार प्रत्येक कृषक परिवार को साल में एक चारपाई, एक मचिया (बैठने हेतु) एक या दो हल व साल भर हँसिया, खुरपी और समस्त कृषि उपकरणों की मरम्मत व पिटाई (धार देना) करता है। इनके अतिरिक्त जो कृषक परिवार अन्य चीजें (जैसे–बैलगाड़ी, दरवाजा, बख्खर आदि) बनवाते हैं, उन्हें अलग से लोहार को नगद या अन्न देना होता है। विवाह के समय मंडप बनवाने के लिए भी लोहार को नेग देना होता है। यदि किसी किसान के पास ट्रैक्टर है तो ध्यान रखा जाता है कि ट्रैक्टर के पूर्व उसके कितनी गोई थीं, उसी के अनुसार लोहार उससे जऊरा लेता है। गाँव के अनेक ऐसे परिवार होते हैं जो गोईविहीन होते हैं परन्तु इनको भी लोहार की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे परिवारों से लोहार गोई वाले से आधा जऊरा लेता है। बुआई के माह में जितने दिन बुआई की जाती है, प्रत्येक कृषक परिवार लोहार को कुछ अन्न देना होता है। इसे स्थानयी भाषा में ''बई'' कहते हैं। अब इस 'बई' को जऊरा में ही सम्मिलित कर लिया जाता है। जऊरा अधिकांशतया गेहूँ का दिया जाता है और अधिकांशतया नई फसल अपने के पूर्व या नई फसल आने के बाद दिया जाता है। लोहार कुछ किसानों से पहले व कुछ किसानों से बाद में जऊरा लेता रहता है जिससे उसको आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

नाई

नाई भी पास के गाँव की एक जाति है जो पूरे गाँव को साल भर अपनी सेवायें प्रदान करती है। इस कार्य हेतु नाईयों के एक या दो परिवार हमेशा संलग्न रहते हैं। नाई का जऊरा भी प्रत्येक कृषक परिवार से गोई के हिसाब से बंधा होता है। 'गोई' ग्रामीण अंचलों में किसान की सम्पन्नता और आर्थिक स्थिति को व्यक्त करती है। इस गाँव में नाई प्रत्येक कृषक परिवार से गोई के हिसाब से

प्रत्येक वर्ष छह पसेरी अर्थात् 30 किलोग्राम जऊरा प्राप्त करता है। इस 30 किलोग्राम जऊरा के बदले नाई प्रत्येक कृषक परिवार के सभी पुरुष सदस्यों की हजामत व बाल काटता है। हजामत करने हेतु वह अपने परम्परागत उस्तरा का ही प्रयोग करता है। किसान अपनी सुविधानुसार उसको ब्लेड दे सकते हैं, परन्तु गाँव में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हजामत व बाल काटने के अतिरिक्त नाई व उसकी पत्नी अर्थात नाऊन की विवाह के कार्यकलापों व अन्य कार्यों में महती आवश्यकता पड़ती है जिसके बदले में उन्हें अलग से नगदी व अन्न दिया जाता है। विवाह के एक हफ्ते पूर्व से इनकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। यदि किसी के यहां लड़का हुआ है तो नाऊन 'सोवर' के दिनों में जननी की तेल मालिश हेतु ग्यारह किलोग्राम अन्न व लड़की होने पर छह किलोग्राम अन्न लेती है। सोवर के दिनों में जननी के कपड़े बाहर निकालने का नेग भी नाऊन बखूबी वसूलती है। लड़का होने पर नाऊन साड़ी इत्यादि की भी मांग करती हैं। किसी की मृत्यु होने पर 'सूदक' के समय बाल बनाने हेतु अलग से अन्न देना होता है। विवाह की रस्मों में नाई का नेग सर्वविदित है।

डोम

प्रत्येक गाँव में कम से कम एक या दो परिवार डोम के अवश्य होते हैं। डोम एक अनुसूचित जाति है और इनकी बस्ती गाँव के बाहरी हिस्से में होती है। डोम का जऊरा लोहार व नाई से काफी कम व भिन्न होता है। डोम गाँव के सभी मुख्य रास्तों (खोंरो) को साफ करता है व प्रत्येक घर के आगे निकाले गए कूड़े के ढ़ेर को भरकर गाँव के बाहर फेंकता है। इसके बदले में कुछ अन्न डोम को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त फसल कटाई के समय फसलों के छोटे–छोटे बंडल बना लिए जाते हैं। इन फसलों के बंडल को ही 'पूरा' कहते हैं। पाँच पूरे के बंडल को एक ढ़ोंका भी कहा जाता है। तीज–त्योहारों में डोम को कुछ अन्न भी दिया जाता है जिसे 'पवनी' कहते हैं। शादी–विवाह में इन्हें नेग व कपड़े इत्यादि भी दिए जाते हैं।

चौकीदार

इस गाँव में चौकीदार आरख जाति का है। चौकीदार का पद अनौपचारिक है और यह प्रायः वंश परम्परागत है। चौकीदार फसल कटाई के समय प्रत्येक कृषक परिवार से गोई के हिसाब से पाँच पूरे गेहूँ के व बुवाई के समय प्रत्येक किसान से एक या दो किलो 'बई' प्राप्त करता है। इसके बदले में चौकीदार सभी

सूचनाओं को गाँव में प्रसार करने, विवाह के समय बुलावा देने, विवाह के समय जनवासे की देख–रेख इत्यादि कार्यों को करता है।

धोबी

धोबी भी पास के गाँव की एक जाति है जो समय–समय पर कार्य विशेष में आकर अपने जजमानों की सेवा करती है। धोबी जाति में पुरुष की अपेक्षा महिला की आवश्यकता अधिक पड़ती है। 'सोवर' के समय जननी के कपड़े धोने हेतु धोबाईन को दस किलोग्राम अन्न दिया जाता है। कुछ पुराने कपड़े व बर्तन भी स्वेच्छा से दिए जाते हैं। किसी की मृत्यु होने पर दस दिन पर उसका 'दिन' मनाया जाता है। इस दिन आस–पड़ोस की सभी औरतें एक जगह नहाकर कपड़े वहीं छोड़ देती हैं। बाद मे ये कपड़े धोबाईन धुलती है। इसके बदले में उसको अन्न दिया जाता है। इन सुख–दुख के अवसरों के अतिरिक्त धोबी को प्रत्येक कृषक परिवार की ओर से कटाई के समय पाँच पूरे गेहूँ के भी दिए जाते हैं।

माली

माली भी पास के गाँव में निवासरत है। माली प्रत्येक अमावस्या और पूर्णमासी को आकर इस गाँव के प्रत्येक घर में (अनुसूचित जातियों को छोड़कर) दरवाजे में फूल डालता है। इसके बदले में उसको कुछ अन्न दिया जाता है जिसे स्थानीय भाषा में 'खोंची' कहते हैं। विवाह के समय माली दूल्हे के लिए खजूर की पत्तियों से बनी हुए 'माऊर' (मुकुट) लाता है। इसके बदल में उसे नकद पैसे दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त माली को कोई जऊरा बंधा नहीं होता। फसल के समय इसे गेहूँ के पूरे भी नहीं दिए जाते।

चमार

चर्मकारों की गाँव में पर्याप्त संख्या है। चर्मकारों को प्रत्येक किसान फसल कटाई के समय पाँच पूरे गेहूँ के व बुआई के समय बई देते हैं। इसके बदले में चर्मकार कृषकों के मरे हुए जानवारों को उठाने का कार्य करते हैं। यदि किसी गाँव में चर्मकारों की संख्या अधिक है तो वे आपस में तय कर लेते हैं कि कौन किस जाति के जानवर को उठाएगा। गाँव वाले यदि चाहें तो वे भी थोक के अनुसार चर्मकारों का कार्य तय कर देते हैं।

दर्जी

दर्जी को फसल कटाई के समय पाँच पूरे गेहूँ के दिए जाते हैं। इसके बदले वह लोगों के फटे–पुराने कपड़े सिलता है। विवाह के समय दर्जी दूल्हे का 'जामा' सिलता है।

पथरहा बाबा

अभी तक हमने जितनी भी जातियों का वर्णन किया वे सब सामाजिक विन्यास के अन्तर्गत बंधी हुई है। परन्तु पथरहा बाबा को लोग दैविक आपदा से बचाने हेतु बँधा–बँधाया जऊरा देते हैं। गाँवों में कृषि आर्थिक जीवन का मूल आधार है। किसान को अपने फसल के नष्ट होने का सबसे ज्यादा भय ओलों (पत्थर) से होता है। इस हेतु गाँव वाले किसी दैविक विद्या में निपुण साधु को यह जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि उनके गाँव में ओले न पड़ने पाएँ। इस गाँव में भी एक साधू इस कार्य हेतु नियुक्त है जिसे पथरहा बाबा कहते हैं। यह कभी–कभार ही गाँव में आता है। परन्तु गाँव वालों का विश्वास है कि पथरहा बाबा ने इस गाँव को एक सीमा रेखा के भीतर बांध दिया है जिसके भीतर ओले नहीं पड़ सकते। यदि कभी ओले पड़ने की आशंका भी हो तो पथरहा बाबा अपनी विद्या के बल पर इन ओलों को ऊपर ही ऊपर समेटकर किसी नदी–नाले में डाल देता है, ऐसा इस गाँव के लोगों का विश्वास है। इस कार्य हेतु पथरहा बाबा को प्रत्येक कृषक परिवार गोई के हिसाब से पाँच किलोग्राम गेहूँ वर्ष में एक बार वैशाख के महीने में देता है।

ऊपर लिखित जातियों के अतिरिक्त तमाम जातियाँ जो इस गाँव में नहीं हैं, परन्तु जब भी उनकी आवश्यकता पड़ती है, संदेश भिजवाने पर अपनी सेवायें देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। पंड़ित जो पुरोहित का काम करते हैं, पास के गाँव से आते हैं। विवाह के समय इन्हें नकद नेग दिए जाते हैं। परन्तु कथा सुनाने के वक्त इन्हें 'सीदा' दिया जाता है। दाल, चावल, आटा व अन्य चीजें थाली में रखकर पंडित को दिया जाता है, इसे ही 'सीदा' कहते हैं। कहार को विवाह के समय पानी भरने व बारी को दोने पत्तल उठाने हेतु बुलाया जाता है, चूड़ीहार भी समय–समय पर आकर गाँव की स्त्रियों को चूड़ी पहनाता रहता है। कुम्हार भी बर्तन बेचने हेतु समय–समय पर आते रहते हैं और अन्न के बदले बर्तनों का मोल–भाव करते हैं।

प्रस्तुत शोध लेख में हमने मात्र एक गाँव की जजमानी व्यवस्था का उल्लेख किया है। इस गाँव की जातियाँ किन–किन जातियों से कौन–कौन सी सेवाएँ लेती हैं, इसका वर्णन करने का प्रयास किया गया है। जरूरी नहीं है कि इसी तरह की

व्यवस्था सभी गाँवों में व्याप्त हो। आज बहुत से गाँवों में जजमानी व्यवस्था लुप्त हो गई है। जजमानी व्यवस्था के लुप्त होने के अनेक कारण हैं। यातायात व आवागमन के साधन आज इतने सर्वसुलभ हो गए हैं कि व्यक्ति छोटी से छोटी चीज के लिए नगरों पर आश्रित हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के गाँवों में प्रवेश करने के कारण धोबी व नाई जैसी जातियों की सेवायें गाँव वालों को पिछड़ी नजर अने लगी हैं। आज गाँव में भी पानी की पर्याप्त सुविधाएँ हो गई हैं, ऐसे में पानी भरने व डोली उठाने वाली कहार जाति की कोई उपयुक्तता नहीं बची। गाँवों में भी अब शादी–विवाह में बफर सिस्टम का प्रचलन हो गया है। ऐसी स्थिति में दोने–पत्तल उठाने वाली जातियों के रोजगार स्वतः ही छीनते जा रहे हैं। सरकार भी अनुसूचित जातियों व गरीब तबके के लोगों के लिए अनेक योजनाएँ चला रही है जिससे इन जातियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन आया है, फलस्वरूप कई जातियाँ ग्रामीण नेतृत्व में उभरकर सामने आ रही हैं, ऐसे में वे अपने परम्परागत व्यवसाय को बनाए रखने के पक्ष में नहीं हैं।

कृषि के यन्त्रीकरण के कारण भी तमाम छोटे–छोटे कृषक अपनी खेती ट्रैक्टरों से कराने लगे हैं व शेष समय औद्योगिक क्षेत्रों में मेहनत–मजदूरी के लिए पलायन कर जाते हैं। ऐसे में इनकों जजमानी व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं रह जाता । निम्न जातियों ने भी अब अपने व्यवसाय का व्यवसायीकारण कर दिया है जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन व सेवाभाव नहीं वरन् धन कमाना रह गया है।

जजमानी व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न जातियों के बीच सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी हुई है। गाँवों में शान्ति थी, स्थिरता थी, सभी जातियाँ एक–दूसरे का सहयोग करती थी, बड़े–बुजुर्गों का मान–सम्मान था। गाँव के कल्याणकारी कामों में सभी जातियों की सामूहिक भावना देखने को मिलती थी, सभी निम्न जातियों का भरण–पोषण आसानी से हो जाता था। व्यक्ति को छोटे–छोटे कामों के लिए यहाँ–वहाँ भटकना नही पड़ता था। परन्तु आज गाँवों में विभिन्न जातियों के बीच सम्बन्धों का बहुत तेजी से विघटन हुआ है। गाँवों में आज हत्यायें, बलात्कार, खून–खराबा, अपहरण आम बात होती जा रही है। व्यक्ति में व्यक्तिवादिता इतनी बढ़ गई है कि वह गाँव के सामूहिक कल्याण को हीनता की दृष्टि से देखता है। पंचायत के चुनावों में विभिन्न जातियों के बीच पनपी दुश्मनी गाँवों में कई पीढियों तक दिखाई देती है। आज गाँवों में धीरे–धीरे नैतिकता का पतन हो रहा है। परम्परागत मनोरंजन के साधनों का पतन व चलचित्रों के बढ़ते प्रभाव के कारण ग्रामीण जीवन की स्थिर, शान्त जीवन पद्धति धीरे–धीरे लुप्त हो रही है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि जजमानी व्यवस्था सरल और कृषि प्रधान व्यवस्था के अनुकूल थी। पर हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। औद्योगीकरण से रोजगार की नई सम्भावनाएँ पैदा हो रही हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा भी जजमानी व्यवस्था पर अपना प्रहार कर रही है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि भविष्य में यह व्यवस्था बिल्कुल लुप्त हो जाए।

संदर्भ

1. सारोकिन, पी0ए0एण्ड जिमरमैन, सी0सी0;प्रिन्सिपल ऑफ रुरल–अरबन सोसियोलाजी,1929पृ044.
2. वाइजर, डब्लू0एच0,दी हिन्दू 'जजमानी सिस्टम' पृ09.

Personality Development through Education

Dr. Munshi Lal Yadav [1]

Abstract

Education sometimes happens at school and sometimes out of schools (home, society) and knowledge can be of an education, but neither are education itself. Simply put, education is the willingness and ability to learn for the sake of learning. The truly educated person learns constantly without supervision or external reward. Education can help us live more complete and meaningful lives by nurturing essential values and skills. By valuing uniqueness and diversity, we accept our responsibility for their protection. By valuing open-minded inquiry, we may accept that, while we can seek certainties, perspectives may be best we can gain. By valuing growth as a lifelong process and recognizing change as inevitable, we may work towards goals whose fruition may lie beyond our lifetime. By valuing the ability to analyze and made reasoned judgments, We may gain insights into ourselves and our world and our world and a greater understanding of the interdependency of all things. By valuing the ability to communicate, we may give expression to our vision of the world where people can work cooperatively to improve their environment and the condition of their lives.

Key Word: Communicate essential individual, Interdependency.

1. Principal, Swami Dharmabandhu College of Education, Mukundganj, Hazaribag, Jharkhand

Introduction

An "educated person" has been liberally educated. The individual has been exposed to a wide range of subjects and disciplines and mastered both their content as well as an awareness of the methods by which that content is judged of equal importance to the development of his or her analytical and critical faculties, the educated person has found his or her own expressive voice as a fully creative human being. Once the individual knows him or herself, discovered the values that are most meaningful, has mastered written and oral communication, and is able to manipulate a range of creative media he or she able to make responsible contributions to this society. There is so many different subjects define on different base An educated person and his personality characteristic.

Psychology

Would like to add to such broad statements of general purpose is the insistence that the abilities and attitude that almost all such statements agree should be a product of general education cannot be produced without a firm ground of specific knowledge. Just as reading specialists have come to understand that one cannot develop significant reading skills without an appropriate base knowledge about the topics one is likely to be reading about, so too must those developing a program of general education understand that one cannot become an educated person simply by taking "appreciation" or "methods" courses in the appropriate range of subject areas, or by taking some "sampler" course in each area. To be educated with respect to the history of one's culture, one needs to know that history in some reasonable depth; to be educated with respect to science, one needs to know the fundamental concepts and principles that govern the physical and the biological sciences; and similarly for each of the core areas outlined in general education goals statements.

Knowledge without the development of any of the desired skills of judgment and application that are also called for in such goals statements would to be sure, be insufficient. But there simply is no shortcut method to the development of such skills without the accompanying development of the appropriate background of knowledge. While relatively few have sought to provide courses to each basic knowledge without attention to the skills required to create and to apply such knowledge, too many of late have sought to develop the skills without serious attention to the appropriate knowledge base. Skills and attitude must develop in the process of learning the basics and cannot be adequately developed in abstraction from basic knowledge.

Drama/Dance

An educated person must know how to Think for him or herself, and be able to communicate thought Articulately. An educated person must be grounded in

knowledge of the world and its mechanisms. An educated person must be culturally literate on a local, national and global level. An educated person must have a deep and profound Relationship with the Arts both as an observer/researcher and a incumbent on the educated person to understand the arts from the inside.

Music

The educated person should reflect the following characteristics: The Competencies to be an Engaged Communicator, Listener and Observer the educated person is one who can express himself in both written and oral contexts, and who can respond to an intellectual problem either spontaneously or after a period of research. This person should develop listening and visual competencies to discern and analyze the many non-verbal message that pervade our twenty-first century media-driven world. This person should also have some experience with mathematics and other symbolic systems that form a means of more abstract communication.

Political, Cultural and Environmental

The educated person is one who strives for a deeper understanding of the natural and physical world, and environmental issues. This person should have the capacity to experience and be inspired by diverse political, social, artistic, religious and intellectual cultures and ideas.

The Desire and Skills to be a Participant the educated person is one who participated in the intellectual and cultural conversation of his/her community, nation and world. He/She should be able to function and contribute harmoniously amidst a contrapuntal environment of concordant and discordant ideas. This person's ideals and performance should inspire and touch the souls of others. He/She should clearly understand and feel compelled to active participation in a pluralistic society.

Physics & Astronomy

The followings characteristic such as:

1) **Knowledge -**An educated person has a broad base of knowledge, as well as an in-depth mastery of at least one specific academic discipline. This base includes an informed understanding of the knowledge foundations and the processes and methods by which that knowledge foundation is attained and refined for the physical, biological, and social science.

   A firm foundation in the physical sciences is essential, with particular emphasis on the great ideas of the 19th and 20th centuries which have shaped our understanding of the universe and paved the way for advances in all areas of science and technology (the atomic model, energy conservation, entropy, relativity, quantum mechanics and cosmology).

   The educated person has a firm grasp of history, both of their own culture and from a global perspective. This knowledge base also includes an appreciation for and understanding of the arts, both visual and performance, and a critical appreciation for the literature from various times and cultures.

2) **Skills –** An educated person must be able to exchange information intelligently. This includes the ability to write and speak with clarity and precision, as well as the ability to read and listen critically, to comprehend and summarize. Equally important are the desire to argue for your own beliefs, and the open-mindedness to abandon those beliefs when faced with superior arguments and/or new evidence. The educated person can access various modes of discourse, and in particular, must be able to produce and understand quantitative arguments numerical estimates, and to use statistical data appropriately. The ability to reason and converse in mathematical terms cannot be over emphasized, and should be reinforced by a firm foundation in the methods of applied calculus, applied differential equations, or applied statistics.

3) **Attitudes –** An educated person pursues a lifelong commitment to make time for concentrated study and reflection. Everyone will have gaps in their knowledge, but an educated person knows how to ask the right questions, to systematically inform themselves in areas outside their chosen discipline, and most importantly they possess an intellectual curiosity that leads toward new knowledge and understanding. In addition, the educated person must possess a moral sensitivity which springs from a heightened sense of personal and academic integrity. Finally, the educated person thrives on academic rigor, and does not shy away from difficult or demanding academic disciplines.

Social Work – The educated person is to have the following characteristic-

- An ability to examine, evaluate and integrate knowledge drawn from a variety of sources and a variety of fields of study and inquiry;
- A commitment to on-going study learning;
- An ability and willingness to critically examine one's own beliefs and knowledge base;
- A capacity for critical thinking, especially in regard to how cultural, historical, economic, and political forces shape people's beliefs, values, and behavior;
- An ability to communicate one's thoughts in both written and verbal form;
- A basic understanding of the methods, strengths, and limitations of various systems of inquiry and creating knowledge;
- An understanding and appreciation of individual and group differences, especially those related to culture, ethnicity, gender, sexual identity, age, religion, and physical and mental abilities;
- An appreciation for diverse ways of knowing through literature, narratives creative expression, mathematics and social science.

Sociology

An educated person can think critically and independently. An educated person has the facility to understand abstract concepts. An educated person has fluency with a large body of facts. An educated person demonstrates clear, precise, and effective communication in a variety of media. An educated person has a board geographic and historical perspective. An educated person has the ability to engage in clear, precise, and logical argumentation.

The main findings of related to characteristic of an educated persons is as followings-

1. An educated person has the ability to think clearly and independently.
2. An educated person has good judgment.
3. An educated person knows how to learn.
4. A particular skill, and experimenting with potential approaches.
5. An educated person has the ability to take initiative and work alone.
6. An educated person has the ability to communicate thoughts and ideas in writing, clearly and concisely.
7. An educated person has the ability to speak clearly.
8. An educated person has the ability to reason analytically and critically.
9. An educated person has the ability to think inductively and deductively.
10. An educated person questions assumptions.
11. An educated person doesn't blindly accept what they are told; they go see for themselves. They can discern truth from error, regardless of the source.
12. An educated person knows how to distinguish between relevant and irrelevant information (between the important and the trivial).
13. An educated person knows how to make productive use of knowledge they know where to get the knowledge that they need, and they have the ability to organize that knowledge into a plan of action that is directed to a definite end
14. An educated person understands human nature and has the ability to establish, maintain, and improve lasting relationships.
15. An educated person knows how to establish rapport with others; they know how get others to trust and respect them.
16. An educated person knows how to cooperate and collaborate effectively with other
17. An educated person knows how to resolve conflicts with others.
18. An educated person knows how to persuade others.
19. An educated person has the ability to conceptualize and solve problems.
20. An educated person knows how to make decisions.
21. An educated person has the ability to see connections among disciplines.

22. An educated person is able to cross disciplinary boundaries and explore problems and their solutions from multiple perspectives.
23. An educated person is someone who has been educated holistically: creatively, culturally, spiritually, morally, physically, technologically, and intellectually.
24. An educated has a board liberal-arts education. They have a good overview of the following subjects: the natural sciences; the social sciences; history; geography; literature; philosophy; and theology.
25. An educated person has depth of knowledge-that is specialized knowledge-in a particular field.
26. An educated person has achieved victory over themselves; they know to withstand discomfort in the short term in order to achieve important goals in the long term.
27. An educated person has the capacity to endure and persevere.
28. An educated person is self-aware; they know how to perceive and manage their own internal states and emotions.
29. An educated person knows where and how to focus their attention.
30. An educated person has ethical values and has integrity.
31. An educated person has the ability and the discipline to do what is right.
32. An educated person is well-read and has cultural sophistication.
33. An educated person has equal esteem for everyone, without regard to gender, race, religion, country of origin, and so on.
34. An educated person understands their obligation to leave the world a little better than they found it.
35. An educated person is capable of doing new things; they have ability to generate ideas and turn them into reality. An educated person is innovative.
36. An educated person is one whose natural curiosity has been awakened with the purpose of satisfying that curiosity.
37. An educated person has the ability to indentify needed behaviors and traits and turn them into habits.
38. An educated person has the ability to identify harmful behaviors and traits-including thinking habits that are not serving them well-and the ability to modify them.
39. An educated person has the ability to keep their life in proper balance.
40. An educated person has the flexibility to admit when they're wrong.
41. An educated person has quantitative literacy; they know how to use arithmetic, algebra, geometry, and statistics to solve problems.
42. An educated person can speak at least one language other than their own.
43. An educated person has financial literacy; they have the knowledge necessary to make sound financial decisions.
44. An educated person is adaptable and knows how to deal with change.
45. An educated person knows how to handle ambiguity.

46. An educated person has the ability to explore alternative viewpoints.
47. An educated person has aesthetic apperception; they can sing and dance well, play at least one musical instrument, and can appreciate architecture, great art, and other expressions of creative genius.
48. An educated person has developed the personal philosophy that will allow them to be happy and successful.
49. An educated person has the ability and the discipline to constantly improve.
50. And educated person has the ability to pursue lifelong learning.

Conclusions

Personality of an educated person has following characters:

Communication

Use diversed methods and strategies appropriate to audience and purpose. Listen, read, write and speak effectively using text, graphics, media, and data. **Analysis:** Think clearly, critically and creatively within and across the primary domains of knowledge. Integrate experience, reason and information as a foundation for judgment. **Problem Solving:** Identify problems, access needed information, and develop successful strategies to solve diverse problems. Implement those strategies and evaluate their effectiveness. **Awareness of Social Responsibility:** Evaluate ethical dimensions of decisions and the consequences of social action **Teamwork:** Work effectively to accomplish tasks in groups. Weight alternative points of view. Work collaboratively to reach conclusions and to set an appropriate course of action. **Cultural Perspectives:** Demonstrate an understanding of global cultural and historical contexts and their impact on contemporary issues.

References

Cavell, S. (2005) Cities of Words: Pedagogical Letters on a Register or the Moral Life (Cambridge, MA, Harvard University Press).

Cuypers, S. E. and Martin, C. (2009) (eds) Rereading R. S. Peters on Education Today, Journal of Philosophy of Education Special Supplementary Issue 43 (S.2).

Fejes, A. (2008) European Citizens Under Construction: The Bologna Process Analysed from a Govermentality Perspective, Educational Philosophy Theory, 40.4, pp. 515-530.

Foucault, M. (1982) Afterword: The subject and Power, in: H. Dreyfus and P. Rabinow (eds)

Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics (Brighton, Harvester).

Foucault, M. (1991) Govermentality, in P. Rabinow (ed.) The Foucault Reader: An Introduction Foucault's Thought (Harmondsworth, Penguin).

Faucault, M. (2001) Fearless Speech (Pearson, J. ed. (Los Angels, Semiotext(e)).
Haydon, G. (2009) Peters' Paradox of Moral Education, in: S.E. Cuypers and C. Martin (eds)
Reading R. S. Peters on Education Today, Journal of Philosophy of Education Special Supplementary Issue 43 (S.2).
Katz. M. (2009) R. S. Peters' Normal Conception of Education and Educatinal Aims, in: S. E. Cuypers and C. Martin (eds) Rereading R. S. Pters on Education Today, Journal of Philosophy of Education Special Supplementary Issue 43 (S.2).
Luntley, M. (2009) On Education and Initiation, In: S. E. Cuypers and C. Martin (eds) Rereading R. S. Peters on Education Today, Journal of Philosophy of Education Special Supplementary Issue 43 (S.2).
Peters, R. S. (1970) Education and the Educated Man- Some Further Reflections, Journal of Philosophy of Education, 4.1, pp. 5-20.
Plato (2003) The Republic, D. Lee, trans. (Harmondsworth, Penguin).
Simons, M. (2007) Learning as Investment: Notes on Govermentality and Biopolitics, in: J.
Masschelein, M. Simons, U. Bro ckling and L. Pongratz (eds) The Learning Society from the Perspective of Govermentality (Oxford, Blackwell).
Gupta S.P. – Advance educational psychology Sharada Pustak Bhawan Allahabad.
Malviy Rajiv – Teacher in Emerging, Indian Society Sharada Bhawan Allahabad.

Vision 2020 and Primary Education: A Review

Dr. Vijay Shankar Sharma [1] **&** ***Mr. Abhishek Kumar*** [2]

ABSTRACT

India's vision 2.20 was primarily a document prepared by the Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC) of India's Department of Science and Technology under the chairmanship of A.P.J. Abdul Kalam and a team of 500 experts. This vision is described in detail in the book entitled 'India 2020: A vision for the New Millennium' which is co authored by Y. S. Rajan with Kalam. In this research article the inputs of Vision 2020 which is appropriate for Primary education scenario in light of its improvement are reviewed.

Keywords: Vision 2020, Primary Education

1. Head, D/o Visual Impairment, D.S.M. National Rehabilitation University, U.P.
2. Research Scholar, Faculty of Education, J.R.H. University, Chitrakoot, U.P.

Introduction

Compulsory Primary Education is the primary need of a democratic country by which every citizen can gain the equal opportunity of education at primary stage with minimum learning level (MLL) of knowledge. India is the country of such type that has diversity of culture, race, language, economy and other socio-political factors, in this condition uniformity and extension of primary education to every child in the country is a big challenge. Another big challenge is quality concern and disemmination of knowledge in context of diversity of learner. Since the period of independence Article 45 came into existence through constitution by which it is tried to achieve the goal of providing primary education to every child in the country from the age of 06 to 14 years. But this goal could not be achieved till now. Apart from this, various objectives to such as creativity, scientific attitude, health and sanitation awareness, cultural awareness, self study and education for every child in mother tongue are the questions in the background of primary education in India. So many recommendations of Commissions and committees had reported that the planning and implementation process of primary education should be reviewed in the context of present scenario. Number of educationists and researchers had done significant work in this field.

Dr. A.P.J. Abdul Kalam, a defence scientist and ex-President of India had not also known as not only a scientist but also a philosopher, great teacher educational thinker and great personality in the field of humanity and social welfare. He proposed his dream plan as Vision 2020 by which he presented his dream model of a developed country for India. Mainly his thinking focussed on the development of a youth or a child in terms of scientific thinking, technology enriched people and developed theirselves in the form of human values and great personality. So, the important facts that may be contribute in expansion and quality improvement of

primary education in the country and involved in the Kalam's Vision 2020 are reviewed in this article by which we can improve our primary education system qualitatively and make it a strong foundation towards the building of a develped nation.

Some remarkable facts of vision 2020 which can improve our futuristic primary education are as follows:

(1) Equality of Gender :- A.P.J. Abdul Kalam advocates in his vision 2020 that no any type of discrimination as gender and gender related biasedness is existed in education system. He said that every type of education is right of every child in the Country without any type of barrier as sex, gender and race etc.

(2) Children are prosperity of Nation - Dr. A.P.J. Abdul Kalam writes that youths and children are the prosperity of the Nation. He said that young people is to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexpected path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed. There are great qualities that they must work towards. This is the message of Dr. Kalam to young people. So, in this context Dr. A.P. J. Abdul Kalam advocates the enhancement the quality of children through primary education so that they not only can gain the knowledge of literacy but also developed their good thinking.

(3) Visionary Primary Education :- According to Dr. A.P.J. Abdul Kalam in vision 2020, it should be emphasized in primary education that every child naturally bears intrinsic powers by which he can imagine, think and go towards the some thing creative. It by primary education system it can be developed these intrinsic powers of dreaming then the goal of primary education as strong foundation of life standed up then we should give the direction of dreaming nature of children, he said,

"Dream, Dream Dream
Dreams transform into thoughts
And thoughts result in action."

So, according to Kalam for Vision 2020 the thoughts of Children should be welcomed and try to convert into insightful functions.

(4) Capacity building :- In Vision 2020, Dr. Kalam emphasized the fact that our whole education system especially primary education should be reformulated not only as knowledge transmission system but also an environment for enhancing the efficiency and good capacity building powers so that they may utilize the Knowledge into creativity, innovation and research work. He quoted that,

"Learning gives Creativity
Creativity leads to thinking
Thinking provides knowledge
Knowledge makes you great"

Thus he explains further the 21st century should beyond the capacity of a single individual. Knowledge management therefore should out of realm of a person and shift into the realm of the networked environments.

(5) Moral Leadership - According to the futuristic possibilities for Vision 2020. Dr. Kalam had made a relevent inference about value education that there will be a value crisis with facilities of education so there is a need of hour to inculcate the virtues of moral leadership qualities in students since primary level as "Moral Science" so that

Children may take a disposition to do the right thing and influence others to do right things.

(6) Dynamic Teaching Environment - In vision 2020, Dr. Kalam illustrates that to face the challenges of rapid technobgical revolution and enterpreneureship we should reformulate, the adopting teaching styles as traditional way into a learner centric approaches by which the children can gain the knowledge through this approaches in such a manner that they can be capable to accommodate and collaborate the knowledge into a meaniful and utilitarian way.

(7) Capacity to use high standard of technology. - Dr. A.P.J. Abdul Kalam deliberates by Vision 2020 that each and every student of the class in primary section will be capable to use the technology so the adequate facilities, knowledge accessing mediums should be developed. At this level the teacher should play the role as a facilitator and knowledge manager by developing themselves with technological effeciencies and practical knowledge. School building should be equipped with sufficient infrastructure and equipments. Technology should be used as effective assistance device and a good option of real knowledge and perception in the class roms.

Conclusion

Vision 2020 is a futuristic document prescribed by Dr. A.P.J. Abdul Kalam, a unique configuration of a development sights at every level as individual, social, national and global by which we can take the quality iniatives in all spheres especially in the field of primary education. Dr. Kalam's interest to interact with school children and recognizing their needs and dreams he suggested various practical inputs for all round development of children so that they may develop themselves as not only

educated individuals but also a good citizen with high standard of nobelity and values great sense of humanity with full of skill and aptitude also. His practical suggestions towards the education at primary level, really a mile stone for reforms in the field of primary education practices.

References

Rajan Sundar, Y. S. (2012), Abdul Kalam A.P.J., "Bharat 2020 Nav Nirman ki Roop Rekha"- Rajpal and Sons, Delhi

Raijada, v.c-c1997 Shiksha mein Anusandhan ke Avashyak Tatwa, Rajsthan Hindi Granth Academy, Jaipur.

Verghis, N.V. and Mehta, Arun C. (1998) Elementary education in India, where do we stand, State Report Card, NUEPA, New Delhi,

Dr. Kalam, A.P.J. Abdul (2006), Plenary Address at the National Conference on 'Revisit Indian Education.' vision 2020 - challenges Ahead New Delhi.

www.abdulkalam.nic.in

www.apjabdulkalamfoundation.org

भारत में चुनाव सुधार की आवश्यकता एक विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ० पंकज तिवारी [1] एवं डॉ० अमित कुमार उपाध्याय [2]

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र का सफल संचालन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है। ''वयस्क मताधिकार पर आधारित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है क्योंकि एक निश्चित समय अन्तराल के उपरान्त जनता अपने लोकप्रिय मत द्वारा शासकों के माध्यम से सत्ता में अपनी सहभागिता का निर्वाह करती है और निर्वाचक शक्ति के माध्यम से उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है'| [1]

संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा आम जनता में जो आस्था व्यक्त की थी , उस पर मतदाता प्रायः खरे उतरे हैं। धन के दूषित प्रयोग, बढ़ती हिंसा, अत्यधिक खर्चीले चुनाव, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, चुनावों में उम्मीदवारों का अधिक्य , स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सरकारी मशीनरी के निष्पक्षता पर संदेह , राजनीतिक दलों द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन, सत्तारूढ़ दलों द्वारा चुनाव मशीनरी का दुरूपयोग तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व से चुनावी प्रक्रिया दूषित हो चुकी है। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए चुनावी प्रक्रिया में लोगों की बढ़ती उदासीनता को रोकने तथा चुनाव को सार्थक बनाने के लिए चुनावों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

1. असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० (पी० जी०) कालेज, गोरखपुर|
2. असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर|

चुनाव आयोग की सभी अनुशंसाओं में चुनाव सुधार के प्रस्ताव शामिल रहे हैं। वास्तव में प्रथम आम चुनाव के बाद चुनाव सुधार की आवश्यकता वाद-विवाद का विषय रहा है। फलस्वरूप चुनाव प्रसार समय की माँग है। भारत में निर्वाचन सुधारों के सन्दर्भ में सभी पहलूओं का अध्ययन करना सामयिक और प्रासंगिक है।

''संसद ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 बनाएं है तथा परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962, 1972 बनाए है और इनसे निर्वाचन का ढंग विहित किया है तथा निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों की रचना और उनका परिसीमन किया है ''। इस कानून ने चुनाव आयोग को व्यापक संस्था के रूप में विकसित किया है। संसद के 17 आम चुनावों एवं राज्य विधान सभाओं के लगभग तीन-चार सौ निर्वाचनों ने इस व्यवस्था में अन्तर्निहित गुण एवं दोषों को उजागर किया है। चुनाव व्यवस्था में तमाम त्रुटियाँ विद्यमान है। यद्यपि आंशिक परिवर्तन किया गया है तथापि चुनाव प्रक्रिया में आज भी तमाम विसंगतियाँ एवं अनेक कमियाँ प्रकाश में आयी है। इनमें सुधार हेतु समय- समय पर विपक्षी दल , विधि विशेषज्ञों , संविधान विशेषज्ञों , न्यायविदों, पत्रकारों तथा आम जनता ने भी व्यापक सुझाव प्रस्तुत किया है। चुनाव सुधार हेतु तमाम समितियों तथा आयोगों का गठन किया गया। जिन्होंने अपनी अनुशंसाओं के माध्यम से चुनाव आयोग एवं सर कार को अवगत कराया। निर्वाचन व्यवस्था में व्यापक कमियों में कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है:

निर्वाचन व्यवस्था में बड़े पैमाने पर धन बाहुबल एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा। 1967 के बाद लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं के चुनाव में धन का बड़े पैमाने पर खतरनाक दु रूपयोग बढ़ा है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व पर सवालिया निशान है अपराध के राजनीतिकरण एवं राजनीतिक के अपराधीकरण से चुनाव प्रक्रिया कलंकित हुयी है। अपराधी पृष्ठभूमि के उम्मींदवार हथियारों के बल पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। बडे पैमाने पर इस तरह के उम्मींदवार पंजीकृत राजनीतिक दलों के टिकट पर या निर्दलीय उम्मींदवार के रूप चुनाव लड़ रहे है। जब तक की सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को परिवर्तित न किया जाए। उन्हें रोक पाना असम्भव लगता है। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली बहुमत द्वारा निर्वाचन सुनिश्चित नहीं करती जिसे कि विजयी उम्मीदवार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के बहुमत का प्रतिनिधित्व करे। उसे मात्र अपने प्रतिद्वन्दी उम्मीदवारों से कुछ ही मत अधिक प्राप्त होता है। यद्यपि उसे प्राप्त मत बहुमत से भी कम है।

वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग अपने सम्पूर्ण कार्य संचालन हेतु एवं राज्यों के तंत्र पर आश्रित है जो कि एक कमी की ओर इंगित करता है। धन , बल से अधिक बाहुबल निर्वाचन व्यवस्था को प्रदूषित किया है। मतदान स्थलों पर कब्जा और गैर-कानूनी मतदान भारत लोकतंत्र के सिर पर कलंक है। सरकारी मशीनरी का चुनाव के समय दुरूपयोग एक आम शिकायत रही हैं। इसके साथ ही साथ निर्वाचित उम्मींदवारों द्वारा निष्ठा बदलकर दलबदल करना सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के साथ मजाक है। यद्यपि इसे रोकने हेतु दलबदल निरोधी अधिनियम बनाया गया है कि लेकिन इसमें अन्तर्निहित कमजोरियों के वजह से यह निःप्रभावित रहा है।

60 के दशक से ही देश में निर्वाचन सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा था। स्वतंत्रता के बाद से सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को एक दल द्वारा निर्वाद्ध रूप से प्रभावित किया जाना एवं अन्य दलों की नाम मात्र की उपस्थिति भारत में प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के हित में नहीं रहा जिससे कि बहुमत को प्रतिनिधित्व दिया जा सके[2]

चुनाव सुधार हेतु बहुत सारे प्रयास होते रहे हैं। पहली बार चुनाव कानून में संशोधन एवं चुनाव सुधार के सभी क्षेत्रों से जुड़े प्रश्नों का परीक्षण हेतु ए क संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1970 में किया गया किन्तु दिसम्बर 1970 में लोकसभा के विघटन के साथ ही इस समिति का अन्त हो गया। 1971 में जब नई लोक सभा और नई सरकार अस्तित्व में आयी तो जुलाई 1971 में श्री जगन्नाथ राव की अध्यक्षता में एक 21 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्पश्चात् इस समिति ने चुनाव सुधार के मुद्दे पर कई वर्षों के अथक प्रयास के पश्चात् संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। दो प्रतियों में प्रस्तुत सुझाव में बहुत बहुमूल्य सुझाव थे।[3]

1974 में जय प्रकाश नरायण ने 'सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी' नामक संगठन की ओ र से चुनाव सुधार पर अध्ययन हेतु महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध रेडिकल ह्यूमनिस्ट श्री वी0एम0 तारकुण्डे के अध्यक्षता में एक छः सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के सदस्य इस प्रकार थे- वी0एम0 तारकुण्डे, एम0आर0 मयानी, पी0जी0 मावलंकर, ए0जे0 नुरानी, आर0सी0 देसाई और ए 0पी0 डब्ल्यू डेक्सट थे। समिति ने अपनी अनुशंसा 9 फरवरी 1975 को प्रस्तुत किया जो इस प्रकार थीं:

1- मताधिकार 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष की आयु में ही दे दिया जाए।

2- आय के स्रोतों का उल्लेख तथा आम व्यय का पूरा हिसाब लिखना समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए और निर्वाचन आयोग इसकी जाँच कराये। उम्मींदवारों के चुनाव खर्च के हिसाब की जाँच

करायी जाए। राजनीतिक दलों द्वारा उम्मींदवारों पर किया जाने वाला खर्च उम्मींदवारों के हिसाब में जोड़ा जाय तथा चुनाव खर्च की वर्तमान सीमा को दुगुना कर दिया जाये।

3- जमानत की रकम लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 सौ से बढ़ाकर 2,000 रूपये और विधान सभाओं के उम्मींदवारों के लिए 200 से बढ़ाकर 1,000 रूपये कर दी जाए।

4- प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान कार्ड निःशुल्क दिये जाये तथा प्रत्येक मतदाता के नाम का कार्ड बिना टिकट लगाये डाक से भेजने की छूट दी जाए। इसके अलावा प्रत्येक उम्मींदवार को छूट हो कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के नाम 50 ग्राम तक प्रचार सामग्री डाक से निःशुल्क भेज सके। निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूचियों की 12 प्रतियाँ प्रत्येक उम्मींदवार को सरकार की ओर से निःशुल्क दी जाए।

5- जो लोग राजनीतिक दलों को वर्ष में 1,000 रूपये दान दे, उन्हें राशि पर आयकर की छूट दी जाय तथा कम्पनियों पर यह प्रतिबन्ध जारी रखा जाए कि वे राजनीतिक दलों को दान नहीं दे सकती। कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के रूप में राजनीतिक दल को दी जाने वाली सहायता पर भी पाबन्दी लगायी जाय।

6- लोकसभा अथवा विधान सभा के विघटन अथवा नये चुनावों की घोषण के बाद से सरकार काम- चलाऊ सरकार की भाँति कार्य करें। वह न नयी नीतियों का घोषणा करे, न उसे लागू करे, न नयी परियोजनाएँ चालू करें, उसका वादा करें, नयी ऋण या भत्ते दे , न वेतन वृद्धि की घोषणा करें तथा ऐसे सरकारी समारोह न आयोजित करें जिनमें राज्यमंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव भाग लें।

7- चुनाव के दौरान मंत्रिमण्डल के सदस्य सरकारी खर्च पर यात्रा न करें सरकारी सवारी वि मान प्रयोग में न लाये, उनकी सभाओं के लिए सरकारी मंच न बनाये और उनके दौरों के लिए सरकारी कर्मचारी तैनात न करें।

8- आकाशवाणी के सन्दर्भ में चन्द्र समिति के रिपोर्ट पर अमल किया जाए तथा आकाशवाणी को निगम का रूप दिया जाए जिस तरह से ब्रिटेन में बी 0बी0सी0 पर राजनीतिक दलों को पिछले चुनावों में प्राप्त मतों के अनुपात में प्रचार का समय दिया जाता है, उसी प्रकार भारत में भी उन्हें रेडियो और टेलीविजन पर समय दिया जाए।

9- राज्यों में निर्वाचन आयोग स्थापित किये जाय , केन्द्रीय निर्वाचन आयोग में एक के बजाय तीन निर्वाचन सदस्य हो तथा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री के परामर्श पर नहीं, अपितु तीन व्यक्तियों की एक समिति की

सिफारिश पर करें। इस समिति में प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य नयायाधीश तथा लोकसभा के प्रतिपक्ष का नेता शामिल हो।

10- निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए केन्द्र तथा राज्यों में निर्वाचन परिषदें बनाई जाये , जो उसे सलाह दे। इन परिषदों में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों। इनके अलावा मतदाता परिषदें भी बनाई जाए जो निर्वाचन के समय होने वाली बुराईयों पर निगाह रखें तथा निर्वाचकों की निष्पक्षता की रक्षा करें।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव में निर्वाचन प्रणाली में संशोधन कर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत चुनाव प्रणाली लागू की जाय, तथा इसे तीन सदस्यीय बनाया जाए और उसका चयन संसद अपने दो तिहाई बहुमत द्वारा करें तथा उनमें से कोई भी सदस्य प्रशासनिक सेवाओं का सेवानिवृत कर्मचारी न हो।

जनसंघ ने भी चुनाव प्रचार सुधार हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अन्तर्गत सूची प्रणाली का समर्थन किया।

5 अगस्त 1975 को जल्दबाजी में एक ही दिन एक चुनाव विधि (संशोधन अधिनियम) पास किया गया तथा उसके दूसरे दिन राज्य सभा ने उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी और इसके तुरन्त बाद देश में आपातकाल की घोषणा हो गई। जो कुछ भी चुनाव कानून में संशोधन हुआ उसके दुरूपयोग बिना किसी सुधार के आगे जारी रहा। 1977 के आम चुनाव के पश्चात् जनता पार्टी सत्ता में आयी और पहली बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर की दलों को दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव संदेश प्रसारण करने का अवसर राज्य विधान सभाओं के चुनाव में मिला। आपात्काल के दौरान हुए सत्ता का दुरूपयोग को समाप्त करने हेतु 54वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। इसके साथ ही साथ जनता पार्टी सरकार ने चुनाव प्रचार सुधार हेतु एक मंत्रिमण्ड ल समिति का गठन किया गया। उस मंत्रीमण्डलीय समिति का अध्यक्ष तत्कालीन गृहमंत्री चैधरी चरण सिंह थे। तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस0एल0 शकधर ने बढ़ते चुनाव खर्च एवं मतदान केन्द्रों पर कब्जा से सम्बन्धित मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया।[4]

जनता पार्टी की सरकार अभी चुनाव सुधार हेतु पहल करने वाली थी इसके पूर्व वह सत्ताविहीन हो गई। 1980 में जब श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार सत्तारूढ़ हुई तो श्री एस 0एल0 शकधर और श्री आर 0के0 त्रिवेदी ने विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श करके चुनाव सुधार हेतु अनुशंसा प्रस्तुत किया।[5]

निम्नलिखित चुनाव सुधारों के सन्दर्भ में चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा प्रस्तुत किया -

1- मतदान केन्द्रों के समीप चलाये जा रहे कैम्प को बन्द कर दिया जाए।

2- वाहनों के प्रयोग को नियंत्रित किया जाए।

3- 50 प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान स्थलों में वृद्धि किया जाए।

4- प्रत्येक वर्ष में जनवरी माह से मतदाता सूचियों को अद्यतन किया जाए।

5- मतदान को प्रभावित करने से रोकने के लिए सम्पूर्ण चुनाव को एक दिन में कराया जाए।

6- सिक्किम, नागालैण्ड और मणिपुर में भी फोटो पहचान पत्र लागू किया जाए।

7- दिल्ली और केरल में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाए।

8- सभी राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू किया जाए।[6]

जब 1984 में श्री राजीव गाँधी की सरकार सत्ता में आयी तो पुनः चुनाव सुधार का प्रश्न उठाया गया। इस दिशा में सबसे निर्णायक कदम जनवरी 1985 में सरकार द्वारा दल-बदल अधिनियम का पारित किया जाना था। चुनाव सुधार के सन्दर्भ में 1990 में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श के पश्चात् संयुक्त मोर्चा वाली श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने एक अन्य समिति का गठन किया। संसद सदस्य और विशेषज्ञों की बहुलता वाली इस समिति के अध्यक्ष तत्कालीन कानून मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी थे। समिति ने 1990 में अपने अथक प्रयास और त्वरित कार्य से चुनाव सुधार में सुझाव हेतु अनुशंसा किया जिसे दिनेश गोस्वामी समिति के नाम से जाना जाता है। इनका सुझाव निम्नलिखित है:

1- चुनाव आयोग तीन सदस्यीय निकाय होना चाहिए।

2- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी बाद में होना चाहिए। और किसी भी हाल में 65 वर्ष की आयु या 10 वर्ष से अधिक समयावधि तक उन्हें पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

3- मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के साथ विचार विमर्श करके की जानी चाहिए।

4- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को न केवल सरकार के अन्तर्गत इसे नियुक्ति बल्कि राज्यपाल के पद सहित इसे किसी अन्य पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

5- वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर नया परिसीमन करना। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों में क्रमावर्तन करना।

6- बहुद्देशीय फोटो पहचान पत्र प्रदान करना।

7- किसी भी व्यक्ति को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव लड़ने का अनुमति न देना।

8- अगम्भीर उम्मीदवारों को हतोत्साहित करना। स्वतंत्र उम्मीदवारों को जमानत राशि को बढ़ाया जाए।

8- (क) डाले गए कुल मतों के 1/4 से कम मत प्राप्त करने पर जमानत जब्त करना।

9- आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए संविधिक समर्थन देना।

10- भविष्य में होने वाले सभी चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करना।

11- मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने और मतदाताओं को प्रभावित करने और डराने /धमकाने के लिए विधायी उपाय करना चाहिए।

12- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक निश्चित सीमा तक राज्य की ओर से धनराशि मिलनी चाहिए।

13- मतदान के दिन मोटर गाड़ियाँ चलाना, अग्नेयास्त्र लेकर चलना, शराब के विक्री पर रोक लगाना चाहिए।

14- दल बदल कानून के अन्तर्गत अयोग्यता , केवल स्वेच्छता से त्याग पत्र देने और विश्वास प्रस्ताव , धन विधेयक अथवा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ता व के मामले में दल संचेतक (पार्टी विह्पि) के विरूद्ध मतदान करने या अनुपस्थित रहने को ही माना जाना चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्वाचन आयोग के राय जानने के पश्चात् ही अयोग्यता के मामलें में निर्णय लेना चाहिए।

15- वर्तमान चुनाव प्रणाली में परिवर्तन के प्रश्न पर आगे और विचार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।

16- चुनाव सम्बन्धी मुद्दों की जा ॅच करने के लिए संसद के एक स्थायी समिति का गठन।

17- आयोग का व्यय स्वीकृत माने जाने की व्यवस्था जारी रहनी चाहिए।

18- मतदाता सूची को तैयार करने, अद्यतन करने आदि सम्बन्धी सरकारी सेवा का उल्लंघन करने पर दण्ड का व्यवस्था होनी चाहिए।

19- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों को मतपत्र में बाकी उम्मीदवारों से ऊपर रखना।

20- आयोग के पर्यवेक्षकों को कानूनी हैसियत प्रदान करना और उन्हें कुछ हालातों में मतगणना रोकने का अधिकार दिया जाए।

21- रिटनिंग अधिकारी के रिपोर्ट के बिना पूरे निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी भी भाग को मतदान के मतदान को रद्द करना और पुनः मतदान कराने का आदेश देना।

22- मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के अपराध का निस्तारण, इसे संज्ञेय बनाना तथा सरकारी कर्मचारियों हेतु इसे और कठोर बनाना।

23- रिक्ति होने के छः महीने के अवधि के अन्दर उपचुनाव होना चाहिए।

24- किसी स्वतंत्र उम्मींदवार के मृत्यु के अवस्था में चुनाव रद्द न करना।

25- चुनाव सभाओं में व्यवधान उत्पन्न करने पर सजा को बढ़ाया जाना।

26- मतदान के समाप्ति से 48 घंटे पहले चुनाव के सम्बन्ध में जुलुस तथा आम बैठकों के मनाही।

27- किसी भी मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के निःशुल्क ले जाने हेतु वाहन के अवैध रूप से किराये पर लेने अथवा प्राप्त करने हेतु दण्ड को बढ़ाया जाए।

28- प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए शस्त्र लेकर मतदान केन्द्र के नजदीक प्रतिबन्ध।

29- लोक प्रतिनिधित्व, 1951 की धारा 135 में संशोधन।

30- मतदान के दिन किसी औद्योगिक उपक्रम अथवा संस्थान के कर्मचारियों को वेतन के साथ अवकाश मिलना चाहिए।

31- मतदान के दिन मतदान क्षेत्र के अन्दर किसी भी होटल, भोजनालय आदि में शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थ बेचने, प्रदान करने, अथवा वितरित करने की मनाही होनी चाहिए।

32- राष्ट्रीय मान अधिनियम 1971 की धारा 2 और 3 के अन्तर्गत दोषी पाये जाने पर, दोषी पाये जाने के तारीख से छः वर्ष के समयावधि के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए।

33- चुनाव व्यय की सीमा के सम्बन्ध में 1974 से पहले की स्थिति बहाल की जानी चाहिए।

इन सुझाव को कार्य रूप देने हेतु संसद में चार विधेयक प्रस्तुत किये गए ताकि 7 मई 1990 को संयुक्त मोर्चा सरकार के त्यागपत्र देने से पहले पास किया जाये। [7] चुनाव सुधार के सन्दर्भ में नरसिंह राव की सरकार ने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये। उन्होंने 83वाँ संविधान संशोधन विधेयक 1994 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (द्वितीय संशोधन) 1994 एक अतिरिक्त् सत्र बुलाकर पास किया। [8] संयुक्त मोर्चा की सरकार श्री नरसिंह राव के बाद सत्ता में आयी और चुनाव सुधार के सन्दर्भ में कुछ संक्षिप्त प्रयास किये। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (द्वितीय संशोधन) विधेयक 26 जुलाई 1996 को पारित किया। इस विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं -

क- एक ही समय किसी भी उम्मीदवार को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए।

ख- उम्मीदवार जमानत राशि 10 गुना बढ़ाकर 300 सौ से 5000 हजार कर दिया गया जिससे संसद तथा विधान सभाओं के चुनावों में अगम्भीर उम्मीदवारों को रोका जा सके।

ग- किसी उम्मीदवार के मृत्यु के दशा में यदि किसी पंजीकृत राजनीतिक दल का उम्मीदवार की मृत्यु होती है तो सम्बन्धित पार्टी को अधिकार होगा कि वह सात दिन के भीतर उस स्थान पर नये उम्मीदवार का चयन करें। ऐसा कोई स्थानापन्न निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए नहीं होगा।

घ- चुनाव प्रचार के दिनों की संख्या 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया।

ङ- मतदान पत्र में उम्मीदवारों का नाम इस क्रम से किया जाय कि पंजीकृत दल के उम्मीदवारों का नाम वरीयता में आए। इस प्रकार का अनुक्रम क्षेत्रीय एवं अन्य पंजीकृत पार्टियों के लिए लागू हो। अन्तिम कोटि में निर्दलीय उम्मीदवारों को शामिल किया जाएगा।

च- लोक सभा के सीटों का नया परिसीमन 1991 के जनगणना के अनुसार पर होगा।

छ- चुनाव के दौरान अधिकारियों द्वारा कर्तव्य की लापरवाही करने पर दण्डित किया जाएगा।

तत्कालीन मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री टी0एन0 शेषन ने चुनाव सुधार हेतु कुछ निर्णायक एवं बहुचर्चित साथ ही साथ विवादास्पद कदम उठाए। उ समें सबसे महत्वपूर्ण फोटो पहचान पत्र की अनिवार्यता पर बल दिया। निर्वाचन आयोग ने संघ एवं राज्य मंत्रियों के चुनाव क्षेत्रों में चुनाव के दौरान अधिकारिक दौरे पर प्रतिबन्ध

लगा दिया। निर्वाचन आयोग ने मंत्रियों को यह भी निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया के घोषणा के पश्चात् सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकारियों की सभा न बुलाए या कार्यालयों या अतिथिगृहों की दुरूपोग न करें। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को यह दिशा निर्देश दिया कि वे दिन प्रतिदिन के खर्च का लेखा तैयार करें। आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की एक सीमा भी निर्धारित किया जिससे कि चुनाव खर्च को कम किया जा सके।[10]

जुलाई 1991 में निर्वाचन आयोग ने चुनाव सुधार के सम्बन्ध में एक एजेण्डा तैयार किया। जिसमें कहा की आरक्षित सीटों का चक्रीकरण और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री मनोहर सिंह गिल का मानना है कि यद्यपि दलबदल विरोधी कानून संतोषजनक है लेकिन उसे लागू करने में तमाम कमियाँ हैं, यदि दल बदल से जुड़ा कोई मामला राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के पास जाता है तो जनता के सम्मान और उत्तरदा यित्व का ध्यान रखकर कार्यवाही करना चाहिए।[11] इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में 15वें विधि आयोग तथा 14 जनवरी 1999 को इन्द्रजीत गुप्तसमिति ने अत्यन्त दूरगामी सुधारों को प्रस्तुत किया कुल मिलाकर इन तमाम चुनाव सुधार सिफारिशें से स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ है लेकिन बदलाव नहीं आया है। नये आम चुनाव के साथ कुछ नयी समस्याएँ आती है और पूरानी समस्याएँ और गम्भीर रूप धारण कर लेती है।

सन् 1996 के बाद भी चुनाव सुधार के लिये कुछ प्रमुख कदम उठाये गये जिनमें 1-डाक मतपत्र द्वारा वोट डालना 1999, 2-प्राक्सी के जरिये वोट देने की सुविधा 2003 3-उम्मीदवारों द्वारा अपराधिक इतिहास, सम्पत्ति आदि की घोषणा 2003 4- यात्रा व्यय की छूट 2003, 5- राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता 2003, 6- ईवीएम में ब्रेल लिपि शुरू करना आदि। वर्ष 2010 के बाद भी महत्वपूर्ण चुनाव सुधार किये गये। जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2009 जो एक फरवरी, 2010 से प्रभावी है।[12] इसके तहत लोकसभा एवं राज्य सभा चुनावों के दौरान एक्जिटपोल करने और उसे परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लग गई है। इस तरह चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई व्यक्ति कोई एक्जिट पोल नहीं कर सकता तथा प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी और तरीके से उप पोल के परिणामों को प्रकाशित-प्रचारित नहीं कर सकता।

वर्ष 2009 में भ्रष्ट तरीका अपनाने वाले व्यक्ति को अयोग्य करार देने की प्रक्रिया सरल बनाने का प्रावधान किया गया। इसमें भ्रष्ट तरीका अपनाने का दोषी पाये गये व्यक्ति को अयोग्य करार देने के लिये उसके मामले को तीन माह के भीतर राष्ट्रपति के पास पेश करने का समय अधिकृत अधिकारी को दिया गया है। [13] सन 2009 में ही जमानत राशि में बढ़ोत्तरी की गई। इसके तहत लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 10 हजार से बढ़ाकर 25 हजार तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये 5 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दिया गया।[14]

सन 2010 में चुनाव सुधार के क्रम में विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिका र प्रदान करने का प्रावधान किया गया। साथ ही वर्ष 2013 में मतदाता सूची में नामांकन के लिये ऑनलाइन फाइलिंग के लिये एक प्रावधान किया गया था। इस उद्देश्य के लिये केन्द्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श कर नियम बनाये जिन्हें मतदाता पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम 2013 के नाम से जाना जाता है।[15]

चुनाव सुधार के लिये एक बड़ा कदम नोटा (छव्ज्।) विकल्प शुरू करना था। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार 2013 में चुनाव आयोग ने उपर्युक्त में से कोई नहीं के लिये मतदाता पत्रों /ईवीएम मशीनों में प्रावधान किया।[16] नोटा प्रावधान को 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के विधान सभाओं के आम चुनावों से ही लागू कर दिया गया है। 16वीं लोकसभा 2014 के लिये आम चुनावों के साथ वर्ष 2014 में आन्ध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के राज्य विधान सभा चुनावों में जारी रहा है।

वर्ष 2013 में ही चुनाव सुधार के क्रम में मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ड्रायल (VVPAT) की शुरूआत एक क्रांतिकारी कदम था। वी०वी०पी०ए०टी० ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को ही पड़ा है। जिनके लिये वे मताधिकार का उपयोग किया था। वी०वी०पी०ए०टी० मतदान प्रणाली में सटीकता तथा पारदर्शिता सुनिश्चिता करता है।[17]

चुनाव सुधार के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को बहाल रखा। जिसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति को जेल या पुलिस हिरासत में होने के बाद भी चुनाव लड़ सकता है। वर्ष 2013 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि अभियोग पत्रित सांसद व विधायक अपराध के लिये दोषी सिद्ध

होने पर अपील के लिये तीन माह का नोटिस दिये जाने के बिना ही सांसद या विधान सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जायेंगे।[18]

वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार ने बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिये खर्च सीमा 40 लाख से 70 लाख कर दी संघशासित प्रदेशों में यह सीमा 50 लाख कर दी गई जो पहले (14-20) लाख थी। इसी प्रकार राज्य विधान सभाओं के लिये चुनावी खर्च 16 लाख से 28 लाख कर दी गई तथा संघशासित राज्यों के लिये यह सीमा 20 लाख कर दी गई जो पहले (8-16) लाख थी।[19]

सारांश में यही कहा जा सकता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये जाने की तत्काल आवश्यकता है। जैसे उम्मीदवारों के लिये शैक्षणिक मापदण्ड , एक प्रत्याशी को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर स्पष्ट प्रतिबन्ध लगाये जाये। प्रत्येक राजनीतिक दलों का वार्षिक अंकेक्षण होना चाहिये, राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चन्दों को सार्वजनिक करना चाहिये और उसका स्रोत बताना होगा। चुनाव आचार संहिता को वैधानिक आधार प्रदान करना एवं उल्लंघन करने पर दण्ड का प्रावधान होना चाहिये। भारत में लोकतंत्र की मूल समस्या है कि प्रत्येक राजनीतिक दल ही अलोकतांत्रिक है। अतः इसमें भी आ न्तरिक लोकतंत्र होना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

1. गोपाल कृष्ण: ''इलेक्ट्रोल पार्टीशिपेशन एण्ड पोलिटिकल इन्टिग्रेशन'' रजनी कोठारी कान्टेक्स ऑफ़ इलेक्शन चेंज इन इण्डिया, 1969, नई दिल्ली एकेडमिक बुक, 1969, पृ० 67.
2. रवि राय, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नीड ऑफ़ दी आवर पोलिटिक्स इण्डिया, वा०III, 4 अक्टू, 98, पृ०7
3. डॉ० रेड्डी एण्ड सुन्दर राम, ''डेमोक्रेसी एण्ड इण्डियन इलेक्ट्रोल सिस्टम, नीड फॉर रिर्फाम्स, उप्पल पब्लिकेशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1992, पृ० 15-16
4. एस० एल० शकधर: ''इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, जौमल ऑफ़ कस्ट्रीच्यूनल एण्ड पार्लियामेन्टरी स्टडीज, वा० 1-2, जनवरी-जून 1984, पृ० 1-11
5. एस० एल० शकधर, ''इलेक्ट्राल रिफाम्र्स जोनल ऑफ़ कॉनस्ट्यूशनल एण्ड पार्लियामेन्टरी स्टडीज, जनवरी-जून, 1984, 93.
6. एन० एस० गहलोत, इलेक्शन एण्ड इलेक्ट्राल एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, नई दिल्ली, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, 1992, पृ० 223.

7. जय तिलक जी० राव, 'इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स' थीम पेपर फॉर द थर्टी एट एनुवल कान्फ्रेंस, नई दिल्ली, 1994, पृ० 13
8. टी० एस० शंकरन, इलेक्ट्राल रिफॉर्म्स' ए केस एण्ड एन अपरचूनिटी' इक्नोमिक एण्ड पोलिटिकल विक्ली, जुलाई 1994, पृ० 1635-37
9. सुषमा यादव, इलेक्शन कामेशन एण्ड इलेक्ट्राल प्रोसेस' महेन्द्र प्रताप सिंह एण्ड हिमांशु राव, इण्डियन पोलिटिकल सिस्टम, स्ट्रैक्चर पोलिसी डवेलपमेन्ट नई दिल्ली, ज्ञनन्दा प्रकाशन, 1998, पृ 519
10. ''इलेक्ट्रल रिफाम्र्स: शेषन्स क्रुसेद'' सिविल सर्विसेज क्रानिकल, 9 मार्च 1995 पृ० 9
11. डॉ० वी० एल० फाड़िया: ''इण्डियन गर्वमेन्ट एण्ड पोलिटिक्स'' साहित्य भवन पब्लिकेशन, 2000, पृ० 653.
12. जन प्रतिनिधि (संसोधन) अधिनियम 2009, एक फरवरी 2010 से प्रभावी।
13. वही।
14. वही।
15. संशोधन की अधिसूचना 5.0.3242(म) दिनांक -24.10.2013 द्वारा।
16. इण्डिया वोट जनरल इलेक्शंस 2014, भारत का निर्वाचन आयोग पृ० 18।
17. वही।
18. लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ तथा लोक प्रहरी बनाम भारतीय संघ 2013 ।
19. कंडक्ट ऑफ़ इलेक्शन्स रूल्स 1961, संशोधित 2014, फरवरी 28, 2014 से प्रभावी।

Retail Banking Services : Concept, Product, Channel of Distribution and Customer

Dr. Sugandha Pandey [1]

Retail banking in India

Retail banking refers to provision of banking services to individuals and small business where the financial institutions are dealing with large number of low value transactions. The concept is not new to banks but is now viewed as an important and attractive market segment that offers opportunities for growth and profits. Excess of liquidity, increased dependence of corporate on capital markets, the rising income of middle class with increase in purchasing power and ability to handle debts, the increasing amount of NPA's from corporate portfolio and the growth and future growth potential of the credit card business has induced banks to shift from wholesale banking to retail banking. Retail banking has immense opportunities in a growing economy like lndia. As the growth story gets unfolded in India, retail banking is going to emerge a major driver. Some of the key policy

1. Assistant Professor, Commerce Dept., D.A.V. (P.G.) College Gorakhpur, U.P.

issues relevant to the retail-banking sector are: financial inclusion, responsible lending, and access to finance, long-term savings, financial capability, consumer protection, regulation and financial crime prevention. The credit portfolio of banking business is fast changing in India. Retail lending is becoming an important segment of bank credit. As a result, interest rates on retail lending too have come down., Risk management for banks as far as retail banking goes, should focus on risk and return characteristics of consumer loans, revenues from consumer loans, losses from consumer loans, collection strategies, and product structuring and lending policies.

Genesis of Retail Banking

The concept of – retail banking is not new to banks but is now viewed as an important and attractive market segment that offers opportunities for growth and profit. Retail banking and retail lending are often used as synonyms but in fact, the latter is just the part of retail banking. In retail banking all the needs of individual customers are taken care of in a well- integrated manner. Today's retail banking sector is characterized by three basic characteristics:

Multiple products (deposits, credit cards, insurance, investment and securities); Multiple channels of distribution (call centre, branch, internet) and Multiple customer groups (consumer, small business, and corporate).

Meaning of Retail Banking

The term 'retail banking' encompasses retail deposit schemes, retail credit, retail loans credit cards, debit cards, insurance products, mutual funds, and depository services, including demand facilities and services to customers according

to their needs. So, retail banking includes various financial services and products forming a part of the assets as well as liabilities segment of the banks. Retail banking on the assets side of the balance includes a wide range of loan products such as housing, auto, consumption and educational loans. The following are the features of retail banking:

- Strong credit assessment capability;
- Regular and constant follow up;
- Strong processing capability;
- Skilled human resources;
- Technological support and
- Sound documentation.

Reasons for Banking upon Retail Banking

1. The financial sector reforms undertaken by the Government since the year 1991 has led to cut throat competition among Banks for corporate loans making them to lend even at PLR or sub PLR and offer other valued services at comparatively cheaper rates to big and high value corporate. In the process, most of the banks have experienced substantial reduction in interest spreads and drain on their profitability.
2. Whereas corporate loans give average return of just 0.5 to 1.5 percent only, the retail advances offer attractive interest spread of 3 to 4 percent, because retail borrowers are less interest rate sensitive than the Corporate. Another reason for large interest spreads on retail advances is that the retail customers are too fragmented to bargain effectively. While corporate loans are subject

to ups and downs in trade frequently, retail loans are comparatively independent of recession and continue to deliver even during the sluggish phase of economy.

3. Retail Banking gives a lot of stability and public image to banks as compared to corporate banking.
4. Retail Banking clients are generally loyal and tend not to change from one Bank to another very often.
5. Through product innovations and competitive pricing strategies Banks can foster business relationship with customers to retain the existing clients and attract new ones.
6. Innovative products like asset securization can open new vistas in sustaining optimal capital adequacy.
7. Retail Banking offers opportunities to banks to cross sell other retail products like credit card, insurance, mutual fund products and demit facilities etc. to depositors and investors. And asset liability management for banks.

Retail Banking Products & Services

(A) Retail Deposit Products: There are many products in retail banking like Savings A/c, Current A/c, Recurring A/c, Fixed Deposit A/c, NRI A/c, Corporate Salary A/c, free Demit A/c, Kid's A/c, Senior Citizen Scheme, Cheque Facilities, Overdraft facilities, free Demand Draft Facilities ,Locker facilities, Cash Credit Facilities, etc.

(B) Retail Loan Products: Bank grant loans for different periods like short terms, and, long term and also for different purpose. Personal loans, Housing Loans, Education Loans, Vehicle Loans, professional Loans, Consumer Durable Loans, Loans against Shares and Securities.

(C) Retail Services: This includes Lockers, Depository Services, Credit Cards, Debit Cards, Net Banking, Mobile Banking, Phone Banking, Anytime, Anywhere and Anyhow banking, Automated Teller Machines, Gift Cards etc.

Retail Banking: Opportunities and Challenges

Retail banking has immense opportunities in a growing economy like India. A.T. Kearney, a global management consulting firm, recently identified India as the second most attractive retail destination of 30 emergent markets. The rise of Indian middle class is an important contributory factor in this regard. The percentage of middle to high-income Indian households is expected to continue rising. The younger population not only wields increasing purchasing power, but as far as acquiring debt is concerned, they are perhaps more comfortable than previous generations. Improving consumer purchasing power, coupled with more liberal attitudes towards personal debt, is contributing to India's retail banking segment. The combination of above factors promises substantial growth in retail sector, which at present is in the nascent stage. Due to bundling of services and delivery channels, the areas of potential conflicts of interest tend to increase in universal banks and financial conglomerates. Some of the key policy issues relevant to the retail-banking

sector are: financial inclusion, responsible protection, regulation and financial crime prevention.

Challenges to Retail Banking in India

1. The issue of money laundering is very important in retail banking. This compels all the banks to consider seriously all the documents which they accept while approving the loans.
2. The issue of outsourcing has become very important in recent past because various core activities such as hardware and software maintenance, entire ATM set up and operation (including cash, refilling) etc., are being outsourced by Indian banks.
3. Banks are expected to take utmost care to retain the on-going trust of the public.
4. Customer service should be at the end all in retail banking. Someone has rightly said that it takes months to find a good customer but only seconds to lose one. Thus, strategy of Knowing Your Customer (KYC) is important. So the banks are required to adopt innovative strategies to meet customer's needs and requirements in terms of services/products etc.
5. The dependency on technology has brought it departments 'additional responsibilities and challenges in managing, maintaining and optimizing the performance of retail banking networks'. It is equally important that banks should maintain security to the advance level to keep the faith of the customer.

6. The efficiency in operations would provide the competitive edge for the success in retail banking in coming years.
7. The customer retention is of paramount important for the profitability if retail banking business, so banks need to retain their customer in order to increase the market share.
8. One of the crucial impediments for the growth of this sector is acute shortage of manpower talent of this specific nature, a modern banking professional, for a modern banking sector.

If all these challenges are faced by the banks with utmost care and deliberation, the retail banking is expected to play a very important role in coming years, as in case of other nation.

Strategies for Increasing Retail Banking Business

A. Constant Product Innovation: To Match the Requirements of the Customer Segments

B. Quality Service and Quickness in Delivery

C. Introduction of New Delivery Channels

D. Tapping of Unexploited Potential and Increasing the Volume of Business

E. Infrastructure Outsourcing

F. Detail Market Research

G. Cross-Selling of Products

H. Business Process Outsourcing

Types of Online Banking

A common assumption is that internet banking is the only method of online banking. However, this is not strictly the case, as severals types of services are available.

- **PC Banking:** The forerunner to internet banking, PC Banking has been around since the late 1980s and is still widely used today. Individual banks provide software which is loaded on to an SMC's office computer. SMEs can then access their bank account via a modem and telephone link to the bank access is not necessary via the internet.
- **Internet Banking:** Using a web browser any user can access his/her account one's the bank application server has validated the user's identity.
- **Digital TV Banking:** Using standard reception equipment set-top box and remote control users can access their bank account. One of the main selling point is that no account details are transmitted via the internet.
- **Text Phone Banking:** This service allows customers with cellphone to check their balance, pay bills and transfer money via sms.

Features of online Banking: Online banking features do differ from bank to bank, but one can typically do the following:

- Transfer funds between accounts
- Pay bills
- View balance and statements
- Create, view and maintain standing orders and
- View direct debits.

Products

Instead of banking through personal contacts established at the branch premises, bank would offer products through anywhere banking, ATM, the internet and mobile phones all enabled by vast electronic devices. These require less mobility on the part of the customer. In fact banking functions can be called at the press of a few keys in your cell phone. Concepts such as real time gross settlement, cheque transaction and electronic funds transfer enable quick movement of funds.

Services

In as much as elite customers identify banks to suit their requirement of services, banks may also be choosy about their customers. Large branch network, lack of adequate computerization, mindset of the people, unwieldy customer base spread over large area, high processing cost etc. are characteristics of present day banking that would give way to totally electronic base functioning mode. Hence, addressing all these issues would enable banks to go hi-tech. Giving value & adding value to customer requirements would ensure economic value addition, which ultimately would improve bottom lines.

We may conclude that every aspect of banking will be transformed by new technology. Customer friendly, products, delivery channels, relationship banking, dependency on IT systems and competitive pricing would be the driving forces, but a pressure-cooker atmosphere cannot be avoided. The most successful institutions will be those that combine visionary technology and very competitive pricing with strong relationships and brands built on trust with previous in-depth experience of the client business.

References

Commerce, New Delhi

Creative Investment Advisor by M Jane Garvey, P.O. Box 495, Glan Eleyn, III, 60138.

Indian Journal of Business Papers Department of Applied Economics & Commerce Patna, University.

Indian Journal of Commerce (Quarterly) Indra Gandhi National Open University Maidan Garhi New Delhi-68.

Indian Management (Monthly), Business standard Ltd. New, Delhi-2.

Strategic Management Journal.

The Journal of Property Manangement, Institute of Real Estate Management, 430 N Michigan Ave, Chicago, III. 60611.

The Merchant Bankers Update, New Delhi.

Vikapla, IIM, Ahemdabad.

नाथ पंथ के विशेष संदर्भ में दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार

डॉ० अंजना राय [1]

लगभग पहली शताब्दी से भारतीय संस्कृति ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र में अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इन क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति के विस्तार को भारतीयकरण की संज्ञा दी गयी। यह शब्द फ्रांसीसी पुरातत्वविद् जार्ज कोएड्स के द्वारा दिया गया। उन्होंने इसे एक संगठित संस्कृति के विस्तार के रूप में परिभाषित किया, जिसमें भारतीय संस्कृति के आधार पर कुलीनता, हिन्दू धर्म और बौद्ध धर्म की भारतीय उत्पत्ति और संस्कृत के आधार पर स्थानीय भाषायें विकसित की गयी थीं।

प्राचीन काल के सभ्य संसार में भारत की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। हिन्द महासागर के तट पर स्थित होने के कारण भारत की केन्द्रीय स्थिति थी।[2] वह तत्कालीन सभ्य एवं सुसंस्कृत देशों के समुद्री भागों के मध्य में स्थित होने से उन देशों में फैली हुयी सभ्यताओं के सम्पर्क में आता रहता था। सुमात्रा, जावा, बाली, बोर्नियो, स्याम, हिन्द चीन, बर्मा और मलाया आदि देश इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के सम्पर्क में आकर सभ्य बने।[3]

संस्कृति और सभ्यता का प्रसार विजय और व्यापार के साथ होता है। भारतीय संस्कृति के प्रसार में

1. स्वतंत्र शोध अध्येता, गोरखपुर

भारतवासियों की व्यापार यात्राओं ने अनुपम सहयोग प्रदान किया। उस काल के भारतीयों को ज्ञान था कि दक्षिण पूर्वी द्वीप समूह मसालों और स्वर्ण के खानों से भरपूर है, अतः भारतीय नाविक और व्यापारी उन देशों की अत्यधिक यात्रा करते थे जिनके कारण वहाँ की जातियाँ उनके सम्पर्क में आने लगीं और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने लगीं।[4]

वास्तव में व्यापारियों ने संस्कृति-दूत की भूमिका निभायी तथा बाहरी दुनिया के देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किये। सांस्कृतिक आदान-प्रदान में यहाँ के प्राचीन विश्वविद्यालयों की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बड़ी संख्या में विद्वानों और छात्रों को आकर्षित किया। विदेश से आने वाले विद्वान अक्सर नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में अतिरिक्त तक्षशिला, विक्रमशिला और ओदन्तपुरी विश्वविद्यालयों का भी उल्लेख आवश्यक है जहाँ के शिक्षक और छात्र धर्म और विद्या के साथ-साथ भारतीय संस्कृति को भी विदेशों में ले गये।[5] व्यापारियों, शिक्षकों और छात्रों के साथ-साथ तत्कालीन भारतीय शासकों के राजदूतों और विभिन्न धर्म के धर्म प्रचारकों ने भी भारतीय संस्कृति का प्रसार विश्व के विभिन्न भागों में किया।[6]

नाथ पंथ जिसके बारे में आम जन मानस की धारणा है कि इसका जन्म 7वीं शताब्दी के आस-पास हुआ यह पूर्णतया सही नहीं है। नाथ सम्प्रदाय तो सतयुग से चला आ रहा है और वैदिक धर्म का ही एक हिस्सा है। ह्वेनसांग अपने यात्रा विवरण में नाथ पंथ की चर्चा करता है।[7] रोम के प्रसिद्ध विद्वान टेसीटरी का मत है कि कनफटा योगी (नाथ योगी) लोग बौद्ध मत के प्रारम्भिक समय में भी विद्यमान थे, किन्तु उनकी योग्यता का विकास बौद्ध मत के पतन काल में ही हुआ। इस तरह यह कहा जा सकता है कि सनातन धर्म की यह शाखा सातवीं शतादी में बहुत फली-फूली और सारे विश्व में सूर्य की तरह चमकने लगी।[8]

भारतीय दर्शन एवं चिन्तन परम्परा में योग का प्रारम्भ आदि काल से है।[9] साथ ही भगवान शिव भारत के सबसे प्राचीन देवता हैं और इसीलिये इन्हें नाथ भी कहते हैं। नाथ पंथ के आराध्य देव शिव हैं। इनके बाद इस पंथ में दत्तात्रेय को स्थान प्राप्त है जिन्होंने शैव, वैष्णवों और शाक्तों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया[10] इन्हीं के शिष्य थे मत्स्येन्द्रनाथ। 8वीं-9वीं सदी में मत्स्येन्द्रनाथ का प्रादुर्भाव हुआ जिनकी भारत के साथ-साथ वर्मा में भी पूजा की जाती है[10]। और इन्हीं के शिष्य थे गोरखनाथ जिन्होंने पूरे देश में फैली हुयी नाथ सम्प्रदाय की योग

विधाओं का एकत्रीकरण करके प्राचीन काल से चले आ रहे इस सम्प्रदाय को व्यवस्थित किया। गुरु और शिष्य दोनों को तिब्बती बौद्ध धर्म में महासिद्धों के रूप में माना जाता है।[11] हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, जिस प्रकार से शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म से वैदिक धर्म की रक्षा की उसी प्रकार गुरू गोरक्षनाथ ने इस्लाम से हिन्दू धर्म की रक्षा की।[12] गुरु गोरखनाथ ने नेपाल में लम्बे समय तक तपस्या की और असंख्य लोगों को नाथ सम्प्रदाय में दीक्षित किया। यही से दीक्षा लेकर इनके अनुयायी विभिन्न देशों में फैले और नाथ पंथ का विस्तार किया। नाथ पंथ बारह पंथों में बँटा और बारह पंथियों के माध्यम से यह विभिन्न देशों में पहुँचा।

नाथ पंथ के जो सिद्धान्त और विशेषतायें हैं वह विश्व के किसी भी देश के किसी भी धर्म के मूल में देखे जा सकते हैं और जहाँ तक दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसके प्रसार का सम्बन्ध है नाथ सम्प्रदाय बारह पंथियों के किसी पंथ के रूप में, बौद्ध धर्म की एक शाखा के रूप में, शैव सम्प्रदाय की एक शाखा के रूप में, सूफियों के रूप में पहुँचा।

कश्मीर में 8वीं और 9वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से प्रभावित अपने तरह का शैव दर्शन विकसित हुआ जो अद्वैत और तांत्रिक धार्मिक परम्पराओं का एक समुच्चय था और इस दर्शन ने न केवल कश्मीर और पूरे भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शैव परम्परा पर गहरा प्रभाव डाला।[13] कश्मीर के राजकुमार गुणवर्मन ने राजा बनने के बजाय भिक्षुक बनना पसन्द किया और जावा के साथ-साथ इण्डोनेशिया के अनेक द्वीपों में बौद्ध धर्म के साथ-साथ नाथ सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का भी प्रसार किया। 9वीं शतादी में ने जावा के प्रम्बनन मंदिर के मध्य में शिव मंदिर और इसके दोनों ओर ब्रह्मा और विष्णु के मंदिर। पूजा के समय संस्कृत मंत्रों का पाठ भारतीय संस्कृति के पूर्ण प्रभाव को दर्शाते हैं। इण्डोनेशिया का बाली द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है जो पूर्णरूप से हिन्दू संस्कृति का अनुसरण करता है।[14]

इण्डोचायना के प्रदेश अनाम के दक्षिणी भाग में स्थित चम्पा (वियतनाम) में शैव सम्प्रदाय के साथ नाथ सम्प्रदाय के सिद्धान्त पहुँचे जिससे न केवल पूरा अनाम बल्कि चम्पा के पश्चिम में स्थित कम्बुज (कम्बोडिया) राज्य भी प्रभावित हुआ। कम्बुज के राजा ईषान वर्मा ने ऐसे मठों या आश्रमों का निर्माण किया जिसमें बहुत से सन्यासी निवास करते थे जो धर्म प्रचार विद्याध्ययन और शिक्षा कार्य में संलग्न रहते थे। ईशान वर्मा के ही समय में शिव और विष्णु की सम्मिलित मूर्तियाँ बनायी गयीं जो नाथ पंथ के आदिगुरु दत्तात्रेय से प्रेरित लगती हैं। यहीं के राजा

यशोवर्मा ने अपनी नई राजधानी यशोधरपुर के ठीक बीच में शिव का एक विशाल मंदिर बनवाया जिसके तीन खण्ड हैं प्रत्येक खण्ड पर एक-एक ऊँची मीनार है। ऊँची मीनार के चारों ओर छोटी-छोटी मीनारें हैं जिनके चारो ओर एक-एक नर मूर्ति बनी हुयी है। ये समाधिस्थ शिव की मूर्तियाँ हैं जो नाथ पंथ के समाधिस्थ योगियों की याद दिलाती हैं और कहीं न कहीं नाथ पंथ का पूर्ण प्रभाव दर्शाती हैं।

स्याम (थाइलैण्ड) प्रारम्भ में कम्बोडिया के भारतीय औपनिवेशिक राज्य के अधीन था जिसकी स्थापना एक भारतीय शैव ब्राह्मण ने की थी बाद में यहाँ का हिन्दू राज्य स्वतंत्र हो गया। 12वीं और 13वीं सदी में थाई जाति ने उत्तर दिशा से स्याम में प्रवेश किया लेकिन कालान्तर में उन्होंने स्याम में प्रचलित भारतीय सभ्यता और धर्म को स्वीकार कर लिया। बर्मा ने भी इस देश का लगातार संघर्ष हुआ। वर्मा में मत्स्येन्द्रनाथ की पूजा की जाती है वहाँ से और स्याम में प्रानी व काल, प्रचलित शैव सम्प्रदाय के साथ नाथ सम्प्रदाय के सिद्धान्त वहाँ फैले। यहीं मैं यह भी उल्लेख करना चाहूँगी कि स्वयं गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज थाइलैण्ड की राजधानी बैंकाक जाकर नाथ पंथ के सिद्धान्तों से वहाँ की जनता को अवगत करा चुके हैं और इसका काफी प्रभाव वहाँ की जनता पर दिखायी दे रहा है जिसके तहत वहाँ के लोग नाथ योगियों की योग परम्परा को अपना रहें हैं और नाथ सम्प्रदाय का वहाँ नये सिरे से प्रसार होता दिखायी दे रहा है।

मलाया में मिले विशाल हिन्दू मंदिर के खंडहर और बौद्ध बिहार के अवशेष से मिले अनेक संस्कृत शिलालेख, अन्य प्रकार की इमारतों के अवशेषों से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति भली-भाँति स्थापित थी। यहाँ से नाथ पंथ के सिद्धान्त श्रीलंका पहुँचे। बरमा भी भारतीय उपनिवेश था। यहाँ का पहला राजा वाराणसी से आया था और यहाँ की जनता शैव धर्म मानती थी कालान्तर में यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गये। ग्यारहवीं से 13वीं शताब्दी के बीच बर्मा बौद्ध-संस्कृति का महान केन्द्र बना और इसके राजदरबार पर भारतीय परम्परा का गहरा प्रभाव रहा। हाल के दिनों तक यहाँ राज-ज्योतिषी, भविष्यवक्ता तथा आचार्य ब्राह्मण हुआ करते थे जो भारत के मणिपुर के थे और बर्मा में अत्यन्त सक्रिय थे। इनकी प्रसिद्धि विज्ञान, चिकित्सा तथा ज्योतिष में उनके अच्छे ज्ञान के कारण थी।

चोल वंश के शासकों ने सिंहल (श्रीलंका) द्वीप की विजय की और वहाँ भारतीय संस्कृति का विस्तार किया। चोल शासक सहिष्णु थे और उनके राज्य में शैव मत के साथ अन्य मतों के अनुयायी भी निवास करते थे जिनमें नाथपंथी भी थे[15] यहाँ से नाथ पंथ के सिद्धान्त श्रीलंका पहुँचे।

दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति तथा धर्म का जितना प्रभाव हुआ उतना शायद संसार के किसी अन्य राज्य पर नहीं पड़ा। सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा भारतीय लिपि में संस्कृत शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये शिलालेख सभी राज्यों में प्राप्त होते हैं। इन शिलालेखों तथा साहित्य के अध्ययन से तथा अन्य साहित्य से यहाँ की भाषा, धर्म, राजनीति, सामाजिक संस्थानों पर भारत का बहुत प्रभाव दिखता है।[16]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जार्ज कोएड्स: भारतीयकृत दक्षिण पूर्वी एशिया का प्राचीन इतिहास।
2. एस0आर0 राव: शिपिंग इन एंशिएंट इंडिया: इंडियाज कन्ट्रीब्यूशन टु वल्ड थाट एण्ड कल्चर
3. मोनिका स्मिथ: (1999) ''इण्डियानाइजेशन'' फ्राम द इण्डियन प्वाइंट आफ व्यू: ट्रेड एण्ड कल्चरल कान्टैक्ट्स विथ साउथइस्ट एशिया इन द अर्ली फस्ट मिलेनियम सी०इ० जरनल आफ द इकोनामिक एण्ड सोशल हिस्ट्री आफ द ओरिएण्ट।
4. चन्द्रदत्त पालीवाल: द्वीपान्तर: इंडोनेशिया का इतिहास: द्वीपान्तर में भारतीय संस्कृति, विदेशी शासन और नवयुग।
5. चीनी यात्री फाह्यिान का यात्रा विवरण, (अनुवाद जगमोहन वर्मा) नेशनल बुक ट्रस्ट, दिल्ली (मूल प्रथम सं0, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 1918 में प्रकाशित) 1996.
6. नीलकण्ठ शास्त्री: दि चोलाज, भाग-1, आक्सफोर्ड, मद्रास, 1955.
7. ह्वेनत्सांग: सी.यू. की
8. डॉ० कल्याणी मल्लिक: 'नाथ सम्प्रदाय का इतिहास, दर्शन और साधना प्रणाली' कलकत्ता वि0वि0 1950.
9. परशुराम चतुर्वेदी: 'उत्तरी भारत की सन्त परम्परा'।
10. डॉ०विष्णुदत्त राकेश: उत्तर भारत के निर्गुण पन्थ साहित्य का इतिहास।
11. पं0 बलदेव उपाध्याय: बौद्ध दर्शन।
12. हजारी प्रसाद द्विवेदी: 'नाथ-सम्प्रदाय' हिन्दुस्तानी एकेडमी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
13. के0सी0 श्रीवास्तव: प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति।
14. सत्यकेतु विद्यालंकार: एशिया (दक्षिण-पूर्वी) का आधुनिक इतिहास।
15. सत्यकेतु विद्यालंकार: दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण एशिया में भारतीय संस्कृति।

अर्बन नक्सलवाद का स्वरूप एवं बढ़ती चुनौती: एक अध्ययन

डॉ० सचिन राय [1]

अर्बन नक्सलवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारतीय शासन व्यवस्था के सामने नक्सली समस्या ने भयंकर खतरे का रूप धारण कर लिया है। सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, इस विचारधारा में विश्वास करने वाले नक्सलियों का लोकतंत्र से कोई लगाव नहीं है। ये गणतंत्र को गन तंत्र मानते हैं। नक्सलवादी अपने आपको गरीब, मजदूर, किसानों और शोषित आदिवासी लोगों का मसीहा मानते हैं। जिसके बल पर वे इन लोगों को संगठन में शामिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। तथा कुछ प्रशासन के सताए स्वयं जाकर इन संगठनों में मिल जाते हैं। शोषित आदिवासियों की आवाज कहने वाले इन नक्सलियों का अब स्वरूप बदल गया है। अब ये महिलाओं और बच्चों को भी हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे हैं। जिसके भयंकर परिणाम सामने आ रहे हैं। वास्तव में इस आंदोलन की शुरूआत 25 मई, 1967 को पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलवाड़ी में जमींदारों और किसानों के बीच हुए भूमि विवाद से मानी जाती है। इस संघर्ष में बंगाल पुलिस ने 11 किसानों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पुलिस और जमींदार वर्ग को शोषित किसानों और आदिवासियों का सबसे बड़ा शत्रु बना दिया। अब ये गरीब किसान और आदिवासी उन पर छोटी-छोटी टुकड़ियों में इकट्ठे होकर अपने पारम्परिक हथियार लाठी, दराती आदि से घात लगाकर जानलेवा हमला करने लगे। आदिवासी, गरीब और दलितों के उत्थान के लिए शुरू किया गया यह संघर्ष अब उन्हीं के विनाश का कारण बन रहा है। अब इस आंदोलन में निर्दोष महिलाओं और मासूम बच्चों को धकेला जा रहा है, उनके कोमल हाथों में पेन, कलम की जगह खतरनाक हथियार दिए जा रहे हैं। जो कभी पुलिस की गोली का शिकार हो जाते तो कभी मुखबीर होने के शक में नक्सली उन्हें मौत के घाट-घाट उतार देते हैं। नक्सली संगठनों में महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण किसी से छिपा नहीं है। इस बात का सबूत पुलिस के सामने आत्मसर्मपण करने वाली सैकड़ों नक्सली महिलाएँ देती हैं। उन पर नक्सली नेता हम बिस्तर होने के लिए दबाव डालते हैं। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती है। ऐसा ही बलात्कार के आरोप स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस व सीआरपीएफ पर भी लगाए जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा नक्सली प्रभावित इन राज्यों को विकास के नाम

1. इतिहास विभाग, दी० द० उ० गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए अन्य राज्यों से ज्यादा रूपये दिए जाने के बाद भी विकास सरकारी फाइलों से धरातल पर नहीं उतरा है। स्वाभाविक है कि सारा का सारा पैसा भ्रष्ट नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों की भेंट चढ़ रहा है। इस प्रकार सरकार की गलत नीतियों और नक्सलियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों के बीच आदिवासी महिलाएँ, मासूम बच्चे और दलित पिस कर रह गए हैं। महिलाओं का शोषण और शिक्षा से वंचित बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। नक्सली उन्हें अच्छे प्रशासन के झूठे सपने दिखाकर अपने जाल में फंसा लेते हैं। इन संगठनों में महिलाओं का शोषण और बच्चों का शिक्षा के अभाव में भविष्य अंधकारमय हो जाता है। सबसे पहले इन समस्याओं को दूर करना होगा ताकि अशिक्षित और बेरोजगार नवयुवकों को नक्सली गुमराह न कर सके।

अब हम अर्बन नक्सलवाद[1] पर आते हैं। देश की पीढ़ी को भारत की संस्कृति से अलग करने की कोशिश को शहरी नक्सलवाद कहा जा सकता है। शहरी नक्सली मुख्यतः चरम वामपंथी, माओवादी विचारधारा के लोग हैं जिनका एक ही एजेंडा है, हिन्दुस्तान के खिलाफ काम करना।[2] 2004 में 'शहरी परिप्रेक्ष्य: हमारे कार्य में शहरी क्षेत्र' नामक एक सीपीआई (माओवादी) दस्तावेज शहरी नकसलवादी रणनीति पर विस्तारित था। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि 'शहरी नक्सलवाद' का समर्थन करने वाली अग्रणी संगठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, रांची, हैदराबाद, विशाखापट्टनम्, मदुरै, तिरूवनंतपुरम्, नागपुर और पुणे समेत कई शहरों में सक्रिय हैं। इनमें वकील, लेखक, मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं जिनकी समय-समय पर गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। हालाँकि सरकार या सरकारी एजेंसियों की तरफ से अर्बन नक्सल जैसे शब्द को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। शहरी नक्सलवाद के मामले में शहर में रहने वाले शिक्षित व्यक्ति नक्सलियों को कानूनी और बौद्धिक समर्थन प्रदान करते हैं। शहरी नक्सली भारत के 'अदृश्य दुश्मन' हैं, उनमें से कुछ को या तो गिरफ्तार किया जा चुका है या नक्सली गतिविधियों तथा भारतीय राज्य के खिलाफ विद्रोह फैलाने की आशंका में पुलिस के रडार पर रखा गया है।

शहरों में नक्सलवाद के बढ़ने का सबसे पहला मामला केरल में दिखाई दिया था जब एक नक्सली वर्ग को पुलिस ने पकड़ा था। फिर यह बात निकलकर सामने आई कि अब नक्सली अपना नेटवर्क शहरों में फैला रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नक्सलवाद के पीछे जो विचारधारा है उसको प्रोत्साहित करने वाले लोग शहरों में छिपे बैठे हैं और अपनी गतिविधियों को शहरों से ही अंजाम दे रहे हैं। शहरी नक्सलियों का मुख्य एजेंडा शहरों में नक्सलवाद का गुणगान करना और लोगों को नक्सली विचारधारा से जोड़ना है तथा विकास के किसी भी दावे को झुठलाना है।[4]

शहरी नक्सलवाद की एक अन्य परिभाषा के अंतर्गत यह एक ऐसी घटना है जिसे एक या अधिक या निम्नलिखित सभी विशेषताओं द्वारा चिन्हित किया जा सकता है:

- भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधा डालकर किसी भी रूप में विकास कार्यों को रोकने का प्रयास (उदाहरण के लिये बांध निर्माण, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं आदि के खिलाफ पीआईएल दायर करके)।
- देश की शिक्षा व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ (उदाहरण के लिये एन० सी० ई० आर० टी० पाठ्य पुस्तकों में मार्क्सवादी प्रचार आदि)।
- देश की कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना।
- देश की सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप।
- देश में हिन्दू संस्कृति पर हमला (उदाहरण के लिये हिन्दू त्यौहारों, रीति-रिवाजों आदि पर हमला)।

सामाजिक-आर्थिक कारणों से उपजा था नक्सलवाद

केन्द्र और राज्य सरकारें माओवादी हिंसा को अधिकांश रूप से कानून-व्यवस्था की समस्या मानती रही हैं लेकिन इसके मूल में गंभीर सामाजिक-आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सलियों का यह कहना रहा है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिये लड़ रहे हैं, जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी की है और वे जमीन का अधिकार तथा संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके आदिवासी बहुल हैं और यहाँ जीवनयापन की बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इन इलाकों की प्राकृतिक संपदा के दोहन में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ न सड़के हैं, न पीने के लिये पानी की व्यवस्था, न शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ और न रोजगार के अवसर। नक्सलवाद के उभार के आर्थिक कारण भी रहे हैं। नक्सली, सरकार के विकास कार्यों को चलने ही नहीं देते और सरकारी तंत्र उनसे आतंकित रहता है। एक तरफ नक्सली आदिवासी क्षेत्रों के विकास में बाधा पहुँचाते हैं तो दूसरी तरफ विकास न होने और अधिकार न मिलने का हवाला देकर हथियार उठाते हैं। इस प्रकार वे लोगों से वसूली करते हैं एवं समांतर अदालतें चलाते हैं। प्रशासन तक पहुँच न हो पाने के कारण स्थानीय लोग नक्सलियों के अत्याचार का शिकार होते हैं। अशिक्षा और विकास कार्यों की उपेक्षा ने स्थानीय लोगों एवं नक्सलियों के बीच गठबंधन को मजबूत बनाया। जानकार मानते हैं कि नक्सलवादियों की सफलता की वजह उन्हें स्थानीय स्तर पर मिलने वाला समर्थन रहा है, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी आ रही है।[5]

देश की एकता के लिये शहरी नक्सलवाद बड़ा खतरा

शहरी नक्सलवाद खतरनाक इसलिए है क्योंकि इसने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में युवाओं के बीच नक्सली हिंसा को जायज ठहरा रहे हैं और सामान्य लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इससे केवल हमारी सरकार तथा हमारी सेना नहीं लड़ सकती बल्कि इस लड़ाई को पूरे देश को लड़ना होगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सही मायने में माओवाद को जिंदा रखने वाले बौद्धिक रूप से मजबूत विचारक कई मायनों में पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी से भी ज्यादा खतरनाक हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिये हलफनामें में यह भी कहा था कि ये माओवादी विचारक 'मास आर्गेनाइजेशन' या 'फ्रंट आर्गेनाइजेशन' के जरिये शहरी आबादी के खास लक्षित वर्ग को मोबलाइज करते हैं तथा ये मास आर्गेनाइजेशन मानवाधिकार संस्थाओं की आड़ में काम करते हैं। नक्सलवाद का चेहरा कितना भयानक होता जा रहा है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नक्सलवाद ने सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर के आतंकियों के साथ हाथ मिला लिया है।[5(a)] माओवादी देश के लिये एक संकट है। रिपोर्ट के अनुसार माओवादी घटनाओं में सुरक्षा बलों की हत्याओं में पहले की अपेक्षा 53 से लेकर 55 प्रतिशत तक गिरावट आई है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भी देखा जाए तो इसमें 40 प्रतिशत की कमी आई है। इस कमी का श्रेय सीआरपीएफ के जवानों, पुलिस अधिकारियों तथा पुलिस के जवानों को जाता है। पहले देश के 10 राज्यों के 77 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे लेकिन गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब सिर्फ 30 जिले ही नक्सलवाद से प्रभावित हैं। कथित माओवादी लिंक के कारण हाल ही में पुणे की पुलिस ने जनवरी में हुए भीमा कोरेगाँव दंगों के मामले में पाँच लोगों को गिरफ्तार किया है जिससे एक बार फिर ''शहरी नक्सलवाद'' की अवधारणा पर बहस शुरू हो गई है। इस समस्या की खतरनाक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस के मुताबिक नक्सलियों के पास से एक चिट्ठी भी बरामद हुई है जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश की बात सामने आई है। शहरी नक्सलवाद हमारे देश के युवाओं को देश के ही खिलाफ भड़का रहा है। इस समस्या को

शहरी नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। सुरक्षा प्रतिष्ठानों का मानना है कि माओवाद का पुराना हो चुका नेतृत्व अब शहरों और कस्बों की ओर देख रहा है।

नक्सलवाद की उत्पत्ति

- भारत में नक्सल हिंसा की शुरूआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से शुरू हुई। इसके नेतृत्वकर्ता चारू मजूमदार तथा कानू साल्याल को माना जाता है।
- कहा जाता है कि शहरी नक्सलवाद की शुरूआत 80 के दशक में हुई थी जब नक्सलवाद ने शिक्षा के केंद्रों में अपनी जड़े जमानी शुरू की और 2004 के आते-आते अपनी गतिविधियों को बदलकर बौद्धिक स्तर पर जंग छेड़ी।
- 2004 में सीपीआई (माओवादी) का गठन सीपीआई (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) तथा माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय के साथ हुआ था।
- इसने तीन अलग-अलग रणनीतियों के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित संसदीय स्वरूप को उखाड़ फेंकने के लिये एक हिंसक विचारधारा का समर्थन किया जिसमें शामिल हैं: अपने लोगों को पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) में भर्ती करना।

  माओवादियों का लक्ष्य देश के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा करना है और धीरे-धीरे शहरी केन्द्र को घेरना है। शहरी आबादी के कुछ लक्षित वर्गों को संगठित करने, पोवर क्रांतिकारियों की भर्ती, विद्रोह के लिये धन जुटाने, भूमिगत कार्यकत्र्ताओं के लिये शहरी आश्रय बनाने हेतु मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में यह 'फ्रंट संगठन' के रूप में भी जाना जाता है।
  इन संगठनों में अकादमिक और ऐसे कार्यकर्ता शामिल होते हैं, जो ज्यादातर मानव अधिकार गैर-सरकारी संगठनों के अंतर्गत काम करते हैं और सीपीआई (माओवादी) पार्टी की संरचना से व्यवस्थित रूप से जुड़े होते हैं लेकिन कानूनी उत्तरदायित्व से बचने के लिये अलग पहचान बनाए रखते हैं।
- नक्सलवाद का सीधा संबंध वामपंथ से है। नक्सलवाद के समर्थक चीनी साम्यवादी नेता माओत्से तुंग के विचारों को आदर्श मानते हैं।
- यह आंदोलन चीन के कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग की नीतियों का अनुगामी था (इसीलिये इसे माओवाद भी कहा जाता है) और आंदोलनकारियों का मानना था कि भारतीय मजदूरों तथा किसानों की दुर्दशा के लिये सरकारी नीतियाँ जिम्मेदार हैं।
- धीरे-धीरे मध्यवर्ती भारत के कई हिस्सों में नक्सली गुटों का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। इनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं।
- यह वही नक्सलवाद है जिसने युवाओं की सोच को किस तरह दूषित किया है इसका उदाहरण जेएनयू, जाधवपुर ओर उस्मानिया विश्वविद्यालयों में देखने को मिला है।

- सीपीआई (माओवादी) पार्टी तथा इससे जुड़े सभी संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।[6]

अर्बन या शहरी नक्सलवाद क्या है?

- देश की पीढ़ी को भारत की संस्कृति से अलग करने की कोशिश को शहरी नक्सलवाद कहा जा सकता है। शहरी नक्सली मुख्यतः चरम वामपंथी, माओवादी विचारधारा के लोग हैं जिनका एक ही एजेंडा है हिन्दुस्तान के खिलाफ काम करना।[7]
- ऐसे संगठनों के खिलाफ सीधी लड़ाई हमेशा मुश्किल भरी होती है क्योंकि ऐसे लोग हमारे बीच ही घुले-मिले होते हैं इसलिये इनके साथ संवेदनशीलता और भावनाओं के साथ लड़ना पड़ता है।
- नक्सलवादी, संगठनों को विचारधारा और भावना के साथ जोड़ते हैं इसलिये ऐसे संगठन की विचारधारा और भावना पर हमला बोलना बेहद जरूरी है।[8]
- विशेषज्ञों का मानना है कि शहरी नक्सलवाद हमारे समाज में शुरूआत से ही बसा हुआ है लेकिन गुजरे कुछ वर्षों से इसका भयानक चेहरा सामने आने लगा है।[9]
- देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिये कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन शहरी नक्सलवाद के खिलाफ काम कर रहे हैं।[10]
- हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में शहरी नक्सलवाद पर एक सेमीनार का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों और विद्वानों द्वारा आयोजित इस सेमीनार में शहरी नक्सलवाद पर चर्चा की गई और इसका संदेश भी दिया गया कि कैसे हम अपने आस-पास के लोगों को पहचानें।[11]

नक्सलियों का शहरी नेटवर्क

2015 में केरल उच्च न्यायालय ने कहा था कि माओवादी होने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा रखना कोई अपराध नहीं है जब तक कि पुलिस उचित साक्ष्य न प्रस्तुत कर दें कि उसकी गतिविधियाँ गैरकानूनी हैं। अगर व्यक्ति या संगठन केवल नफरत फैलाने के लिये शारीरिक हिंसा का सहारा लेता है, तो कानूनी एजेंसी उस हिंसा को रोक सकती है अथवा व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। महत्वपूर्ण उद्योगों जैसे- संचार, तेल और प्राकृतिक गैस, कोयला, परिवहन, बिजली, रक्षा, उत्पादन इत्यादि में मजदूर वर्ग द्वारा आंदोलन में प्रवेश किया जाना। गुजरात के सूरत में 2006 से पहले ओर बाद में कई अन्य औद्योगिक बेल्टों पर माओवादी गतिविधियों का पता लगने से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि हुई है। शहरी आंदोलन ने छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों में माओवादी गुटों की ओर आकर्षित किया है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इन संगठनों ने शिक्षा क्षेत्र में भी जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है तथा वे कई प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्रों को इस आंदोलन से जोड़ने में सफल भी हुए हैं।[11(a)] माओवादियों ने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों समेत शहरी बौद्धिक और मध्यम वर्ग के बीच कुछ सहानुभूति और समर्थन प्राप्त कर लिया है। कई अवसरों पर सीपीआई (माओवादी) के महत्वपूर्ण शीर्ष स्तर के नेताओं को नागरिक समाज में छिपे शहरी और कस्बों से गिरफ्तार किया गया है।

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच करते हुए पुणे पुलिस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मारने वाली साजिशों की थ्योरी तक पहुँची है। इस मामले में पांच बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी पर देश भर में बवाल मच गया है इनकी गिरफ्तारी के साथ ही सोशल मीडिया पर 'अर्बन नक्सल' शब्द ट्रेंड करने लगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर ये 'अर्बन नक्सल' शब्द का इजाद कैसे और कहाँ से हुआ।[12]

यूँ तो नक्सलवाद पर शुरू से बहस होती रही है। कई बुद्धिजीवी नक्सलियों की पैरवी करते रहे हैं। अभी तक ये नक्सली देश के गांवों या फिर ऐसी जगहों पर पैर पसारते रहे हैं जहां न तो सरकारी सिस्टम की पहुँच होती है और न ही सुरक्षाबलों की। यानि ये चुपचाप शहर से दूर गांवों में अपनी जड़ें जमाते रहे हैं दलितों-आदिवासियों की आवाज बुलंद करने और उन्हें हक दिलाने के नाम पर ये चुपचाप अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में जुटे हैं। इस खतरनाक सोच को विभिन्न माध्यमों से खाद-पानी भी दिया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है, जो बेहद घातक है। बीते कुछ समय में पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो बताते हैं कि नक्सलवाद का न सिर्फ चेहरा-मोहरा बदला है, बल्कि इनका ठिकाना भी बदला है। ये अब गांवों से निकलकर शहरों में भी अपनी पैठ बना रहे हैं।[12(a)]

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने भी नक्सलवाद को देश के लिए बड़ा खतरा बताया था। अक्टूबर, 2009 में बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने माना था कि देश में सबसे बड़ा खतरा नक्सली ताकतों का है और उनके खिलाफ जिस तरह की सफलता की उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई है। उन्होंने कहा था कि खतरा अभी टला नहीं है। मनमोहन सिंह ने तब कहा था, सेंट्रल भारत में नक्सलियों की ग्रोथ चिंता का विषय है, ये समस्या आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा है। नक्सलियों का मजबूत होना विकास की रफ्तार को रोक सकता है, हम विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ग्रुप या लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह के गुटों के खिलाफ हम कठिन कार्रवाई करेंगे।

अब पांच बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी पर सवाल उठने लगा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तो नोटिस जारी करके पूछ लिया कि कवियों, लेखकों, पत्रकारों की गिरफ्तारी में तय मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया है? ये पढ़े-लिखे बुद्धिजीवी, विचारक, कवि, पत्रकार और समाज के सोचने-समझने वाले वो लोग हैं, जिनके बारे में पुणे पुलिस यही सोचती है कि ये ना सिर्फ भीमा कोरेगांव वाली हिंसा से जुड़े हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मारने की साजिश का हिस्सा भी हैं। यानी ये वो लोग हैं, जिनका टारगेट खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं।

ये पांचों लोग गिरफ्तार किए गए, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुणे पुलिस को जमकर फटकार लगाई। तीन सदस्यों वाली खंडपीठ ने पूछा कि इनके खिलाफ आरोप क्या हैं और फिर सभी आरोपियों को 5 सितंबर तक हाउस अरेस्ट रखने का आदेश सुनाया। अब इस मामले में 6 सितंबर को सुनवाई होगी। यानी पुणे पुलिस अब उनको ट्रांजिट रिमांड पर नहीं ले जा पाएगी, जैसा चाहती थी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार से अदालत ने जवाब मांगा है कि ये पूरा मामला है क्या और इसमें सबूत क्या है। इस पर अदालत में मुँह की खाने वाली पुणे पुलिस कह रही है कि सबूत देंगे। हमारे पास बहुत सबूत हैं। इससे पुणे पुलिस सही ढंग से अपना कार्य नहीं कर पा रही है।

गिरफ्तारी के विरोध में लामबंदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके पक्ष में सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक विरोध की लामबंदी तेज हो गई है। इंसाफ की वो आवाज उठी, जिसने पुणे पुलिस को तबाह

कर दी। सुप्रीम कोर्ट में देश की शख्सियतें पहुंचीं ये गुहार लेकर कि शहरी माओवाद के नाम पर अभिव्यक्ति का गला घोंटा जा रहा है।[13]

वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2017 में नक्सली घटनाओं में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है और इन घटनाओं में मौत का आँकड़ा भी 34 प्रतिशत तक कम हुआ है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, देश के 44 जिले नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटाए गए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के 3 जिले (प्रकाशम, कर्नूल, अनंतपुर), छत्तीसगढ़ के 3 जिले (सरगुजा, कुरिया और जसपुर) तथा झारखंड के 2 जिले (देवधर, पाकुड़) शामिल हैं। इन 44 जिलों में सबसे ज्यादा तेलंगाना से 19 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटाया गया है। केन्द्रीय गृहमंत्री ने नक्सलवाद की समस्या के खात्मे की प्रतिबद्धता को दोहराया है।[14]

अगर यह लगता है कि नक्सलवाद की समस्या से जंगलों में निपटा जा सकता है और नक्सली सिर्फ जंगलों में रहते हैं तो यह गलत हैं। जंगलों में बसने वाले नक्सली सिर्फ एक जंगलों तक ही नहीं सिमटे हैं बल्कि अब शहरों की ओर भी तेजी से बढ़ गये हैं जिसे अर्बन नक्सलवाद कहते हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ सीधी लड़ाई लड़नी हमेशा से मुश्किल भरा होता है बल्कि इनके खिलाफ संवेदनशीलता और भावनाओं के साथ लड़ना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि ये संगठन लोगों को उनकी विचारधारा और भावनाओं से जोड़ते हैं। ऐसे में इन संगठनों के भावना और विचार पर हमला बेहद जरूरी होती है। दक्षिण भारत में पैर जमा रहे नक्सली कौन होते हैं अर्बन या शहरी नक्सली? शहरी नक्सलियों का मुख्य एजेंडा होता है नक्सलवाद का शहरों में गुणगान करना।[15] खुफिया विभाग की मानें तो ये दिखावटी बुद्धिजीवी, जो 1940 के दौर को ही सच मानते हैं और विकास के किसी भी दावे को झुठलाते हैं यह समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। ये शहरी नक्सली लेखक, शिक्षक, प्रोफेसर, फिल्म निर्माता हो सकते हैं। इन सभी लोगों का नक्सलवाद के समर्थन में शहरों में लोगों की भावना को जोड़ने में अहम योगदान है। ये लोग या तो खुद समाजसेवी संस्था के जरिए या फिर नक्सलियों को अपेक्षित मंच देकर उन्हें बढ़ावा देते हैं। लेकिन जिस तरह से कई एनजीओ सरकार के निशाने पर हैं वो सरकार के खिलाफ अपने संसाधनों को भरपूर प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये संस्थायें ग्रामीणों को उनकी भावनाओं को भड़काकर उन्हें गलत तथ्य बताकर गुमराह करते हैं। यही नहीं इन नक्सलियों की आगे की योजना चेन्नई में अपने काम को मजबूत करना और नेटवर्क का विस्तार करना था। इस कदम के जरिए ये नक्सली ना सिर्फ शहरों में अपना विस्तार करते हैं बल्कि लोगों को अपनी विचारधारा से भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। नक्सलियों का अगला मिशन शहर के लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना होता है। वहीं खुफिया विभाग की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि कई बुद्धिजीवी इन नक्सलियों की मदद करते हैं।

शहरी नक्सलियों का मुख्य उद्देश्य शहरों में उनके नेटवर्क को मजबूत करना होता है। नक्सल विरोधी एक अभियान से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि शहरी नक्सलियों की त्वरित उद्देश्य यह नहीं होता कि लोग तुरंत हथियार उठाये बल्कि वो कोशिश करते हैं कि लोग उनकी विचारधारा से सहमत हों और समय के साथ व्यवस्था के खिलाफ हथियार उठाये। हालाँकि यह समस्या कुछ लोगों की विचारधारा तक ही सिमटी है लेकिन अब इसका विस्तार देखने को मिल रहा है। हैदराबाद, बेंगलुरू, चेन्नई के कॉलेज में कई छात्र खुलेआम नक्सली विचारधारा का समर्थन करते हैं तो वहीं एक ऐसा तबका भी है कि पर्दे के पीछे से काम कर रहा है।

निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि आज नक्सलवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद से भी बड़ा खतरा बन गया है। जल्द से जल्द इस समस्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे देश में अलगाववादियों का डंका बजेगा। नक्सलवादियों ने 2050 तक भारतीय शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का लक्ष्य रखा है। उनके

हौसलों से लगता है कि उन्होंने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। इनके पास से भारी मात्रा में शस्त्रों और विस्फोटक पदार्थों के पकड़े जाने से पता चलता है कि ये अपने आप को शस्त्रों से लैश करने में जुटे हैं। एलटीटीई से भी इनके रिश्ते मजबूत हैं। नक्सलियों के दो प्रमुख संगठन सी०पी०आइ०एम०एल० तथा एम० सी० सी० ने विदेशों में 22 देशों के माओवादी संगठनों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। जो भारतीय सुरक्षा के लिए चिन्ता का विषय है। क्योंकि इस नक्सलवाद की आड़ में विदेशी एजेन्सियां अपने नापाक इरादों को साधने में लगी हैं। अब असम में उल्फा से भी हाथ मिला लिया है ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि ये किसी बड़े संघर्ष की योजना बना रहे हैं। भारतीय समाज ने हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया है। नक्सलवादियों को समझना चाहिए कि हिंसा ही समस्या का समाधान नहीं है। वही सरकार को भी चाहिए कि इस नक्सलवादी बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का ऐसा ही लक्ष्य 2020-2025 या इससे पहले या बाद का रखें। सरकार द्वारा विभिन्न ऑपरेशन चलाकर नक्सलवादियों को मौत के घाट उतारा जाता है। यह कोई स्थाई समाधान नहीं है। क्योंकि इन ऑपरेशन के शिकार निर्दोष महिलाएं, बच्चों और आदिवासी लोग भी हो जाते हैं। जिससे समस्या और अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। सरकार को यह समझना चाहिए कि केवल नक्सलवादियों को खत्म करने से नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। उन सभी कारणों को खत्म करना होगा जिनसे नक्सलवादियों को ताकत मिलती है। भूमि सम्बन्धी, रोजगार सम्बन्धी, मौलिक सुविधाओं संबंधी, अशिक्षा, और शोषण ऐसे कारण हैं। जिनसे तंग आकर एक आम नागरिक इनके चंगुल में फंस कर खुंखार नक्सलवादी बन जाता है। इन संगठनों में महिलाओं का शोषण और बच्चों का शिक्षा के अभाव में भविष्य अंधकारमय हो जाता है। सबसे पहले इन समस्याओं को दूर करना होगा ताकि अशिक्षित और बेरोजगार नवयुवकों को नक्सली गुमराह न कर सके। नक्सली समस्या किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को मिल कर कोई प्रभावशाली रणनीति बनानी होगी।

पुणे पुलिस की कार्रवाई से स्पष्ट है कि शहरी समाज में नक्सलियों के प्रति हमदर्दी रखने के साथ ही उनकी हर संभव तरीके से मदद करने वाले तत्व सक्रिय हैं। इसका प्रमाण तब मिला था, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी०एन० साईंबाबा को नक्सलियों की मदद के अपराध में सजा सुनाई गई थी। निःसंदेह ऐसे तत्वों के खिलाफ आरोप साबित करना कठिन है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि शहरी समाज में नक्सलियों के दबे-छिपे मददगार मौजूद नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि वामपंथी चरमपंथी चुनौतियों से निपटने की रणनीति में 'शहरी नक्सलवाद' से निपटने की योजना शामिल होनी चाहिये। राज्य सरकारों को माओवादी फ्रंट संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करनी होगी। शहरों में बढ़ते नक्सली गतिविधियों का मुकाबला करने के लिये एक अलग बजट का प्रावधान किया जाना चाहिये। देश का युवा जैसे-जैसे जागरूक हो रहा है वह देश के विकास में भागीदार बनना चाहता है। नक्सलवाद की विचारधारा से उसका मोहभंग हो रहा है। आज युवाओं का वह तबका जो नक्सलवाद की चपेट में आ गया है को समझाने की जरूरत है, उसे संवैधानिक व्यवस्था से जोड़ने की जरूरत है और इस काम को करने के लिये समाज को आगे आना होगा। क्योंकि ये सारे लोग समाज में ही रहकर अपने पूरे कार्य को अंजाम दे रहे हैं। ये मुट्ठीभर लोग जिनका चित् अभारतीय है पूरे भारत माता को परेशान करने पर तुले हुए हैं। देश के प्रति पूर्णतः गलत विचारों का प्रचार-प्रसार इनका मुख्य औजार है, जिससे लोगों के दिलो दिमाग को बदला जाए। ऐसी परिस्थिति में इस समस्या के समाधान के लिए पूरे देश के लोगों को एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा। आज देश की सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। अगर अभारतीय चित् के बुद्धिजीवी जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं वे इसको बढ़ाने और फैलाने में लगे हैं तो भारतीय दृष्टिकोण के लोगों को एकजुट होकर सही दिशा में प्रयास कर इसको समाप्त करने का

पुरजोर प्रयास करना होगा। यह दायित्व अपने कंधे पर लेना होगा, सरकारी प्रयासों के भरोसे समाधान सम्भव नहीं है। जन-जन को जागना होगा तभी सफलता प्राप्त होगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक 'अर्बन नक्सल्स: द मेकिंग ऑफ़ बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' (अंग्रेजी में गरुण प्रकाशन से 1 जनवरी, 2018 और हिंदी में 27 मई, 2018 को प्रकाशित) के बाद और 28 अगस्त, 2018 को पुणे पुलिस द्वारा बरबर राव, बर्नोन गोन साल्वेस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, गोतम नवलखा की गिरफ्तारी और आनंद तेलतुंबड़े, स्टेन स्वामी, के सत्यनारायण के आवास पर की गयी छापेमारी के बाद यह पद संचार माध्यमों द्वारा अधिक प्रचारित-प्रसारित हुआ।

2. 'अर्बन नक्सल' पर अपनी किताब की लॉन्चिंग से पहले 2017 में विवेक अग्निहोत्री ने एक आर्टिकल में इस टर्म के बारे में बताया। 'अर्बन नक्सल' शब्द के अर्थ और इसकी अवधारणा के बारे में गहराई से बताते हुए विवेक ने लिखा कि ये देश के एक तरह से 'अदृश्य दुश्मन' हैं। इनमें से कई को पकड़ा जा चुका है, जबकि कुछ लोग विद्रोह फैलाने के आरोप में पुलिस के राडार पर हैं। इन सभी में एक बात कॉमन है, जो बेहद खतरनाक हैं। इनमें देखा गया है कि ये सभी शहरी बुद्धिजीवी हैं या फिर कार्यकर्ता हैं। इन शहरी नक्सलियों की उपलब्धियों से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सभी सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतित होने का नाटक करते हैं। साथ ही युवाओं को प्रभावित करते हैं।

3. मुख्य रूप से इसने शहरी क्षेत्रों का नेतृत्व और विशेषज्ञता हासिल करने पर ध्यान देने के साथ औद्योगिक श्रमिकों तथा शहरी गरीबों को संगठित करने, अग्रणी संगठनों की स्थापना, छात्रों, मध्यम वर्ग के कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, महिलाओं, दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों समेत समेकित संगठनों के 'कुशल संयुक्त मोर्चा' का निर्माण करने तथा कर्मियों को तकनीकी सामग्री तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही सैन्य गतिविधियों में शामिल होने पर जोर दिया।

4. विवेक कहते हैं, मेरा मानना है कि ये कभी भी सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे लोग सिर्फ जनता को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन के जरिये अपना या पार्टी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये लोग छात्रों को विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए प्रोत्साहित करते हें। साथ ही कॉलेज कैंपस में ज्यादा समय तक रहने के लिए फेल होने जैसे हथकंडे भी आजमाने को कहते हैं।

5. नवभारत टाइम्स, 11 मार्च 2016

5(a). हिन्दुस्तान, 19 जुलाई, 2016

6. चतुर्वेदी प्रतिमा, प्रथम संस्करण 2011, नक्सलवाद आतंक या आन्दोलन।

7. कुमार संजय, जायसवाल अनुराग, प्रथम संस्करण (2010) भारत की आन्तरिक सुरक्षा: मुद्दे और चुनौतियाँ।

8. कृष्णानन्द शुक्ल, प्रथम संस्करण (2008), सुरक्षा परिदृश्य।

9. शर्मा नरेन्द्र कुमार, प्रथम संस्करण 2012, भारत में नक्सलवाद।

10. सक्सेना विवेक, राजेश सुशील, (2010) नक्स्ली आतंकवाद।

11. श्रीवास्तव, मनोज, नक्सलवादः कारण, समस्या एवं समाधान।

11(a). इंडिया टुडे, 13 फरवरी, 2008

12. विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि इस देश में दो तरह के इंटेलैक्चुअल यानि बौद्धिक वर्ग हैं। पहले इंटेलैक्चुअल वे लोग हैं, जो सही सोच वाले हैं। इन लोगों में गर्मी और धूल से परेशान रहने वाले, भारतीय समस्या की आध्यात्मिक

परंपराओं को ऊपर रखने वाले, जाति व्यवस्था में यकीन न करने वाले और जिनके लिए हिंदुत्व का मतलब अन्य धर्मों, खासकर ईसाई और इस्लाम का विरोध करना है। दूसरे इंटेलैक्चुअल वे हैं जो अर्बन नक्सल्स हैं। ये बहुराष्ट्रीय एनजीओ जैसी संस्थाओं वाले नेक्सस का हिस्सा है। सबसे खतरनाक कि ये लोग भारत को तोड़ने वाली ताकत का हिस्सा है। विवेक अग्निहोत्री इससे पहले साल 2016 में 'बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम' फिल्म भी बना चुके हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने अर्बन नक्सल को दिखाया था।

12(a). नक्सली गतिविधियों में शामिल होना, उसकी नीतियों, कार्यनीतियों का समर्थन और प्रचार-प्रसार किसी को 'अर्बन' या 'रूरल' नक्सल बना सकता है। एक लोकतांत्रिक समाज में सभी राजनीतिक विचारधाराओं पर विचार-विमर्श और बहस आवश्यक है। लेकिन यह सब कार्य देश हित में हो। 'अर्बन नक्सल' घोषित करने की पूरे देश में व्यापक स्तर पर प्रतिक्रिया हुई ओर एक ही दिन साठ हजार से अधिक लोगों ने 'मी टू अर्बन नक्सल' अपने को कहा। गिरीश कर्नाड ने गौरी लंकेश की पहली पुण्यतिथि पर विरोध के एक तरीके के तहत 'मी टू अर्बन नक्सल' का बोर्ड शरीर पर डाल रखा था जो देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब गौरी लंकेश की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार चार लोगों के वकील ने कर्नाड के साथ अभिनेता प्रकाश राज, बुद्धिजीवी लेखक के एस भगवान, अग्निवेश, उमर खालिद, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी सबका संबंध माओवादियों से मानकर पुलिस से एक एफ.आई.आर. की मांग की है।

13. इन पांच लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में जो बुद्धिजीवी आगे आए हैं। इनमें 86 साल की इतिहासकार रोमिला थापर, 85 साल की अर्थशास्त्री देवकी जैन, 73 साल के अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश देशपांडे, कानूनविद मजा दारुवाला समेत कई और लोग हैं। शायद ये लोग भी भारत के प्रति सही दृष्टिकोण रखने वाले नहीं हैं। अर्बन नक्सलवाद के ही बदले रूप में देश के विरोध में कार्य कर रहे हैं।

14. मधुसूदन आनन्द, आतंकवाद से बड़ा खतरा है नक्सलवाद।

15. दैनिक जागरण, 20 अप्रैल 2016.

नारीवाद, शक्ति एवं पहचान की राजनीति

कु० आकांक्षा सिंह [1]

नारीवादी सिद्धान्त और व्यवहार में पहचान का मुद्दा इतना समस्यात्मक क्यों हो गया है? पहचान की राजनीति की इतनी व्यापक आलोचना क्यों हो रही है? यहाँ तक की भिन्न-भिन्न मतों वाले नारीवादियों द्वारा भी यह तिरस्कृत हो रही है। पहचान और पहचान की राजनीति द्वारा उठाये गये मुद्दे इतने समस्यामूलक क्यों हो गये हैं कि इनके समाधान को प्रस्तावित समस्त उपाय असफल होते रहे हैं? एक दशक से अधिक समय की बहस के बावजूद ये मुद्दे समाप्त होने की बजाय नारीवादियों के मस्तिष्क पर छाये हुये हैं।

तत्काल यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा क्यों है। पहचान की राजनीति जो पिछले दशकों में, विशेषकर अमेरिका में नारीवादी बहसों के केन्द्र में रहा है, की अभिव्यक्ति जूडिथबटलर के 'जेन्डर ट्रबल (1990) और बाद की कृतियों में मुखरित हुआ। स्थायी रूप से निर्धारित आवश्यक पहचान को वाद-विवाद से निर्मित पहचान द्वारा प्रतिस्थापित करना बटलर की कृति का केन्द्र बिन्दु है। बटलर का सिद्धान्त आधुनिकतावादी विमर्श और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आवश्यक विषय को एक 'गैर-जरूरी महिला' से प्रतिस्थापित करता है, जो उसकी अपनी दुनिया रचने वाली बहसों से निर्मित है। बटलर ऐसी पहचान प्रस्तावित करती है जो स्त्री की आधुनिकतावादी पहचान से उत्पन्न समस्त समस्याओं को दूर करती प्रतीत होती है। यह सामाजिक रूप से निर्मित एक ऐसी स्त्री है जो पुरानी पहचान का प्रतिरोध करती है, उसे कपोल कल्पना बताती है।

इस प्रकार, पहचान की राजनीति राजनीतिक क्षेत्र में महिलावादी की समस्याओं का एक सशक्त समाधान है। नारीवादी की पहली लहर महिला-पुरूष समानता पर जोर देते हुए नागरिकता की सार्वभौम श्रेणी में महिलाओं को रखने का प्रयास करते हुए महिलाओं की राजनीतिक पहचान की समस्या को उठाती है। नारीवादी की दूसरी लहर इस श्रेणी को पुरूषवादी मानकर इसे निरस्त कर देती है। यह पुरूष व महिला में भिन्नता पर जोर देते हुए नारीवादी राजनीति को 'सार्वभौम महिला' की श्रेणी के रूप में परिभाषित करती है। यह विचार भी समान रूप से त्रुटिपूर्ण है। 'महिला की यह श्रेणी श्वेत, मध्यवर्गीय, विषम लैंगिक महिला को स्थापित करती है और अन्य महिलाओं को नारीवादी राजनीति के हाशिये पर फेंक देती है।

1. सहायक आचार्य, राजनीति शास्त्र विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई बालिका महाविद्यालय, रामपुर राजधानी, गोरखपुर

इस परिप्रेक्ष्य में पहचान की राजनीति का अर्भिभाव नारीवादी राजनीति के लिए एक आदर्श समाधान प्रतीत होता है। पहचान की राजनीति, पहचानों (आइडेन्टिटीज) का एक संसार उपलब्ध करानी है जिसमें महिलाएं अपनी परिस्थितियों के अनुकूल पहचान का चुनाव कर सकती है। पहचान राजनीति महिलाओं में एकरूपता के बजाय भिन्नता को स्वीकारती है, और महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की एक रणनीति के रूप में इसकी व्यापक आलोचना के बावजूद अनेक नारीवादी इसे पूर्णतः त्यागने के इच्छुक नहीं है क्यों कि यह राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक वाहन है।

20वीं शताब्दी के मध्य से समाजवादी नारीवादी विचारधारा प्रभावी हुई तथा उदारवादी विचार धारा के विपरीत समाजवादी नारीवादियों ने महिला को केवल राजनीतिक और वैधानिक रूप में ही समानता देने का समर्थन नहीं किया, अपितु लिंग के मध्य असमान संबंध सामाजिक, आर्थिक संरचना के परिणामस्वरूप है। जब तक समाज में समाजिक-आर्थिक संरचना में आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होगा, महिलाओं की स्थिति बेहतर नहीं हो सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट (1980) के अनुसार महिलाएं पूरी दुनियाँ की जनसंख्या का 50 प्रतिशत और समूचे कार्य घंटों के 2/3 हिस्से का संपादन करती हैं, लेकिन उनकी विश्व आय का 1/10वां भाग और विश्व की संपत्ति में महिलाओं का 1 प्रतिशत हिस्सा भी नहीं है अतः समाजवादी नारीवाद के अनुसार पितृसत्तात्मक सत्ता को बेहतर रूप में सामाजिक-आर्थिक कारकों के माध्यम से देखा जा सकता है, इसका पहला उदाहरण, एंगेल्स के विचार में मिलता है। उसको अपनी रचना The Origin of Family the Private Property and the State में यह वर्णित किया कि पूंजीवादी व्यवस्था और निजी संपत्ति के प्रादुर्भाव से महिलाओं की स्थिति वंचित हुई। क्योंकि पूंजीवाद के विकास के पहले पारिवारिक जीवन साम्यवादी तथा समाज मातृसत्तात्मक था। लेकिन पूंजीवाद के उद्भव के परिणामस्वरूप निजी संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार हो गया, तथा मां का अधिकार सदैव के लिए समाप्त हो गया, यह विश्व इतिहास में महिलाओं की ऐतिहासिक पराजय है, और ऐंगेल्स के अनुसार महिलाओं का शोषण परिवार नामक संस्था द्वारा ही होता है, जिसमें महिलाओं को परिवार में समान अधिकार प्राप्त नहीं होता तथा महिलाओं के विषय में दन्त कथाओं और रूमानी प्रेम से संबंधित कर दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में पुरुष अपने विशेषाधिकार और संपत्ति की रक्षा के लिए यह ढोंग रचता है। इसलिए ऐंगेल्स के अनुसार समाजवादी समाज में विवाह नहीं होगा तथा जैसे ही निजी संपत्ति की समाप्ति होगी, पितृसत्तात्मक सत्ता का अंत स्वाभाविक रूप में हो जायेगा।

20वीं शताब्दी की समाजवादी विचारक क्लेरा जेटकिन के अनुसार वर्ग का मुद्दा लिंग से प्राथमिक है, उनके अनुसार बुर्जुआ महिला और सर्वहारा महिला के मध्य विषमता है, इसलिए शिक्षा का समान अधिकार रोजगार और समान वैधानिक स्थिति से महिलाओं की समस्या हल नहीं होगी। कुछ समाजवादी महिलावादियों के अनुसार महिला को घरेलू कार्यों में सीमित कर देना और महिला का संबंध मातृत्व से जोड़ना, पूंजीवाद के आर्थिक हित में है, क्योंकि महिलाएं एक प्रकार से श्रम की सुरक्षित भंडार है और उनको काम में लगाया जा सकता है जब उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता हो लेकिन जब आर्थिक मंदी का चरण हो तब उन्हें घरों में वापस भेजा जा सकता है, इससे भी बढ़कर महिलाओं की भूमिका अस्थायी कर्मियों के रूप में होती है जिन्हें कम वेतन प्राप्त होता है और जिनके रोजगार भी बेहतर नहीं है। इसी के साथ महिलाओं के घरेलू श्रम के कारण ही अर्थव्यवस्था कुशल एवं प्रभावी होती है तथा महिलाएं बच्चों के पालन-पोषण के द्वारा अगली पीढ़ी के लिए श्रमिक तैयार करती है, और उत्पादन बनाये रखने की गारंटी प्रदान करती हैं। महिलाओं से यह भी अपेक्षा रखी जाती है कि वे एक आज्ञाकारी एवं अनुशासित श्रमिक का निर्माण करें।

महिलाओं के घरेलू कार्यों के कारण ही पुरूषों को घरेलू कार्य और बच्चों के पालन-पोषण का कार्य से मुक्ति मिलती है, लेकिन पुरुष को कार्य उत्पादक माना जाता है, जबकि महिला के घरेलू श्रम का कोई मूल्य ही नहीं होता तथा परम्परागत परिवार में एक व्यक्ति इसलिए बेहतर रोजगार पा जाता है, कि उसके पीछे महिला - एवं बच्चों का समर्थन प्राप्त होता है और महिलाएं ही श्रमिकों के निराशा और अलगाव को भी दूर करती हैं।

समाजवादी नारीवादियों के अनुसार घरेलू कार्यों के महत्व और मूल्य न होने के कारण ही महिलाओं की समाज में दुर्बल स्थिति है, तथा वित्तीय रूप में अपने पति पर निर्भर हैं। इसलिए आर्थिक विषमता स्वाभाविक रूप में उत्पन्न होती है। अतः कोस्टा के अनुसार महिलाओं के घरेलू श्रम का मूल्यांकन अभी तक किया ही नहीं गया। इसलिए जब तक महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक अवसर प्रदान नहीं किये जायेंगे, तब तक महिलाओं का उत्थान नहीं हो सकता, इसलिए महिला के मुद्दे को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। अतः समाजवादियों के अनुसार, वर्गीय शोषण ज्यादा गहरा एवं प्रभावकारी है न कि लैंगिक शोषण। इसका तार्किक अभिप्राय है कि महिलाओं का शोषण पुरूषों के द्वारा नहीं अपितु पूंजीवादी व्यवस्था के कारण है अतः समाजवादी क्रांति के पश्चात् महिलाओं की मुक्ति स्वाभाविक रूप में हो जाएगी।

आधुनिक समाजवादी नारीवादी 'वर्गीय राजनीति' को 'लैंगिक राजनीति' से प्राथमिकता प्रदान करते हैं और इन नारीवादियों के अनुसार समाजवाद स्वाभाविक रूप में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंत का कारण होगा, ऐसा व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि U.S.S.R. जैसी समाजवादी व्यवस्था में महिलाओं के उत्थान पर तुलनात्मक रूप में उतना बल प्रदान नहीं किया गया। इसलिए नारी मुक्ति का मुद्दा ज्यादा व्यापक और ज्यादा गहरा है, केवल पूंजीवादी व्यवस्था के समाप्त होने से लैंगिक उत्थान को मान लेना पूर्णतः सत्य प्रतीत नहीं होता।

अश्वेत नारीवाद

अश्वेत नारीवादियों के अनुसार वर्ग और व्यक्ति की संकल्पना अमूर्त है क्योंकि समाजवादी नारीवादी भी रंगभेद के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेते| उदारवादी नारीवादी में एक संस्कृति या समूह को श्रेष्ठ मान लिया गया है तथा अश्वेत नारीवादी विभेद या अंतर के मुद्दे को महत्वपूर्ण मानते हैं लेकिन अश्वेत नारीवादियों का विरोध इस मूल मुद्दे पर है कि सभी महिलाएँ समान हैं| महिलाओं की समानता में यह अंतर्निहित है कि गोरी महिलाएं विश्व विद्यालय से पढ़ी-लिखी एवं मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि से हैं। ब्रिटेन के संदर्भ में महिलाओं का यह मानना है कि वे बाहरी मानी जाती हैं उनकी संस्कृति का कोई महत्व नहीं है उन्हें प्रजातीय रूप में असामान्य माना जाता है। अश्वेत नारीवादियों ने अपनी इस वंचित स्थिति के प्रति विरोध दर्ज किया है तथा इकहरी पहचान की मान्यता को खंडित किया है। इसलिए माना कि वस्तुतः उनके लिए पितृसत्तात्मक और प्रजातीय भेद-भाव दोनों महत्वपूर्ण है। गेल रूबिन के अनुसार अश्वेत महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है क्योंकि उनकी पहचान इस समाज में अनुपस्थित है। इसलिए अश्वेत महिलाएं लिंग, प्रजाति एवं वर्ग सभी भेदों के शिकार हैं इसलिए 1970 के दशक में आमूल नारीवादियों ने इन मुद्दों को गंभीरता से लिया जिन्हें अश्वेत नारीवादियों ने उठाया था।

नारीवाद एवं न्याय

न्याय का अभिप्राय समाज में समानता और निष्पक्षता की स्थापना करना है, इसलिए नारीवादी न्याय का आशय सार्वजनिक जीवन में पुरुष एवं महिलाओं के मध्य समानता की स्थापना करना तथा लैंगिक आधार पर सार्वजनिक जीवन में किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं होनी चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में समानता स्थापित

करने के पश्चात् नारीवादियों ने घरेलू, वैयक्तिक एवं पारिवारिक जीवन में भी समानता स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके लिए उन्होंने निम्नलिखित उपायों पर बल दिया -

1. पितृ-सत्तात्मक सत्ता की समाप्ति।
2. निजी एवं सार्वजनिक जीवन के मध्य अंतर की समाप्ति।
3. सेक्स एवं जेन्डर के मध्य अंतर स्थापित करना।

गिलिंगन के अनुसार न्याय एवं अधिकार जैसी सार्वभौमिक मान्यताएं केवल पुरुषों के लिए हैं। इसलिए नारीवादी विचारकों ने उन नारीवादी मूल्यों जैसे संबंध, सहानुभूति एवं निकटता जैसे गुणों को प्राथमिक बनाने पर बल दिया। जबकि समाज में पितृ-सत्तात्मक सत्ता के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें स्वायत्तता, तार्किकता एवं आक्रामकता जैसे मूल्य है।

नारीवाद का मूल्यांकन

अतिवादी नारीवादियों के अनुसार पुरुष और महिला के मध्य अलगाव के द्वारा ही महिला की मुक्ति संभव है। इस क्रम में सुलामिथ फॉयरस्टोन जैसे विचारक ने विवाह का निषेध किया तथा महिलाओं को मातृत्व के कार्य से पृथक् रहने की सलाह दी क्योंकि मां बनने के कारण ही महिलाओं का शोषण होता है अतः पुरुष शोषक हैय और महिला शोषित। इस अतिवादी विचारधारा का व्यावहारिक परिणाम है कि समाज में परिवार नहीं बल्कि व्यक्ति का ही अस्तित्व होगा। इसलिए 1980 के दशक में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मारग्रेट थैचर ने परिवार और घर को अधिक महत्व प्रदान किया क्योंकि यह वृहत्तर समाज के लिए हितकारी है अत: नारी उत्थान पितृ-सत्तात्मक सत्ता का विरोध है पुरुषों का विरोध नहीं। महिला और पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं। इसलिए समाज में न केवल नारीवादी मूल्यों की स्थापना करना है अपितु उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी समान बनाने की आवश्यकता है जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ और समाज न्यायपूर्ण हो सके।

संदर्भ

ओ०पी० तिवारी, भारतीय नारी: वर्तमान समस्याएं एवं भावी समाधान, पृ० 37

डॉ० गजानन शर्मा, प्राचीन भारतीय साहित्य में नारी, पृ० 68

डॉ० सूर्य सेन हंस, ''उपन्यासकार'' चतुर सेन नारी पात्र''

डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव, 21वीं सदी में महिला सशक्तिकरणः मिथक एवं यथार्थ, ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, पृ० 17-18

ए० एम० अन्सारी, महिला एवं मानव विकार ज्योति प्रकाशन जयपुर, पृ० 67

भारतीय राज्यों के गठन तथा पुनर्गठन का इतिहास और वर्तमान

डॉ० आनन्द कुमार पांडेय [1]

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में नये राज्यों के निर्माण को लेकर माँग उठनी शुरू हो गई। यह माँगे कई आधार पर उठाई जा रही थी। यह माँग देश की तत्कालिक परिस्थितियों के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने तथा इस माँग के पीछे लोगों को राजनीतिक रूप से क्रियाशील होने के लिये पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं कर पाई। हाँलाकि लम्बे समय तक पृथक राज्य की माँग को निष्प्रभावी या कमजोर रखना राजनीतिक व्यवस्था के लिये सम्भव नहीं हो पाया।

ऐतिहासिक रूप से भारत में राज्यों की स्थापना और उपस्थिति अंग्रेजों की साम्राज्यावादी नीति के प्रतिफलन के रूप में थी यानि अंग्रेजों ने भारत को अपनी साम्राज्यवादी आवश्यकता की दृष्टि से प्रशासनिक इकाईयों में बाँटा था। यह आवश्यक नहीं था कि प्रदेशों का विभाजन लोगों की सुविधा के अनुकूल हो लेकिन अंग्रेजो ने इसे राज्य की शक्ति के नीचे दबाये रखा। ब्रिटिश कालीन भारत में नये राज्यों की माँग का सीधा सम्बन्ध साम्राज्यावादी शक्ति के साथ बनता है। अंग्रेजों के समय लोकतांत्रिक सरकार केवल प्रक्रिया के रूप में उपस्थित थी और उसका भी क्षेत्र अत्यन्त सीमित और समाज के सामर्थ्यवान स्तर तक सीमित था। ऐसी जनसंख्या अधिकांश शहरों तक सीमित थी और संसाधनो पर उनकी पकड़ जमाना थी। इसके कारण उन्हें अलग राज्य की आवश्यकता उस स्तर तक जरूरी नहीं लगती थी जिस स्तर पर आम जनता उसे महसूस करती थी लेकिन मूलतः सैनिक शक्ति पर आधारित साम्राज्यवादी व्यवस्था जनता की माँगो को लोकतांत्रिक व्यवस्था की भाँति स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसी ही भारतीय जनता द्वारा नई इकाईयों के गठन के सन्दर्भ में हुआ। दूसरे भारतीय जनता द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति के लिये चलाये जा रहे स्वतंत्रता आन्दोलन का असर भी नई इकाईयों के गठन पर पड़ा। राष्ट्रवादी खेमें में इसे राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की माँग के रूप में देखा गया इसलिये अखिल भारतीय स्तर पर फैले भारतीय संगठनों, राजनीतिक दलों का इस प्रकार की माँग को समर्थन सीधे तौर पर नहीं मिला।

---

1. फ्रीलांसर, गोरखपुर

ब्रिटिश कालीन स्थिति और निर्णय

व्यवहारिक क्रियान्तवयन के स्तर पर भारत के नये राज्यों का गठन लगभग 110 वर्श पूर्व से माने जाने पर सहमति है। सबसे पहले 1903 ई0 में हर्बर्ट रिश्ले की अध्यक्षता में ब्रिटिश कालीन भारत में राज्य पुनगर्ठन आयोग की नियुक्ति हुई। इसने बंगाल के विभाजन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश को मान लिया गया तथा 1905 ई0 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। जिसका जनसाधारण के स्तर पर व्यापक विरोध हुआ और इसे बाद में चलकर सन् 1911 ई0 में समाप्त भी करना पड़ा। लार्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में गठित एक आयोग ने यह विभाजन समाप्त करने की सुझाव दिया था। 1918 ई0 में प्रस्तुत माटेम्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में छोटे राज्यों के गठन की सिफारिश की गई लेकिन इस आयोग ने भाषा और जाति के आधार पर नये राज्यों के गठन की माँग से इन्कार किया जो बाद के समय में महत्वपूर्ण मुद्दा बने रहे। दस साल बाद मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नेहरू समिति में भाषा, जनता की इच्छा, जनसंख्या भौगोलिक और वित्तीय स्थिति को राज्य के गठन का आधार माना। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत में नये राज्यों का गठन किया गया। हाँलाकि इस माँग को पूरी तरह नजर अन्दाज करना असम्भव था। वर्तमान बहुभाषी राज्य सीमाओं की अनदेखी करते हुये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्संगठित करने के भाषा आधारित आधार को नेतृत्व के द्वारा गाँधी युग की शुरुआत अर्थात 1920 के दशक में ही स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा बंगाल प्रेसिडेंसी में क्षेत्रीय आन्दोलन ने बिहार (हिन्दी-भाषी) और उड़ीसा (उड़ीया भाषी) को 1912 में उससे अलग कर दिया। 1936 में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया।' 1947 में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद कई राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिये आन्दोलन शुरू हुआ।[1]

पृथक राज्यों के लिये शुरू होने वाले आन्दोलन का अपना इतिहास है। इसका सीधा सम्बन्ध संघवाद के विषय में कांग्रेसी समझ से भी था। जिसके आधार पर पृथक राज्य के लिये उठने वाली माँगो को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया गया। कांग्रेस भारत के संघीय स्वरूप के विषय में शुरूआत से ही सहमत थी लेकिन इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति सर्वप्रथम 1916 ई0 में हुई जब कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के माध्यम से संघवाद को एक मूल गुण के रूप स्वीकार किया। इसने क्षेत्रीय रूप से पृथक राज्य की माँग को प्रोत्साहित किया। सन् 1922 ई0 में कांग्रेस ने भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया। इसके लिए कांग्रेस पर राष्ट्रियताओं के लिये काम करने वाले समूहों ने दबाव डालने का काम किया। ये समूह भाषा आधारित राज्यों के लिऐ पहले से ही प्रयत्नशील थे। 1927 ई0 में भारत सरकार और भारत के कार्यालयों में उड़िया, कन्नड़, आन्ध्र, तमिल, बांग्ला और झारखण्ड से जुड़ी राष्ट्रीयताओं की मान्यता के और भाषा आधारित राज्यों के पुनर्गठन के लिये ज्ञापनों की बाढ़ आ गई।[2]

उसी समय भारत में प्रशासनिक विधायी और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनों पर सुझाव देने के लिये साइमन कमीशन बनाया गया। नये राज्यों के निर्माण करने के लिये प्रयत्नशील लोगों ने इस आयोग के सामने प्रस्तुत होकर अपने प्रतिवेदन दिये। यह काम नये राज्य की माँग करने वालों के लिये आसान था क्योंकि व्यावहारिक रूप से 1921 ई0 मद्रास, बिहार और उड़ीसा की विधानसभाओं ने सैद्धान्तिक रूप से भाषा आधारित राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया था।

जैसे-जैसे अंग्रेजी शक्ति का प्रसार अछूते क्षेत्रों में हुआ वैसे-वैसे वे आधुनिक राजनीतिक पहचान का भाव पैदा हुआ। लेकिन इसका एक नकरात्मक प्रभाव भी पड़ा। चूँकि अंग्रेजो की प्रभुता और तज्जन्य नई शक्तियों का विस्तार सारे देश में एक साथ नहीं हुआ था इसलिये जिस स्थिति ने राजनीतिक और राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया वह विभिन्न भागों और सम्प्रदायों में आसमान तौर पर परिपृष्ठ हुई। कुछ प्रान्तों और सम्प्रदायों में राजनीतिक चेतना पहले आई। फलस्वरूप भारतीय जनता के राष्ट्रीय आन्दोलन के समान्तर बाद में मुसलमानों दलित जातियों, सिक्खों और

गैर ब्राह्मणों जैसी सामाजिक धार्मिक श्रेणियों के और आन्ध्रप्रदेश वासियों, मलयालियों, कर्नाटक वासियों, तमिल लोगों, कन्नड़ और मराडियों, उड़िया लोगों और गुजरातियों, पंजाबियों, सिंधियों, बंगालियों, बिहारियों आदि प्रांतीय सामाजिक दलों के जिनकी एक भाषा संस्कृति थी स्वतंत्र राजनीतिक आन्दोलन शुरू हुए।[3]

नये राज्यों की माँग को इसी के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। 'जैसे-जैसे इन आबादियों में दल चेतना बढ़ी, वैसे-वैसे उनमें यह भावना भी आई कि वे मुक्त सामूहिक जीवन व्यतीत करें। ऐसा जीवन जो वर्तमान प्रांतीय सीमाओं और विभाजनों द्वारा अवरूद्ध नहीं हो। ये प्रान्त भाशागत आधार पर नहीं वरन् अंग्रेजो के बढ़ते हुये प्रभाव के युग में प्रषासनिक सुविधा के लिये बने थे। इनमें से कुछ राश्ट्रीक इकाईयों ने जैसे बिहारीयों, आन्ध्रवासियों, कर्नाटकवासियों जिनकी अपनी पृथक भाशा और संस्कृति थी, प्रान्तों के पुनर्गठन की माँग की, जिससे वे भूक्षेत्रों की दृश्टि से भी एकीकृत हो जाये। उदाहरणार्थ आन्ध्र वाले मद्रास से अलग होना चाहते थे और कर्नाटक वाले महाराष्ट्र से अलग संयुक्त कर्नाटक चाहते थे। बिहार और उड़ीसा आदि के लोगों ने भी ऐसी ही माँगे प्रस्तुत की।[4]

इस प्रकार बीसवीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक तक पृथक राज्य की माँग भारतीय राजनीतिक में यथार्थ रूप ले चुकी थी। राष्ट्रीय आन्दोलनों ने विशेषकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930-34) ने जहाँ एक ओर विभिन्न स्तर और समूहों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने से लड़ने के लिये सक्रिय किया वही उन्हें क्षेत्रीय विशिष्टता और पहचान को राजनीतिक मान्यता दिलाने के संघर्ष में उतारा भी। इसके लिये अलग राज्य के समर्थक लोगों ने विधिवत संवैधानिक मार्ग का अनुसरण भी करना शुरू कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन के प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस ने संघीय इकाइयों के लिये विस्तृत कदम उठाने का वायदा किया। इस प्रकार भविष्य में सत्ता को संचालित करने वाले राजनीतिक दल ने भी इन माँगो को प्राथमिक श्रेणी में रखना जरूरी समझा। कांग्रेस ने 1946 में अपने चुनावी घोषणापत्र में भी भाषा आधारित राज्य के सिद्धान्त को मान्यता दी और इसका वायदा किया।

स्वतंत्रता के बाद परिस्थितियाँ तेजी से बदली और बदली परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक दलों विषेशकर कांग्रेस जैसी व्यापक जनाधार और प्रभावशाली पार्टी कर रूख नये राज्यों के गठन के प्रति बदल गया। उत्तर 1947 के चरण में कांग्रेस ने भाषा आधारित राज्यों के विचार को यह कह कर विरोध किया कि इससे उप-राष्ट्रवादी समझ को बढ़ावा मिलेगा उनके अनुसार वर्तमान प्रशासन व्यवस्था देश की एकता के लिये अच्छा साधन है और इसने जीवित प्राणी की तरह अपनी जड़े जमा रखी है और जनता को एकजुट करने का उपयोगी उद्देश्य पूरा करेगा। इसने भाषा आधारित राज्यों के पठन की माँग को पृथकतावादी और विघटनकारी रूझान करार दिया और इसे सक्रिय ढंग से हतोत्साहित करने की बात की।[5] लेकिन लम्बे समय से चल रहे राजनीतिक संघर्ष और माँग के कारण अलग राज्य की माँग को कम महत्व देना या छोड़ना सम्भव नहीं हो पाया। इसलिये संविधान सभा के गठन के साथ इस पर भी काम शुरू हुआ।

स्वतंत्र भारत में गतिविधि और विकास

अंग्रजों के अधीन भारत में कुल 9 प्रान्त थे जबकि भारत में 600 देशी और एक तरीके से स्वतंत्र रियासते थी। इनमें से 58 रियासते थी। इनमें से 58 रियासतें पाकिस्तान में शामिल हो गई जबकि शेष 542 का भारत में विलय हुआ। इनमें से तीन जूनागढ़ का जनमत संग्रह से हैदराबाद का सैन्य कार्यवाही से जबकि कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से मिलाया गया।

भारत का संविधान सभा का गठन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई। अपने गठन के साथ संविधान सभा इस मामले को लेकर गम्भीर थी। संविधान सभा ने 1948

ई० में ही एस० के० दा के नेतृत्व में चार सदस्यीय भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग को यह कार्य सौंपा गया कि वह भारत की वर्तमान और चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में यह रिपोर्ट दें कि भाषाई आधार पर नये राज्यों के निर्माण की प्रासंगिकता क्या है और भारतीय राज व्यवस्था पर इसके निर्माण से क्या तत्कालिक और दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। आयोग से यह परीक्षण किया कि नये राज्यों की माँग की क्या प्रांसगिकता है? धर आयोग ने व्यापक अध्ययन के बाद यह संस्तुति दी कि भाषाई आधार पर नये राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। क्योकि इसमें राष्ट्रीय एकता को खतरा एवं प्रशासन के लिये भारी असुविधाजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। परिणामस्वरूप संविधान सभा ने संविधान के अन्दर भाषाई सिद्धान्त को शामिल नहीं करने का किया। 6 आयोग ने 10 दिसम्बर, 1948 ई० को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया।

धर आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये कांग्रेस ने अपनी पार्टी के तीन महत्वपूर्ण सदस्यों जवाहरलाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल और पट्टाभि सीतारम्मैया की सदस्यता वाली समिति का गठन इसके सन्दर्भ में किया। इस आयोग का कार्य धर आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में नये राज्यों के गठन के औचित्य को बताना था। जेवीपी आयोग ने प्रभावित जनता की आपसी सहमति, अर्थिक और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर नये राज्यों के गठन का सुझाव दिया था। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की। भाषा के आधार पर इस समिति ने भी राज्य के गठन के विचार को अस्वीकार किया था।

इसी समय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० बी०आर० अम्बेडकर ने दर आयोग के सामने एक माँग पत्र को प्रस्तुत किया था जिसमें कहा राष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में गठन किये जाने की माँग थी इसे स्वीकार नहीं किया गया। इस माँग का के० एम० मुंशी ने विरोध किया था जो इस समय गुजरात के बड़े नेता थे। इस समय महाराष्ट्र और गुजरात अविभाजित थे। इस प्रकार धर आयोग और जेवीपी समिति दोनों ने भाषा के आधार पर नये राज्यों के गठन के विचार को अस्वीकार किया किन्तु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन जन इच्छा और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के गठन का सुझाव था। जिसने बाद में चलकर नये राज्यों के गठन की माँग और आन्दोलन को काफी प्रभावित किया। लेकिन जमीनी स्तर पर इन आयोगों और समितियों की रिपोर्ट का प्रभाव नहीं हुआ। दक्षिणी भारत में अंग्रेजो के समय से ही तमिलभाषी राज्य से तेलुगुभाषी इलाके को अलग कर अलग प्रान्त बनाये जाने का आन्दोलन चल रहा था और इस आन्दोलन को तेलुगु जनता का व्यापक समर्थन हासिल था। इसके लिये आन्दोलन सन 1952 में तीव्र हो गया एक तेलुगु भाषी नेता पोट्टी श्री रामुल्लू ने भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग की और इसके लिये वे आमरण अनशन पर बैठ गये। 56 दिनों का आमरण अनशन के बाद 15 दिसम्बर 1952 ई० को उनकी मृत्यु हो गई। इसके तेलुगुभाषी क्षेत्रों में भारी तनाव पैदा हो गया। इससे निपटने के लिये और जनता के समर्थन को हासिल करने व बनाये रखने के लिये अक्टूबर 1943 में तेलुगुभाषी लोगों के लिये एक अलग राज्य आन्ध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसके साथ ही तमिलभाषी राज्यों के लिये तमिलनाडु बनाया गया।

भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत में राज्य बनने वाला आन्ध्रप्रदेश प्रथम राज्य था। इसने नये राज्यों के निर्माण में लगे लोगों तथा संगठनों के बीच नई आशा का संचार किया। पुराने चले आ रहे आन्दोलनों को नई दिशा मिली और कुछ नये तरीके के आन्दोलन भी इसकी प्रेरणा से पैदा हुये। इस प्रकार की माँगो को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। लेकिन इस प्रकार के माँगो को जनता का इतना व्यापक समर्थन मिलता रहा कि व्यवस्था और सत्ता से जुड़े लोग इस तरह के आन्दोलन को महत्वहीन करार नहीं दे सकते थे। मसलन तत्कालीन भारतीय राजनीति में सबसे

महत्वपूर्ण स्थिति रखने वाले जवाहरलाल नेहरू इस को लेकर द्वेध भाष में थे। नेहरू इस बात के बिलकुल पक्ष में नहीं थे कि लगातार भारत की आंतरिक प्रशासनिक सीमाओं को बदला जाता रहे लेकिन अपने स्वभाव से वे इतने जनवादी थे कि इस प्रकार की माँगो को बार-बार और कठोरता से कुचलने की बात वे सोच भी नहीं थे। खासकर इसलिये कि यदि परिस्थिति सामान्य होती तो वे इन माँगो का समर्थन भी कर सकते थे।[7] नये राज्यों की माँग के लगातार बढ़ते दबाव के चलते नेहरू सरकार ने अगस्त 1953 में एक और राज्य पुनर्गठन आयोग (एस० आर० सी०) का गठन किया। इसके अध्यक्ष जस्टिस फजल अली को बनाया गया। तीन सदस्यीय इस आयोग में के० एम० पन्निकर और हृदयनाथ कुंजरू नाये गये।

फजल अली आयोग की सिफारिष और क्रियान्वयन

इस आयोग ने लगभग दो वर्षों बाद अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इन सिफारिशों से भारत के राज्य सम्बन्धी ढाँचे पर आधारभूत प्रभाव पड़ा। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 पारित किया। 30 सितम्बर 1955 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी।

1. राज्यों को तीन श्रेणियों ए बी तथा सी में बाँटने के लिए नीति को समाप्त किया जाये।
2. राजप्रमुख के पद तथा रियासतों के साथ विशेष उपबन्धों को समाप्त किया जाना चाहिये।
3. संविधान के अनुच्छेद 371 के द्वारा भारत सरकार को प्रदत्त ऐसी शक्तियां समाप्त की जानी चाहिये जो अप्रासंगिक हो चुकी है।
4. अण्डमान निकोबार और द्वीप समूह, दिल्ली तथा मणिपुर को केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में मान्य किया जाये।
5. भाग 'सी' तथा 'डी' के अंतर्गत शासित प्रदेशों को सम्बन्धित राज्य में मिला दिया जाये।

लोकसभा में यह रिपोर्ट 14 दिसम्बर 1955 को प्रस्तुत की गयी। अपने रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में समिति ने यह स्पष्टत: कहा कि राज्यों का पुनर्गठन किसी एक भाषा या संस्कृति के आधार पर किया जाना न तो सम्भव है और न ही तार्किक। एक सन्तुलित दृष्टिकोण के लिये आवश्यक है कि इन सब को करते हुये हम राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखे। इसकी रिपोर्ट में भारत में सोलह राज्य और तीन नये केन्द्र शासित प्रदेश बनाये जाने का सुझाव था। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह को केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में बनाया गया।

सम्बन्धित विवाद: राज्य पुनर्गठन आयोग की सभी सिफारिशों को भारत सरकार ने नहीं माना था। आयोग ने यह सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश के उन इलाको को काटकर, जहाँ मराठी बोली जाती है एक अलग राज्य विदर्भ बनाया जाये लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और तीन मराठी भाषी क्षेत्रों को मिलाकर बम्बई राज्य की स्थापना की। जिससे विदर्भ में असंतोष बना रहा जो आज भी कमोबेश जारी है। इसी प्रकार जब आन्ध्र प्रदेश को

अलग राज्य बनाया गया उसके भीतर तेलगांना क्षेत्र के लोगों ने अलग राज्य की माँग की और यह आन्दोलन लम्बे समय तक चला। वे रायल सीमा और तटीय आंध्रा से स्वयं को अलग मानते रहे।

ठीक उसी समय ट्रावणकोर तमिलनाडु कांग्रेस ने माँग की थी कि कालकुलम, थोवल्लाई, अगस्तेश्वरम, विलावेनकोण्ड, सेनकोट्टाई, नियातेनकारा, देवीकुल्लम और पिरमाडे की मद्रास राज्य के साथ मिलाया जाये लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने केवल थोवल्लाई, अगस्तेश्वरम, कालकुलम, विलावेनकोण्ड और सेनकोट्टाई के विलय को संस्तुति प्रदान की थी। आयोग ने यह पाया कि नियातेनकार में 86 प्रतिशत से उपर लोग मलयालवी भाषा बोलते है। इसलिये आयोग ने इस तालुका का विलय मद्रास राज्य में स्वीकार नहीं किया जिसका बाद में संसद में चर्चा के दौरान मद्रास राज्य से चुनकर आये प्रतिनिधियों ने विरोध किया इसी प्रकार का मतभेद कुछ अन्य क्षेत्रों को लेकर भी था।

इसी प्रकार का विवाद उत्तर भारत में पंजाबी सूबा को लेकर चल रहा था। पंजाबी विशेषकर सिक्ख धर्मावलिम्बयों के बीच प्रभावशाली होता अकालीदल पंजाबी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य के गठन का आन्दोलन लम्बे समय से कर रहा था। शुरूआत में इसको व्यापक समर्थन नहीं मिला लेकिन बाद में इसके पीछे पंजाब प्रान्त के पंजाबी भाषा-भाषी एकजुट हुये और उन्होंने केन्द्रीय राज्य पर दबाव बनाया कि उन्हें हरियाणवी बोलने वालों से अलग एक पंजाबी भाषा-भाषी राज्य प्रदान किया जाये। पंजाब में इस आन्दोलन को बढ़ाने वाले लोगों में फतेह सिंह जैसे की प्रमुख भूमिका रही जिन्होनें सिक्खों की मातृभाषा के रूप में पंजाबी को प्रसारित किया उनके इस दावे को तब अधिक बल मिला जब पंजाब के हिन्दुओं में हिन्दी को अपनी मातृभाषा के रूप में अधिकारिक रूप से रेखांकित किया। इसके अलावा एक विवाद बेलगाम की स्थिति को लेकर था। जिसमें मराठी भाषी लोग इस क्षेत्र को बम्बई के साथ मिलाना चाहते थे जबकि यह कर्नाटक या कन्नड़ भाषी प्रभुत्व के राजनीतिक नियन्त्रण के अधीन था।

नवम्बर 1956 ई० में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन विधेयक को पास कर दिय गया। इसने चौदह राज्य एवं छह केन्द्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की। हैदराबाद रियासत का तेलंगाना क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश को दे दिया गया। ट्रावनकोट-कोचीन में पुराने मद्रास प्रेसीडेंसी के मालाबार जिले को मिलाकर केरल बनाया गया। बम्बई, मद्रास, हैदराबाद और कुर्ग के कुछ कन्नड़ भाषी इलाको को मैसूर रियासत में जोड़ दिया गया। कच्छ और सौराष्ट्र रियासतों के अलावा हैदराबाद रियासत के मराठी भाषी इलाको को बम्बई राज्य में मिलाकर विस्तार किया गया।

राज्य पुर्नगठन आयोग और विधेयक के खिलाफ सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ। वहाँ बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे और जनवरी 1956 मे पुलिस फायरिंग के दौरान अकेले बम्बई शहर में 80 लोग मारे गए। छात्रों, किसानों, मजदूरो, कलाकारों, व्यापारियों आदि की व्यापक जनभावना के आधार पर विपक्षी दलों ने एक शक्तिशाली विरोध आन्दोलन खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र के लोगों को यह गुस्सा था कि इतनी विशाल आबादी की आवाज अनसुनी की जा रही है। अखिरकार दबाव के सामने छुककर भारत सरकार ने जून 1956 में यह निर्णय लिया कि बम्बई राज्य को दो हिस्सों में बांटकर दो भाषाई राज्य महाराष्ट्र और गुजरात बनाए जाएंगे तथा बम्बई शहर केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा। महाराष्ट्र द्वारा इस कदम का धोर विरोध किया गया।[8]

इसके बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा गलत और लोगों द्वारा अस्वीकार्य किये जाने वाले निर्णय की एक श्रृंखला प्रारम्भ हुई महाराष्ट्र के लोगो द्वारा विरोध किये जाने के बाद जुलाई 1956 में नेहरू सरकार ने ग्रेटर बम्बई नामक द्विभाषी राज्य फिर से बना दिया। इसका महाराष्ट्र और गुजरात दोनों जगहों पर विरोध हुआ। महाराष्ट्र में संयुक्त महाराष्ट्र समिति तथा गुजरात में महागुजरात जनता परिषद ने इस विरोध की अगुवाई की। सी० डी० देशमुख ने इसी मुद्दें पर केन्द्रीय मंत्रिन्डल से वित्तमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। विरोध ने हिंसात्मक टकराव का रूप ले लिया। पुलिस फायरिंग में 16 आदमी मारे गये और 200 से अधिक लोग घायल हो गये।

इसका असर चुनावों पर भी पड़ा। 1857 के आम चुनावों में कांग्रेस महाराष्ट्र में बहुत कम मतों से विजयी हुई। महाराष्ट्र और गुजरात के बीच बंटवारो के संघर्ष लम्बे समय तक चलते रहे और अन्ततः 1960 ई० में जाकर भारत सरकार ने बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात के नाम से बांटा। महाराष्ट्र को राजधानी के रूप में बम्बई प्राप्त हुई जबकि गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को बनाया गया। इस प्रकार राज्य पुनर्गठन आयोग से भारत में नये राज्यों के माँग की कई समस्यायें सुलझी वहीं कई अन्य समस्यायें या माँगे अनसुलझी रह गई। जिसका आगे चलकर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा।

पंजाबी सूबे का आन्दोलन और गठन

राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाबी लोगों की अलग सूबे की माँग को सम्बोधित किया था। पंजाबी सूबे की माँग ने पंजाबी राजनीति को विभाजन के बाद सबसे अधिक प्रभावित किया। राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद तत्कालीन पंजाब में सक्रिय और प्रभावशाली सभी दलों ने आयोग के सामने यह माँग रखी कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जाये। आयोग ने उस समय यह कहकर इस माँग को अस्वीकार कर दिया था कि पंजाब के निर्माण में भाषा का तर्क प्रभावशाली नहीं है क्योकिं हिन्दी और पंजाबी के बीच कोई बड़ा अन्तर नहीं है। इसके बाद एक तनाव निर्मित हुआ। इसका अन्त अकाली दल और भारत सरकार के बीच एक समझौते के फलस्वरूप हुआ जब पंजाब और पेरसू का विलय मंजूर कर लिया गया।

लेकिन इस माँग को बहुत दिनों तक दबाया नहीं जा सका। जल्द ही पंजाब में पुनः भाषा के आधार पर नये राज्य की माँग उभर गई। अबकी बार नये राज्य यानि पंजाबी सूबा के निर्माण की माँग को सिक्ख धर्म के साथ जोड़ दिया गया अर्थात एक प्रकार से नये राज्य को एक साम्प्रदायिक पहचान दी गई और इसके कारण पंजाबी भाषा-भाषी सिक्खों को एकजुट करने में आन्दोलनकारियों को आसानी हुई। इन आन्दोलनकारियों का नेतृत्व शुरूआती दौर के मास्टर तारासिंह ने किया। उन्होनें तर्क दिया कि सिक्खों को अपने लिये एक प्रदेश की जरूरत है। जहाँ उनके धर्म को बहुसंख्यक धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त हो। यह माँग सिक्खों के बीच जल्दी ही आसानी से लोकप्रिय हो गई क्योंकि भाषा, धर्म तथा संस्कृति सभी के आधार पर पंजाबी सूबा अलग स्वरूप का दिखने लगता था। इस माँग का विरोध भी किया गया। दुर्भाग्य से पंजाब सूबे की माँग आरम्भ से ही समर्थकों तथा विरोधियों के बीच सम्प्रदायिक रंग लेने लगी। विरोध करने वालों में अधिकांश हिन्दू थे और जनसंघ तथा अन्य हिन्दू राजनीतिक संगठन इसका विरोध की अगुवाई करने लगे। उनका तर्क था कि ऐसे राज्य के निर्माण से उसमें सिख धर्म बहुसंख्यक हो जायेगा तथा पंजाबी वर्चस्व की भाषा हो जायेगी जबकि हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है। इसलिये यह हिन्दुओं के लिये हानिकारक होगा। जवाहरलाल नेहरू ने भी पंजाबी सूबे की माँग का विरोध किया था। वह इस माँग को सम्प्रदायिक चरित्र का समझते थे। पंजाब से आने वाले कांग्रेस के दो बड़े नेताओं प्रताप सिंह कैरो और दरबारा सिंह ने भी इस माँग का विरोध किया।

पंजाबी सूबे की माँग समय के साथ महत्वपूर्ण होती गई और परिस्थितियों में भी परिवर्तन हुआ। बाद के दिनों में पंजाबी सूबे की माँग के साम्प्रदायिक माँग में ही स्वरूप का परिवर्तन हुआ। इसलिये केन्द्रीय सरकार और उनको लम्बे समय से नेतृत्व प्रदान करने वाली कांग्रेस के नेतृत्व में भी इसे लेकर साकारात्मक परिवर्तन हुआ।

हाँलाकि नेहरू के मानदण्डो के अनुरूप पंजाबी सूबे के निर्माण की माँग का बाद में हुए दो परिवर्तनों के कारण मार्ग प्रस्त हो गया। पहला, संत फतेह सिंह जिन्होनें एस.पी.पी.सी. और अकाली दल के नेतृत्व से मास्टर तारा सिंह को निकाल बाहर किया, उन्होनें यह घोषणा की कि पंजाबी सूबे की माँग मात्र भाषा पर आधारित थी। दूसरा हरियाणा में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक संगठनो ने एक अलग हिन्दी भाषी राज्य तथा कांगड़ा के लोगों ने

उसके हिमाचल प्रदेश के विलय की माँग रखीं। परिणामस्वरूप मार्च 1966 ई० में इन्दिरा गाँधी ने यह घोषणा की कि पंजाब को दो राज्यों में विभाजन कर दिया जाएगा। पंजाबी भाषी पंजाब, हिन्दी भाषी हरियाणा तथा काँगड़ा का हिमालय प्रदेश के साथ विलय।[9] पंजाब और हरियाणा राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पुनः विवाद शुरू हो गया। बाद में इसका समाधान चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी बनाकर तथा केन्द्रशासित प्रदेश बनाकर किया गया। इस प्रकार पंजाब और हरियाणा नाम से दो पृथक राज्य अस्तित्व में आ गये। इसके पूर्व ही भारत में कुछ राज्यों का निर्माण हो चुका था।

गोवा तथा पोंडिचेरी प्रकरण

भारत के स्वतंत्र होने के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। पुर्तगालियों ने गोवा के भारत में विलय को सहज स्वीकार नहीं किया। आजादी के बाद से ही गोवा के भारतीय मूल के लोग विलय के आन्दोलन करते रहे जिसका तत्कालीन पुर्तगाली प्रशासन ने दमन किया। भारत सरकार का रूख भी गोवा को लेकर विलय का था। जवाहर लाल नेहरू ने 1955 को गोवा में भारतीय कान्सुलेट को बन्द करवाया तथा गोवा को एक तरीके से काटने के लिये दमन और द्वीव के साथ उसके संचार सम्बन्धों को रोक दिया। इसके पूर्व 1954 में पुर्तगाल ने गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित ऐक्लेक्स पर भारतीयों के कब्जे के खिलाफ हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी जिसका फैसला 1860 में आया और इस फैसले में पुर्तगाल का अधिकार इन क्षेत्रों पर माना गया था। पुर्तगाली प्रशासन नेहरू सरकार की कार्यवाहियों को भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की तैयारी कर रहा था। इस तनाव भरे समय में नेहरू सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुये सैन्य शक्ति की सहायता से गोवा के भारत में विलय को स्वीकृति प्रदान की।

18 सितम्बर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा, दमन और द्वीव पर एक साथ चढ़ाई की और इसे आपरेशन विजय का नाम दिया। भारत ने अन्ततः पुर्तगाल के अधीन रहे इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मिला लिया। पुर्तगाल के गवर्नर जनरल वसालों सिल्वा ने भारतीय सेना प्रमुख पी० एन० थापर के सामने सरेंडर किया।

इसके बाद सरकार ने बारहवाँ संशोधन अधिनियम, 1962 पारित करके गोवा, दमन और दीव को संघ शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया। इसके लगभग पच्चीस सालों बाद गोवा को दमन व दीव से अलग कर गोवा को नये राज्य का दर्जा दिया गया और दमन और दीव को केन्द्रशासित प्रदेश को रूप में ही रहने दिया गया। यह व्यवस्था छपन्नवें संवैधानिक संशोधन 1987 के द्वारा की गई थी।

इसी तरह का मिलता-जुलता मामला पाण्डिचेरी का भी है। भारत में पाण्डिचेरी तथा अन्य छोटे इलाकों में फ्रांसीसी शासन 1816 ई० में प्रत्यक्ष रूप से शुरू हुआ और 1954 ई० में तब तक जारी रहा जब तक भारत ने फ्राँसीसी अधिकार वाले क्षेत्रों पाण्डिचेरी, माहेयनम, कराइलकर तथा चन्दनगनर को अपने राज्य क्षेत्र में मिला नहीं लिया। सन 1948 में फ्राँस और भारत के बीच एक समझौता हुआ था जिसके अन्तर्गत फ्राँसीसी भारत के नागरिक अपने राजनीतिक भविष्य चुनने के लिये फ्राँस के शेष भारतीय संपत्ति में एक चुनाव के लिये सहमत हुये। चन्दननगर के शासन मई 1950 को भारत को सौंप दिया गया जो अक्टूबर 1955 को पश्चिम बंगाल को सौंप दिया गया। 1 नवम्बर 1954 को पण्डिचेरी, यामन, माहे और कराईकल के चार परिक्षेत्रों को स्वतंत्र भारत को सौंप दिया गया, और भारतीय सरकार ने चौदहवें संवैधानिक संशोधन 1963 द्वारा पाण्डिचेरी को संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल करके केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी तथा संविधान में अनुच्छेद 239(क) जोड़कर संघ शासित प्रदेशों में विधानमण्डल और मंत्रिपरिषद बनाने का संसद को अधिकार दिया। यह विधिवत सम्मेलन तभी सम्भव हो पाया जब

पेरिस में फ्रांसीसी संसद ने भारत के साथ ऐसे प्रावधान वाले सन्धि की पुष्टि1962 ई० में की। इस प्रकार पाण्डिचेरी भारत का अधिकारिक केन्द्र शासित प्रदेश बना।

अरूणाचल प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर पूर्व स्थित राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के आधुनिक इतिहास का प्रारम्भ यडाबू की संधि (1826) के बाद असम में ब्रिटिश शासन लागू होने के साथ शुरू होता है। वर्ष 1962 में पहले इसे नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (NEFA) के नाम से जाना जाता था जो संवैधानिक रूप से असम का हिस्सा था। इस क्षेत्र के सामरिक महत्व के कारण प्रशासन की देखभाल 1965 ई० तक विदेश मंत्रालय और उसके बाद गृह मंत्रालय के अधीन रही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371(ज) के माध्यम से राज्य के संबंध में कई विशेष उपबन्ध किये गये है। वर्ष 1972 में इसे केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा प्रदान किया गया तथा इसका नामकरण अरूणाचल प्रदेश हुआ।

55वें संविधान संशोधन (1986) के तहत अरूणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को भारतीय राज्य का 24वाँ राज्य बनाया गया। वर्श 1986-87 में अरूणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।[10]

मेघालय भी पूर्वोत्तर का महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी दक्षिणी और पश्चिमी सीमायें बांग्लादेश से मिलती है सन 1765 में ब्रिटिश लोग सबसे पहले इस क्षेत्र के सम्पर्क में आये। वर्ष 1866 में तुरा (वर्तमान मेघालय) में ब्रिटिश लोगों द्वारा प्रशासनिक मुख्यालय की स्थापना की गई। सन 1899 में ईसाई मिशनरियों के खिलाफ सेने खासी के नाम से खाजी पुनरूत्थान आन्दोलन शुरू हुआ बाद में इन्हीं खासी लोगों ने सन 1928 ई० में साइमन कमीशन के आगमन के अवसर पर पृथक खासी राज्य की माँग की। इस माँग की अगुवाई खासी नेशनल फ्रंट द्वारा की गई।

सन 1954 में इस राज्य के निवासियों ने एक अलग राज्य की माँग को जोर-शोर से उठाया जिसे फजल के अध्यक्षता में गठित राज्य पुनगर्ठन आयोग ने 1956 में अस्वीकृत कर दिया बाद में वर्ष 1960 में आल पार्टी लीडर्स कान्फ्रेंस का गठन किया गया। वर्ष 1970 में असम के अन्तर्गत मेघालय का गठन एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में किया गया। 1972 ई० में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।[11]

इसी प्रकार मिजोरम भी पूर्वोत्तर का एक विशेष राज्य है जो अपनी भौगोलिक स्थिती के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पड़ोसी राज्य असम तथा त्रिपुरा तथा बांग्लादेश एवं म्यामार है। मिजो मूलतः मंगोल नस्ल की जनजाति है और इसकी कई उप जनजातियाँ है। राजनीतिक रूप में मिजोरम सबसे पहले ब्रिटिश राज्य से सन 1891 ई० में सम्पर्क में आया और उसके बाद उत्तर का लुषाई पर्वतीय क्षेत्र असम के और दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। सन् 1898 ई0 में दोनों को मिलाकर लुषाई हिल्स नामक जिला बनाया गया जिसे असम के मुख्य आयुक्त के प्रशासन के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता के बाद लम्बे समय तक मिजोरम लम्बे समय असम के अधीन एक जिला बना रहा।

वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिकार के लागू होने पर मिजोरम केन्द्र शासित प्रदेश बना। बाद में केन्द्र सरकार और मिजोरम में नेशनल फ्रंट के बची शान्ति समझौते के बाद 53वें संविधान संशोधन अधिनियम (1987) द्वारा मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को भारत का 23वाँ राज्य बनाया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371(छ) के अनुसार, मिजोरम राज्य के सम्बन्ध में कुछ विशेष उपबन्ध भी किये गए है। वर्ष 1986-87 में मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा भी प्रदान किया गया।[12]

सात बहनों के राज्य में मणिपुर भी एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। यह राज्य तीन भारतीय राज्यों असम, मेघालय और नागालैण्ड से घिरा हुआ है जबकि एक पड़ोसी म्याँमार नामक देश भी है। मणिपुर का इतिहास बहुत पुराना है। मणिपुर की स्वतंत्रता और सम्प्रभुता 19वीं सदी के अन्त में बनी रही। सन 1891 ई० मणिपुर ब्रिटिश शासन

के अधीन आ गया और 1947 में देश के साथ ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह क्षेत्र एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय राज्य के भाग सी के राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। इसके पश्चात 1962 में केन्द्रशासित प्रदेश अधिनियम के अधीन 30 सदस्य चयन द्वारा और तीन मनोनीत सदस्यों की विधानसभा स्थापित की गई। 19 दिसम्बर 1969 से प्रशासन का पद उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।[13]

मणिपुर की भाँति त्रिपुरा का भी प्राचीन इतिहास भारत के मुख्य भाग के इतिहास से सम्बन्धित मिलता है। अंग्रेजों का इस क्षेत्र में प्रवेश 1765 ई० में हुआ इसके बाद इस क्षेत्र पर उनका नियन्त्रण राजनीतिक और भौगोलिक स्तर पर लगातार बढ़ता गया। वर्ष 1905 ई० में त्रिपुरा को पूर्वी बंगाल औश्र असम के नये राज्य से सम्बन्धित कर दिया गया। त्रिपुरा को 1 दिसम्बर 1936 को ब्रिटिश सत्ता द्वारा ईस्टर्न स्टेट एजेंसी में शामिल किया गया। भारत की आजादी के साथ ही राजतंत्रात्मक शासन वाले त्रिपुरा का भारतीय राज्य में विलय हो गया। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बन गया। वर्ष 1956 में इसे राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिशों के अनुरूप एक केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया तथा सन 1972 ई० में त्रिपुरा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया।

नागालैण्ड पूर्वोत्तर में स्थित सात बहनों के राज्य के समूह का प्रमुख राज्य है। यह राज्य पूर्व में म्याँमार उत्तर में अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है। सन 1828 में सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने इस क्षेत्र में सम्पर्क स्थापित किया। लम्बे समय तक परस्पर आक्रमण और युद्ध के बाद 1865 में नागा सरदारों और अंग्रेजों के बीच शान्ति स्थापित हुई। अंग्रेजों से सम्पर्क में आने के बाद ईसाई मिशनरियों के काम के फलस्वरूप यहाँ ईसाई धर्म फैला और लोकप्रिय हुआ। अंगमी जपू फिजो ने सबसे पहले अलग राज्य के लिये नागा नेशनल कांउसिल का गठन किया। जून 1947 ई० में अंग्रेजों के साथ नागाओं का नौ सूत्री समझौता हुआ जिसे व्यापक मान्यता नहीं मिली। भारत की आजादी के साथ ही 14 अगस्त 1947 को नागा नेशनल कांउसिल ने नागालैण्ड के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जिसको भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी।[14] सन 1955 ई० में भारत सरकार ने सेना को नागालैण्ड भेजा नागालैण्ड का भारत में विलय सम्भव कराया। 1 दिसम्बर 1963 को नागालैण्ड भारतीय संघ का 16वाँ राज्य बना।

असम या असोम पूर्वोत्तर का एक प्रमुख राज्य है जिससे पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का इतिहास और वर्तमान जुड़ा हुआ है। सन् 1826 में यह पूरा क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के क्षेत्राधिकार में आ गया जब वर्मी लोगों ने यादबू-सन्धि के अनुसार असम को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। 1874 ई० में इसे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) के अधीन प्रान्त के रूप में बनाया गया। बंगाल विभाजन के बाद (सन 1905) यह लेफिटनेट गर्वनर के प्रशासन के अंतर्गत आया। भारत की स्वतंत्रता के समय ही ऐसा राज्य था जो विशुद्ध राज्य के रूप में अस्तित्व में था लेकिन नये राज्यों के लगातार गठन, विस्तार तथा विलय के कारण इसका भौगोलिक स्वरूप लगातार परिवर्तित होता रहा। इसलिये नये राज्यों के गठन के लिये यह राज्य अध्ययन का विषय बन जाता है। 1947 में भारत की ब्रिटिश राज्य से स्वतंत्रता और विभाजन का असर असम पर भी पड़ा। इसके मुस्लिम बहुल इलाके सिलहट को काटकर पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में मिला दिया गया। 1951 में इसके देवनगिरि इलाके को भूटान को सौंप दिया गया तथा 1957 ई० में नागालैण्ड, जो इलाका भाग माना जाता था, केन्द्रशासित प्रदेश के रूप में अलग हो गया। सन 1969 में गारो तथा खाजी संयुक्त जनपदों के अलग होने तथा 1972 में मिजोरम के पृथक होने के बाद असम का वर्तमान स्वरूप सामने आया।

सिक्किम की स्थिति भी पूर्वोत्तर के राज्यों के पास की है लेकिन इसे 'सेवन सिस्टर स्टेट' में गिना नहीं जाता है। सिक्किम अंग्रेजी राज्य में मिलने से पूर्व एक सम्प्रभु राज्य की तरह अस्तित्व में था। सन 1849 ई० में दो ब्रिटिश अंग्रेज अफसरों, जिनमें से एक डाक्टर था, के साथ दुव्यर्वहार करने के आरोप में सैनिक कार्यवाही का सामना करना पड़ा और अन्ततः उसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। वहाँ का राजा अब ब्रिटेन के अधीन संरक्षण में हो गया। सन 1947 में सिक्किम ने भारत में विलय का विरोध किया लेकिन तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने सिक्किम को एक संरक्षित राज्य के रूप में मान्यता देकर भारतीय राज्य के सम्बद्ध किया। सन 1955 ई० में एक राज्य परिषद स्थापित की गई जिसके माध्यम से सिक्किम में और व्यापक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की गई। सिक्किम के राजा भारत में विलय के पक्षधर नहीं थे और अन्तिम समय तक इसका विरोध करते रहे लेकिन राजा से असंतुष्ट गणतंत्र समर्थकों ने एक प्रस्ताव पारित करके भारत में विलय का समर्थन किया। इस प्रस्ताव के आधार पर 1947 में किये गये जनमत संग्रह के परिणाम ने यह बता दिया कि वहाँ की जनता पूर्ण बहुमत से सिक्किम के भारत में विलय का समर्थन करती है। इसके साथ ही भारत सरकार ने सिक्किम के भारत में विलय की घोषणा की। सन 1947 में 35वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पहले सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा गया तथा 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 द्वारा उसे पूर्ण राज्य बनाया गया।

उत्तराखण्ड, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़

तीव्र या मंद, भारतीय राजनीति में पृथक राज्य की माँग सदैव से ही विद्यमान रहीं। जिसका कारण उसकी बहुस्तरीय विविधता और लगातार बढ़ती राजनीतिक अकांक्षा में खोजा जा सकता है। दो दर्जन से अधिक राज्य बन जाने के बाद भी इस प्रकार की माँग समाप्त नहीं हुई बल्कि उन बड़े राज्यों में और बढ़ गई जो लगातार इस तरह की माँग के प्रति कठोर रूख अपनाये हुये थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश भौगोलिक स्थिति, जनता ओर सांस्कृतिक विविधता की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य माने जाते है और इसी विविधता ने शुरूआती दौर में ही इन राज्यों में पृथक राज्य की माँग को पैदा किया और बढ़ावा दिया।

छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य बनाने की माँग बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही शुरू हो चुकी थी। शुरूआत में पृथक राज्य का प्रयास बहुत संगठित नहीं था बल्कि कुछ व्यक्तियों अथवा संगठनों के व्यक्तिगत छिटपुट प्रयासों पर निर्भर था जो छत्तीसगढ़ की पृथक पहचान और उपेक्षा लेकर किये जाते थे। इस क्रम में बहुत से बहुदलीय मंच बने, अकादमिक स्तर पर सेमिनार हुये, रैलियाँ और बन्द आयोजित किये गये। सन 1920 में सबसे पहले पं0 सुन्दरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ की संकल्पना प्रस्तुत की। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के गठन के पश्चात छत्तीसगढ़ में आने वाले ठाकुर रामकृष्ण सिंह ने भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य के रूप में मान्यता देने की बात कही लेकिन उस समय उनकी बात मानी नहीं गई। मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस ने राजनैतिक स्तर पर सबसे पहले 1993 में अपने मैनीफैस्टो के पृथक छत्तीसगढ़ के गठन सम्बन्धी माँग को पूरा करने का वायदा किया। इस पृथक राज्य के आन्दोलन के इतिहास में 18 मार्च 1994 का दिन अविस्मरणीय है जब मध्य प्रदेश विधानसभा ने चुनाव के दौरान पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के प्रस्ताव को पारित किया गया। 25 मार्च 1998 को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रपति ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना का उल्लेख किया। इसके बाद 1 मई 1998 को मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इससे सम्बन्धित एक संकल्प प्रस्ताव को पारित कर दिया। जुलाई 2000 को इस आशय का प्रस्ताव संसद में रखा गया जिसे उसी महीने संसद ने पारित कर दिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरान्त 9 अगस्त सन 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया।[15]

पृथक झारखण्ड राज्य की स्थापना भी छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड राज्य के साथ हुई लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से झारखण्ड के निवासियों में अपनी भाषा, संस्कृति और अस्मिता की पहचान के प्रति आकर्षण अन्य की अपेक्षा कहीं पुराना है। आजादी के पूर्व ही झारखण्ड के मूलनिवासी पृथक राज्य की स्थापना के लिये प्रयासशील थे। जिसको समर्थन बाहरी लोगों का भी मिला। लेकिन ब्रिटिश शासन से इस प्रकार के प्रयासों को कोई विशेष समर्थन या प्रोत्साहन नहीं मिलता था।

सन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और इसके सामने भी झारखण्ड के स्वतंत्र राज्य के रूप में गठन की माँग सामने आई। छोटा नागपुर संयुक्त संघ का नेतृत्व गैर-जनजाति के रामनारायण सिंह कर रहे थे और उनके ही नेतृत्व में यह माँग पत्र राज्य पुनर्गठन आयोग को सौंपा गया। ऐसी ही एक माँग पत्र जयपाल सिंह ने भी सौंपा था। जयपाल सिंह एक जनजातीय नेता थे।[16]

राज्य पुनर्गठन आयोग ने पृथक झारखण्ड की माँग को स्वीकार नहीं किया। उसके अनुसार दक्षिणी बिहार (यानि अब के झारखण्ड) का जनमत और राजनीतिक दल विभाजन के पक्ष में नहीं थे। यह माँग केवल आदिवासियों द्वारा की गई है। छोटा नागपुर तथा उत्तरी बिहार एक दूसरे के पूरक है। दोनों एक दूसरे से उसी प्रकार सम्बन्धित है जैसे असम और उड़ीसा के विभिन्न हिस्से। इसलिये झारखण्ड को पृथक राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है।

आन्दोलन में सहभागी लोगों तथा संगठनों ने इस प्रकार के विचार देने के कारण आयोग की आलोचना की। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के बाद सन 1969 ई० तक केन्द्र तथा राज्य सरकार झारखण्ड की पृथकता से विमुख रही जबकि आन्दोलन अभी चल रहा था। सन 1969 ई० में बिहार में गठबन्धन की सरकार बनी जिसमें झारखण्ड क्षेत्र के प्रतिनिधि अलग राज्य का प्रयास करते रहे। निरल छोटो, जो सरकार में मंत्री पद पर थे और वे झारखण्ड आन्दोलन के प्रमुख नेता भी थे, से यह आशा थी कि इस गठबन्धन सरकार के कार्यकाल में पृथक राज्य का सपना पूरा हो जायेगा लेकिन यह सरकार अपना कार्यकाल भी पूरा न कर सकी और झारखण्ड मुद्दा माँग तक ही सीमित रह गया।[17]

इसी दशक में शिबू सोरेन झारखण्ड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ और उसने मार्क्सवादी कोर्डिनेशन कमेटी के नेता एम० के० राय के साथ पृथक झारखण्ड की माँग को आगे बढ़ाया। काफी उथल-पुथल और आन्दोलन के मन्द और तीव्र होने के बीच इसके नेता जनता के बीच लोकप्रिय होते गये। झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ने विधानसभा और लोकसभा का चुनावों में विजय प्राप्त किया।

सन 1987 में शिबू सोरेन और बाबूलाल मंराडी ने संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता को महसूस करते हुये अन्य छोटे-छोटे दलों के सहयोग से झारखण्ड समन्वय समिति का गठन किये। जून 1987 में इस समिति ने रामगढ़ में एक सम्मेलन आयोजित कर 25 सदस्यीय एक तदर्थ समिति बनायी जिसमें 21 संगठनों का सहयोग मिला इस समिति ने तत्कालीन राश्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें एकीकृत बिहार के 21 जिलों को अलग कर पृथक राज्य झारखण्ड की माँग की गई।[18]

इसके बाद बिहार राज्य की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति में झारखण्ड राज्य के गठन का मुद्दा हमेशा प्रासंगिक बना रहा। उस समय की उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। इसी क्रम में 1991 में बिहार सरकार ने झारखण्ड क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया। सन 1994 केन्द्र सरकार को और अधिकार सौपने तथा व्यापक बनाने के लिये एक त्रिपक्षीय समझौता किया जिसमें बिहार सरकार तथा झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन व सूरज मण्डल के हस्ताक्षर थे। इस परिषद को आन्दोलन की पहली जीत और झारखण्ड गठन में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया।

कई उठापठक के बाद अन्ततः 1999 में केन्द्रीय सरकार द्वारा झारखण्ड राज्य के गठन के लिये एक प्रस्ताव बिहार विधानसभा में भेजा गया जिसने अन्ततः कांग्रेस के दबाव में तत्कालीन राष्ट्रीय जनता ने पारित कर दिया। उन्होंने 18 जिलों को अलग करके पृथक झारखण्ड के प्रस्ताव को 25 अप्रैल 2000 को विधानसभा में मंजूरी दिलवाकर इसका अनुमोदन कर दिया। अब पृथक झारखण्ड का मार्ग प्रशस्त हो गया था। 15 नवम्बर 2000 को संवैधानिक रूप से भारत के राजसंघीय पटल पर झारखण्ड 28वें स्वतंत्र राज्य के रूप में झिलमिला उठा।[19]

उपर के दोनों राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश को काटकर पर्वतीय इलाकों को एक करते हुये भारत में एक नये राज्य उत्तराखण्ड की स्थापना की गई। इस राज्य की स्थापना के लिये भी लम्बा संघर्ष किया गया। उत्तराखण्ड की अस्मिता से लैस राजनीतिज्ञों ने शुरू से ही अलग पहचान बनाने की कोशिश की। 1916 ई0 के सितम्बर माह में गोविन्द बल्लभभाई पंत, हरगोविन्द पंत, ब्रदीदत्त पाण्डेय, इन्द्रलाल शाह, मोहन सिंह दड़मवाल, चन्द्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पाण्डेय, भोला दत्त पाण्डेय और लक्ष्मी दत्त शास्त्री आदि उत्साही युवकों के द्वारा कुमाँउ परिषद की स्थापना की गई जिसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन उत्तराखण्ड की सामाजिक तथा अर्थिक समस्याओं का समाधान खोजना था। 1926 तक इस संगठन ने उत्तराखण्ड में स्थानीय सामान्य सुधारों की दिशा के अतिरिक्त राजनैतिक उद्देश्य के रूप में संगठनात्मक गतिविधयाँ संपादित की। 1923 तथा 1925 के प्रान्तीय परिषद के चुनाव में गोविन्द बल्लभ पंत, हरगोविन्द पंत, मुकुन्दी लाल तथा ब्रदी दत्त पाण्डेय ने प्रतिपक्षियों को बुरी तरह पराजित किया। 1926 ई० में ही कुमाँउ परिषद का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। सन 1940 में हल्द्वानी सम्मेलन में बद्री दत्त पाण्डेय ने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा देने तथा अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने कुमाँउ-गढ़वाल को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की माँग रखी। 1954 में विधान परिषद के सदस्य इन्द्रसिंह नयाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविन्द बल्लभ पंत से पर्वतीय क्षेत्र के लिये पृथक विकास योजना बनाने का आग्रह किया तथा 1955 ई० में फजल अली आयोग ने पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य के रूप में गठित करने की संस्तुति की।[20]

1970 को इन्दिरा गाँधी द्वारा पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं के निदान का दायित्व राज्य केन्द्र दोनों सरकार का होना बताया। इसके साथ जमीनी स्तर पर पृथक राज्य का आन्दोलन चलता रहा। सन 1979 को पृथक राज्य के विशेष उद्देश्य के लिये मंसूरी में उत्तराखण्ड क्रान्तिदल की स्थापना की गई। जून 1987 में कर्णप्रयाग के सर्वदलीय सम्मेलन में उत्तराखण्ड के गठन के लिये संघर्ष का आह्वान किया गया।

लेकिन सन 1994 में यह आन्दोलन तब और तेज हो गया जब पृथक राज्य के समर्थक छात्रों, नवयुवकों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बलप्रयोग के आधार पर दबाने की कोशिश की। लगभग दो वर्षों तक लगातार सरकार ने आन्दोलनकारियों के विरूद्ध बल प्रयोग किया। लम्बे टकराव के बाद 27 अक्टूबर 1994 को तत्कालीन गृहमंत्री राजेश पायलट ने आन्दोलनकारियों से वार्ता की। अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री एस० डी० देवगौड़ा ने पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन की घोषणा की।

1998 ई० में केन्द्र की भाजपा गठबन्धन सरकार ने पहली बार राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा को उत्तराचँल विधेयक भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 संशोधनों के साथ उत्तराचँल राज्य विधेयक विधानसभा में पारित करवाकार केन्द्र सरकार को भेजा। केन्द्र सरकार ने 27 जुलाई, 2000 को उत्तर प्रदेश पुर्नगठन विधेयक 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जो 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में 10 अगस्त 2000 अगस्त राज्यसभा में पारित हो गया। भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त, 2000 को अपनी स्वीकृति दे दी और इसके बाद यह विधेयक अधिनियम में बदल गया और इसके साथ ही 9 नवम्बर 2000 को

उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया जो अब उत्तराखण्ड नाम से अस्तित्व में है।[2] इस प्रकार सदी का अन्त होते-होते भारत में कुल 28 राज्य और सात केन्द्रशासित प्रदेश हो गये थे।

तेलगांना: नवीनतम भारतीय राज्य

अलग तेलगांना राज्य की माँग 1913 ई० में ही अस्तित्व में आ गई थी जब आन्ध्र महासभा का गठन किया गया। जल्दी ही यह आन्दोलन तेलुगु लोगों में लोकप्रिय हो गया और लोगों ने मद्रास राज्य से पृथक एक तेलुगु भाषी राज्य की माँग की। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भाषायी आधार पर पृथक राज्य बनाये जाने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन 10 अक्टूबर 1952 को गाँधीवादी पोट्टी श्रीरामलु ने पृथक तेलुगु राज्य के लिये आमरण अनशन शुरू किया और 58 दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गयी। उनकी मृत्यु के तीन दिन बाद नेहरू सरकार ने पृथक तेलुगु भाषी राज्य बनाना स्वीकार कर लिया और दस महीनों बाद इसका निर्माण भी कर दिया गया इस नवनिर्मित राज्य की तत्कालीन राजधानी कुसूर बनाई गई लेकिन बाद में आन्ध्र के नेताओं ने इसे हैदराबाद बनाये जाने की माँग की जिसका आन्ध्र प्रदेश में ही शामिल तेलंगाना के लोगों ने विरोध किया। 1954 में तेलगांना के कई समहों ने निजाम के हैदराबाद राज्य को पृथक राज्य बनाये जाने की माँग की। 1955 में दी अपनी रिपोर्ट में राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा कि 1961 के चुनावों तक तेलगांना को अलग राज्य बनाए रखा जाये। इसके बाद अगर तेलगांना के लोग चाहे तो एकीकृत तेलुगु राज्य का हिस्सा बने रह सकते है या अलग हो सकते है। लेकिन नेहरू सरकार ने आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया और सभी तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मिलाकार एक राज्य आन्ध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया।

विवाद के बीच फरवरी 1956 में तेलगांना और उसके बाहर के तेलुगु भाषी लोगों के बीच एक समझौता हुआ जिसे 'जेन्टिलमैन एग्रीमेण्ट' के नाम से जाना जाता है। यह कोई औपचारिक अनुबंध नहीं था लेकिन एग्रीमेण्ट के मुताबिक के विकास के लिये क्षेत्रीय कांउसिल का गठन होगा। अलग तेलगांना आन्दोलन के इतिहास में 1969 का साल बेहद अहम है। इसी साल हैदराबाद और तेलंगाना के बाकी जगहों में अलग राज्य की माँग को लेकर पहली बार हिंसक आन्दोलन हुआ। जेन्टिलमैन एग्रीमेण्ट में यह भी प्रावधान था कि अगर मुख्यमंत्री आन्ध्र का होगा तो उपमुख्यमंत्री तेलगांना क्षेत्र का होगा। इस प्रकार शासन में दोनों क्षेत्रों को प्रमुखता से प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी ने इस शर्त को तोड़ दिया। इसके बाद कई ऐसी घटनायों हुई जिससे सम्पन्न तटीय आन्ध्र के लोगों के खिलाफ तेलगांना के लोगों का गुस्सा बढ़ाया।

इस दौरान आन्ध्रा से कांग्रेसी नेता केन्द्रीय मंत्रिमण्ड से बाहर किये गये और उन्होनें राज्य के वापस आकर तेलंगाना प्रजा राज्यम पार्टी का नेतृत्व सम्भाला और चुनावों में अच्छी सफलता हासिल की। लेकिन कुछ समय बाद उन्होनें अपनी पार्टी तेलगांना प्रजा राज्यम पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। इसलिये इसी के साथ तेलगांना आन्दोलन की धार कमजोर पड़ गई। तेलगांना आन्दोलन में तेजी फिर नयी शताब्दी में आई। तेलुगुदेशम पार्टी के नेता तथा तेलगांना से आने वाले चन्द्रशेखर राव ने पृथक तेलगांना का मामला उठाते हुये 2001 में तेलुगु देशम छोड़ दी और तेलगांना राष्ट्र समिति का गठन किया। 2004 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी ने चन्द्रशेखर राव के साथ सहमति बनाई और पृथक तेलगांना के लिये सहयोग का वादा किया। काफी उथल-पुथल के बाद अन्ततः 29वें राज्य के रूप में तेलगांना अस्तित्व में आ गया। 2 जून 2014 को विविधवत इस राज्य के गठन की घोषणा कर दी गई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महेन्द्र प्रसाद सिंह, हिमांशु राय, भारती राजनीतिक प्रणाली संरचना, नीति और विकास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जनवरी 2013, नई दिल्ली, पृ0 202

2. वही, पृ0 220

3. ए०आर० देसाई: भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि दि मैकमिलन कम्पनी ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली 1977, पृ0 312

4. वही, पृ0 312

5. महेन्द्र प्रताप सिंह, हिमांशु राय: भारतीय राजनीतिक प्रणाली: संरचना, नीति और विकास, वही, पृ0 221

6. विपिन चन्द्र अन्य: आजादी के बाद का भारत (1947-2007), हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जुर्ला 2011, चतुर्थ संस्करण, नई दिल्ली, पृ0 134-135

7. विपिन चन्द्र व अन्य: आजादी के बाद का भारत, वही, पृ0 136

8. विपिन चन्द्र व अन्य: आजादी के बाद का भारत, वही, पृ0 137

9. विपिन चन्द्र व अन्य: आजादी के बाद का भारत, वही, पृ0 434

10. आशीष भसीन भारत के राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2012, पृ0 285

11. वही, पृ0 292

12. वही, पृ0 300

13. http://bharatdiscovery.org/india/ मणिपुर दिनांक 15 जुलाई 2016 को देखा गया

14. http://hi.wikipedia.org/wiki/ नागा, दिनांक 15 जुलाई 2016 को देखा गया

15. www.echhattisgarh.in/index.php?cmd=articlied=83 दिनांक 18.07.2016 को देखा गया

16. मनीष रंजन: झारखण्ड, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली 2012, पृ0 72

17. वही, पृ0 75

18. वही, पृ0 76

19. वही, पृ0 81

14. http://hi.wikipedia.org/wiki/ उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन पर देखें। 18 जुलाई 2016 को देखा गया

कांग्रेस समाजवादी दल: विचारधारा और विकास

डॉ० मधुसूदन सिंह [1]

मई 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना भारत में समाजवाद के संगठनात्मक विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना से सभी प्रान्तीय संगठनों और गुटों को अखिल भारतीय आधार तथा मंच मिल गया। इसके प्रस्तोता किसानों, मजदूरों तथा लघु बुर्जुआ को साथ मिलाकर मुक्ति ससंग्राम चलाने के समर्थक थे। वर्ग संघर्ष में विश्वास रखने वाले ये समाजवादी जमींदारी, पूँजीवाद तथा देशी रजवाड़ों की प्रणाली के उन्मूलन के पक्ष में थे। अपै्रल 1934 में डॉ० सम्पूर्णानन्द ने अपने पत्र अथवा पुस्तिका में कांग्रेस के अन्दर ही एक अखिल भारतीय समाजवादी दल के गठन का सुझाव रखा जो पूँजीपतियों-उद्योगपतियों के दबाव व प्रभाव का प्रतिकार करता और कांग्रेस को समाजवादी कार्यक्रम की दिशा में अग्रसर करता। इनकी विचारधारा में मार्क्सवाद, गांधीवाद तथा पाश्चात्य लोकतांत्रिक उदारवाद का समावेश था। अपने विचारों के प्रचार-प्रसार के निमित्त इन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका भी प्रकाशित की जिसकी शुरूआत राममनोहर लोहिया ने की और जिसका संपादन कुछ वर्षों तक अशोक मेहता ने किया। समाजवाद की प्रासंगिकता पर जयप्रकाश नारायण ने अपनी पुस्तक ''ह्वाई सोशलिज्म' में प्रकाश डाला। लोकमान्य तिलक, महर्षि अरविन्द और लाला हरदयाल ने प्रभावित आचार्य नरेन्द्र देव रूस की बोलशेविक क्रांति के बाद माक्र्सवाद की ओर प्रवृत्त हुए जिसे वे वैज्ञानिक समाजवाद मानते थे और जिसे पटना के अपने वक्तव्य में उन्होंने 'सामाजिक सुधारवाद' से भिन्न बताया। अगस्स्त 1934 में उन्होंने मजदूरों और किसानों की आम हड़ताल' का विचार व्यक्त किया जो गांधी जी को 'मादक' और 'अत्यन्त खतरनाक' से भिन्न बताया। प्रतीत हुआ। आजादी तथा समाजवाद की स्थापना के आन्दोलन में किसानों की भूमिका पर उनका विशेष जोर था। राममनोहर लोहिया पर गांधीजी के विचारों के साथ ही पश्चिम के सामाजिक, लोकतंत्रात्मक विचारों का विशेष प्रभाव था।

17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी दल के तत्वावधान में प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन का पटना में आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेन्द्र देव ने की जो विधान सभाओं में

1. असिस्टेन्ट प्रोफेसर, डॉ० राम मनोहर लोहिया पी०जी० कालेज, नौतनवाँ महराजगंज, उ०प्र०

प्रवेश को कांग्रेस के क्रातिकारी चरित्र पर प्रहार करने वाला मानते थे। अतः उन्होंने समाजवादियों का आह्वान किया कि काग्रेस पर समाजवादी विचारधारा एवं कार्यक्रम को अपनाने के लिए दबाव डालने को निरन्तर प्रयासरत् रहे। जयप्रकाश नारायण का भी यही विचार था। आचार्य नरेन्द्र देव का कहना था कि तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस के अन्दर रहकर कार्य करना और राष्ट्रीय संघर्ष समाजवाद से जोड़ना सम्भव था; इस आशय का एक प्रस्ताव भी (कांग्रेस का आह्वान करते हुए) पारित किया गया। अखिल भारतीय समाजवादी दल के गठन के निमित्त अभियान आरम्भ करने के लिए जयप्रकाश नारायण को संगठनात्मक सचिव (या महामंत्री) नियुक्त किया गया जिन्होंने देश के विभिन्न भागों का दौरा करके प्रान्तीय स्तर पर संगठन का प्रयास किया। 22-23 अक्टूबर 1934 को बंबई में अखिल भारतीय समाजवादी दल का प्रथम सम्मेलन डा॰ सम्पूर्णानन्द की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन का कक्ष राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही लाल झण्डे से भी सजाया गया था और मंच पर कार्ल माक्र्स का चित्र भी रखा गया था। इसी सम्मेलन में दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और जयप्रकाश नारायण को महामंत्री नियुक्त किया गया। उन्हें, कांग्रेस समाजवादी दल के गठन के ध्येय से प्रत्येक प्रान्त में कांग्रेस के अन्दर समाजवादी गुट के निर्माण का भी अधिकार दिया गया। संविधान निर्मात्री समिति आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में गठित की गयी जिसके महामंत्री थे जयप्रकाश नारायण और सदस्य थे-अब्दुल वारी, पुरूषोत्तमदास त्रिकमदास, मीनू मसानी, डॉ॰ सम्पूर्णानन्द और डॉ॰ चारू बनर्जी। इसके संविधान में प्राविधान था कि दल के सदस्यों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य भी होना होगा और उन्हें किसी साम्प्रदायिक संगठन में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। अपने संविधान के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम में कांग्रेस समाजवादी दल के कांग्रेस को समाजवाद की दिशा में अग्रसर कना, किसानों व मजदूरों को स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के साथ ही अपने वर्गीय हितों के लिए भी प्रयास करने की प्रेरणा देना और संगठित करना, युवा संगठनों तथा महिला संगठनों आदि को गठित करना, साम्राज्यवादी युद्धों में भारत को घसीटने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों का विरोध करना और स्वतंत्रता संग्राम को अग्रसर करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संकटों का उपयोग करना और संवैधानिक मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता का विरोध करना शामिल किया। कांग्रेस के बड़े हिस्से को इसकी दिशा में मोड़ने में कांग्रेस समाजवादी दल को कुछ सफलता अवश्य मिली। वे विशेष रूप से बिहार और आन्ध्र में किसान सभा के आन्दोलन से सम्पर्क स्थापित करने में सफल रहे। एन॰ जी॰ रंगा और सहजानन्द इस क्षेत्र में विशेष रूप से सक्रिय थे। उत्तरी और मध्य बिहार में स्वामी सहजानन्द लगभग 80 हजार किसानों को अपनी किसान सभा से जोड़ने में सफल रहे। नवम्बर 1935 में उन्होंने हाजीपुर सम्मेलन में कांग्रेस समाजवादी दल के दबाव स्वरूप, जुझारू कार्यक्रम को स्वीकार किया।

भारत में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के ध्येय से निर्धारित कार्यक्रम अथवा योजना के अन्तर्गत सत्ता को जनसामान्य के हाथों में सौंपने, देश की अर्थव्यवस्था के विकास को सरकारी योजना व नियंत्रण के अधीन रखने, इस्पात, जूट, वस्त्र, रेलमार्ग, जहाजरानी, बागान आदि उद्योगों के साथ बीमा व अन्य सार्वजनिक उपयोग वाली संस्थाओं के समाजीकरण (उत्पादन, विपणन एवं विनिमय के निमित्त), विदेश-व्यापार पर राज्य के एकाधिकार, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में उत्पादन, विपणन एवं ऋण के निमित्त सहकारी संगठन स्थापित करने, देशी रजवाड़ों व जमींदारों आदि का उन्मूलन (क्षतिपूर्ति के साथ), किसानों में भूमि का पुनर्वितरण करने, राज्य के नियंत्रण में सहकारी एवं सामूहिक कृषि को प्रोत्साहन, मजदूरों व किसानों के ऋणों के रद्द करने, राज्य से रोजगार या भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकार को मान्य करने, वयस्क मताधिकार, धर्म (सम्प्रदाय), समुदाय व जातिगत भेदभाव की अमान्यता, स्त्री-पुरूष भेद की अमान्यता और भारत पर आरोपित सार्वजनिक ऋण को निरस्त करने का प्राविधान रखा गया। किसानों के लिए श्रकि संगठन निर्मित करने व हड़ताल पर जाने के अधिकार, निर्वाह योग्य मजदूरी, सप्ताह में 40 घण्टे काम

और, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था तथा दुर्घटना के विरूद्ध बीमे की माँग की गयी। किसानों के हित में जमींदारी-उन्मूलन, सहकारी खेती को प्रोत्साहन, अलाभकर जोतों पर कर व लगान से मुक्ति, भू-राजस्व में कमी तथा सामंती वसूलियों को रद्द करने की माँग रखी गयी।

नवगठित कांग्रेस समाजवादी दल ने स्वतंत्रता तथा समाजवाद को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उसे कांग्रेस के अन्य घटकों के साथ मिलकर प्रयास करना था और कांग्रेस को सही अर्थों में साम्राज्यवाद-विरोधी संगठन बनाना था। इसे ऐसे कामों से बचना था जिससे 'समझौता परस्त दक्षिणपंथी' की शक्ति में वृद्धि हो। इसके साथ ही उसे कांग्रेस को अपना समाजवादी कार्यक्रम स्वीकार करने के लिए तैयार भी करना था जैसा कि आचार्य नरेन्द्र देव ने प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस को अपना समाजवादी सम्मेलन में अपने भाषण में कहा। तद्नुसार, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर स्वाधीनता के राष्ट्रवादी ध्येय के लिए सक्रिय होने के साथ ही वे किसानों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों, स्त्रियों व बुद्धिजीवियों को भी प्रेरित संगठित करते रहे। किसानों व मजदूरों के वर्गगत हितों व उत्थान को भी ध्यान में रखा गया। इसके लिए 1935 में (मेरठ में) प्रतिपादित विचार के अनुसार कांग्रेस के साम्राज्यवाद विरोधी तत्वों को 'बुर्जुआ नेतृत्व' से अलग कर क्रान्तिकारी समाजवादी नेतृत्व के अधीन लाया जाना था, परन्तु शीघ्र ही इसकी निरर्थकता का और गांधीजी व उनके नेतृत्व में चल रहे आन्दोलन के महत्व का तथा उससे अलग-थलग पड़ जाने की आशंका का उन्हें बोध हो गया। अतः यह विचार फिलहाल त्याग दिया गया (यद्यपि रह-रहकर इसमें उबाल अवश्य आता रहा)।

कांग्रेस समाजवादी दल के द्वारा वर्ग-संघर्ष तथा निजी सम्पत्ति की जब्ती को स्वीकार किए जाने के कारण गांधजी तथा 'दक्षिणपंथी' कांग्रेसी असन्तुष्ट थे। गांधीजी जमींदारों, पूँजीपतियों, उद्योगपतियों व रजवाड़ों के हृदय परिवर्तन में विश्वास रखते थे और उन्हें किसानों, मजदूरों व जनता का ट्रस्टी बनाने के इच्छुक थे। गांधीजी द्वारा सन्यास लेने का एक कारण कांग्रेस में समाजवादियों एवं वामपंथियों का भारी संख्या में प्रवेश बताया गया है। 1934 में कांग्रेस कार्य समिति ने निजी सम्पत्ति की जब्ती व वर्ग संघर्ष के अनर्गल प्रलाप की' अहिंसा-विरोधी कहकर भर्त्सना की। जवाहर लाल नेहरू और सुभाषचन्द्र बोस, नये दल में शामिल तो नहीं हुए परन्तु उनका झुकाव वामपंथ की ओर था। अतः वे कांग्रेस समाजवादी दल के गठन से प्रसन्न थे। उनके स्वयं के समाजवादी झुकाव को देखते हुए यह स्स्वाभाविक था। इसके साथ ही संकट के हर अवसर पर कांग्रेस समाजवादी दल कांग्रेस में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न करने से बचता रहा और केवल कांग्रेस की नीति व कार्यक्रम तथा निर्णयों को समाजवाद की दिशा में प्रभावित करने के प्रयास करता रहा। साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष में कंधे-से-कंधा मिलाकर सहयोग के लिए तत्पर इन साथियों से वामपंथी झुकाव वाले जवाहरलाल व सुभाषचन्द्र बोस का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। हालांकि जैसा कि विपिन चन्द्र ने लिखा है, उनका 'वैचारिक संप्रम' खिन्न करने वाला भी था जो, नेताओं के पारस्परिक सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों व परस्पर सम्मान की भावना के कारण, दल के लिए क्षतिकारक नहीं रहा। माक्र्सवाद से प्रभावित होते हुए भी गांधीवादी तथा उदार लोकतांत्रिक विचार-तत्वों के संयोजन से भी स्थिति संभली रही।

कांग्रेस के अप्रेल 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में पं० नेहरू के मनोनीत किए जाने से कांग्रेस समाजवादी दल को आशा बंधी कि वे कांग्रेस की राजनीति को संघर्षशील बनायेंगे। सुभाष ने भी उन्हें सहयोग का आश्वासन दिया। पं० नेहरू के अध्यक्षीय भाषण में समाजवादियों को हर सम्बन्धित मुद्दे पर निर्भीक समाजवादी रूझान के दर्शन हुए। यह गांधी से तो नहीं किन्तु गांधीवाद से सम्बन्ध विच्छेद जैसा प्रतीत होता था। अपने भाषण में पं० नेहरू ने समाजवाद को भारतीय जनता की निर्धनता, बेरोजगारी, दलित-दमित स्थिति और पराधीनता से त्राण दिलाने वाला बताया था। जिसके अन्तर्गत राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्स्था में क्रान्तिकारी परिवर्तनहोते और

निहित स्वार्थों का उन्मूलन होता। निजी सम्पत्ति के प्रायः अन्त तथा लाभ अर्जन के स्थान पर सहकारिता के आदर्शन का भी इसमें समावेश था।

लखनऊ अधिवेशन में समाजवादी, चुनावों के बाद पद ग्रहण करने के प्रश्न पर, विषय समिति में 44 के मुकाबले 24 मत तथा खुले अधिवेशन में 742 के मुकाबले 255 मत ही प्राप्त कर सके। तत्काल कांगेस ने स्वयं को इसी निर्णय से बांधना स्वीकार नहीं किया किन्तु अन्य मुद्दों पर (जैसे युद्ध का प्रतिरोध, विदेशों में प्रचार और जनसम्पर्क आदि) उन्हें उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। 'बांबे क्रानिकल' ने समाजवादी दल के बढ़ते हुए प्रभाव को लखनऊ कांग्रेस का विशेष तत्व बताया। नेहरू द्वारा गठित कार्य समिति में 3 समाजवादी शामिल किए गए-आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन (यद्यपि बहुमत उनका नहीं था)। इससे कुछ समय के लिए कांग्रेस में तनाव उत्पन्न हो गया और विच्छेद की आशंका हो चली जब 'दक्षिणपंथी' नेताओं ने कार्यसमिति से त्याग-पत्र दिया।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के स्थगन के बाद से ही वामपंथी झुकाव वाले नेता न तो रचनात्मक कार्यक्रम में रूचि रखते थे न काउन्सिल प्रवेश में, क्योंकि यह राजनीति को गलत दिशा में मोड़ने वाले थे और जनआन्दोलन में सहायक नहीं थे। आर्थिक संकट को ध्यान में रखकर वे परिस्थिति को जनआन्दोलन के उपयुक्त मानते थे और उनकी ससम्मति में जनता भी इसके लिए तैयार थी। किसान आन्दोलन को आगे बढ़ाने में कांग्रेस समाजवादी दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रो० एन० जी० रंगा, इन्दु लाल याज्ञिक और स्वामी सहजानन्द सरस्स्वती इसमें अग्रणी थे। इनके प्रयासों से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई जिसका पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ। इस संगठन ने जमींदारी उन्मूलन और भूमिकर में कमी की माँग की तथा कांग्रेस से सामूहिक सहबद्धता पर जोर दिया। कांग्रेस समाजवादी दल के प्रभाव स्वरूप ही 1936 के अन्त की ओर कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता पुनः जवाहर लाल नेहरू ने की किसानों के लिए हितकर कार्यक्रम को स्वीकार किया गया जिसमें राजस्व में कमी, सामंती देवों व वसूलियों के उन्मूलन, सहकारी खेती, खेतिहर मजदूरों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी और किसान संगठनों के गठन को शामिल किया गया था। मजदूरों के हितार्थ गठित कांग्रेस लेबर कमेटी ने 1937 में प्रान्तों में स्थापित कांग्रेस सरकारों से आग्रह किया कि मजदूरों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने आदि के संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाये।

इसके साथ ही कांग्रेस समाजवादी दल ने देशी रजवाड़ों की प्रजा के आन्दोलन से कांग्रेसस को जोड़ने पर भी जोर दिया और दल के कार्यकर्ता देशी रजवाड़ों के निरंकुश शासन के विरूद्ध चल रहे लोकतांत्रिक आन्दोलन में शामिल भी हुए और नागरिक अधिकारों तथा उत्तरदायी शासन की माँग की। इस प्रकार हम कांग्रेस (विशेषतः वामपंथी झुकाव वाले) कांग्रेस-समाजवादी दल तथा अन्य वामपंथी दलों के बीच कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम ससहमति पाते है जिनके फलस्वरूप भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में समाजवाद एक प्रबल धारा के रूप में समाविष्ट हो सका। इसी के फलस्वरूप, पराधीनता से मुक्ति के साथ ही सामाजिक-आर्थिक अन्याय, उत्पीड़न एवं शोषण से मुक्ति तथा सामाजिक-आर्थिक न्याय (समतावादी समाज) की स्थापना पर भी जोर दिया जाने लगा।

1948 के नासिक सम्मेलन में समाजवादियों ने कांग्रेस छोड़ देने का निर्णय किया क्योंकि कांग्रेस संगठन के भीतर आन्तरिक गुटों के निर्माण को अनुज्ञा नहीं देती थी। इस प्रकार 14 वर्ष तक कांग्रेस में रहने के उपरान्त समाजवादियों ने उस दल का परित्याग कर दिया और भारतीय समाजवादी दल नाम का एक दल कायम कर लिया। 1952 के आम चुनाव के बाद समाजवादी दल तथा जे० पी० कृपलानी के नेतृत्व में संगठित कृषक मजदूर दल ने परस्पर विलीन होने का निर्णय किया। अगस्त 1952 में दोनों दलों के नेताओं की बैठठक के उपरान्त दोनों दल संयुक्त हो गये। संयुक्त दल का नाम प्रजा समाजवादी दल रखा गया।

कांग्रेस समाजवादी दल की आलोचना करते हुए विपिनचन्द्र लिखते हैं कि अपनी विचारधारा, संगठन कार्यक्रम एवं तमाम युद्धालुता के बावजूद वह राष्ट्रीय आन्दोलन पर अपना वर्चस्व स्स्थापित करने में सफल न हो सका। विपिनचन्द्र ने इसके कारण इस प्रकार बनाये हैं-कांग्रेस नेतृत्व से गलत मुद्दों पर विवाद, जिस कारण या तो उसे झुकनापड़ा या वह राष्ट्रीय संग्राम में अलग-थलग पड़ गया। दूसरा कारण वैचारिक एवं रणकौशल की अनमनीयता थी। तीसरे भारतीय वस्तुस्थिति के गहन अध्ययन और इसका कारण समझ का अभाव जिससे वह कांग्रेस नेतृत्व के सोच, नीति एवं कार्यपद्धति को ठीक-ठीक न समझ सका, न भारतीय सामाजिक वर्गों और उनके राजनीतिक व्यवहार का सटीक विश्लेषण कर सका। जनआन्दोलन, लामबन्दी और विचारधारा पर जोर देने के बजाय यह अहिंसा को संघर्ष की युद्धालु पद्धति से हीनतर मानता रहा। न तो गांधीजी की रणनीति की उसे सही समझ थी, न जनता के बीच अपनी स्थिति का ही सही अनुमान था। वामपंथी समूह प्रायः बिखराव के भी शिकार रहे। परन्तु निष्कर्षतः वामपंथ को पूरी तरह विफल कहना भी अनुचित होगा। समाज एवं राजनीति पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा-किसानों व मजदूरों को संगठित करने, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस महासमिति में प्रभाव की दृष्टि से, कांग्रेस कार्यसमिति में स्थान प्राप्त करने में, 1939 के अधिवेशन के लिए सुभाषचन्द्र बोस को दुबारा अध्यक्ष चुनने में। कांग्रेस को समाजवाद की दिशा मे मोड़ने में (वैचारिक स्तर पर) भी उसे आंशिक सफलता प्राप्त हुई। निर्धनता आदि के पीछे अन्दरूनी परिस्थितियों की भूमिका स्पष्ट हुई और यह भी स्पष्ट हुआ कि भारत की सामूहिक आर्थिक संरचना में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। कराची कांग्रेस में पारित मूलभूत अधिकारों से सम्बन्धित प्रस्ताव, फैजपुर कांग्रेस (1936) में आर्थिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव, 1936 का चुनाव घोषणा पत्र, 1938 में योजना आयोग का गठन और गांधीजी के विचारों में आने वाला बदलाव वामपंथ की सफलता के सूचक माने जाते हैं। इसी प्रकार अखिल भारतीय छात्रसंघ व प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना तथा 1936 में अखिल भारतीय प्रजामण्डल सम्मेलन का आयोजन व अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सक्रियता भी वामपंथ की सफलता को इंगित करते हैं। कांग्रेस की प्रान्तीय सरकारों (1937-1939) की आलोचना, द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत की भागीदारी के विरूद्ध उसका रूख और वैयक्तिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन, अगस्त 42 के भारत छोड़ो आन्दोलन, आजाद हिन्द फौज के मुकदमें तथा नाविक विद्रोह और सत्ता हस्तान्तरण या स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भारत-विभाजन के प्रति उसका रूख भी स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

सन्दर्भ

1. भारत में औद्योगिक मजदूर, जेनेवा, 1938, पृ0-138
2. अहमद मुख्तार: ट्रेड यूनियनिज्म एण्ड लेबर डिस्स्प्यूट्सस इन इंडिया, (बंबई 1935), पृ0-37-38
3. वही, पृ0-39-41
4. लेबर गजट, अप्रैल, 1926
5. अहमद मुख्तार, वही, पृ0-40
6. ए0आई0टी0यू0सी0 के सातवें अधिवेशन (1927) की रिपोर्ट, पृ0-43
7. V.P. Verma: Modarn Indin Political thought 1989
8. Bhiku Parekh: Gandhi's Pollitical Phyloshpy - A Criticcal Examination 1995.
9. ए0आई0टी0यू0सी0 के सातवें अधिवेशन (बंबई 1927) की रिपोर्ट, पृ0-42
10. रजनी पाम दत्त, इंडिया टुडे, पृ0-409
11. अहमदाबाद टैक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की वार्षिक रिपोर्ट (अहमदाबाद 1925),पृ0-24

12. रजनी पाम दत्त, वही, पृ0-409
13. ए०आई०टी०यू०सी० के सातवें अधिवेशन (बंबई मार्च 1927) की रिपोर्ट, पृ0-36
14. रजनी पाम दत्त, इंडिया टुडे, पृ0-414
15. मुजफ्फर अहमद, आमार जीवन ओ भारतेर कम्युनिस्ट पार्टी (नेशनल बुक एजेन्सी, कलकत्ता, 1971), पृ0 407-99
16. ई0एम0एस0, नंबूरिरिपाद, दि नेशनल कन्वेंशन इन केरल, बंबई, 1952, पृ0-114
17. डॉ० भूपेन्द्र नाथ दत्त, अप्रकाशित राजनीतिक इतिहास, पृ0-255-256
18. डॉ० भूपेन्द्रनाथ दत्त, वही, पृ0-59
19. महेन्द्र प्रताप, रिफ्लेक्सन्स ऑफ़ ऐन एक्जाइल, पृ0-44-47
20. मुजफ्फर अहमद, प्रवासे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन, पृ0-16
21. रफीक अहमद, ऐन अनफारगेटेबल जर्नी पृ0-16
22. कम्युनिस्ट इन इण्डिया, सुबोध राय, पृ0-338
23. शौकत उस्मानी, पेशावर टू मास्को, दिल्ली-1927
24. M.P. Singh, Himanshu Roy: Indian Political Thought 1998
25. J. P. Suda: Main Curronts of Social and Political Thought in Modern India 1975.
26. Ashok Mehta: Democratic Socialsm and Studies in Asian Socialism.
27. जे०पी० सूद: आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास

महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करने में स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका

डॉ० राकेश कुमार तिवारी 1

स्वच्छता मिशन पर यूँ तो देश भर में अच्छा काम हो रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में केंद्र की हर योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है और इसका लाभ उसे बीमारियों से बचाव के रूप में भी मिल रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भारत में स्वच्छता की अनुवाई करने वाली कहा जाता है। इसलिए केंन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया था। हालांकि उसी साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लालकिले की प्राचीर से देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखने और खुले में शौच मुक्त भारत के निर्माण की कार्ययोजना की घोषणा कर दी थी।

महात्मा गांधी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय थी। वे कहते थे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना जरूरी है। स्वच्छ रहकर हम बहुत सारी बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। उनकी अगुवाई में भारत आजाद तो हो गया लेकिन स्वच्छ भारत की उनकी इच्छा अब बहुत हद तक पूरी हो रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता से स्वच्छता अधिक हद तक पूरी हो रही है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता से स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण है। जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को साफ नहीं कर सकते। गांधी जी ने सभी के लिए एक पूर्ण सफाई का एक सपना देखा था। उन्होंने शारीरिक कल्याण और एक स्वस्थ वातावरण के लिए सफाई को एक महत्वपूर्ण अंग माना था। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया था कि स्वच्छता लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करती है।[1] गांधी जी अक्सर कहा करते थे कि मैं किसी को भी अपने गंदे पांव के साथ मेरे मन से नहीं गुजरने दूँगा। वर्ष 1915 में गांधी जी हरिद्वार के कुंभ मेले में भाग लेने के लिए गए थे। वह पवित्र गंगा में डुबकी लगाने आए हजारों भक्तों की पवित्रता से काफी खुश थे लेकिन साथ ही वह लोगों द्वारा गंगा तट पर शौच करने से बेहद दुखी भी थे। गांधी जी ने सफाई को छुआछूत के साथ जोड़ने के विचार का खंडन किया। उन्हें यह बात बहुत ही अनुचित लगी कि सफाई के काम से समाज में बहुत ही गिरी नजर से देखा जाए। उन्होंने भारतीयों में सफाई और स्वच्छता से जुड़ी शिखा की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सफाई कार्य भारत में एक विशेष कार्य होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी

1. सहायक आचार्य, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी|

जोर दिया कि हर कोई खुद में ही एक सफाई कर्मी होना चाहिए। जब उन्होंने अपने सिर पर मैले का टोकरा रखा तो इसके पीछे भी उनकी यही भावना था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जी की इस पीड़ा को समझा। प्रयागराज के कुंभ मेले में सचल शौचालयों की व्यवस्था की गई। इसका असर यह हुआ कि गंगा-यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर लाखों लोगों की उपस्थिति के बावजूद गंदगी कहीं नजर नहीं आई। प्रधानमंत्री ने तो सफाईकर्मी के चरण पखार कर उनकी महत्ता को देश और समाज के सामने रखने की कोशिश की।[2] इसमें संदेह नही कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इसके प्रयासों में तेजी लाने तथा स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने के निमित्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभांरभ किया। इस मिशन का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के लिए, उपयुक्त श्रद्धाजंलि के रूप में 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था तथा ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाना था। यह सिलसिला अद्यावधि जारी है। साथ ही इस क्रम को अनवरत चलाए जाने की भी जरूरत है। वर्ष 2014 तक देश में 10 लाख 74 हजार 240 शौचालय बने थे जो वर्ष 2021 में बढ़कर 40,18,896 हो गए हैं जबकि 2020-21 में देश के 711 जिले खुले में शौच की समस्या से निजात पा चुके हैं। 2,62,736 ग्राम पंचायतों और 6,03,177 गांवों ने खुद को ओडीएफ घोषित किया है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो देश के 36 राज्यों जिसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं में शत प्रतिशत खुले में शौच की समस्या से मुक्ति की बात कही है। भारत सरकार देश के गरीब परिवारों के लिए फ्री शौचालय योजना भी लाई है।[3] इसके अंतर्गत गरीब परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है और वह शौचालय निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं जिसके कारण उन्हें घर से बाहर ही शौच के लिए जाना पड़ता है। जिसके कारण कहीं लोग बिमार भी पड़ जाते है। इसी असुविधा को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए शौचालय बनवाने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निशुल्क निर्माण किया जा रहा है।[4] इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए 12 हजार रूपये प्रदान कर रही है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घरों में अभी भी शौचालय नहीं है और कुछ आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण भी अपने घरों में शौचालय नहीं बनवा पाते। इस समस्या को देखते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। इसके तहत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के घर में मुफ्त में शौचालय बनवा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत अक्टूबर 2014 में हुई थी। इस मिशन पर सरकार ने कितना धन खर्च किया और कितने लोगों को उसका लाभ मिला, इसे लेकर गॉय हटन,[5] निकोलस ऑस्बर्ट, सुमीत पाटिल और अवनी कुमार ने स्वच्छ भारत मिशन की लागत और इसके फायदे में परस्पर तुलना विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय शोध किया है। इस शोध में कहा गया कि हर परिवार को इससे करीब 727 डॉलर की मदद पहुँची और डायरिया जैसे मामलों में 55 फीसदी, स्वच्छता में 45 प्रतिशत का सुधार हुआ। शोध के मुताबिक एक शौचालय बनाने पर औसतन 396 डॉलर का खर्च आया, जबकि वार्षिक क्रियान्वयन लागत पर 37 डॉलर (आर्थिक) और 94 डॉलर (समय की लागत) का खर्च आया। इस तरह से हर परिवार को 727 डॉलर की मदद मिली। शौचालय निर्माण से सरकारी सब्सिडी की तुलना में दोगुनी लागत आई, जोकि 396 डॉलर है।[6] करीब 10 साल में औसत लागत का 1.7 गुना फायदा होने का अनुमान भी इस शोध में जाहिर किया गया है। यह भी कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन में लगी लागत का सामाजिक बेहतरी के नजरिए से 10 साल में 4.3 गुना लाभ होने के आसार हैं। गरीबों को आर्थिक फायदा 2.6 गुना और सामाजिक

फायदा 5.7 गुना ज्यादा मिल रहा है। 2 अक्टूबर, 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छ भारत पुरस्कार का वितरण किया गया तथा गांधी जयंती को देश भर में स्वच्छ भारत दिवस के रूप में मनाया गया।[7]

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विभिन्न श्रेणियों और अभियानों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों, जिलों, ब्लाकों, ग्राम पंचायतों तथा अन्य को स्वच्छ भारत पुरस्कार (2020) प्रदान किये। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। शीर्ष पुरस्कार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश पंजाब और अन्य को प्रदान किए गए। गुजरात को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया, तमिलनाडु के तिरूनेलवेली को सर्वश्रेष्ठ जिला, मध्य प्रदेश में उज्जैन के खाचरौद को सर्वश्रेष्ठ और चिन्नौर (सलेम) को 1 नम्बर, 2019 से 30 अप्रैल, 2020 तक चलाये गए स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायल के रूप में सम्मानित किया गया। 15 जून से 15 सितंबर, 2020 तक आयोजित सामुदायिक शिक्षा अभियान के लिए राज्य श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार उत्तर प्रदेश (जीकेआरए) और गुजरात (गैर-जीकेआरए), जिला श्रेणी में प्रयागराज (जीकेआरए) और बरेली (गैर-जीकेआरए) तथा असम में बोरीगांव, बोंगईगांव को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिला।[8] 8 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए सप्ताह भर के गंदगी से मुक्त (जीएमबी) अभियान के लिए, तेलंगाना को अधिकतम श्रमदान भागीदारी के लिए शीर्ष पुरस्कार मिला, वहीं हरियाणा को अधिकतम ओडीएफ प्लस गांव घोषित करने के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब के मोगा जिला को दीवार पर चित्रों के माध्यम से अधिकतम आईईसी संदेशों को प्रसारित करने के लिए पहला पुरस्कार मिला।[9] इसके अतिरिक्त कई श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर स्वच्छ भारत दिवस 2020 पर एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई जिसके बाद स्वच्छ भारत दिवस पुरस्कार वितरण हुआ। इसके अलावा सामुदायिक शौचायल अभियान (एसएसए) और स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय (एसएसएसएस) अभियान पर एक ई-पुस्तिका भी लान्च की गई। ग्रामीण भारत में सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुँच में सुधार के लिए पिछले एक वर्ष में इन अभियानों के तहत 50,000 से अधिक सामुदायिक शौचालय परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। गंदगी मुक्त भारत (जीएमबी) चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता के तहत 24.4 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।[10] जीएमबी के तहत, 8.84 लाख आईईसी संदेश दीवारों और बिलबोर्ड पर चित्रित किए गए थे। स्वच्छ भारत दिवस पर छपी ई-बुक के आंकड़े बताते हैं कि पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा 1 नवंबर, 2019 से 30 अप्रैल, 2020 तक स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान चलाया गया जिसके तहत जिलों, ब्लाकों और गाँवों में 27,447 सामुदायिक शौचालय भवनों का निर्माण किया गया। जिसमें गुजरात में सर्वाधिक 9,491 और नागालैंड में सबसे कम चार सामुदायिक शौचालय भवनों का निर्माण किया गया। 15 जून से 15 सितंबर, 2020 तक चलाए गए सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत देश भर में 17,645 सामुदायिक सुंदर शौचालय भवनों के निर्माण किए गए जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10,079 और उत्तराखंड, सिक्किम मेघालय, मणिपुर और अरूणाचंल प्रदेश में एक-एक सामुदायिक सुंदर शौचालय भवन बनाए गए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बेटियों के सम्मान की रक्षा को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर शौचालयों का निर्माण कराया।[11] उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्रित्व में यह योजना खूब परवान चढ़ी। इससे राज्य में महिलाओं और बच्चियों के प्रति होने वाली छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाओं में भी कमी आई है। घर में शौचालय और स्नानागार होने से महिलाओं और दुष्कर्म की घटनाओं में भी कमी आई है। घर में शौचालय और स्नानागार होने से महिलाओं को अब

शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में शौचालय बनाने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। विभाग की ओर से बताया गया कि प्रदेश के सभी गांवों में सर्वे 2012 के अनुरूप खुले में शौच मुक्त बनाने का काम पूरा कर लिया गया है।[12] उप-राष्ट्रीय स्तर पर शौचालय निर्माण में देश में पहले स्थान पर है। शौचालयों को 'इज्जत घर का नाम दिया गया है। वर्ष 2017-18 में 44,10,903 व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हुआ। वर्ष 2018-19 में 97,40,466 अवशेष लाभार्थियों के लिए शत-प्रतिशत व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। छूटे हुए 36,41,016 पात्रों में माह जुलाई, 2019 तक 23,64,377 परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कराया गया। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ के नवल किशोर रोड पर स्वच्छ भारत मिशन के कॉल सेंटर की 24 जनवरी, 2018 को शुरुआत की थी। इस कॉल सेंटर पर गंदगी के साथ ही खराब सड़कों व गड्ढों की भी शिकायत की जा रही है। इसके लिए टोल फ्री नंबर (1800-180-0101) भी जारी किया गया था।[13] यह व्यवस्था आज भी लागू है। इसका लाभ यह हुआ है कि अधिकारियों की कोताही का छिपना मुश्किल हो गया है। कॉल सेंटर पर आने वाली हर शिकायत नगर पंचायत, पालिका परिषद या नगर निगम के संबंधित अधिकारी को भेज दी जा रही है। शिकायत दर्ज होने से लेकर उसके निस्तारण की स्थिति पर नगर विकास विभाग नजर रखता है। शिकायत निस्तारण में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो रही है। जबकि अच्छा काम करने वाले अधिकारी पुरस्कृत व सम्मानित भी किए जा रहे हैं। शिकायत के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए कॉल सेंटर द्वारा शिकायतकर्ता का फीडबैक भी लिया जा रहा है। यह एक अच्छी पहल है और इस पहल का स्वागत किया जाना चाहिए। हर शहर में बस स्टेशन या सार्वजनिक स्थलों पर मूत्रालयों का निर्माण किया गया है। इससे प्रदेश को गंदगी से बचाने की दिशा में मदद मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में मिशन मोड पर स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दे रखे हैं। उन्होंने कहा है कि कि कोरोना संक्रमण का उपचार, बचाव ही है।[14] अन्य रोगों की तरह कोविड-19 को रोकने में भी स्वच्छता की बड़ी भूमिका है। यही वजह है कि स्वच्छता अभियान को मिशन मोड पर चलाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। इन शौचालयों के देखरेख लिए स्वयं सहायता समूह की एक महिला को चुना जा रहा है। जिस अब महीने 6,000 रुपए का मानदेय दिया जाना है जिससे कि वह आर्थिक रूप से और मजबूत हो सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 अक्तूबर, 2020 को अपन सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिश (ग्रामीण) व मनरेगा कन्वर्जेंस के अन्तर्गत 7,053.45 करोड़ रुपये की कुल लागत 18,847 सामुदायिक शौचालयों और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण तथा 35,058 सामुदायिक शौचालयों व 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया।[15] मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं, जहां सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। इन सामुदायिक शौचालयों में नियमित साफ-सफाई के लिए स्वयं सहायता समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उसे 6,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मानें तो उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत दो करोड़ इकसठ लाख से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाये गये हैं।[16]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में एक वर्ष में गंदगी के कारण लगभग 17 लाख मौतें होती हैं जिसमें 90 प्रतिशत बच्चे होते हैं। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक, दोनों स्तरों पर स्वच्छता अनिवार्य है। आजादी के सात दशकों के बाद भी भारत अपेक्षित स्वच्छता स्तर को प्राप्त करने में विफल रहा। उत्तर प्रदेश में यही दशा थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश तो गंदगी और बीमारियों की चपेट में रहने के लिए मानों अभिशप्त सा था। पिछले कई वर्षों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हर वर्ष दिमागी बुखार से छोटे बच्चों की मौत बड़ी गंभीर

एवं दुखद समस्या रही है। इसका मूलभूत कारण गंदगी ही थी। इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका स्वच्छता के माध्यम को अपनाना था। स्वच्छ व्यवहार और अपने आस-पास की स्वच्छता के जरिये इसे रोका जा सकता था और ऐसा ही किया गया। वास्तव में स्वच्छता ही वह हथियार था, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैली इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम किया। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो साल दर साल इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से होने वाली मौत की संख्या में काफी कमी आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ही इस राय के हैं कि शौचालयों के अभाव में वह छात्राओं को स्कूल नहीं छोड़ने देंगे। इस लिहाज से वह स्वच्छ भारत-स्वच्छ विद्यालय एक राष्ट्रीय मिशन की भावना पर भी काम कर रहे हैं।

सन्दर्भ

1. गांधी मो०क०: धर्मनीति, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण: 2018
2. अम्बेडकर: आर्थिक विचार एवं दर्शन, प्रकाशन प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण: 2017
3. ओमवेट गेल: अम्बेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर, प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाऊस इंडिया, संस्करण: 2005
4. चैरसिया दीपक: कूड़ा-धन, प्रकाशन: प्रभात प्रकाशन, दिल्ली संस्करण: 2018
5. आचार्य राजेश कुमार: महात्मा गांधी से मोदी, प्रकाशन: डंदवसंदक स्पउपजमकए 2016
6. सेठी रजत: मोदी का भारत
7. वर्मा सुदेश: नरेन्द्र मोदी युग प्रवर्तक: प्रकाशक विस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड 2/15, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली
8. भारत 2020: प्रकाशन: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
9. योजना: 2015-16, प्रकाशन: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
10. कुरूक्षेत्र: 2015-16, प्रकाशक: सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
11. दैनिक जागरण: राष्ट्रीय संस्करण, नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2020
12. https:www.niti.gov.in/niti/hi
13. https:www.Ifinmin.nic.niti/hi
14. mohva.gov.in
15. rural.nic.in
16. panchaystisaj.up.nic.in